# 31st वार्षिक रिपोर्ट
# Annual Report
# 2018-19

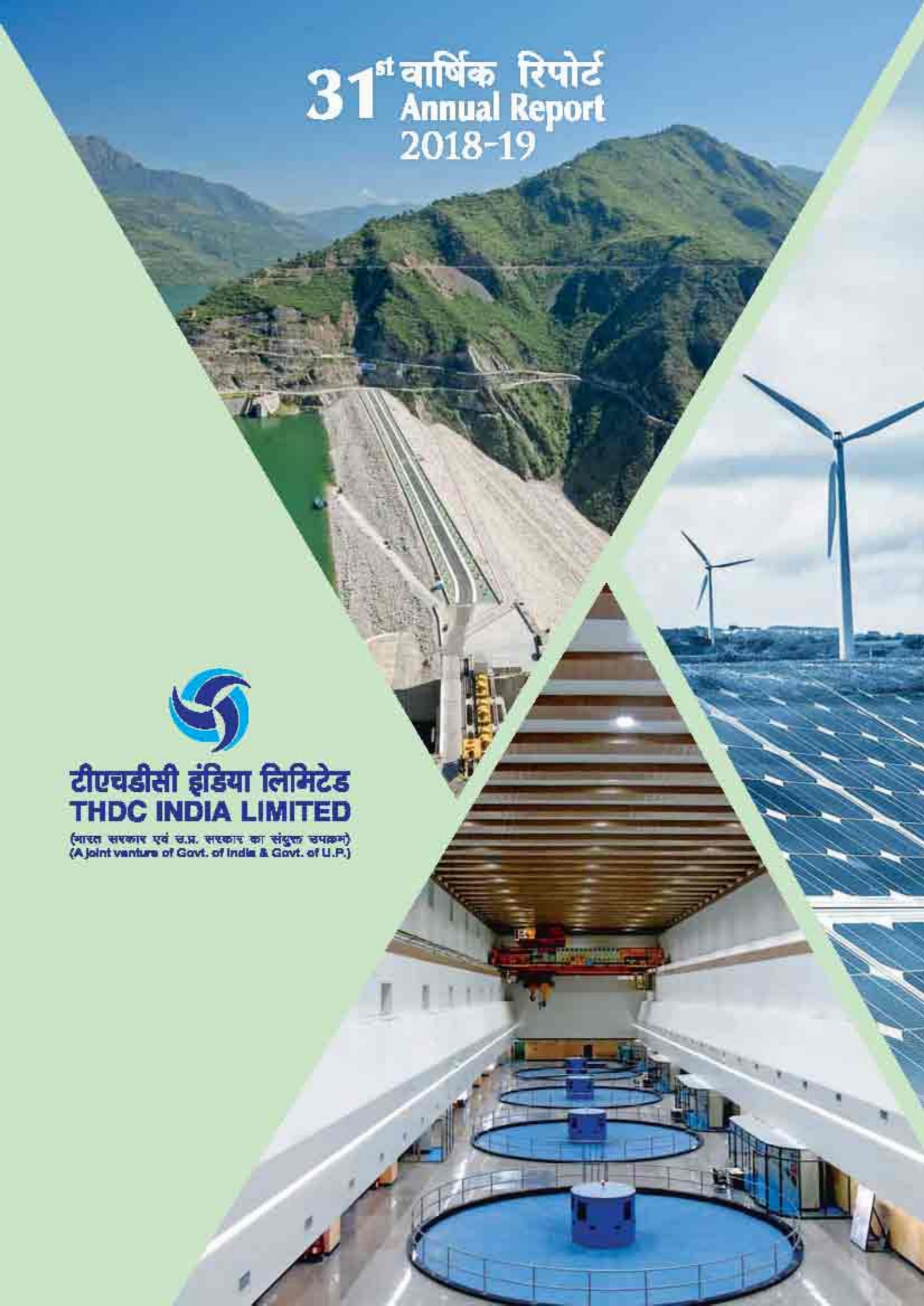

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
(भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A joint venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

# विजन

पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ विश्वस्तरीय ऊर्जा इकाई स्थापित करना।

# VISION

A world class energy entity with commitment to environment and social values.

# मिशन

- ऊर्जा संसाधनों की दक्षतापूर्वक योजना बनाना, उनका विकास एवं प्रचालन करना।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करना।
- सीखने एवं नवोन्मेषीकरण की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- पारस्परिक विश्वास द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ मूल्य आधारित सतत संबंध स्थापित करना।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन करना।

# MISSION

- To plan, develop and operate energy resources efficiently.
- To adopt state of the art technologies.
- To achieve performance excellence by fostering work ethos of learning and innovation.
- To build sustainable value based relationship with stakeholders through mutual trust.
- To undertake rehabilitation and resettlement of project affected persons with human face.

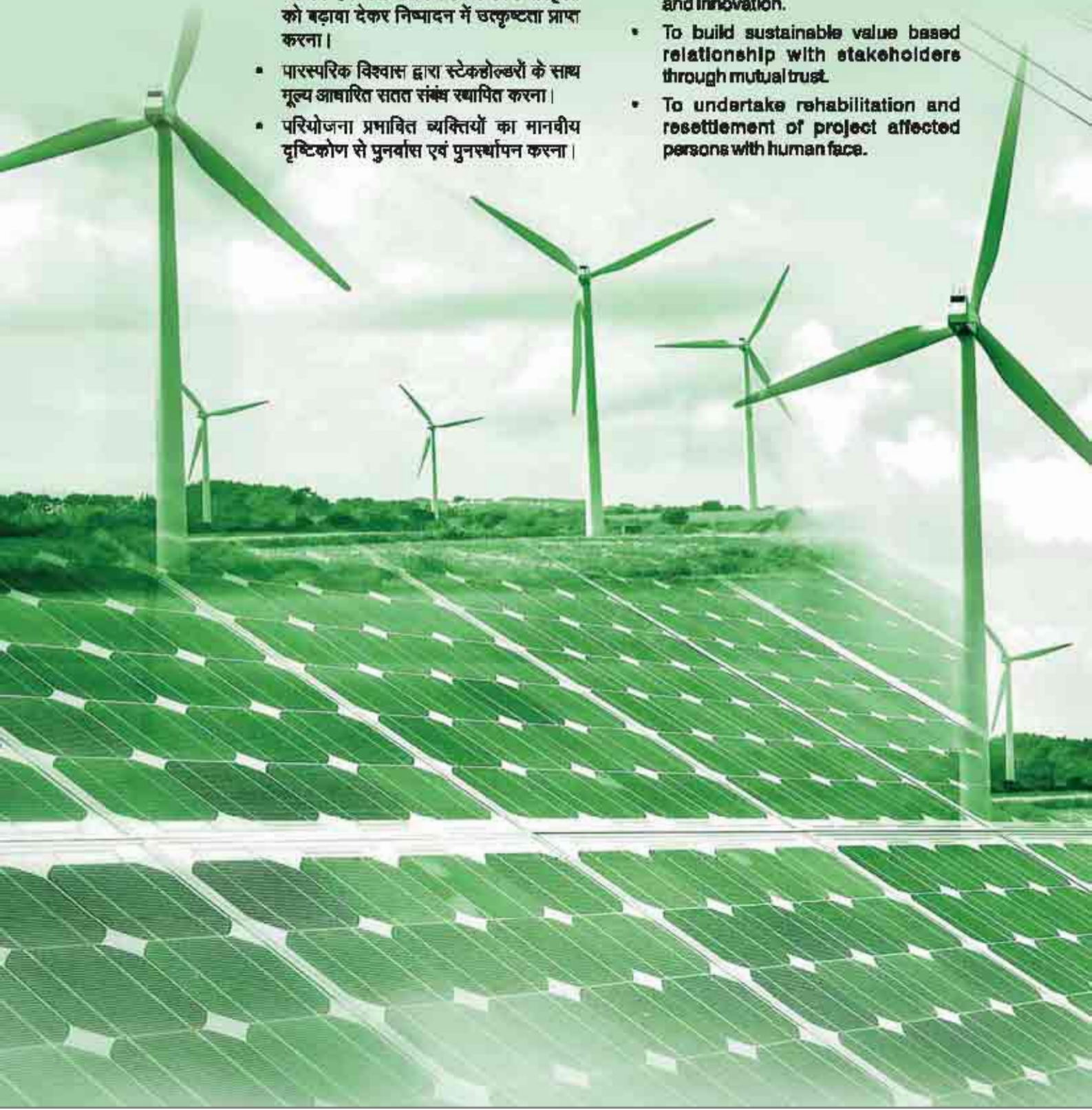

विषय सूची

## कारपोरेट सिंहावलोकन


निदेशक मंडल ..... 04
संदर्भ सूचना ..... 05
प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाईट्स ..... 06
अध्यक्ष का अभिभाषण ..... 12
निदेशकों का संक्षिप्त विवरण ..... 17
व्यापारिक सिंहावलोकन रिपोर्ट – सतत तरीके से पूंजी निर्माण 2018–19 ..... 21


## निदेशकों की रिपोर्ट 2018–19 और अनुलग्नक


निदेशकों की रिपोर्ट 2018–19 ..... 38
अनुलग्नक–I कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट ..... 71
अनुलग्नक–II कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट ..... 89
अनुलग्नक–III प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट ..... 105
अनुलग्नक–IV ऊर्जा सरंक्षण के उपाय अंगीकृत प्रोद्योगिकी समामेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय ..... 111
अनुलग्नक–V व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट ..... 115
अनुलग्नक–VI फार्म नं. एमजीटी–9 वार्षिक रिटर्न का सार ..... 134
अनुलग्नक–VII सचिवालयी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट ..... 141


## वित्तीय विवरण 2018–19


तुलन – पत्र ..... 146
लाभ एवं हानि का विवरण ..... 148
नगदी प्रवाह विवरण ..... 150
लेखा संबंधी टिप्पणियां ..... 153
वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट ..... 199
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अभ्युक्तियां ..... 211

# कारपोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल
- संदर्भ सूचनाएं
- प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाईट्स
- अध्यक्ष का अभिभाषण
- निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल
- व्यापारिक सिंहावलोकन रिपोर्ट

# निदेशक मंडल

27 सितंबर, 2019 को अनुसार

श्री डी.वी. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राज पाल
आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री टी. वेंकटेश
प्रमुख सचिव (सिंचाई और जल संसाधन), उ.प्र. सरकार,
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री विजय गोयल
निदेशक (कार्मिक)

श्री जे. बेहरा
निदेशक (वित्त)

श्री आर.के. विश्नोई
निदेशक (तकनीकी)

श्री बची सिंह रावत
स्वतंत्र निदेशक

श्री मोहन सिंह रावत
स्वतंत्र निदेशक

प्रो. महाराज के. पंडित
स्वतंत्र निदेशक

# संदर्भ सूचनाएं

## पंजीकृत कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
सीआईएन : यू45203यूआर1988जीओआई009822
भागीरथी भवन (टॉप टेरेस)
भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल–249001
संपर्क नं. (0135) 2473403, 2439309
फैक्स : (0135) 2439442 एवं 2436761
वेबसाइट : www.thdc.co.in

## कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सुश्री रश्मि शर्मा
गंगा भवन, प्रगतिपुरम
बाई–पास रोड, ऋषिकेश–249201
संपर्क नं. (0135) 2435842, 2439309 एवं 2437646
फैक्स : (0135) 2439442 एवं 2436761
वेबसाइट : rashmi.thdc@gmail.com

## कारपोरेट कार्यालय

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड,
ऋषिकेश–249201,
उत्तराखंड

## रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

कार्वे कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
कार्वे सेलेनियम टॉवर–बी, प्लॉट नं. 31–32
गाछीबाउली, फाइनेन्सियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकमगुडा,
हैदराबाद–500032
दूरभाष : 91–40–33211000
ई मेल : rakesh.jamwal@karvy.com

## सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
364 ए, गोविंदपुरी, हरिद्वार – 249403

## लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स एस.सी. मोहंती एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
मैसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
मेसर्स के.बी. सक्सेना एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली

## डिबेंचर ट्रस्टी

विस्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड
ए–268, प्रथम तल, भीष्म पितामह मार्ग,
डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024

## शेयर सूचीबद्ध

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज

## डिपोजिटरी

सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.
पंजीकृत कार्यालय: 17 वां तल, पीजे टावर्स,
दलाल स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई – 400001

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि.
ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड
लोअर पैरेल, मुंबई – 400013

## बैंकर्स / वित्तीय संस्थाएं

1. पंजाब नेशनल बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
3. विश्व बैंक
4. जम्मू एंड कश्मीर बैंक
5. पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6. रूरल इलेक्ट्रीफीकेशन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

## क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

केयर (क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि.)
इंडिया रेटिंग

## सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स पी.एस.आर. मूर्ति
178 आरपीएस फ्लेट्स, शेख सराय फेज–1,
नई दिल्ली – 110017

# प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाइट्स

(राशि लाख ₹ में)

| | | | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क. राजस्व | | | | | | | |
| | 1 | परिचालन से राजस्व | 276796 | 218510 | 209474 | 246649 | 239716 |
| | 2 | अन्य आय | 8233 | 3809 | 14123 | 1481 | 1077 |
| | 3 | सिंचाई घटक के कारण अस्थगित राजस्व | 6915 | 6822 | | | |
| | 4 | सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास घटाएं | 6915 | 6822 | | | |
| | 5 | कुल राजस्व | **285029** | **222319** | **223597** | **248130** | **240793** |
| ख. व्यय | | | | | | | |
| | 6 | कर्मचारी लाभ व्यय | 41183 | 30649 | 25425 | 22857 | 22438 |
| | 7 | उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय | 22132 | 20342 | 19513 | 18003 | 17855 |
| | 8 | टैरिफ समायोजन (विनियामक उत्तरदायित्व) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | प्रावधान | 4985 | 0 | 445 | 9 | 12638 |
| | 10 | बट्टे खाते डाला गया अशोध्य ऋण | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801 |
| | 11 | पूर्व अवधि | | | | | 13992 |
| | 12 | असाधारण मदें | | | 16146 | 34830 | |
| | 13 | कुल व्यय | **68300** | **50991** | **61529** | **75699** | **74724** |
| | 14 | सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (5–13) | **216729** | **171328** | **162068** | **172431** | **166069** |
| | 15 | मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन | 55500 | 57452 | 52557 | 49663 | 48386 |
| | 16 | सकल लाभ (पीबीडीआईटी) (14–15) | **161229** | **113876** | **109511** | **122768** | **117683** |
| | 17 | वित्त लागत | 17568 | 22787 | 29106 | 32887 | 43878 |
| | 18 | विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन और कर पूर्व लाभ (16–17) | **143661** | **91089** | **80405** | **89881** | **73805** |
| | 19 | विनियामक आस्थगित लेखा शेष आय/व्यय में संचलन | 7501 | | | | |
| | 20 | कर पूर्व लाभ (18+19) | **151162** | **91089** | **80405** | **89881** | **73805** |
| | 21 | आय कर | 32275 | 19056 | 17154 | 24252 | 18376 |
| | 22 | आस्थगित कर परिसंपत्ति | -6676 | -5083 | -8142 | -16269 | -13686 |
| | 23 | सतत परिचालन अवधि के लिए लाभ (20–21–22) (पी ए टी) | **125563** | **77116** | **71393** | **81898** | **69115** |
| | 24 | अन्य सर्वग्राही आय | -299 | 563 | -414 | -301 | |
| | 25 | जोसीआई पर आय कर – आस्थगित कर परिसंपत्ति | -104 | 195 | 144 | 104 | |
| | 26 | कुल सर्वग्राही आय (23+24+25) | **125160** | **77874** | **71123** | **81701** | **69115** |
| ख. परिसंपत्तियां | | | | | | | |
| | 27 | मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति (शुद्ध ब्लॉक) | 683115 | 732801 | 780687 | 752460 | 795672 |
| | 28 | पूंजीगत कार्य प्रगति पर | 455714 | 395027 | 303529 | 239099 | 167453 |
| | 29 | दीर्घावधि ऋण और अग्रिम | 4079 | 4483 | 4694 | 4702 | 41181 |
| | 30 | आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध) | 89104 | 82532 | 70941 | 62655 | 45794 |
| | 31 | अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति | 120942 | 71547 | 93795 | 63999 | 143 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | चालू परिसंपत्तियां | 197328 | 159840 | 227149 | 232220 | 257434 |
| | 33 | विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष | 7501 | | | | |
| | 34 | कुल परिसंपत्तियां | 1557783 | 1446030 | 1480795 | 1355135 | 1307677 |
| घ. देनदारियां | | | | | | | |
| | 35 | इक्विटी शेयर पूंजी | 365488 | 362743 | 359888 | 355888 | 352888 |
| | | अन्य इक्विटी | | | | | |
| | 36 | आरक्षित और अधिशेष | 562590 | 488384 | 450193 | 415528 | 334405 |
| | 37 | सिंचाई घटक के लिए योगदान | 0 | 0 | 83458 | 89989 | 96538 |
| | 38 | कुल अन्य इक्विटी | 562590 | 488384 | 533651 | 505517 | 430943 |
| | 39 | लंबी अवधि के उधार | 265201 | 241530 | 404185 | 349792 | 327566 |
| | 40 | अन्य लंबी अवधि की देनदारियां और प्रावधान | 132517 | 135478 | 61395 | 54666 | 55340 |
| | 41 | लघु अवधि के उधार | 121840 | 64663 | 38724 | 3677 | 43634 |
| | 42 | दीर्घ अवधि के उधार की चालू परिपक्वता | 54437 | 101283 | 37503 | 38431 | 43436 |
| | 43 | अन्य चालू देनदारियां | 49397 | 45636 | 45449 | 47164 | 53870 |
| | 44 | विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष | 6313 | 6313 | | | |
| | 45 | कुल देनदारियां | 1557783 | 1446030 | 1480795 | 1355135 | 1307677 |
| | | | - | - | - | - | - |
| | 46 | शुद्ध कीमत (35+36) | 928078 | 851127 | 810081 | 771416 | 687293 |
| | 47 | नियोजित पूंजी (46+39−28) | 737565 | 697630 | 910737 | 882109 | 847406 |
| | 48 | वर्ष के लिए लाभांश | 42312 | 25610 | 22100 | 16200 | 14000 |
| | 49 | मूल्य वर्धित (14) | 216729 | 171328 | 162068 | 172431 | 166069 |
| | 50 | कर्मचारियों की संख्या | 1891 | 1922 | 1936 | 1990 | 2013 |
| | 51 | शेयरों की संख्या (राशि) (लाख रु. में) (प्रति शेयर 1000/− रु. के सममूल्य पर) | 365.49 | 362.74 | 359.89 | 355.89 | 352.89 |
| ङ. अनुपात | | | | | | | |
| | | प्रतिशेयर अर्जन (₹ 1000/− शेयर की कीमत) जिसमें विनियामक आस्थगित लेखा शेष में नियत संचालन शामिल है। | 344.38 | 213.14 | 198.85 | 230.52 | 197.60 |
| | | चालू अनुपात [32/(41+42+43)] | 0.87 | 0.75 | 1.87 | 2.60 | 1.83 |
| | | इक्विटी पर ऋण ((39+42)/46) | 0.34 | 0.40 | 0.55 | 0.50 | 0.54 |
| | | नियोजित पूंजी पर वापसी (पीबीआईटी/ नियोजित पूंजी) (16/47) | 21.86% | 16.32% | 12.02% | 13.92% | 13.89% |
| | | नियत मूल्य पर प्रतिफल (26/46) | 13.49% | 9.15% | 8.78% | 10.59% | 10.06% |
| | | प्रचालन से राजस्व पर शुद्ध लाभ (26/1) | 45.22% | 35.64% | 33.95% | 33.12% | 28.83% |
| | | प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में) (46/51) | 2539.28 | 2346.36 | 2250.93 | 2167.58 | 1947.62 |
| | | मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी (लाख ₹ में) (49/50) | 114.61 | 89.14 | 83.71 | 86.65 | 82.50 |
| | | प्रति शेयर लाभांश रु. में (₹ में) (प्रत्येक 1000 रु. का शेयर) | 115.77 | 70.60 | 61.41 | 45.52 | 39.67 |
| च. प्रचालन निष्पादन | | | | | | | |
| | | उत्पादन (एम. यू.) | 4687.18 | 4540.94 | 4430.00 | 4348.29 | 4214.18 |

नोट:—वित्त वर्ष 2014–15 के आंकड़े पूर्ववर्ती जी ए ए पी के आधार पर हैं जबकि अन्य वित्तीय वर्षों के आंकड़े इंड ए एस का अनुपालन करने वाले वित्तीय विवरणों के आधार पर हैं।

# प्रमुख वित्तीय निष्पादन चार्ट

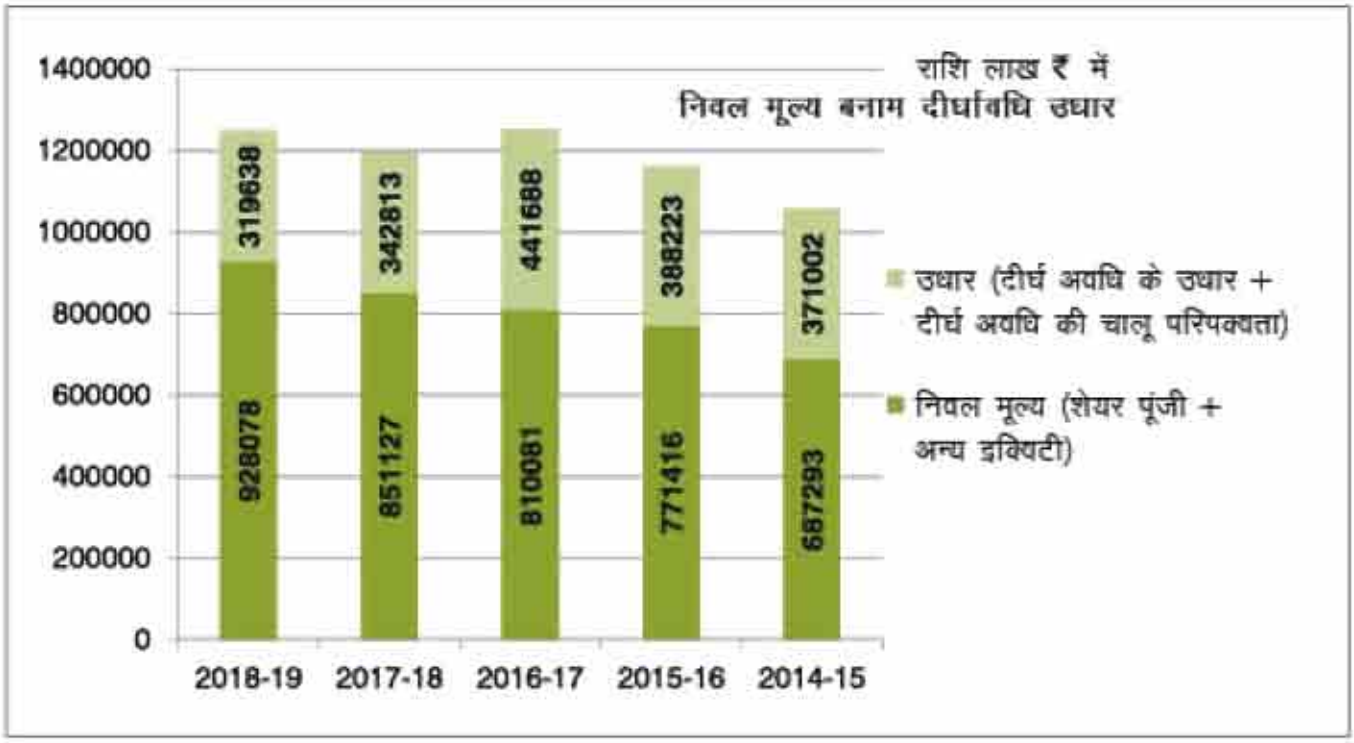


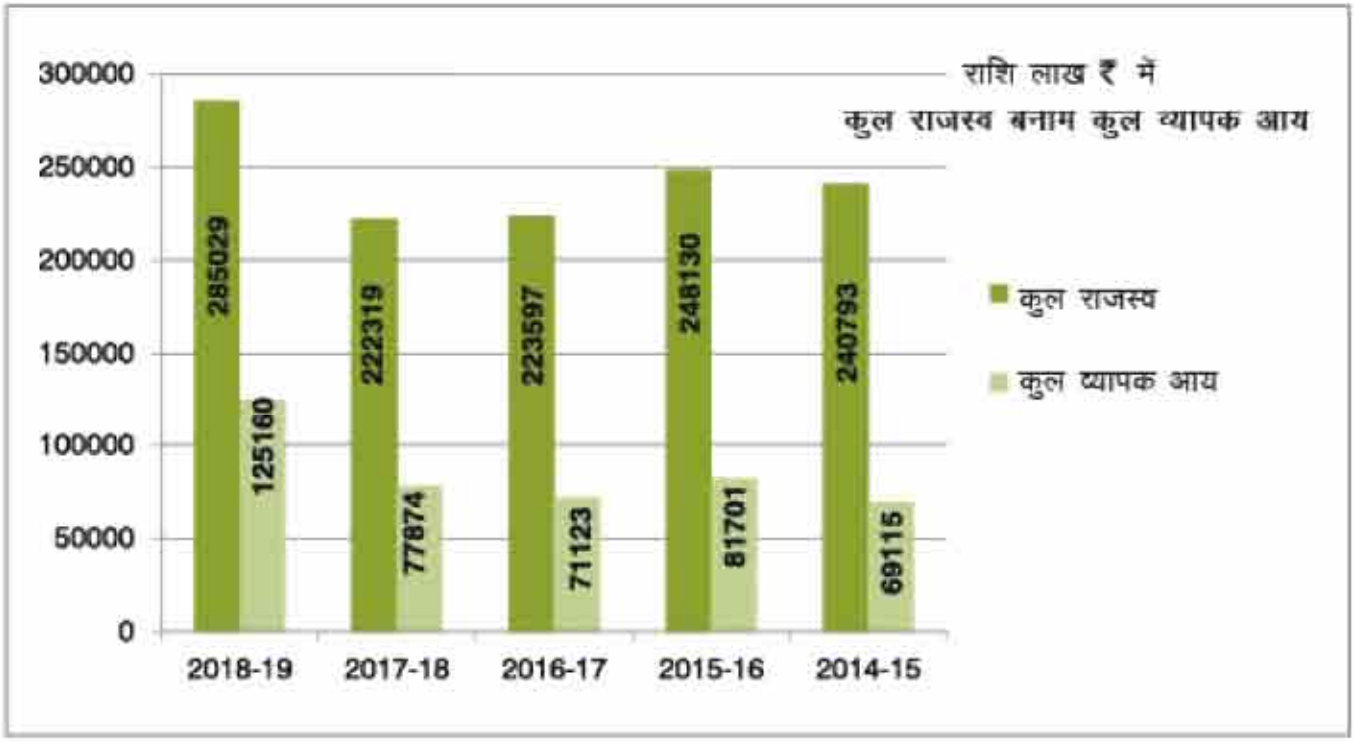

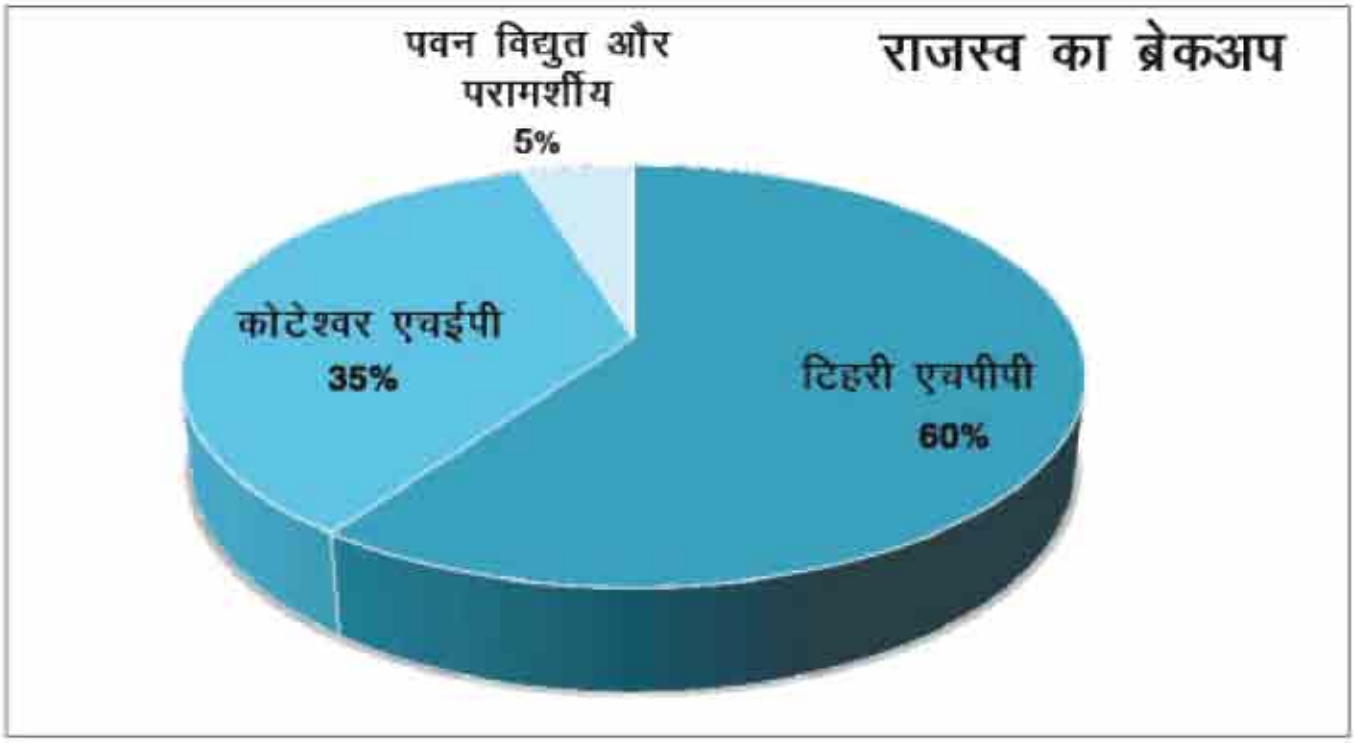
राजस्व का ब्रेकअप
पवन विद्युत और परागर्शीय
5%
कोटेश्वर एचईपी
35%
टिहरी एचपीपी
60%

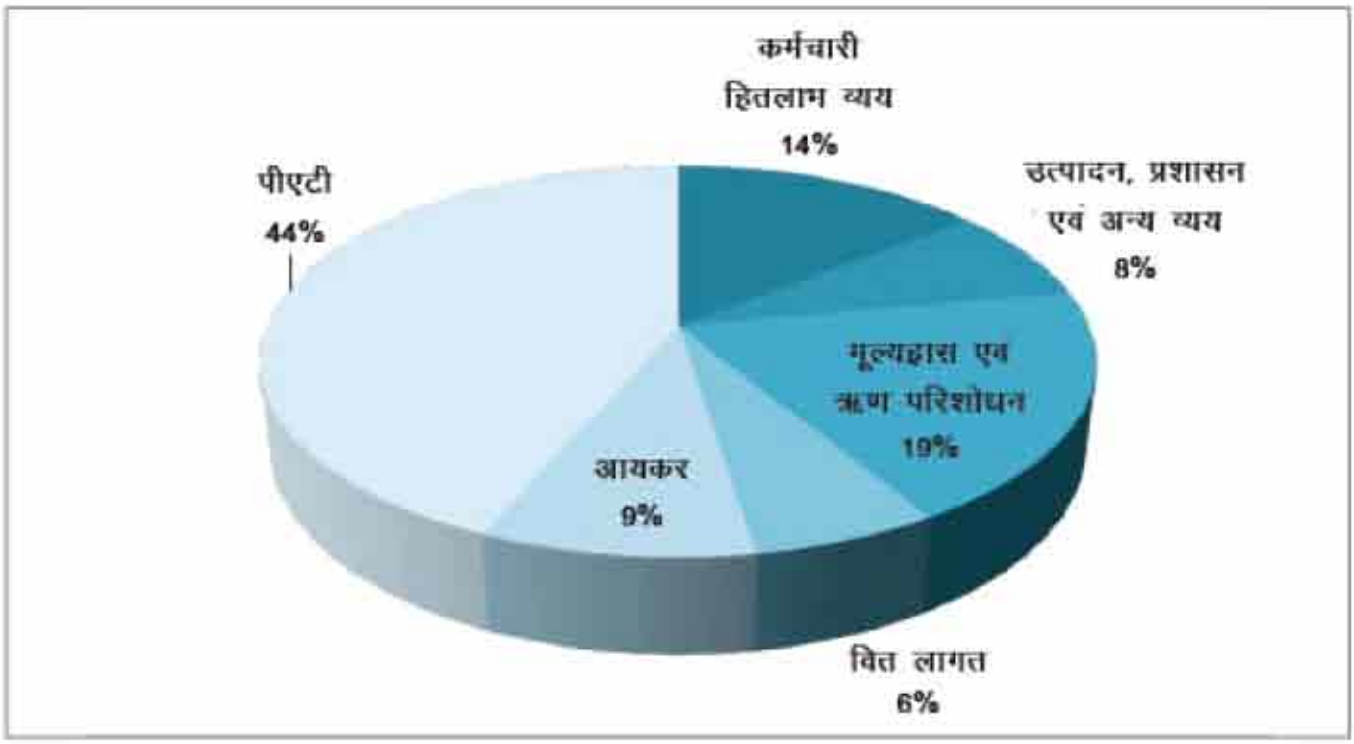
कर्मचारी हितलाभ व्यय
14%
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय
8%
मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन
19%
वित्त लागत
6%
आयकर
9%
पीएटी
44%

श्री डी.पी. सिंह, अ. एवं प्र. नि., टीएचडीसीआईएल, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत एवं नवीन व
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, श्री आर.के. सिंह को दिल्ली में अंतिम लाभांश का चैक सौंपते हुए

श्री डी.पी. सिंह, अ. एवं प्र. नि., टीएचडीसीआईएल, श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र. सरकार को लखनऊ में अंतरिम लाभांश का चैक सौंपते हुए

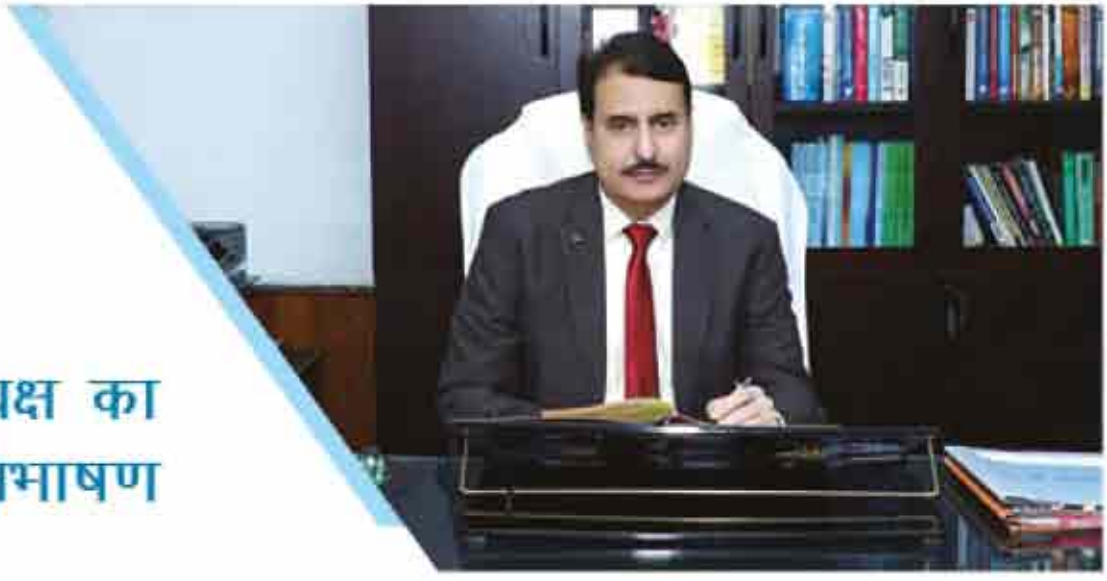

# अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय सदस्यगण,

मैं आपकी कंपनी की 31वीं वार्षिक आम सभा में आपका स्वागत करता हूं और मुझे वर्ष 2018–19 की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं इन्हें पढ़ने के लिए अनुमति चाहूँगा।

मैं यह उल्लेख करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि टीएचडीसीआईएल की किसी परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक सबसे बड़ा निवेश अनुमोदन आपकी प्रथम 1320 मेगावाट खुर्जा, सुपर थर्मल पावर परियोजना और अमेलिया कोयला खदान परियोजना को मार्च–2019 में दिया गया है जो क्रमशः 11089.42 करोड़ रू. और 1587.16 करोड़ रू. है। परियोजना की आधारशिला भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9 मार्च–2019 को रखी गई।

मार्च, 2019 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में विद्युत परियोजनाओं की कुल संस्थापित क्षमता 3,56,100 मेगावाट है जिसमें से जल विद्युत (हाइड्रो) का योगदान 13% है। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह 60:40 के आदर्श कोयला जल मिश्रण (थर्मल हाइड्रो मिक्स) से कम है। भारत सरकार ने जल विद्युत सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 2019 में नई हाइड्रो नीति का कार्यान्वयन कर इस दिशा में कदम उठाए हैं।

ग्रिड में उल्लेखनीय मात्रा में पवन और सौर विद्युत के समेकन के लिए संतुलित रणनीतियों और भंडारण विकल्पों की आवश्यकता पड़ती है। पंप स्टोरेज स्कीम (पी एस एस) ऊर्जा भंडारण सुविधा और पवन तथा सौर विद्युत की भिन्नता को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए हाइड्रो सेक्टर, विशेषकर पंप स्टोरेज संयंत्रों को प्रोत्साहन देना समय की आवश्यकता है क्योंकि ये मांग–पूर्ति की अस्थिरता में ग्रिड को संतुलित करते है। पंप स्टोरेज संयंत्र सही अर्थों में सबसे अच्छे हितैषी हैं क्योंकि ये विद्युत ग्रिड को स्थिरता प्रदान करते हैं और इस भूमिका के लिए उन्हें उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

अति उत्कृष्टता लाने की दिशा में हमारे सतत प्रयासों के लिए आपकी कंपनी को उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2018–19 में "एक काम देश के नाम" नामक गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) से प्रतिष्ठित "एच.आर. गोल्ड एवार्ड" प्राप्त हुआ है। पी.एच.डी. चैम्बर आफ कॉमर्स नई दिल्ली द्वारा "सीएस आर इनोवेशन एंड लीडरशिप एवार्ड 2019" भी प्रदान किया गया। जल विद्युत सेक्टर में सर्वोत्तम निष्पादन करने वाली यूटिलिटी के लिए आपकी कंपनी को "सीबीआईपी एवार्ड 2019" भी प्रदान किया गया।

## गत वर्ष की समीक्षा

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2018–19 के दौरान टीएचडीसीआईएल के सभी चारों प्रचालनात्मक संयंत्रों अर्थात् 1000 मेगावाट की टिहरी एच.पी.पी., 400 मेगावाट की कोटेश्वर एच.ई.पी., 50 मेगावाट के पाटन पवन विद्युत संयंत्र और 63 मेगावाट के देवभूमि द्वारका पवन विद्युत संयंत्र ने अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा है। सभी संयंत्रों से

कुल संचयी उत्पादन 4687 एम.यू. था जो 4590 एम.यू. के एमओयू लक्ष्य से काफी अधिक था। संयुक्त डिजाईन ऊर्जा से ऊपर लगभग 11% की वृद्धि हुई है जो 4206 मि.यू. है। टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी की प्रचालनात्मक दक्षता क्रमशः 84.521% और 68.0280% प्राप्त हुई जो सीईआरसी द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित इन परियोजनओं के मानक आंकड़े क्रमशः 77% और 67% से अधिक है। वर्ष 2019–20 से टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के संबंध में प्रचालनात्मक दक्षता के मानक आंकड़ों में सी.ई.आर.सी. द्वारा क्रमशः 80% और 68% की वृद्धि कर दी गई है।

पाटन और द्वारका पवन विद्युत संयंत्रों के लिए क्रमशः 25.22% और 26.27% की क्षमता उपयोग कारक (सी यू एफ) की तुलना में 24.73% और 33.25% की प्रचालनात्मक दक्षता प्राप्त की गई।

वर्ष 2018–19 के दौरान सकल बिक्री गत 2017–18 के 2185.10 करोड़ रू. की तुलना में 2767.96 करोड़ रू. रही। वर्ष 2018–19 के दौरान कुल वसूली 2402.07 करोड़ रू. थी। गत वर्ष के 778.7 करोड़ रु. में 61% वृद्धि होकर इस वर्ष वृद्धि लाभ 1251.60 करोड़ रु. हो गया है। वर्ष 2018–19 में आपकी कंपनी की एम ओ यू रेटिंग के बहुत अच्छा होने की संभावना है।

## परियोजनाएं

भरपूर प्रयास किए जाने तथा मैसर्स एचसीसी लिमिटेड के शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठकें आयोजित की जाने के बावजूद निर्माणाधीन परियोजनाओं नामतः 1000 मेगावाट की टिहरी पी एस पी और 444 मेगावाट की विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी से संबंधित कार्य की प्रगति धीमी बनी रही। इसका मुख्य कारण ठेकेदार के पास नकदी की समस्या, मैसर्स एचसीसी लिमिटेड के कामगारों द्वारा हड़ताल और स्थानीय लोगों द्वारा बीच में उत्पन्न की गई बाधाएं थीं। विद्युत मंत्रालय की सहमति से परियोजना कार्यों के लिए एस्क्रो एकाउंट के माध्यम से वित्तीय प्रबंध का कार्यान्वयन करने के बाद अब कार्य की गति में तेजी आ रही है। वीपीएचईपी में टीबीएम उत्थापन का कार्य पूरा होने के अग्रिम चरण में है। मास्टर कंट्रोल वर्क को सीमित कर और सर्वोत्तम करने के उपरांत मुझे पूरा विश्वास है कि टिहरी पीएसपी और वीपीएचईपी का प्रारंभण क्रमशः जून–2022 और दिसंबर–2022 तक हो जाएगा।

एक अन्य चल रही परियोजना 24 मेगावाट लुकवां एसएचपी प्रारंभ किए जाने के अग्रिम चरण में है। सिविल कार्य और हाइड्रो मेकैनिकल कार्य क्रमशः 99.4% और 99% तक पूरे कर लिए गए हैं जबकि इलेक्ट्रो–मेकैनिकल कार्य संविदा मूल्य के लगभग 95% तक पूरा कर लिए गए हैं। परियोजना की पहली यूनिट का प्रारंभ सितंबर, 19 तक पूरा किया जाना है और शेष तीनों यूनिटों को दिसंबर, 19 तक पूरा किया जाना है। वास्तव में यूनिट –1 का मेकैनिकल संचालन सितंबर, 2019 में सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

1320 मेगावाट खुर्जा एसटीपीपी के मुख्य कार्य के लिए, 07 पैकेजों में से "स्टीम जनरेटर और सम्बद्ध पैकेजों" का कार्य 4087 करोड़ रू. में 29 अगस्त, 19 को मैसर्स एल एंड टी–एमएचपीएस बॉयलर्स प्राइवेट लिमिटेड को एवार्ड किया गया है। "टर्बाइन जनरेटर और संबद्ध पैकेजों" के लिए 1815 करोड़ रू. में मैसर्स भेल को दी जाने वाली बोलियां अग्रिम चरण में हैं।

शेष 05 बीओपी पैकेजों में से वाटर सिस्टम पैकेज और स्विचयार्ड पैकेज के लिए बोलियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। कोयला, चूना (लाइमस्टोन) और जिप्सम हैंडलिंग संयंत्र पैकेज के लिए निविदा पलोट की जा चुकी है जबकि डाइक पैकेज और विविध भवन तथा अन्य पैकेज निविदा दिए जाने के चरण में हैं। इन सभी पैकेजों को वित्त वर्ष 2019–20 में एवार्ड किए जाने की संभावना है।

अमेलिया कोयला खदान की परिधि में गुजरने वाली 03 एच टी पारेषण लाइनों का स्थान परिवर्तन करने के लिए पावरग्रिड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इससे सुव्यवस्थित और कार्यकुशल तरीके से कोयला निकाला जा सकेगा। सिंगरौली से खुर्जा परियोजना के लिए कोयले की खुदाई के लिए खुर्जा में रेलवे साइडिंग के लिए करार हेतु राइट्स के साथ करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। परामर्श और रेलवे साइडिंग कार्य पर क्रमशः 26.20 करोड़ रू. और 335 करोड़ रू. की राशि खर्च की जाएगी। वन सलाहकार समिति, अमेलिया कोयला खदान के लिए 843.76 हेक्टेयर वन भूमि आबंटित करने पर सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है। खदान प्रचालन आरंभ करने के लिए एमओसी, भारत सरकार द्वारा सितंबर–20 की समय सीमा तय की गई है।

250 एकड़ सरकारी जमीन के अंतरण के लिए केरल सरकार द्वारा शासनादेश जारी किए जाने के उपरांत, जनवरी,19 में

केएसईबी और टीएचडीसीआईएल के बीच 3.10 रू. प्रति यूनिट की प्रशुल्क दर पर विद्युत बिक्री करार हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। तदनुसार, कासरगाड जिले में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का कार्य अगस्त, 2019 में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड को एवार्ड किया जा चुका है। इसका प्रारंभण हो जाने पर आपकी कंपनी की संस्थापित क्षमता बढ़कर 1587 मेगावाट हो जाएगी।

200 मेगावाट की बोकांग बेलिंग एच.ई.पी. का डी.पी.आर. तैयारी के अग्रिम चरण में है और यह जून, 20 तक पूरा हो जाएगा।

## कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता

सीएसआर की दिशा में सतत प्रयास करते हुए आपकी कंपनी ने अपने प्रचालनात्मक क्षेत्रों में सेवा (सोसाइटी फॉर इंपावरमेंट एंड वेलफेयर एक्टीविटीज) के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों को जारी रखा है। सीएसआर गतिविधियों के लिए पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% की तुलना में इस वर्ष आपकी कंपनी ने 17.35 करोड़ रू. के लक्ष्य की तुलना में 17.52 करोड़ रू. का व्यय किया। इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शिक्षा और रोजगार, व्यावसायिक कौशल में वृद्धि, पर्यावरण और सततता आदि क्षेत्र शामिल हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपकी कंपनी ने बहु विशेषज्ञता वाले 148 बहु विशेषज्ञता वाले स्वास्थ्य शिविर लगाने के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 2127 नेत्र सर्जरी सहित 34252 से अधिक मरीजों का ट्रीलाज किया गया है।

टिहरी जिले के दूरदराज क्षेत्रों में आसानी से प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का सृजन करने के लिए आपकी कंपनी ने जिला प्रशासन के सहयोग से "टेली–मैडीसन स्कीम" नामक अभिनव योजना शुरू की है। यह सिस्टम स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और जिला अस्पताल एनटीटी के बीच दूरसंचार और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। विशेषज्ञतायुक्त उपचार और बैकअप के लिए इसे "एम्स" ऋषिकेश से भी जोड़ा गया है। यह अत्यधिक मददगार है और नाजुक देखभाल तथा आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन बचाने वाला साबित हुआ है। टिहरी के जिला प्रशासन के साथ मिल कर ऐसे 20 केन्द्र प्रारंभ किए हैं जो ऐसे मेडिकल किट से लैस हैं जो तत्काल बुनियादी निदान परीक्षण करने और लगभग 100 ग्राम सभाओं की जरूरतें पूरी करने वाले जिला अस्पताल एनटीटी को आंकड़ों के स्थानांतरण और वीडियो संचार को आसान बनाता है। इस नवाचारी परियोजना की प्रशंसा भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भी की है। इस प्रकार के नवाचार के लिए भारत सरकार ने इस वर्ष टीएचडीसीआईएल और डी एम (टिहरी) को "ई–गवर्नेन्स एवार्ड" प्रदान किया है।

इस वर्ष आपकी कंपनी ने 9 मई, 19 को सी.एस.आर. दिवस मनाया। इस अवसर पर टीएचडीसीआईएल द्वारा किए गए पिछले 10 वर्षों के सीएसआर कार्यों पर "टेन इयर्स आफ इनलाइटेनिंग लाइव्ज" नामक एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

परियोजना से प्रभावित लोगों का समग्र विकास, टीएचडीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रम की हमेशा प्राथमिकता रही है। आपकी कंपनी "किसान केंद्रित गतिविधियों" को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि अधिकांश प्रभावित जनता गांवों में रहती है और जिससे ऐसा कर उनकी आजीविका और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि कर सकारात्मक सतत परिवर्तन लाए जा सकें। निधियों की कम उपलब्धता और स्थानीय हितधारकों की आशाएं बढ़ी होने के कारण आपकी कंपनी ने विभिन्न राज्य / केन्द्रीय सरकारों के विभागों के सहयोग से 54 "फार्म मशीनरी बैंक" स्थापित किए हैं ताकि टिहरी और हरिद्वार जिले के अलग–अलग गाँवों में पावर टिलर ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि जैसे कृषि उपकरणों की पूलिंग की जा सके। इससे 750 किसानों को प्रत्यक्ष रूप और 54 गाँवों के किसानों को परोक्ष रूप से लाभ होगा।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई 10 वीं सततता रिपोर्ट पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए प्रतिपुष्टि (फीडबैक) हेतु वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

## कारपोरेट सुशासन

आपकी कंपनी लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी की गई आवश्यक बातों तथा कंपनी अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन करती रही है। आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी को कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों को अनुपालन के लिए लगातार "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त हो रही है।

कंपनी व्यापारिक रणनीतियों का पर्यवेक्षण करती है और सभी हितधारकों, जिनमें विनियामक, कर्मचारी ग्राहक वेंडर, निवेशक और समाज शामिल है, के प्रति राजकोषीय जवाबदेही, नैतिक कारपोरेट व्यवहार तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।

31वीं आम सभा का दृश्य फोटोग्राफ

कंपनी की निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक सुशासन परिपाटियों की मजबूत विरासत है।

अनैतिक आचरण के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए कंपनी ने अलग से सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। सूचना प्रदाता नीति (विसिल ब्लोअर पॉलिसी) से संबंधित सारी सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। निवेशकों की सूचनाओं पर ध्यान देने के लिए आपकी कंपनी 'सेबी' स्कोर्स के केन्द्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण तंत्र का इस्तेमाल करती है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी को वित्त वर्ष के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली है।

आपकी कंपनी, अंतरात्मा, खुलापन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के आधार पर अपने विभिन्न हितधारकों में ऐसी अच्छी कारपोरेट प्रथाओं का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे इसकी दीर्घकालिक सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सके।

"पर्यावरण बचाने" में सहायता देने के कार्य मे आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की सहायता से केंद्रीय कार्यालय में वेब आधारित ई–ऑफिस कार्य प्रणाली को अपनाया है। इससे कागज के प्रयोग में कमी आती है तथा जवाबदेही आई है तथा फाइलों पर शीघ्र कार्रवाई करना संभव हुआ है। दिसंबर, 2019 से पूर्व टीएचडीसीआईएल के अन्य स्थानों पर स्थित सभी परियोजनाएं और कार्यालय ई–ऑफिस अपना लेंगे। कंपनी ने "प्राइमावेरा" टूल के माध्यम से सुदृढ़ मानीटरिंग स्थापित करने की भी योजना बनाई है। इसे भी मार्च, 20 तक प्राप्त कर लिया जाएगा।

### भावी दृष्टिकोण

कंपनी के दीर्घकालिक विकास और पीकिंग आवर्स) सहित देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी का मुख्य एजेंडा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के नए अवसर तलाशना होगा।

हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.), भारत सरकार ने टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से मौजूदा सोलर पार्क स्कीम के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य टीएचडीसीआईएल को सौंपा है। संयुक्त उद्यम कंपनी सोलर पार्क के विकास और अनुरक्षण तथा प्रचालन और रख–रखाव के लिए जिम्मेदार होगी जिसके लिए यह भारत सरकार से वी.जी.एफ. प्राप्त कर निवेश करेगी और बाद में विकासकों से लागत प्राप्त करेगी। इसके अतिरिक्त संयुक्त उद्यम कंपनी अपनी पूरी कार्य अवधि के दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन से प्रति यूनिट 7 पैसे की दर से सुविधा शुल्क प्राप्त करेगी।

वित्तीय प्रबंधन और सुदृढ़ निगरानी की शुरुआत हो जाने के उपरांत चल रही परियोजनाओं की प्रगति में भारी सुधार

हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम के प्रयासों से भिन्न–भिन्न प्रकार की परियोजनाओं का प्रारंभण किया जा सकेगा। आपकी कंपनी उत्तराखंड और अन्य राज्यों में और हाइड्रो परियोजनाओं को प्राप्त करने के भरपूर प्रयास कर रही है। कंपनी के विविधीकरण और विकास के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संभावना तलाशी जा रही है।

## आभार

सज्जनों, सभी कर्मचारियों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान ईमानदारी से किए गए समर्पित प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय है और मैं हृदय से उनकी सराहना करता हूँ। आपकी ओर से मैं चाहूँगा कि वे उसी उत्साह के साथ अपना सहयोग देना जारी रखें। कर्मचारियों के कठिन परिश्रम और प्रयासों की पहचान करने के लिए कंपनी में सुदृढ़ तंत्र विद्यमान है। मेरी इच्छा है कि आप लोग कर्मचारियों के कठिन परिश्रम के लिए उनकी प्रशंसा करें जिसके वे वास्तव में हकदार हैं।

कंपनी की ओर से मैंने भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए गए पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं पूरे वर्ष के दौरान भरपूर समर्थन और सहयोग देने के लिए मैं सी.ई.ए, सी.डब्ल्यू.सी., सी.ई.आर.सी., सी.एंड जी., डी.पी.ई., सेबी, बी.एस.ई., एन.एस.ई. , अन्य विनियामक प्राधिकरणों तथा गैर–सरकारी एजेंसियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं अपने हितधारकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमपर समर्थन और विश्वास जताया है। मैं, आपकी कंपनी के निरंतर विकास में सतत रूप से सहयोग देने के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, हमारे ठेकेदारों, निवेशकों, लेखा परीक्षकों और आपूर्तिकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा।

अंत में,मै बोर्ड के सम्मानित सहकर्मियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और एक बार पुनः भविष्य के लिए उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की अपेक्षा करता हूं।

शुभकामनाओं सहित।

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.09.2019

# निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री धीरेन्द्र वीर सिंह ने 01 दिसंबर, 2016 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व, आप 12 मई, 2010 से टीएचडीसीआईएल में निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यरत थे। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2017 में आपको अल्पावधि के लिए नीपको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा था।

श्री सिंह, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राऊरकेला से (1983 बैच) सिविल अभियांत्रिकी स्नातक (बी.एससी. आनर्स) हैं तथा आपको जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में 36 वर्ष से भी अधिक का व्यापक कार्यानुभव है। प्रतिष्ठित बहुउद्देशीय टिहरी जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) में विद्युत गृह, स्पिलवे प्रणाली के निर्माण एवं नियोजन, संविदा एवं सामग्री प्रबंधन, भवन एवं सड़क निर्माण आदि कार्यों में आपका सक्रिय योगदान रहा।

श्री सिंह को अपनी नेतृत्व क्षमताओं के द्वारा कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट) को पापस पटरी पर लाने का श्रेय भी जाता है। जिसके लिए आपने परियोजना कार्यान्वयन में मुख्य परियोजना अधिकारी के पद पर रहते हुए नवाचारी पद्धतियों का प्रयोग किया, परिणामस्वरूप टीएचडीसीआईएल इस परियोजना की कमीशनिंग चार वर्षों के रिकार्ड समय में करने में सफल रही। इस उपलब्धि के लिए टीएचडीसीआईएल के प्रयासों, विशेषतः श्री सिंह के योगदानों की प्रशंसा विभिन्न मंचों पर हुई तथा परियोजना को प्रतिष्ठित संस्थानों यथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंडिया के द्वारा "प्रोजेक्ट ऑफ द इयर 2012" एवं इसके तीव्रगामी कार्यान्वयन एवं परियोजना प्रबंधन के लिए "सर्वश्रेष्ठ परियोजना" हेतु "सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड,2013" का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए टीएचडीसीआईएल के उल्लेखनीय प्रयासों हेतु सचिव (विद्युत), भारत सरकार ने "प्रशंसा पत्र" जारी किया।

आपका दृढ़ विश्वास है कि "कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना ही प्रबंधन है", इसीलिए आपका मानना है कि मानव संसाधन किसी भी संस्था की परिसंपत्ति होते हैं। इसी उद्देश्य से आपने टीएचडीसीआईएल में सीएमडी का कार्यभार संभालने के बाद मानव संसाधन को प्रोत्साहित करने व कर्मचारियों तथा पूरी संस्था के समग्र विकास एवं प्रोत्साहन हेतु अनेक कदम उठाते हुए संगठन में कर्मचारियों के अनुकूल वातावरण निर्माण हेतु भरपूर प्रयास किए।

आपके सक्षम, उत्साहपूर्ण, नवाचारी और रचनात्मक नेतृत्व में टीएचडीसीआईएल ने वैकल्पिक व नवीकरणीय ऊर्जा विकास के अन्य क्षेत्रों जैसे पवन विद्युत, ताप विद्युत एवं सौर विद्युत उत्पादन में विविधीकरण किया, साथ ही विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड इत्यादि हेतु खतरनाक अस्थिर ढलानों के स्थिरीकरण के लिए परामर्शी सेवाओं में भी योगदान दिया है।

सिविल अभियांत्रिकी एवं परियोजना प्रबंधन तथा जल विद्युत कार्यान्वयन में आपके समग्र योगदान को देखते हुए आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा अपनी राष्ट्रीय बैठकों में "इमीनेंट इंजीनियरिंग पर्सनलिटी", "चार्टर्ड इंजीनियर" एवं इमीनेंट वाटर रिसोर्स इंजीनियर" का सम्मान प्रदान किया गया।

श्री राज पाल 30 अगस्त, 2017 से टीएचडीसी इंडिया लि. में भारत सरकार के नामित निदेशक नियुक्त किए गए हैं। श्री राज पाल विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार है तथा आप इंडियन इकॉनोमिक सर्विस से हैं। आपने इकॉनोमिक्स में मास्टर्स एवं एम. फिल किया है। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकॉनोमिक्स, टोकियो, जापान से डेवलपमेंट स्टडीज में डिप्लोमा भी किया है। इंडियन इकॉनोमिक सर्विस के सदस्य के रूप में श्री राज पाल को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, उद्योग मंत्रालय, श्रम मंत्रालय आदि में लगभग 29 वर्ष का कार्यानुभव है। विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के वर्तमान पद का कार्यभार संभालने से पूर्व टेलीफोन रेग्युलेटरी एथारिटी ऑफ इंडिया में आपने सलाहकार, आर्थिक विनिमय के रूप में कार्य किया है।

श्री टी. वेंकटेश, प्रमुख सचिव(सिंचाई एवं जल संसाधन), उ.प्र. को 14 मई, 2018 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में उ.प्र.सरकार के नामित निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. एवं एम.ई. की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के हैं। श्री टी.वेंकटेश ने अपना कैरियर सहायक कलेक्टर के रुप में शुरु किया और इसके बाद आपने परियोजना निदेशक, अलीगढ, सीडीओ और विभिन्न जिला प्रशासनों में प्रमुख अधिकारी, गोंडा, अल्मोडा और बरेली के जिला मजिस्ट्रेट, उ.प्र. सरकार में विशेष सचिव, जनवरी, 2005 से अगस्त, 2005 तक गोरखपुर डिवीजन में कमीशनर सहित उ.प्र. में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। आप अगस्त, 2005 से अगस्त, 2012 तक तथा मार्च, 2017 से नवंबर, 2017 तक भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए और वहां पर संयुक्त सचिव, सीवीओ इत्यादि का उत्तरदायित्व ग्रहण किया।

श्री विजय गोयल ने 26.03.2018 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के निदेशक(कार्मिक) का कार्यभार ग्रहण किया है। आपको मानव संसाधन प्रबंधन में 26 वर्षों से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। इससे पूर्व श्री गोयल टीएचडीसी इंडिया लि. में 01.06.2015 से महाप्रबंधक (का.एवं प्रशा.) पद पर उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे थे। साथ ही आप कारपोरेट संचार, विधि एवं माध्यस्थम प्रकार्यों के प्रभारी भी थे। उनके हस्तक्षेपों के प्रमुख क्षेत्र नीति निर्माण, मानवशक्ति नियोजन, स्थापना एवं संपदा प्रकार्य, कर्मचारी संबंध, श्रम कानूनों का अनुपालन और नीतियों का समग्र निर्माण और कार्यान्वयन हैं। आपने एनएचपीसी से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 1990 में वरि. कार्मिक अधिकारी (एसपीओ) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। जुलाई, 1988 में निगम की स्थापना के तत्काल बाद आपने शुरूआती मानव संसाधन प्रणालियों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। श्री गोयल दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) हैं।

श्री जे. बेहरा ने 16.08.2019 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक(वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया। आप कॉमर्स में स्नातक हैं और भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट के सदस्य हैं। आपको टीएचडीसी के वित्त एवं लेखा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में 29 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। आपको कारपोरेट कार्यालय के साथ–साथ परियोजना स्थलों में भी कार्य का लंबा अनुभव है। आप गत एक वर्ष से टीएचडीसी के प्रमुख वित्त अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। आपके नेतृत्व में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) विकसित एवं कार्यान्वित हुई तथा आपने वित्त एवं लेखा विभाग की गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने टीएचडीसी के पहली बार बांड जारी करने एवं पवन विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

श्री राजीव कुमार विश्नोई ने दिनांक 01.09.2019 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक(तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया। श्री विश्नोई बिट्स पिलानी से सिविल अभियांत्रिकी में आनर्स ग्रेजुएट हैं। आपको हाइड्रो पायर स्ट्रक्चर के डिजाइन, अभियांत्रिकी एवं निर्माण में 30 वर्षों से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। आपके पास एमबीए की योग्यता भी है। आपने एएससीआई, हैदराबाद एवं एसडीए बेकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इटली के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित लीडिंग स्ट्रेटजिक चेंज में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम तथा मास्को विश्वविद्यालय, रूस से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एवं हाइड्रोपायर कंस्ट्रक्शन के डिजाइन एवं निर्माण में प्रोफेशनल अपग्रेडेशन कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

टिहरी परियोजना एवं कोटेश्वर एचईपी पर कार्य करते हुए आपने अनेक प्रतिष्ठित उपलब्धियां अर्जित की हैं। आपने 1000 मेगावाट के अद्वितीय टिहरी पम्प स्टोरेज संयंत्र की अभियांत्रिकी, डिजाइन एवं निर्माण में अनेक तकनीकी चुनौतियों को संभालने में योगदान दिया। इस संयंत्र में 90 मी. हेड परिवर्तन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान तकनीकी विशिष्टताएं शामिल हैं। आपने विश्व बैंक के विशेषज्ञों से प्राप्त निरंतर सहायता से पीपलकोटी परियोजना के संविदा दस्तावेज में रिस्क शेयरिंग तंत्र को शामिल किया जिसकी आपने अवधारणा तैयार करने एवं इसे अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसकी काफी प्रशंसा हुई।

आपने भूटान में 2585 मेगावाट की बहुउद्देशीय संकोश जल विद्युत परियोजना की डीपीआर तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के भाग के रूप में आप भूटान सरकार के साथ गहन बातचीत के माध्यम से जुड़े रहे एवं अभिनव, तकनीकी तथा वाणिज्यिक समाधानों के माध्यम से संकोश परियोजना को व्यवहार्य बनाया। आपने विश्व बैंक विशेषज्ञ ग्रुप के सदस्य के रूप में ईपीसी बनाम यूनिट दर संविदाओं के संदर्भ में विचार–विमर्श करने एवं दिशा–निर्देश बनाने के लिए वाशिंगटन डीसी, यूएसए में उनके निमंत्रण पर प्रतिभागिता की। आप इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम(आई.सी.ओ.एल.डी.) की बांधों की भूकंपीय सुरक्षा पर बनी तकनीकी समिति में वर्तमान में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री बची सिंह रावत की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक और आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक हैं। आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा चुनाव क्षेत्र से 04 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। आप विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय (1999–2004) में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग में केंद्रीय राज्यमंत्री रहे हैं। आप केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री (अक्टूबर–नवंबर 1999) भी रह चुके हैं। आप भारत सरकार की विभिन्न समितियों जैसे रक्षा समिति एवं इसकी उप समिति, सदन में बैठने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति समिति तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।

श्री मोहन सिंह रावत की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। आप मेरठ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हैं। आपने 1978 में गांवों के पूर्ण विकास के लिए गांव बसाओ अभियान चलाया। 1996 में आप भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं तत्पश्चात विभागीय सचिव एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने गए। आपके द्वारा सामाजिक एवं पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए आपको गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ने 2001 में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। आपको 1996 में पौड़ी विधानसभा से विधायक चुना गया तथा ग्राम पंचायती राज, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा मंत्री के रूप में नामित किया गया तथा जलागम प्रबंधन के केबिनेट मंत्री के रूप में भी चुना गया। आपने कई कार्यशालाएं आयोजित कर मौसम परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए अभियान चलाया तथा वर्ष 2014 में भारत सरकार के राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य किया।

प्रो. महाराज के. पंडित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्यावरण अध्ययन विभाग में प्रोफेसर तथा माउंटेन एंड हिल डेवलपमेंट के अंतर कार्यक्षेत्र अध्ययन केंद्र के निदेशक हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी एवं पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की. आप दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में एक दशक से अनुसंधान अध्ययन करने के पश्चात वहीं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्येता हैं जहां आप विश्वविद्यालय के अध्येता कार्यक्रम के विजिटिंग वरिष्ठ सदस्य के रूप में कार्यरत रह चुके हैं और भूगोल विभाग में सहायक नियुक्ति पर हैं। आप 2014 में भारत के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए भी चुने गए हैं। आप जेपी एसोशिएट, एसजेवीएनएल, एनएचपीसी, रिलायंस पावर इत्यादि के पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अध्ययन और पर्यावरणीय प्रबंध योजना के जैव विविधता अध्ययनों का हिस्सा भी रहे हैं।

श्री एच.एल. अरोड़ा ने 22 दिसंबर, 2017 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभाला। श्री अरोड़ा थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और विद्युत क्षेत्र में आपका 36 वर्ष का लाजवाब केरियर है। अपनी 36 वर्षों की सेवा में से आपने 32 वर्ष उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन और प्रचालन व अनुरक्षण में व्यतीत किए हैं तथा जल विद्युत एवं पवन विद्युत परियोजनाओं की अवधारणा से कमीशनिंग तक विभिन्न परियोजना गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। आपके पास योजना निर्माण, मॉनीटरिंग, पुनर्वास, भूमिगत कार्यों सहित बड़े सिविल ढांचों के निष्पादन, टिहरी एचपीपी एवं कोटेश्वर एचईपी के प्रचालन एवं अनुरक्षण की मजबूत पृष्ठभूमि है और गुणवत्ता आश्वासन एवं बांध सुरक्षा का प्रचुर मात्रा में अनुभव है। श्री अरोड़ा ने टीएचडीसी के व्यापारिक पोर्टफोलियो के विविधीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है जिससे कि टीएचडीसी ने रिकार्ड समय में पाटन एवं द्वारका देवभूमि परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर नवीकरणीय ऊर्जा में प्रवेश किया। टीएचडीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कं. लि. (एनपीसीसी) में कार्य किया है। बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट,कोर्बा में कूलिंग टावरों को समय से पूरा करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने एसडीए बैकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट,इटली के सहयोग से एएससीआईआई,हैदराबाद द्वारा संचालित किए गए अग्रणी रणनीतिक परिवर्तन में एडवांस मैनेजमेंट प्रोगाम एवं स्टेट यूनिवर्सिटी मास्को के द्वारा संचालित डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन्स ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एवं हाइड्रोपॉवर कंस्ट्रक्शन्स में अपग्रेडेशन कार्यक्रम में भी भाग लिया। श्री अरोड़ा 31.08.2019 को सेवानिवृत्त हुए।

# व्यापारिक सिंहावलोकन रिपोर्ट–
# सतत तरीके से पूँजी निर्माण 2018–2019

## वित्तीय पूंजी

टीएचडीसीआईएल अपने सभी हितधारकों के वित्तीय हितों को महत्त्व देती है और न केवल सांविधिक रूप से न्यूनतम आवश्यक सामाजिक दायित्व पूरा करती है बल्कि लाभ अर्जित कर अपनी वित्तीय पूँजी में मूल्य वृद्धि को इष्टतम करने का पूरा प्रयास करती है।

सकल आय
₹ 2,850.29 करोड़

कुल व्यापक
आय
₹ 1251.60 करोड़

निवल पूँजी
₹ 9280.78 करोड़

दिनांक 31.03.2019 को टीएचडीसीआईएल साम्या पूंजी 3654.88 करोड़ रु है, 31.03.2019 तक आरक्षिती 5625.90 करोड़ रु है और दीर्घकालिक ऋण 2652.01 करोड़ है।

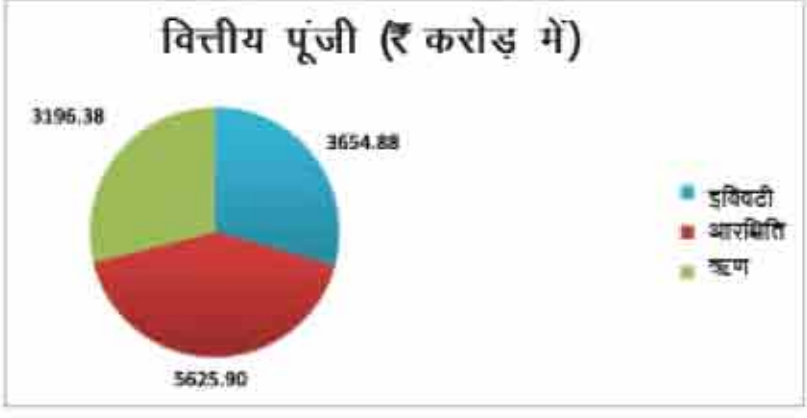


वाणिज्यिक प्रचालन के बाद लाभ के संचयन के माध्यम से उत्पादित वित्तीय पूँजी दिनांक 31.03.2019 तक 7902.42 करोड़ रु. है, इसमें से दिनांक 31.03.2019 तक कर सहित वितरित लाभांश 2287.52 करोड़ रु. है और पुनः निवेश के लिए आरक्षित 5621.90 करोड़ रु. है।

### तुलन पत्र का आकार

## लाभांश का भुगतान

कंपनी अपनी शेयरहोल्डिंग के अनुपात में बढ़ती प्रवृत्ति पर अपने शेयर धारकों को लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है। वर्ष 2014–15 में 3.97% का अनुपात वर्ष 2018–19 में 11.58% बढ़ गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:–

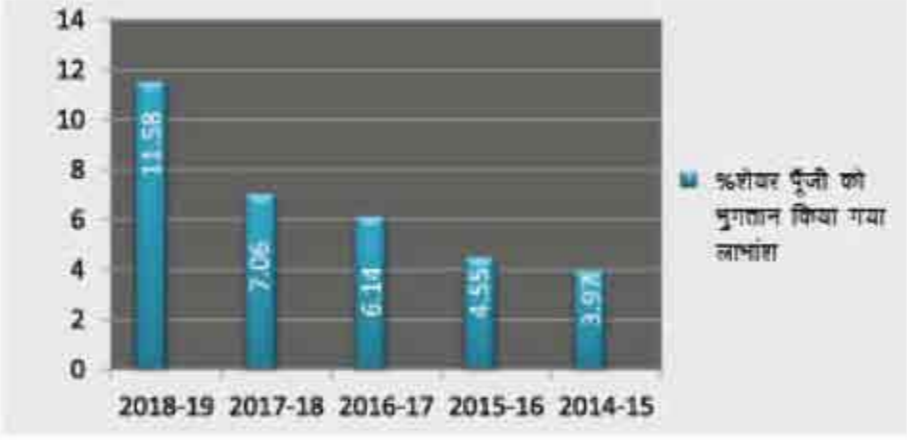


## योजना बनाना और बजट उपलब्ध करवाना

टीएचडीसी का मानना है कि कंपनी की सफलता और वृद्धि पर कंपनी द्वारा विश्वसनीय और यथार्थपरक वित्तीय पूर्वानुमान लगाने की क्षमता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तदनुसार दीर्घकालिक कॉर्पोरेट योजना के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन में वित्तीय पूर्वानुमान तैयार किये गए हैं ताकि रणनीतिक निवेश निर्णय और पारिश्रमिक राजस्व धारा सुनिश्चित की जा सके। वार्षिक वित्तीय बजट के माध्यम से वार्षिक योजनाएं बनाई जाती हैं और उनकी निगरानी की जाती है।

## महत्त्वपूर्ण पहलें:

### ऑटोमेशन

- त्वरित और दक्ष निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि प्रबंधन के पास वास्तविक समय की वित्तीय सूचना उपलब्ध हो। इस दिशा में टीएचडीसीआईएल के पास एक कार्यकुशल वेब आधारित प्रबंधन है। मानवीय हस्तक्षेप से बचने तथा हितधारकों को समय से भुगतान करने के लिए टीएचडीसी ने ई–भुगतान प्रणाली अपना ली है। आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और कर्मचारियों को सभी भुगतान ई–भुगतान द्वारा किया जाता है।
- कागज़ रहित बनने तथा पर्यावरण को बचाने के लिए टीएचडीसीआईएल ने अपने कर्मचारियों को टेलीफोन, वाहन भत्तों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न फार्मों के स्थान पर ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराए हैं जिससे 100% पारदर्शिता और परिशुद्धता सुनिश्चित होती है। इससे न केवल कागज़ के खर्च में कमी आती है बल्कि जनशक्ति के खर्च में भी कमी आती है।

### कठोर आंतरिक नियंत्रण मानक

आंतरिक वित्तीय प्रणाली निगम के वित्तीय जोखिम को कम से कम करने के साथ इसके लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों को दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थापित की गयी वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निर्णय लेने की कुशलता और गति को कम किए बिना कंपनी की सीमित वित्तीय पूँजी के कुशल उपयोग पर ध्यान देती है। वित्तीय प्रबंधन मैन्युअल और अन्य नियंत्रण प्रणालियों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि उन्हें परिवर्तित होती पारिस्थितिकीय प्रणाली के लिए संगत बनाया जा सके।

### क्रेडिट रेटिंग और वार्षिक निगरानी

टीएचडीसीआईएल की वित्तीय रेटिंग की वार्षिक निगरानी मेसर्स केयर और इंडिया रेटिंग द्वारा की जाती है। यह बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धी व्यय दरों पर ऋण पूँजी लेने में मदद करती है। साथ ही हमारे पणधारियों को कंपनी के क्रेडिट जोखिम के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। टीएचडीसीआईएल की वर्तमान रेटिंग, इंडियन रेटिंग द्वारा एए + दी गई है और 'केयर' और आईसीआरए द्वारा एए स्टेबल दी गई है।

# मानव पूंजी

लोगों की सक्षमता, क्षमता और अनुभव को निरंतर बढ़ाते हुए नवाचारी बनाकर संगठन के सामान्य लक्ष्यों और मूल्यों में योगदान करना मानव पूँजी है।

टीएचडीसीआईएल में सक्षम और समर्पित कार्य बल है। प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करने के लिए कार्यपालकों के पास पर्याप्त अनुभव और आवश्यक कौशल है। टीएचडीसीआईएल में संघर्षण (एट्रिशन) दर नगण्य है और हमारा विश्वास है कि हमारे कार्यपालकों का कौशल, उद्योग सम्बन्धी ज्ञान और प्रचालन सम्बन्धी ज्ञान हमें प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है, जब हम वर्तमान बाज़ारों में विस्तार एवं विविधीकरण करना चाहते हैं और नए भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रवेश करते हैं। हम मानव संसाधन और विकास और अपनी एक समान प्रचालनात्मक प्रणालियों, प्रक्रियाओं और कर्मचारी प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण संसाधनों पर निवेश करते हैं ताकि अपनी सभी परियोजनाओं तथा स्टेशनों में अपने प्रचालन मानकों को लागू कर सकें।

- टीएचडीसीआईएल गेट स्कोर, नेट स्कोर, कैंपस इंटरव्यू के द्वारा इंजीनियरिंग, वित्त, विधि, जनसंचार आदि जैसे विभिन्न विशेषज्ञतायुक्त क्षेत्रों में कार्यपालकों को नियुक्त करती है।

31.03.2019 को कर्मचारियों की संख्या अर्थात 1891
नए भर्ती–
48 कार्यपालक और 12 जेईटी

6371 प्रशिक्षण मानव दिवस

कार्यबल का 6.31% महिलाएं

## हमारी मानव पूँजी और उनका सुदृढ़ीकरण

दिनांक 31.03.2019 को टीएचडीसीआईएल की मानव पूंजी 1891 है जिसमें 858 कार्यपालक, 103 पर्यवेक्षक, 930 कामगार शामिल हैं। टीएचडीसीआईएल ने भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर अभियांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में 48 कार्यपालक प्रशिक्षुओं और 12 जेईटी की भर्ती की है। हमारे कर्मचारियों की क्षमताओं एवं कौशलता में सुधार लाने के लिए आंतरिक विशेषज्ञों के साथ–साथ बाह्य विशेषज्ञों के द्वारा टीएचडीसीआईएल में विभिनन कौशल प्रशिक्षण व्यवहार प्रशिक्षण एवं पेपर प्रस्तुतीकरण आयोजित किये जाते हैं। परियोजना की डिज़ाइन के लिए हमारे पास एक आंतरिक टीम है और हमारी अभियांत्रिकी क्षमता परियोजना की संकल्पना से कमीशनिंग तक की क्षमताएं रखती है। यह टीम प्रतिष्ठित परियोजना परामर्शदाताओं की आवश्यकता आधारित सहायता भी प्राप्त करती है। हमारी कंपनी सम्बंधित अभियांत्रिकी विषयों जैसे हाइड्रोलॉजी, विद्युत, सिविल और जैव–तकनीकी डिज़ाइन में आंतरिक विशेषज्ञता रखती है।

### क्षमता का विकास

टीएचडीसीआईएल ने अपने संगठन के लिए "लोक क्षमता परिपक्वता मॉडल के अनुरूप स्तर का मूल्यांकन" करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है। हमारी कंपनी को परिपक्वता स्तर 3 (परिभाषित) होने का निर्णय लिया गया है और 12 से 18 माह के भीतर बीओडी ने परिपक्वता स्तर 3 (परिभाषित) से परिपक्वता स्तर 4 में बढ़ाने का अनुमोदित कर दिया है। पीसीएमएम का उद्देश्य संगठन के निष्पादन और प्रमुख क्षमताओं में वृद्धि करना है ताकि इससे महत्त्वपूर्ण लोक प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके।

### बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

टीएचडीसीआईएल ने नेतृत्व के गुण, कॉर्पोरेट सुशासन आदि लाने के लिए बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण की विशिष्ट ज़रूरतों का समाधान किया है। कॉर्पोरेट सुशासन कंपनी विधि और लागू अधिनियमनों पर आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशक भी नामित किए जाते हैं।

**सोशल मीडिया और सोशल संवाद मंचों के ज़रिये कर्मचारियों की संलग्नता:** टीएचडीसी के पास एक समर्पित पीआर विभाग है जो पूरे पेशेवरपन और ज़िम्मेदारी के साथ रोज़मर्रा के जनसम्पर्क को संभालता है। टीएचडीसी के पास एक सक्रिय और समर्पित फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल है जो विद्युत मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से जुड़ा हुआ है। इन प्लेटफॉर्मों का प्रयोग हमारे हितधारक कर्मचारियों के मध्य सूचनाओं के प्रसार के लिए किया जाता है जो इन डिजिटल मंचों पर लगातार अपने विचारों को साझा करते हैं और प्रतिपुष्टि (फीडबैक) देते हैं।

टीएचडीसीआईएल ने कार्यजीवन में संतुलन लाकर आंतरिक संचार को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक संवाद के अनेक प्लेटफार्म तैयार किए हैं। टीएचडीसी ऑफिसर्स क्लब, टीएचडीसी लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। एक महिलामंडल दल भी है। इस क्लब में व्यायाम की सुविधा, पुस्तकालय और कैंटीन की सुविधाएं हैं। निगम कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य नियमित सामाजिक संवाद के लिए इन मंचों का प्रयोग करते हैं।

### नीति ढांचा

एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में टीएचडीसी अपने हितधारकों के मध्य सूचनाओं के प्रवाह में विश्वास करती है। यहां एक जीवंत और विविधतायुक्त नीति ढांचा मौजूद है:

# प्राकृतिक पूँजी

*विश्व में प्राकृतिक सम्पत्तियों के भण्डार को प्राकृतिक पूंजी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें भूगर्भ विज्ञान, मृदा, वायु, जल तथा सभी जीवित वस्तुएं आती हैं। इससे तात्पर्य इनके द्वारा सुरक्षित और सृजित किए जाने वाले मूल्यों से होता है जो हम अपने बाहरी और आंतरिक हितधारकों और समुदाय के लिए सृजित करते हैं या वे कदम हैं जो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण / पर्यावरण उपशमन के लिए उठाते हैं।*

- टीएचडीसीईएल ने अपनी स्थापना के समय से ही प्राकृतिक पूंजी को अपना महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है। टीएचडीसीआईएल, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वनस्पतियों एवं जीवों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अपने सभी कार्य स्थलों पर सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों का पालन करती है।
- कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों में पर्यावरणीय प्रभावों के कम करने के हर पक्ष पर बल दिया जाता है। इसमें वायुमंडलीय उत्सर्जनों में कमी (विशेषकर ग्रीन हाउस गैसें), मृदा और जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, वन्य–जीव संरक्षण, स्रोत पर कचरे में कमी, कचरे के पुनः उपयोग और पुनः चक्रण और हरितपट्टी का विकास शामिल है।

## विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के साथ–साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान

- वर्ष 2006–07 से टीएचडीसीआईएल राष्ट्र को बिजली उपलब्ध करवा रही है। टीएचडीसीआईएल का हिस्सा जल और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से होता है जो विद्युत के साफ और हरित स्रोत हैं। इस विद्युत से देश के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिली है।

वर्तमान में टीएचडीसी की दो जल विद्युत परियोजनाएं और दो पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं और इनकी संस्थापित क्षमता 1513 मेगावाट है। **दुकवां एसएचपी (24 मेगावाट) और केरल के कासरगाड़ में 50 मेगावाट की सौर परियोजना के प्रारंभ के बाद** कुल संस्थापित क्षमता बढ़ कर 1587 मेगावाट हो जाएगी।

- प्रचालन के पहले वर्ष से ही टीएचडीसीआईएल ने कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम बचाने में देश की मदद की है जिनका उपयोग इतनी ही मात्रा में विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। टीएचडीसीआईएल द्वारा अपने प्रचालन से कुल 27139311.21 मिट्रिक टन कोयले की बचत है, 58163544.7 एमसीएफ प्राकृतिक गैस और 99754568.18 बैरल पेट्रोलियम की बचत हुई है।

*1: http://www.cea.nic.in/reports/monthly/installedcapacity/2019/installed_capacity-03.pdf*

2. यूएस ऊर्जा सूचना प्रशासन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 01 किलो वाट के उत्पादन के लिए: कोयला= 0.00052 शार्ट टन या 1.04 पौंड या प्राकृतिक गैस= 0.010111 एमसीएफ(एक एमसीएफ में 1000 क्यूबिक फीट शामिल होता है) या पेट्रोलियम= 0.00173 बैरल (या 0.07 गैलन) *(https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.)*

कोयले की बचत
कोयले की मात्रा
(आईएन 1000 x एम.टी.)
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
परियोजनाओं के प्रचालन का वर्ष

प्राकृतिक गैस की बचत
गैस की मात्रा
(आईएन 1000 x एम.सी.एफ.)
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
परियोजनाओं के प्रचालन का वर्ष

पेट्रोलियम की बचत
तेल की मात्रा
(आईएन 1000 x बैरल्स)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
परियोजनाओं के प्रचालन का वर्ष

### ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी

- जल और नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उत्पादन करने से न केवल प्राकृतिक संसाधनों की बचत हुईए बल्कि इससे टीएचडीसीआईएल को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्व खड़े होने वाले एक सक्रिय सदस्य के रूप में मदद मिली है। जल विद्युत परियोजनाएं प्रचालित कर टीएचडीसीआइएल ने लगभग 4 करोड़ ग्रीन हाउस गैसों (जीएसजीएस) का उत्सर्जन होने से बचाया है जो 2006–07 से 2017–18 तक 43626 मि.यू. बिजली उत्पादन करने के लिए कोयला जलाने से हुई होती।

1.) एसीएम0002: यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) द्वारा जारी नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली का उत्पादन।

### कार्बन सिंक का सृजन

- पौधे, समुद्र और मृदा प्रमुख प्राकृतिक कार्बन सिंक होते हैं। पेड़ वातावरण से कार्बन.डाई ऑक्साइड लेकर फोटोसिंथेसिस में प्रयोग कर उपयोगी जीवन रक्षक ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। इनमें से कुछ कार्बन मृदा पर्यावरण में अंतरित हो जाते हैं जब पौधे सूख कर विघटित होते हैं।
- प्राकृतिक प्रणाली में पेड़ों के महत्व को स्वीकार करते हुए टीएचडीसीआईएल वन और पेड़ों के लिए प्रतिवद्ध है और जब कभी परियोजना कार्य के लिए पेड़ों का काटना ज़रूरी हो, तब टीएचडीसीआईएल ने आवश्यकता से अधिक पेड़ लगाने के प्रयास किये हैं। सीएसआर के अंतर्गत 2009–10 से 2018–19 के दौरान टिहरी और ऋषिकेश के विभिन स्थानों पर 2,60,212 पेड़ लगाए गए है जिसमें से 10,056 पेड़ पिछले वर्ष लगाए गए।

### जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन

जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए टीएचडीसीआईएल ने निम्नलिखित कार्य किये हैं :

- टिहरी परियोजना में पहले से मौजूद हर्बल उद्यान के अलावा वीपीएचईपी कॉलोनी परिसर में लगभग 1800 वर्गमीटर क्षेत्र में हर्बल उद्यान विकसित किया गया है। हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट मंडल/गोपेश्वर के साथ परामर्श कर टीएचडीसीआईएल ने हर्बल उद्यान विकसित किया है और उसका अनुरक्षण कर रही है। अनेक औषधीय पौधे जैसे हरड़ (टरमिनआलिया छेबुला), लेमन ग्रास (सींबोपोगॉनपलेक्सियस), सर्पगंधा (राउवोलफिया सरपेंटिना) एलोवीरा आदि रोपे गए हैं। मार्च, 2019 तक औषधीय उद्यान के विकास और अनुरक्षण कार्य पर 12 लाख रु. व्यय किये गए हैं।
- कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च डायरेक्टरेट (डीसीएफआर) भीम ताल की सिफारिशों के अनुसार वीपीएचईपी में स्नो ट्राउट मछलियों को बचाने के लिए एक फिश हैचरी का निर्माण किया जा रहा है। कोटेश्वर परियोजना में महाशीर मछली के लिए पहले ही हैचरी की व्यवस्था है।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए टीएचडीसीआईएल द्वारा पहले ही हरित पट्टी का विकास किया गया

है जिसके अंतर्गत चौड़े पत्तेवाले, तेज़ी से बढ़ने वाले पौधों की प्रजातियां रोपी जा रही हैं। वीपीएचईपी में हरित पट्टी के विकास का कार्य जाने माने पर्यावरणविद् श्री जगत सिंह चौधरी उर्फ "जंगली" के पर्यवेक्षण में किया जा रहा है। मार्च, 2019 तक परियोजना क्षेत्र में कुल 7,500 पेड़ लगाए गए हैं।

### राष्ट्र ऊर्जा संरक्षण अभियान

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ब्यूरो आफ एनर्जी के ऊर्जा संरक्षण अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड की नोडल एजेंसी के रूप में टीएचडीसीआईएल प्रति वर्ष स्कूली बच्चों के लिए राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करता है।

## पर्यावरण प्रबंधन और मॉनिटरिंग

**कचरे के प्रबंधन की पद्धतियां**

- टीएचडीसीआईएल ने ई–कचरे के निपटान के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अधिकृत तृतीय पक्ष ई. वेस्ट हैंडलरों का पैनल बनाया है।
- ऋषिकेश टाउनशिप में कैंटीन और बागवानी की फालतू चीजों से उत्पन्न होने वाले कचरे का प्रयोग बायोगैस संयत्र में किया जाता है जिसे टेरीज पेटेंट टेक्नोलॉजी टीम (टेटीज इन्हैंस्ड एसिडिफिकेशन एंड मीथेनेशन) प्रक्रिया के आधार पर विकसित किया गया है।

**मलबा प्रबंधन**

- मलबे का निपटान चिन्हित क्षेत्रों और उच्च बाढ़ स्तर से ठीक ऊपर किया जा रहा है। पर्यावरण के लिए अनुकूल रीति से मलबे का प्रबंधन करने के लिए स्थलों पर इंजीनियरिंग उपाय और जीव वैज्ञानिक उपाय किये जाते हैं। वीपीएचईपी के डंपिंग यार्ड में ढलान स्थिरीकरण उपाय के रूप में वेतीवार क्राइसोपोगोन जिजाइनोइस को सौंपने का कार्य सितम्बर, 2018 से आरम्भ कर दिया गया है।

**पर्यावरण की निगरानी**

- वायु, जल और शोर की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी की जा रही है। अब तक वायु, जल और शोर की गुणवत्ता के सभी पैरामीटर अनुमेय सीमा के अधीन हैं जिसका मार्गदर्शन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है।

### खुर्जा एसटीपीपी में पर्यावरण प्रबंधन

टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा में स्थित कोयला आधारित1320 मेगावाट खुर्जा सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन भी सौंपा गया है जहाँ ईआईए–ईएमपी के अंतर्गत परिकल्पित पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियां, निर्माण कार्य के समरूप कार्यान्वित की जानी हैं।

### विश्व पर्यावरण दिवस

टीएचडीसीआईएल अपने कार्यालयों और परियोजनाओं में प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। 05 जून, 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस पर टीएचडीसीआईएल, ऋषिकेश कार्यालय ने अपने सामाजिक और पर्यावरणीय केंद्र, जॉली ग्रांट, देहरादून में "बीटप्लास्टिक पॉल्यूशन" विषय पर जागरूकता–सह–सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और संगठन के विभिन कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए किया गया था। श्री सच्चिदानंद भारती (प्रख्यात पर्यावरणविद) ने "पर्यावरण अतिथि" और प्रो.एन. पी. थोडारिया (पूर्व विभागाध्यक्ष, यानिकी विभाग, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर और पूर्व सदस्य, वन सलाहकार समिति) ने विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया।

# बौद्धिक पूँजी

*बौद्धिक पूंजी ज्ञान परिसम्पत्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी संगठन के गुण होते हैं और जो प्रमुख शेयर धारकों में मूल्यों को योजित कर संगठन की प्रतिस्पर्धी स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं।*

## परियोजना में नवाचार

- **टिहरी और कोटेश्वर के लिए रोटेटरी मशीनों और अनुषंगी पुर्जों का कंपन आँकड़ा विश्लेषण**

  टिहरी और कोटेश्वर में रोटेटरी मशीन के कम्पन के लिए आईआईटी, रुड़की द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के उपरांत, कम्पन वैल्यू का सत्यापन मैसर्स आईआरडी मेकाएनालिसिस(इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ) द्वारा किया गया। उन्होंने टिहरी और कोटेश्वर में मशीनों के कम्पन मूल्यों (वाईब्रेशन वैल्यू) का मापन किया। ड्रेनेज पंप को छोड़कर वैल्यू निर्धारित सीमा के भीतर थी।

  इस मुद्दे के समाधान के लिए स्थल द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गयी थी और कंपन अब निर्धारित सीमा में हैं।

- **जल विद्युत ढांचा के सेल्फ कम्पोर्स्टिंग कंक्रीट का विकास**

  जल विद्युत ढांचों में संकुचित रिइनफोर्स्ड कंक्रीट का प्रयोग बढ़ने से अधिक फ्लोएबल कंक्रीट की आवश्यकता है जिससे फ्रेमवर्क स्टील रिइनफोर्समेंट बारों में इन्काप्सुलेशन को उचित ढंग से भरा जा सके। एससीसी का इस्तेमाल प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर संकुचित संरचनात्मक तत्वों को भरने के लिए किया जाएगा। ढाँचों के पुर्नवास(मरम्मत) के लिए इसका इस्तेमाल मरम्मत सामग्री के रूप में किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल परियोजना की निर्माण अवधि कम करने तथा अवधि समग्र उत्पादकता में सुधार के लिए नॉन–कंजेस्टेड तत्वों के लिए भी किया जा सकता हैं। एससीसी श्रम लागत में कमी ला सकता है और वाईब्रेटरों द्वारा किया जाने वाले शोर और प्रदूषण को समाप्त कर कार्य के माहौल में सुधार ला सकता हैं।

- **कोटेश्वर के जनरेटर ट्रांसफार्मर के लिये ऑनलाइन ड्राई आउट यूनिटों का संस्थापन**

  अपनी जीवन अवधि में जनरेटर ट्रांसफार्मर को विभिन्न वायुमंडलीय स्थितियों जैसे उच्च आर्द्रता का सामना करना पड़ता है जिसके कारण ऑइल पेपर इंसुलेशन बाहरी वातावरण से नमी सोख लेता हैं। ऑनलाइन ड्राई आउट यूनिट का इस्तेमाल करने से जी टी आयल के नमी तत्त्व में उल्लेखनीय कमी आई है। यहाँ प्राप्त अनुभव के आधार पर यही प्रणाली टिहरी एचपीपी की सभी यूनिटों में संस्थापित की गयी है। कोटेश्वर में इसे संस्थापित किया गया था और संस्थापन के समय से यह सफलतापूर्वक चला रहा है।

- **गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण से जुड़े कार्यकलापों के लिए वेब आधारित सिस्टम सॉफ्टवेयर "गुणवत्ता" का विकास**

  "गुणवत्ता" सॉफ्टवेयर क्यू.ए.एंड आई से संबद्ध गतिविधियों के ऑनलाइन प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। यह ऑनलाइन इंटरफेसिंग के माध्यम से वेंडर और ग्राहक के बीच गुणवत्ता प्रक्रिया को निष्पादित करने का उपकरण है।

## प्रौद्योगिकीय अपग्रेड करने के लिए नए उपाय

- टिहरी और कोटेश्वर एचईपी उपस्कर की स्थिति की निगरानी
- मशीनों की उपलब्धता, विश्वसनीयता और जीवन अवधि में सुधार लाने के लिए मैसर्स केंद्रीय विद्युत अनुसन्धान संस्थान, बेंगलूर द्वारा वर्ष 2018–19 में टिहरी और कोटेश्वर एचईपी की स्थिति की निगरानी और इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपस्कर का डायग्नोसिस किया गया।

## बाढ़ आने के वास्तविक समय का पूर्वानुमान

टिहरी एचपीपी के लिए बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क संस्थापित किया गया हैं। आंतरिक बहाव (इनफ्लो) के बारे में पूर्वानुमान से जलाशय का प्रबंधन बेहतर ढंग से करने में मदद मिलती हैं। जलग्रहण क्षेत्र से जलाशय में इनफ्लो के संबंध में अग्रिम रूप से सूचना प्राप्त होने से बांध की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ के बारे में चेतावनी देने का समय बढ़ जाता है।

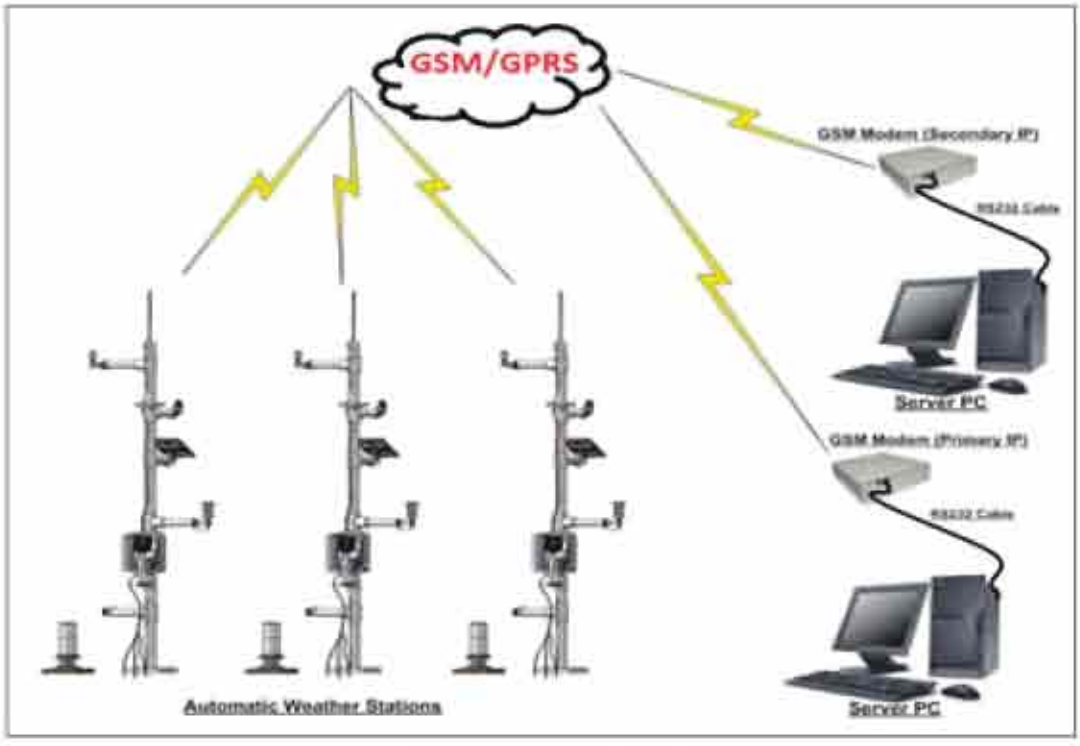


बाढ़ आने के वास्तविक समय के पूर्वानुमान के लिए सिस्मैटिक नेटवर्क

### उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणाली

टिहरी और कोटेश्वर बांधों से पानी छोड़े जाने के बारे में ऋषिकेश तक निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना देने के लिए डिजास्टर मिटिजेशन और मैनेजमेंट सेंटर (डी.एम.एम.सी) जी.ओ.यू.के, देहरादून के माध्यम से एक उन्नत चेतावनी प्रणाली विकसित की जा रही है। कोटेश्वर बांध और डीएमएमसी, देहरादून में स्थापित अपने नियंत्रण कक्षों में इस प्रणाली में कोटेश्वर बांध के डाउनस्ट्रीम से त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश तक 08 केंद्रों पर साइरन एवं स्पीकरर्स लगे हैं।

### माइक्रो सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क

12 स्टेशनों का स्थानीय सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क नामतः आयार चल्ली (ए वाई आर), चन्द्रबदनी मंदिर (सी एच एन), चिंतरबागी (सी एन टी), गियांजा (जी वाई एन), खुरमोला (के एच यू), न्यू टिहरी टाउन (एन टी टी), राजगाधी (आर.ए.जे.), सिराला (एस आर एल), श्रीकोट (एस के टी), सुरकंडा (एस यू आर) और विनाखाल वर्तमान में टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र में प्रचालन के अधीन हैं।

- आसपास के क्षेत्र माइक्रो सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क स्थापित करने का उद्देश्य टिहरी बांध स्थल के आसपास के क्षेत्र में सूक्ष्म भूकम्पीय गतिविधियों के संबंध में दीर्घकालिक आँकड़े एकत्र करना तथा टिहरी जलाशय में पानी बढ़ने के दौरान और उसके बाद अभियांत्रिकी दृष्टि से भूकंप के बारे में आँकड़े एकत्र करना है।

### जे.एस.सी इंस्टिट्यूट हाईड्रो प्रोजेक्ट, मॉस्को (एच पी आई मास्को), रूस के साथ करार

बांधों की सुरक्षा और निरीक्षण, इनके प्रचालन और अनुसरण स्तर, इनकी स्थिति और व्यवहार के आँकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अर्थात एचपीआई, मास्को द्वारा कोटेश्वर परियोजना की व्यापक समीक्षा करवाई गयी।

### अनुसंधान

परियोजना में प्रौद्योगिकीय समावेशन, परियोजना की आवर्ती समस्याओं का उन्नत तरीके से समाधान तथा अन्य जल विद्युत स्टेशनों के कार्यकुशल और विश्वसनीय प्रचालन के लिए अन्य राष्ट्रीय संगठन, शैक्षिक संगठनों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए आंतरिक अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधियाँ चलाई गयी हैं, आरएंडडी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में अलग से एक आरएंडडी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। चल रही

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां हैं–

क. टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र से सेडीमेंट यील्ड का मूल्यांकन

ख. भूकंप मॉनिटरिंग स्टेशन, आई आई टी, रुड़की

ग. टिहरी बांध के चारों ओर माइक्रो सिस्मिक नेटवर्क का विस्तार और अद्यतनीकरण

घ. जीरो ब्रिज और कोटेश्वर के बीच सड़क की ढलान स्थिरता के लिए व्यापक समाधान

टीएचडीसीएल द्वारा ऋषिकेश में एक भूगर्भीय संग्रहालय स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य भूगर्भ विज्ञान के बारे में अलग–अलग क्षेत्रों के लोगों की समझ और ज्ञान को बढ़ाना हैं। विभिन्न चट्टानों के नमूने, खनिजों के नमूने तथा जीवाश्मों के नमूने इस संग्रहालय में प्रदर्शित किये जाते हैं 3–डी मॉडल, मानचित्र आदि के रूप में भिन्न–भिन्न भूगर्भीय विशेषताएं दर्शाई जाती है। टीएचडीसीआईएल परियोजनाओं की भूगर्भीय घटनाओं और भूगर्भीय इतिहास की एक लाइब्रेरी एवं मॉडल स्थापित किए जा रहे हैं।

### सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क

सृजित किये जाने वाले ज्ञान को प्राप्त करने, अनुरक्षित करने और प्रसार करने के लिए ज्ञान का प्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। कारगर ज्ञान प्रबंधन प्लेटफार्म के बिना प्रायः निर्माण और प्रचालन के दौरान सृजित ज्ञान भावी सन्दर्भ के लिए सुरक्षित नहीं रखा जाता। ज्ञान, सूचना, प्रमुख शिक्षक, सफलता की कहानियों आदि के आंतरिक विनिमय के लिए टीएचडीसीआईएल ने अपने वेब पोर्टल पर एक सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क शुरू किया है जिसमें कर्मचारी अपना लाग–इन कर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं जिससे प्रक्रिया सुधार और कर्मचारियों के ज्ञान का स्तर बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

### क्वालिटी सर्किल

टीएचडीसीआईएल अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती रही है और उन्हें क्वालिटी सर्किल से जोड़ती रही है। यह ऐसी संकल्पना है जहाँ कर्मचारी अपने–अपने क्षेत्र की समस्याओं की पहचान करते हैं और स्वयं समाधान सुझाते हैं तथा उनको कार्यान्वित करते हैं। इससे कर्मचारियों में कौशल विकास, विश्वास, मनोबल और टीम में काम करने का महत्व बढ़ता है। वार्षिक क्वालिटी सर्किल सम्मलेन आयोजित किया जाता है और चुने गए क्वालिटी सर्किल बहुत से अंतराष्ट्रीय कार्यक्रमों में निगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया द्वारा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में आयोजित समारोह में कोटेश्वर और टिहरी की टीम को पार एक्सीलेन्स एनसीक्यूसीए 2018 पुरस्कार प्रदान किया गया।

# सामाजिक और सम्बन्ध पूँजी

टीएचडीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित समुदायों का समग्र विकास रहा है जो अपने आप में ही समावेशी विकास तथा समतामूलक विकास का परिप्रेक्ष्य रहा है। टिहरी बांध के 50 रिम गावों के समग्र विकास के लिए तीन सरकारी विश्वविद्यालयों नामतः एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, शहीद भगत सिंह सांध्य कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय और वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय को संलग्न किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य लक्षित समुदायों के जीवन में कुल मिलाकर सतत सकारात्मक परिवर्तन लाना है। तदनुसार तीनों क्षेत्रों अर्थात सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणों पर विचार करते हुए हस्तक्षेप किये जाते हैं जो टीएचडीसीआईएल की सीएसआर गतिविधियों से स्पष्ट है। कुछ महत्त्वपूर्ण पहलें संक्षेप में नीचे दी जा रही हैं:–

### हमारा सीएसआर खर्च

टीएचडीसीआईएल अपनी सीएसआर और सततता योजना को अपनी व्यापारिक योजनाओं और रणनीतियों के साथ समेकित करता है। आबंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधनों की मात्रा का अनुमान लगाकर और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए निश्चित समय सीमा लेकर गतिविधियों की योजना काफी समय पूर्व बनाई जाती है और विभिन्न माइलस्टोनों पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत से अधिक है।

वर्ष 18–19 के दौरान वास्तविक सीएसआर खर्च 17.52 करोड़ रु.

कंपनी के प्रचालनों और विकास से जुड़े आर्थिक पर्यावरणीय और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीएसआर निधियों का प्रयोग करने के लिए टीएचडीसीआईएल सुपरिभाषित सीएसआर स्कीम के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियां चला रही है। यह स्कीम कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व)नियम, 2014 के अनुसार ही तैयार किये जाते हैं।

### अनुसूची VII के अनुसार टीएचडीसी आईएल द्वारा शुरू की गई गतिविधियां

### विशेष पहलें

### शिक्षा

वंचित, कम सुविधा प्राप्त समुदायों को शिक्षा देने, उच्च और तकनीकी शिक्षाएं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्र स्थापित करने तथा अवसंरचना सहायता के लिए प्रभावी हस्तक्षेप किए गए हैं। प्रमुख हस्तक्षेप इस प्रकार हैं :

- वंचित कम सुविधा प्राप्त समुदायों के लिए स्कूल चलाना: टीएचडीसीआईएल अपनी सोसाइटी "टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस)" और सेवा टीएचडीसी के माध्यम से सुयोग्य अध्यापकों/कर्मचारियों

की सहायता से वंचित और कम सुविधा प्राप्त समुदायों के लिए पिछड़े जिले टिहरी गढ़वाल के दो स्थानों पर और ऋषिकेश के एक स्थान पर कुल तीन स्कूल स्थापित किये हैं। इन स्कूलों में नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है। वर्दियां, मध्याह्न भोजन और शिक्षण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इन स्कूलों को चलने का वार्षिक बजट लगभग 6 करोड़ रु. है। टीएचडीसीआईएल 'जागृति' के अंतर्गत 423 लड़के और 454 लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

- **उच्च तकनीकी शिक्षा केंद्र की स्थापना:** टीएचडीसीआईएल ने लगभग 60 करोड़ रु. की लागत से टिहरी में पहला जल विद्युत् विकास और इंजीनियरिंग संस्थान 'टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपॉवर इंजिनीयरिंग एंड टेक्नोलॉजी' स्थापित किया है।
- **सरकारी स्कूलों में अवसंरचनात्मक सहायता:** टिहरी जिले के 241 स्कूलों में कुल 809 फर्नीचर (मेज और कुर्सी), 154 वर्दियां और 3714 पुस्तकें वितरित की गयी हैं।

### प्राकृतिक विरासत कला और संस्कृति का संरक्षण

सशक्त गंगा नदी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और लाखों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों/आगंतुकों की सुविधा के लिए ऋषिकेश के गंगाघाट में रामझूला, लक्ष्मण झूला, परमार्थ निकेतन तथा त्रिवेणी घाट के अन्य प्रमुख ढांचों को सजावटी (फैकेड) प्रकाश द्वारा प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया है। रामझूला से परमार्थ निकेतन तक गंगा के दोनों किनारों पर रामझूला से परमार्थ निकेतन तक बाएं किनारे पर, राम झूला से खारसौत तक दाहिने किनारे पर और त्रिवेणी घाट पर 16 हाई मास्ट लाइटें संस्थापित कर संपूर्ण व्यवस्था का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया है। एलईडी लाइटों से प्रतिवर्ष लगभग 70000 (प्रतिवर्ष 4 लाख रु) यूनिट बिजली की बचत होगी।

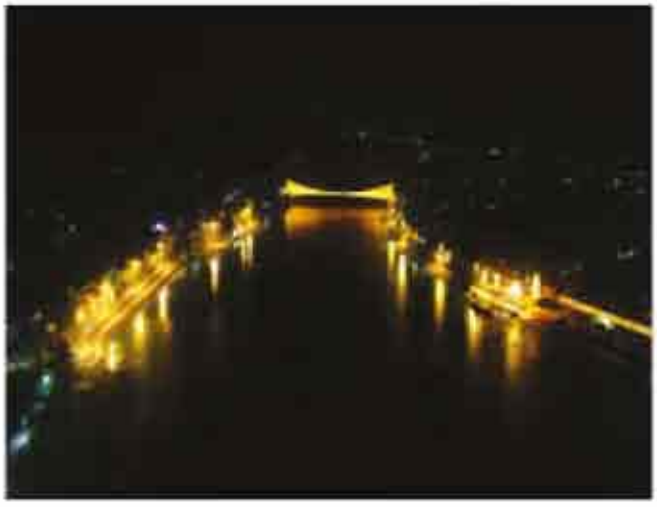

### स्वच्छ भारत के अंतर्गत पहलें

- कुल निर्मित शौचालय 225 (वैयक्तिक 179, एसएपी –42 और अन्य 4) जिसमें उत्तराखंड के टिहरी जले के तीन गायों में निर्मित किये गए 79 शौचालय शामिल हैं, जिसमें निम्नलिखित गाँव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। गाँव देवरी–43, गाँव लायरखा–24, गाँव बनाली–12
- टीएचडीसी के कारपोरेट कार्यालय ऋषिकेश के समीप सफाई के लिए 3 बस्तियां गोद ली गईं।
  i. (i) प्रगति विहार, ii. नेहरू ग्राम, iii. इंटानगर
- बाईपास रोड, ऋषिकेश को सफाई के लिए (नटराज चौक से मनसा देवी) 4 किमी क्षेत्र को गोद लिया गया।
- रेलवे स्टेशन को सफाई के लिए गोद लिया गया।
  i. ऋषिकेश, ii. वीरभद्र
- ऋषिकेश में चार स्कूलों को सफाई के लिए अपनाया गया:
  i. राजकीय प्राथमिक स्कूल, मंसादेवी राजकीय प्राथमिक और अपर स्कूल, बापूग्राम
  ii. राजकीय प्राथमिक स्कूल बीबीवाला और राजकीय प्राथमिक स्कूल, इंटानगर

## मूर्त पूंजी

*आज की तारीख में पवन ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित 113 मेगावाट विद्युत के अलावा, टीएचडीसीआईएल की क्षमता 1400 मेगावाट जल विद्युत है जिसमें टिहरी एचपीपी परियोजना का 1000 मेगावाट तथा कोटेश्वर एचईपी परियोजना का 400 मेगावाट शामिल है।*

### टिहरी विद्युत परिसर ( 2400 मेगावाट)

टिहरी बांध से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए टिहरी बांध के निचले हिस्से में कोटेश्वर एचईपी का निर्माण किया गया है और अब यह प्रचालन में है। टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र जिसके लिए टिहरी और कोटेश्वर जलाशय ऊपरी धारा और निचली धारा के रूप में काम करते हैं, निर्माणाधीन है। टिहरी परिसर की ये तीनों परियोजनाओं का समेकित प्रचालन बहुत कठिन कार्य हैं क्योंकि इन्हें एक ओर सामाजिक और धार्मिक हितों की रक्षा करनी होती हैं और दूसरी ओर उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ ग्रिडों को भी आपूर्ति करनी होती है।

### टिहरी एचपीपी (4x250 मेगावाट)

- टिहरी एचएचपी भारत का सबसे ऊँचा 260.5 मीटर ऊँचा अर्थ एंड रॉक फिल बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है।
- टिहरी परियोजना एक बहुद्देशीय परियोजना है जो उत्तरी क्षेत्र को विद्युत् लाभ, उत्तर प्रदेश को सिंचाई लाभ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश को पेयजल लाभ प्रदान कर रही है।
- एक स्टोरेज परियोजना होने के नाते टिहरी बांध ने बाढ़ की समस्या कम करने में मदद दी है जिसे वर्ष 2010, 2011 और 2013 की बाढों द्वारा देखा गया है।
- इसके अतिरिक्त, टिहरी की मशीनों को सिंक्रोनस कंडेंसनर मोड में चलाये जाने का प्रावधान है ताकि आवश्यक होने पर रिएक्टिव पावर (वोल्टेज में सुधार के लिए) ग्रिड को उपलब्ध करवायी जा सके।

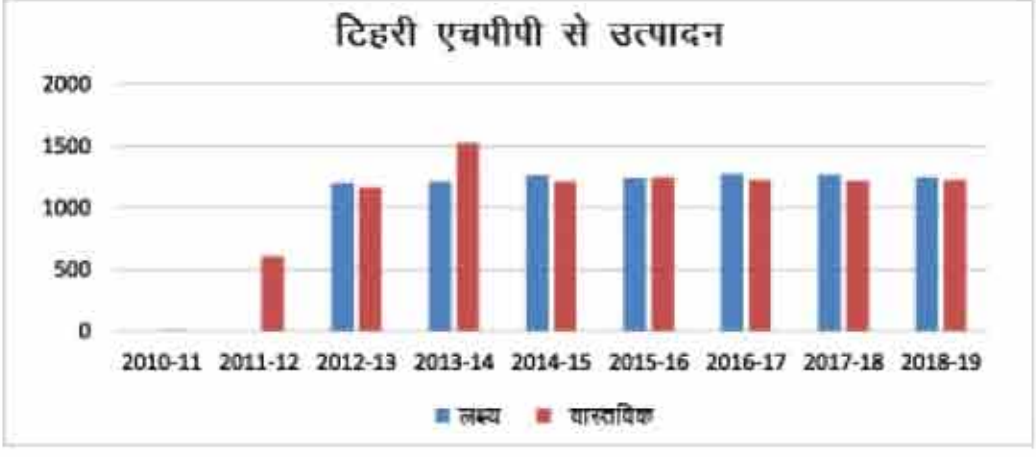

### कोटेश्वर एचईपी (4x100 मेगावाट)

- टिहरी जलाशय के निचले हिस्से में स्थित 400 मेगावाट के कोटेश्वर पावर हाउस को ग्रिड से 04 यूनिटों के सिंक्रोनाइजेशन के साथ अप्रैल, 2012 में वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया गया था। कोटेश्वर विद्युत संयत्र में ब्लैक स्टार्ट कैपबिलिटी का भी प्रावधान है जिसके द्वारा ग्रिड फेल होने पर यह ग्रिड को बहाल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- केएचईपी का उत्पादन इस प्रकार है:

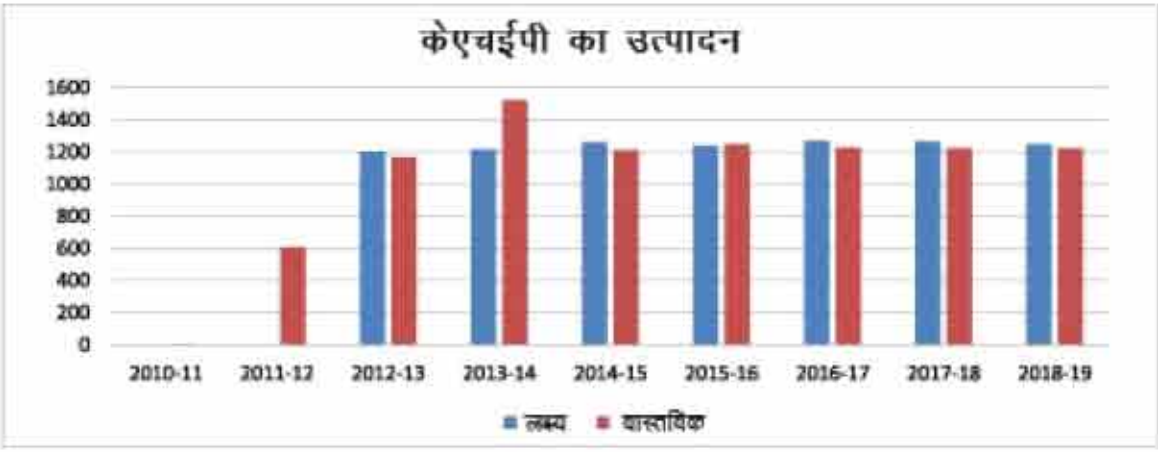


## ऊर्जा अन्य रूपों में विविधीकरण एवं पवन ऊर्जा

### 1. पवन ऊर्जा

- 29 जून, 2018 को 2.2 मेगावाट की 25 पवन टर्बाइनों के वाणिज्यिक प्रचालनों के साथ नेशनल ग्रिड को 50 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कर, टीएचडीसीआईएल ने एक और उपलब्धि हासिल की है। पवन टर्बाइन, गुजरात के पाटन जिले में संस्थापित की गई हैं और एक अग्रणी पवन ऊर्जा उत्पादक मैसर्स गामेसा द्वारा प्रारम्भण के लिए निर्धारित समय से दो माह पूर्व शुरू कर दिए गए हैं और पूरी तरह प्रचालनरत है।
- प्रत्येक 2.1 मेगावाट की 30 मशीनें अर्थात 63 मेगावाट 31मार्च, 2017 को राष्ट्रीय ग्रिड में जोड़ी गई। यह परियोजन मैसर्स सुजलोन द्वारा प्रारम्भ की गई थी और टर्बाइन देवभूमि, द्वारका में स्थित है।

| वित्त वर्ष | पाटन पवन ऊर्जा (एमयू) | द्वारका पवन ऊर्जा (एमयू) |
|---|---|---|
| 2016-17 | 59.04 | 0.14 |
| 2017-18 | 90.22 | 149.45 |
| 2018-19 | 108.32 | 183.51 |

### 2. सौर ऊर्जा

टीएचडीसी सौर ऊर्जा में विविधीकरण कर रही है और केरल के कासरगॉड जिले में सौर ऊर्जा के विकास के लिए एसईसीआई, केरल के साथ त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किये हैं। जनवरी–19 में केएसईबी तथा टीएचडीसीआईएल के बीच 3.10 रु. प्रति यूनिट के प्रशुल्क पर विद्युत् बिक्री करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तदनुसार कासरगॉड जिले में 50 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना का कार्य अगस्त 19 में मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड को अवार्ड किया गया है। इसका प्रारम्भण हो जाने पर हमारी संस्थापित क्षमता में 50 मेगावाट की वृद्धि होगी।

### 3. तापीय ऊर्जा (खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (1320 मेगावाट)

यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 1320 मेगावाट की कोयला आधारित सुपर थर्मल विद्युत संयंत्र है। संयत्र से कुल वार्षिक उत्पादन 9828 एमयू होगा जो संयंत्र उपलब्धता फैक्टर (पीएएफ) के अनुरूप होगा। परियोजना की ले आउट और डीपीआर संशोधित की जा चुकी है और पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है जिसमें प्रत्येक 660 यूनिट की 02 यूनिटों के कार्यान्वयन के लिए 1200 एकड़ के पूरे भूखंड को उपयोग में लाया गया है ताकि भविष्य में 660 मेगावाट की तीसरी यूनिट का विस्तार किया जा सके। पीआईबी अनुमति प्राप्त होने तथा सीसीईए द्वारा सिफारिश की जाने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 09 मार्च, 2019 को इसकी आधार शिला रखी। अमेलिया कोयला खदान के लिए 1590 करोड़ रु. के निवेश अनुमोदन के साथ–साथ इस परियोजना के लिए 11,100 करोड़ रु निवेश अनुमोदन को मंजूरी दी गई है। खुर्जा एसटीटीपी को कुल 07 पैकजों में विभाजित किया गया है। सभी आबंटित पैकजों की स्थिति इस प्रकार है:

| क्र. सं. | पैकेज | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | स्टीम जनरेटर | पैकेज एवार्ड किया जा चुका है। |
| 2 | टर्बाइन जनरेटर | पैकेज शीघ्र एवार्ड किया जाएगा। |
| 3 | जल प्रणाली | पैकेज निविदा करने के विभिन्न चरणों में है। |
| 4 | स्विच यार्ड | |
| 5 | कोयला लाइमस्टोन हैंडलिंग प्रणाली | |
| 6 | राख डायक पैकेज | |
| 7 | विविध भवन तथा अन्य | |

टीएचडीसीआईएल में भावी विद्युत मिश्रण

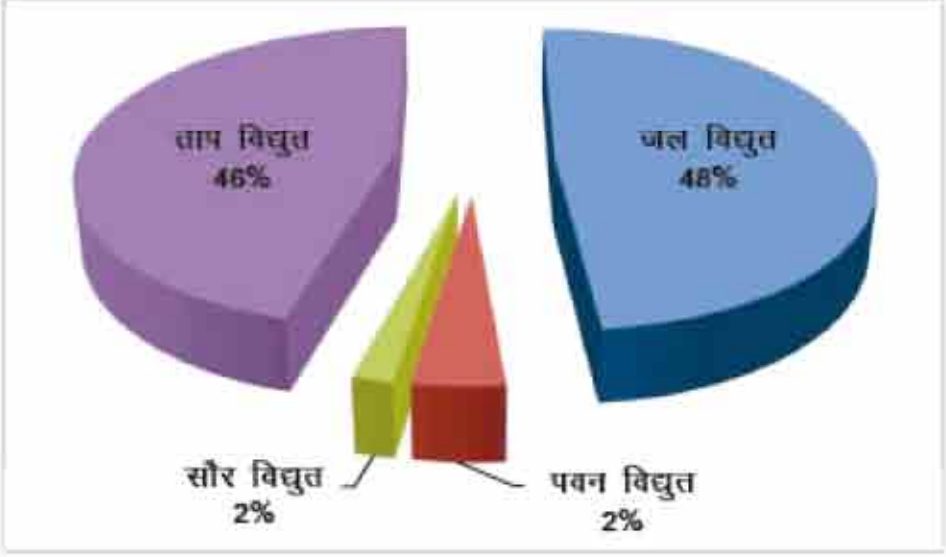

## निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

### टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र (4x250 मेगावाट )

- 4x250 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज संयंत्र पूरा हो जाने पर उत्तरी क्षेत्र में 1000 मेगावाट पीकिंग पावर बढ़ाएगा। यह ऊपरी जलाशय और निचले जलाशय के बीच छोड़े गए पानी के पुनः चक्रण की परिकल्पना पर आधारित है। टिहरी बाँध जलाशय ऊपरी जलाशय के रूप में और कोटेश्वर जलाशय निचले संतुलनकारी जलाशय के रूप में कार्य करेगा। वर्त्तमान में सिविल, एचएम और ईएम कार्य प्रगति पर है। जून, 2022 तक परियोजना के प्रारम्भण की आशा है।

---

### विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचएपी(वीपीएचईपी), (4x111मेगावाट)

- वीपीएचईपी रन ऑफ 'दि रिवर प्रोजेक्ट' है। यह परियोजना उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इसमें 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध की परिकल्पना की गयी है जिससे अलकनंदा नदी पर 237 एम कुल शीर्ष गतिशील होगा। परियोजना के ऋण भाग (70%) का वित्तीयन करने के लिए 648 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण करार के लिए विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किये गए हैं। सिविल और एचएम कार्यों के पूरा हो जाने पर दिसंबर, 2022 तक परियोजना के प्रारम्भण का अनुमान है।

---

### ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना (3x8मेगावाट)

- ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजनाए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर मौजूदा चिनाई सह कच्चे बाँध के निचले हिस्से में निर्मित किए जाने की परिकल्पना की गयी है। 24 मेगावाट (3x8 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता सहित यह परियोजना बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विस्तार का हिस्सा है। परियोजना निर्माणाधीन है और दिसम्बर तक तीनों यूनिटों के प्रारम्भण की आशा है। पूरा हो जाने पर परियोजना से प्रतिवर्ष 97.82 एमयू उत्पादन होगा।

# निदेशकों की रिपोर्ट
# 2018–19

- निदेशकों की रिपोर्ट 2018–19
- अनुलग्नक–I कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट
- अनुलग्नक–II कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट
- अनुलग्नक–III प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट
- अनुलग्नक–IV ऊर्जा संरक्षण उपाय, प्रोद्योगिकी समामेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय
- अनुलग्नक–V व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट
- अनुलग्नक–VI फार्म नं. एमजीटी–9 वार्षिक रिटर्न का सार
- अनुलग्नक–VII सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट

# निदेशकों की रिपोर्ट 2018–19

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की समीक्षा सहित कंपनी के निष्पादन पर 31वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

## मुख्य कार्य निष्पादन विशेषताएं

- वर्ष 2017–18 के 4540 मि.यू. की तुलना में वर्ष 2018–19 में विद्युत उत्पादन बढ़कर 4687 मि.यू. हो गया।
- डिस्कॉम्स से राजस्व वसूली का आंकड़ा वर्ष 2018–19 की बिक्री का 87.74% था।
- वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी को "बहुत अच्छा" एमओयू रेटिंग प्रदान की गई।
- वर्ष 2018–19 के दौरान पूंजीगत व्यय (केपेक्स) 1132.48 करोड़ था।
- ढुकर्पा लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट) – उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में बेतवा नदी पर निर्माण के अग्रिम चरण में है और दिसम्बर, 2019 तक इसके प्रारम्भ होने की सीमा है।
- वर्ष 2018–19 में लाभ 778.74 करोड़ रु. से 1251.60 करोड़ रू. हो गया।

## खुर्जा सुपर ताप विद्युत परियोजना (1320 मेगावाट)

- खुर्जा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना (एसटीपीपी) और अमेलिया कोयला खदान के लिए क्रमशः 11,089.42 करोड़ रू. और 1587.16 करोड़ रू. की अनुमोदित लागत (दिसंबर, 17 मूल्य स्तर पर) निवेश अनुमोदन दिनांक 07.03.19 को प्रदान कर दिया गया है।
- माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 09.03.2019 को खुर्जा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी।
- 07 पैकेजों में से "स्टीम जनरेटर और संबद्ध पैकेजों" का कार्य, 4087 करोड़ रू. की राशि पर दिनांक 29.08.2019 को मेसर्स एलएंडटीएमएचपीएस बॉयलर्स लिमिटेड को दिया गया है। "टर्बाइन जनरेटर और संबद्ध पैकेजों" की बोलियां 1815 करोड़ रू. के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन है। सितम्बर, 2019 तक टी जी पैकेज एवार्ड किए जाने की आशा है।
- शेष 05 बीओपी पैकेजों में से वाटर सिस्टम पैकेज और स्विचयार्ड पैकेज की बोलियां मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन हैं। कोयला, चूना और जिप्सम हैंडलिंग प्लांट का टेंडर

टिहरी एपीपी (1000 मेगावाट) के भूमिगत विद्युत गृह का विहंगम दृश्य

जारी कर दिया गया है जबकि राख डायक पैकेज और विविध भवन तथा अन्य पैकेज निविदा चरण में हैं। इन सभी पैकेजों को दिसंबर, 2019 तक एवार्ड किए जाने की संभावना है।

### सौर विद्युत परियोजना (50 मेगावाट)

- जिला कासरगाड, केरल में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए दिनांक 16.01.2019 को केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के साथ विद्युत बिक्री करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- सोलर पार्क के एकमुश्त अपफ्रंट विकास प्रभार के रूप में 25.4 करोड़ रू. आरपीसीकेएल के पास जमा कर दिए गए हैं।
- 10 वर्ष के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रापण और आपूर्ति, निर्माण और उत्थापन, परीक्षण, प्रारंभण और वृहद प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 50 मेगावाट के सौर पी पी विद्युत संयत्र का कार्य दिनांक 08.08.2019 को मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड को दिया गया है।
- वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी की ए ए + क्रेडिट रेटिंग बनी रही।

### वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणाम संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं :–

(₹ मिलियन में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| आय | | |
| प्रचालनों से प्राप्त राजस्व | 27680 | 21851 |
| अन्य आय | 823 | 381 |
| सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व | 691 | 682 |
| घटाएं : सिंचाई पर मूल्यह्रास | 691 | 682 |
| सकल आय (क) | **28503** | **22232** |
| व्यय | | |
| कर्मचारियों के हितार्थ व्यय | 4118 | 3065 |
| वित्तीय लागत | 1757 | 2279 |
| मूल्यह्रास | 5550 | 5745 |
| उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय | 2213 | 2034 |
| संदिग्ध ऋण, प्राप्य, बट्टे खाते हेतु प्रावधान | 499 | 0 |
| कुल व्यय (ख) | **14137** | **13123** |
| विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन पूर्व लाभ और कर (पीबीटी) (ग=क–ख) | **14366** | **9109** |
| विनियामक आस्थगित लेखा शेष आय / व्यय में निवल संचलन (घ) | 750 | |
| कर पूर्व लाभ (ङ = ग+घ) | **15116** | **9109** |
| कर | **2560** | **1397** |
| सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (i) | **12556** | **7712** |
| (ii) अन्य वृहत आय | | |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन | -30 | 56 |
| आयकर से संबंधित अन्य मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं हो सकेंगी – आस्थगित कर संपत्तियां | -10 | 19 |
| अन्य वृहत आय (ii) | **-40** | **75** |
| कुल वृहत आय (i + ii) | **12516** | **7787** |

## वित्तीय निष्पादन

### सकल राजस्व और लाभ

आपकी कंपनी ने गत वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2018–19 में अर्जित सकल राजस्व और वृहद आय में वृद्धि दर्ज की है। गत वर्ष की कुल वृहद आय की तुलना में चालू वित्त वर्ष की व्यापक आय में 60.73% की वृद्धि हुई है। प्रचालनों से प्राप्त राजस्व, सकल राजस्व, करोपरांत लाभ (पीएटी) तथा करोपरांत लाभ के % में परिवर्तन की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है।

(₹ मिलियन में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 | वृद्धि |
|---|---|---|---|
| प्रचालनों से प्राप्त राजस्व | 27680 | 21851 | 5829 |
| सकल राजस्व | 28503 | 22232 | 6271 |
| कुल वृहद आय | 12516 | 7787 | 4729 |
| सकल राजस्व में कुल व्यापक आय का % | 43.91% | 35.03% | |

पिछले पांच वर्षों की कुल सर्वग्राही आय की चित्रित प्रस्तुति नीचे दी जा रही है :

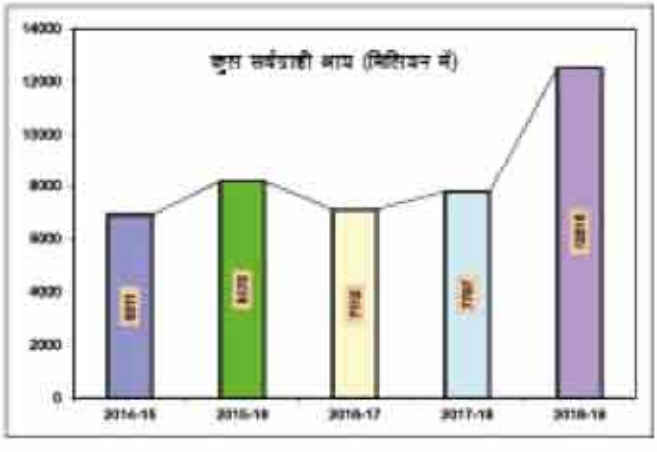


### लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2018–19 में 4231 मिलियन रू. के लाभांश का भुगतान किया है जिसमें डीआईपीएएम दिशानिर्देशों के अनुसरण में वित्त वर्ष 2018–19 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 3387 मिलियन रू. तथा वित्त वर्ष 2017–18 के लिए शेष लाभांश के रुप में 844 मिलियन रू. शामिल है। इस प्रकार भुगतान किए गए 4231 मिलियन रू. का कुल लाभांश रू. 1000/– सममूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 115.77 रू. है और कुल वृहद आय के 33.81% और प्रदत्त पूंजी के 11.58% का प्रतिनिधित्व करता है। तथापि वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 3387 मिलियन रू. का अंतरिम लाभांश का भुगतान रू. 1000 सममूल्य वाले प्रत्येक शेयर का प्रति इक्विटी शेयर 92.69 रू. है और यह कुल व्यापक आय के 27.07% और संदत्त पूंजी के 9.27% का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 1260 मिलियन के अंतिम भुगतान का प्रस्ताय किया है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कुल लाभांश रू. 1000/– सममूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 127.16 रू. मिलियन परिकलित होता है और यह निवल मूल्य का 5.01% है जो डीआईपीएएम दिशानिर्देशों के अनुसरण में है।

## पूंजी संरचना और निवल पूंजी (नेटवर्थ)

### शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 40000 मिलियन रू. है। वर्ष के दौरान यीपीएचईपी परियोजना के लिए इक्विटी घटक के लिए भारत सरकार से कंपनी को 280 मिलियन रू. का इक्विटी अंशदान प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान इसमें से 240 मिलियन के इक्विटी शेयर भारत सरकार को आबंटित किए गए हैं और शेष 40.00 मिलियन शेयरों के लिए वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान भारत सरकार के शेयर आबंटित किए गए हैं। दिनांक 31.03.2019 को कंपनी की संदत शेयर पूंजी और नेटवर्थ क्रमशः 36548.82 मिलियन और 92807.8 मिलियन रू. है।

## प्रचालनात्मक निष्पादन 2018–19

### विद्युत उत्पादन

वर्ष 2018–19 के दौरान जल और पवन विद्युत परियोजनाओं से कुल 4687 मिलियन यूनिट (एमयू) का विद्युत उत्पादन हुआ जबकि एमओयू लक्ष्य 4590 एमयू का था जो पिछले वर्ष के 4540 एम यू के उत्पादन से बहुत अधिक है।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान जल एवं पवन विद्युत परियोजनाओं से किया गया कुल उत्पादन निम्नानुसार है :

| संयंत्र का नाम | एमओयू लक्ष्य (बहुत अच्छा) (मि.यू. में) | वित्त वर्ष 2018–19 में कुल उत्पादन (मि.यू. में) | वित्त वर्ष 2017–18 में कुल उत्पादन (मि.यू. में) |
|---|---|---|---|
| जल विद्युत संयंत्र | 4336 | 4395.98 | 4300 |
| पवन विद्युत संयंत्र | 254 | 291 | 239.67 |
| कुल | 4590 | 4686.98 | 4539.67 |

जल तथा पवन विद्युत संयंत्रों से उत्पादन

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, जल और पवन विद्युत संयंत्रों से ऊर्जा उत्पादन तथा संयंत्र कार्यकुशलता के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं :–

| संयंत्र का नाम | उत्पादन (मि.यू. में) | | पी ए एफ / सी यू एफ(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | एमओयू लक्ष्य (बहुत अच्छा) | उपलब्धि | एमओयू लक्ष्य (बहुत अच्छा) | | उपलब्धि |
| टिहरी एचपीपी (1000 मेगा.) | 3106 | 3172.17 | 80.118 | | 84.521 |
| कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) | 1230 | 1223.81 | 68.988 | | 68.028 |
| कुल (हाइड्रो पावर) | **4336** | **4395.98** | भारित औसत | **76.934** | **79.809** |
| पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट) | 254 | 108 | 21.424 | | 24.73 |
| द्वारका पवन ऊर्जा संयंत्र (63 मेगावाट) | | 183 | 24.164 | | 28.95 |
| कुल (पवन ऊर्जा) | **254** | **291** | भारित औसत | **25.182** | **27.083** |

## व्यावसायिक निष्पादन

आपकी कंपनी लाभार्थी डिस्कॉम्स को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखती है। इसे लाभार्थियों ने वार्षिक प्रतिपुष्टि पत्र में 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान कर अपनी संतुष्टि को व्यक्त कर स्वीकार किया है। आपकी कंपनी के कारोबार से राजस्व के मामले में वाणिज्यिक निष्पादन इस प्रकार है :–

(₹ मिलियन में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| संचालन से राजस्व | 27679 | 21906 |
| नकदी वसूली (%) | 87.74 | 100 |

माननीय सीईआरसी ने क्रमशः 2011–14 और 2014–19 तक की अवधि के लिए कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट) दिनांक 05.09.2018 और 09.10.2018 को प्रशुल्क आदेश जारी किए है। इस आदेश के प्रभाव पर वित्त वर्ष 2018–19 के तुलन–पत्र में विचार किया गया है।

टीएचडीसीआईएल ने कासरगाढ सोलर पार्क, केरल में 50 मेगावाट (ए सी) सोलर पी वी परियोजना के लिए दिनांक 16.01.2019 को राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के साथ करार किया।

## परियोजना वित्तपोषण

1. टिहरी पीएसपी परियोजना :–

1. टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए, वर्ष 2012 में 15000 मिलियन दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने हेतु कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले व्यापार संघ के साथ वित्तीय तालमेल स्थापित किया था। उपरोक्त मंजूरी के लिए 31 मार्च 2018 तक 12276.50 मिलियन की राशि प्राप्त की गई है। कंपनी ने दिनांक 29.03.2018 को 6000 मिलियन रू. चुका दिए हैं और शेष राशि अप्रैल तथा मई, 2018 में चुका दी है।

2. कंपनी ने टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए वित्त वर्ष 2018–19 में पीएनबी से 700 मिलियन रू. का मध्यावधि ऋण प्राप्त किया है। इस मध्यावधि ऋण को मार्च, 2024 तक 20 तिमाही किश्तों में चुका दिया जाएगा।
3. कंपनी ने टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए 83.87 मिलियन यूरो प्राप्त करने के लिए सोसाइटे जनरेल यूरो के साथ वित्तीय तालमेल किया है और अभी ऋण प्राप्त होना है।
4. शेष ऋण आवश्यकता को बॉंडों से प्राप्त आगम से पूरा किया जाएगा।

### वीपीएचईपी परियोजना :–

कंपनी ने वीपीएचईपी परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 648 मिलियन अमेरिकी डालर प्राप्त करने के लिए वित्तीय तालमेल किया था। वर्ष के दौरान इसमें से 6.61 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि प्राप्त की जा चुकी है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2019 तक कुल 100.98 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि आहरित की गई थी। टीएचडीसीआईएल ने विश्व बैंक से वितरण समय वर्ष 2020 तक बढ़ाने तथा डालर विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण ऋण घटक में 100 मिलियन अमेरिकी डालर कम करने का अनुरोध किया। एमओएफ, डीईए ने दिनांक 31.12.2019 तक छूट के लिए अंतरिम विस्तार प्रदान कर दिया है जिसकी पुष्टि विश्व बैंक द्वारा अभी की जानी है। विश्व बैंक ने 100 मिलियन के ऋण को निरस्त भी कर दिया है। चुकौती की समय–सूची के पुनः निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाना लंबित होने के कारण ऋण सेवा मूल संपिदा शर्तों के अनुसार की गई है और दिनांक 31.03.2019 तक 6.27 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि चुकाई गई है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2019 तक नियत शेष ऋण 94.71 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर है।

### कारपोरेट बांड निर्गम

वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी ने आगामी/चालू परियोजनाओं के पूंजी खर्च को वहन करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर 7.59 प्रतिशत की दर से रू. 6000 मिलियन के सुरक्षित प्रतिदेय गैर–परिवर्तनीय बांड जारी किए। बांड 10 वर्ष पश्चात प्रतिदेय होंगे तथा वार्षिक आधार पर ब्याज देय होगा।

निदेशकगण सहर्ष ध्यान में लाते हैं कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने 10 वर्षों के लिए 1500 करोड़ रू. के कॉरपोरेट बांड श्रृंखला – II जारी की है जिसका आधार निर्गम आकार 500 करोड़ रू. और ग्रीन शू आप्शन 1000 करोड़ रू. है। उपरोक्त निर्गम के लिए बोली लगाने का कार्य 5 सितम्बर, 2019 को किया गया था जिनमें बीएसई ईबीएम प्लेटफार्म के माध्यम से 1500 करोड़ रू. के प्राप्त की गई कूपन दर 8.75% है। इन बांडो की रेटिंग AA+ और AA स्टेबिल दी गई थी। इस बोली को अपार सफलता मिली और आधार निर्गम आकार का 6 गुना से अधिक अभिदान (चंदा) प्राप्त हुआ। कंपनी को विभिन्न निवेशकों और व्यवस्थापकों से 3215 करोड़ रू. की बोलियां प्राप्त हुई।

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में संक्षिप्त आंकड़े :–

| ऋणदाता का नाम | ऋण राशि | वर्ष 2018–19 के दौरान आहरित राशि | चुकाया गया ऋण | 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण |
|---|---|---|---|---|
| विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण | यूएस डॉलर 648 मिलियन | ₹843.15 मिलियन* | ₹298.80 मिलियन | ₹6551.00 मिलियन |
| पीएनबी से आवधिक ऋण | ₹7000 मिलियन | ₹7000 मिलियन | शून्य | ₹7000 मिलियन |
| सोसाइटे जनरेल | 83.87 मिलियन यूरो | 0.00 | | 0.00 |
| कारपोरेट बांड्स | ₹6000 मिलियन | शून्य | शून्य | ₹6000 मिलियन |

*विनिमय दर में परिवर्तन शामिल है।

## निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति

### टिहरी पीएसपी (4 x 250) मेगावाट

पानी के पुनर्चक्रण सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक 250 मेगावाट की रिवर्सिबल इकाइयाँ ऑफ पीक ऊर्जा को पीक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगी। ऑफ पीक घंटों के दौरान पंपिंग प्रचालन के लिए 1651.66 मिलियन यूनिट ऊर्जा की जरूरत होगी जिसमे पीक घंटों के दौरान यह टर्बाइन मोड़ पर कार्य करके 1321.82 मि.यू. अतिरिक्त पीकिंग विद्युत का उत्पादन करेगा।

कंपनी के नए विद्युत परिदृश्य में पंप स्टोरेज संयत्र का महत्व बढ़ जाएगा जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र शामिल कर लगातार समृद्ध किया जा रहा है।

संविदा ठेका दिए जाने के बाद निष्पादन के दौरान कंपनी को विभिन्न बाह्य कारकों का सामना करना पड़ा जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान से खनन के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने की मनाही तथा सिविल ठेकेदार मैसर्स एचसीसी लि. इत्यादि के पास नकदी संकट। इस कारण पर्याप्त संसाधन नहीं जुटाए जा सके फलतः कार्य की प्रगति धीमी हुई। हालांकि स्थानीय लोगों के साथ लगातार संपाद स्थापित कर मुद्दों का समाधान लगभग कर लिया गया है। एक साथ सभी मोर्चों पर काम में तेजी लाने के लिए ठेकेदार को अस्थायी ब्याज आधारित काम चलाए रखने के लिए पूंजीगत वित्त पोषित किया गया है।

इसी बीच एचसीसी कामगारों द्वारा 2 माह तक हड़ताल करने के कारण 2 माह तक तथा मैसर्स एचसीसी के धन संकट के कारण बाद में 5 माह तक कार्य ठप्प रहा। कार्य दिनांक 01.12.18 से दोबारा धीमी गति से तभी शुरू किया जा सका जब दिनांक 01.02.19 को विद्युत मंत्रालय की सहमति से और टीएचडीसीआईएल बोर्ड के अनुमोदन से तंत्र की शुरूआत करने के माध्यम से नकदी लगाई गई।

टीएचडीसीआईएल में परियोजना में बैंक गारंटी के एवज में 20 करोड़ रू. (जनवरी–19 से जून–19) और निष्पादन बैंक गारंटी के एवज में 10 करोड़ रू. (जनवरी–19 से जून–19) दिए गए ताकि धन के संकट से उबारा जा सके। वर्तमान में "एस्क्रो" एकाउंट द्वारा भुगतान किया जा रहा है ताकि निधियों का उपयोग केवल परियोजना कार्य के लिए ही किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इससे प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है और कार्य में गति आ रही है। लगभग 80% उपस्कर/सामग्री कार्यस्थल पर पहुँच चुकी है। ढांचों के एक्सेस एडिट और ड्रेनेज गैलरी लगभग पूरे किए जा चुके हैं। वर्तमान में अपस्ट्रीम सर्जशाफ्ट, बटरफ्लाई वाल्व चैम्बर (पी वी सी), पेन स्टॉक असेम्बली चैम्बर, बस बार टनल और डाउनस्ट्रीम सर्जशाफ्ट और टेल रेस सुरंग (टीआरटी) दोनों में खुदाई की जा रही है। कंट्रोल रूम बस–बार टनल और टीआरटी में कंक्रिटिंग का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना की अनुमोदित लागत, किए गए व्यय एवं कमीशनिंग की समय–सूची का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(राशि करोड़ ₹ में)

| परियोजना लागत | | कार्य पूरा होने की समय–सूची | |
|---|---|---|---|
| अनुमोदित (आरसीई–I अप्रैल, 10 के मूल्य स्तर पर) | व्यय (अगस्त,19 तक) | अनुमोदित (आरसीई–I अप्रैल, 10 के मूल्य स्तर पर) | प्रत्याशित |
| 2978.86 | 3003.16 | फरवरी-16 | जून-22 |

पुनरीक्षित लागत अनुमान II : फरवरी 19 के मूल्य स्तर पर 5024.35 करोड़ रू. की आरसीई–II वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुमोदन हेतु दिनांक 30.04.19 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने दिनांक 13.08.2019 को परियोजना की नकद लागत की 3745.8 रू. के रूप में विधीक्षा की है और तदनुसार आईडीसी तथा एफसी में पुनरीक्षण करने की इच्छा प्रकट की है। टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 21.08.2019 को अनुमोदन के लिए सीईए को 1086.56 रू. की पुनरीक्षित आईडीसी और एफसी प्रस्तुत की है।

### विष्णुगाड पिपलाकोटी एचईपी (वी.वी.एच.ई.पी.) (4 x 111 मेगावाट)

वीपीएचईपी एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इसमें 1657.09 मि.यू. ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अलकनंदा नदी पर कुल शीर्ष 237 एम का दोहन करने के लिए 65 मीटर ऊँचे कंक्रीट बाँध की परिकल्पना की गई है।

वर्ष के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा बंद करवाने/ व्यवधान पैदा करने, भूगर्भीय स्थिति, सिविल ठेकेदार मैसर्स एचसीसी लिमि. के साथ नकदी प्रवाह की समस्या और ठेकेदार द्वारा पर्याप्त संसाधन न जुटा पाने के कारण कार्य की प्रगति में बाधा पड़ी। स्थानीय लोगों के साथ लगातार बातचीत करके और जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। मुख्य सिविल ठेकेदार मैसर्स एचसीसी वित्तीय संकट में था और अंतराल निधीयन के लिए बीजी उपलब्ध करवाने की स्थिति में भी नहीं था। अप्रैल, 18 से सभी मोर्चों पर काम बड़ी धीमी गति से चल रहा था और

इसके बाद एचसीसी के कामगारों की मजदूरी का भुगतान न किए जाने पर उनके द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण काम 3 महीने के लिए ठप्प हो गया। उक्त कार्य 01.02.2019 को विद्युत मंत्रालय की सहमति से टीएचडीसी द्वारा एक तंत्र के माध्यम से नकदी लगाए जाने के बाद 15.01.2019 से धीमी गति से शुरू हो सका जिसे बाद में टीएचडीसीआईएल बोर्ड ने अनुमोदित किया।

टीएचडीसीआईएल ने ठेकेदार को बैंक गारंटी के एवज में 34.19 करोड़ रू. (जनवरी, 19 से जून, 19 तक) और निष्पादन बैंक गारंटी के एवज में 24.18 करोड़ रू. (जनवरी, 19 से जून, 19) सामग्री और अन्य संविदा देनदारियों के लिए 8.13 करोड़ रू. (जीएसटी के लिए 2.43 करोड़ का अंतरिम भुगतान) किया। वर्तमान में एस्क्रो खाते के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है ताकि निधियों का उपयोग केवल परियोजना कार्य के लिए किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इससे प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है और कार्य में गति आ रही है।

अलकनंदा नदी का मार्ग दिनांक 02.04.18 को पहले ही डायवर्जन सुरंग के द्वारा मोड़ दिया गया है और काफर डैम का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इनटेक चैनल–2 और 3 में खुदाई पूरी कर ली गई है। टीबीएम उत्थापन अग्रिम चरण में है। डिसिल्टिंग चैम्बरों में खुदाई, पेनस्टॉक स्टील लाइनों का फैब्रीकेशन, डाउनस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट, रिब के सपोर्ट से मशीन हाल के क्राउन का स्थिरीकरण, रिब के सपोर्ट से ट्रांसफार्मर के क्राउन का कार्य प्रगति पर है। पावर हाऊस के लिए गादी खदान से खनन का अनुमोदन और टीबीएम कार्य अग्रिम चरण में है।

टर्बाइन की (माडल टेस्टिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। पावर हाऊस स्टेशन के ले आउट और अक्षांशीय सेक्शन, बीएफवी चैम्बर योजना और सेक्शन थ्रू जनरेटर की डिजाइन ड्राइंग और दस्तावेज, एक्साइटेशन योजना के डिजाइन दस्तावेजों, पावर हाउस ग्राउंडिंग सिस्टम तथा अनुषंगी उपकरणों को अनुमोदित कर दिया गया है। टर्बाइन अर्थात रनर, शाफ्ट, सर्वोमोटर, गाइड बियरिंग और टर्बाइन के कंट्रोल गियर, गवर्नर आदि से जुड़े डिज़ाइन दस्तावेज़/ ड्राइंग को अनुमोदित किया जा चुका है। परियोजना की अनुमोदित लागत व्यय और कमीशनिंग की समय–सूची नीचे दी गई है।

(राशि करोड़ ₹ में)

| परियोजना लागत | | कार्य पूरा होने की समय–सूची | |
|---|---|---|---|
| अनुमोदित (मार्च, 08 के मूल्य स्तर पर) | व्यय (अगस्त, 19 तक) | अनुमोदित ( मार्च, 08 के मूल्य स्तर पर) | प्रत्याशित |
| 2491.58 | 1733.12 | जून-13 | दिसम्बर-22 |

पुनरीक्षित लागत अनुमानः सीसीईए द्वारा अगस्त, 08 में परियोजना के लिए 2491.58 करोड़ रू. (मार्च–08 मूल्य स्तर) के निवेश का अनुमोदन किया गया।

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दिनांक 09.01.2018 को परियोजना की पुनरीक्षित डिजाइन ऊर्जा को 165.7.09 मि. यू. के रूप में अंतिम रूप दिया गया।
- अनुमोदित परिवर्तन ज्ञापन के आधार पर टीएचडीसी ने 4105.30 करोड़ रू. की आरसीई–I (मार्च, 18 के मूल्य स्तर पर) को पुनः तैयार कर 30 जुलाई, 2018 को प्रस्तुत कर दी। वर्तमान मूल्य स्तर पर आरसीई को अद्यतन करने की सीईए की सलाह के अनुसार, फरवरी, 19 के मूल्य स्तर पर 4397.80 करोड़ रू. की आरसीई तैयार कर दिनांक 31 मई, 19 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

### ढुकवाँ लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट)

ढुकवाँ लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में बेतवा नदी पर ढुकवाँ मैसेनरी सह अर्दन डैम के सिरे के अंत में किया जा रहा है जिसकी संस्थापित क्षमता 24 मेगावाट (3x8 मेगावाट) और वार्षिक उत्पादन 97.82 मि.यू. है। यह बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विकास का भाग है।

- लगभग 99.4% सिविल कार्य और 99% एच एम कार्य पूरे किए जा चुके है। 95% ई.एम. की आपूर्ति स्थल पर की जा चुकी है।
- यूनिट –1 : मेकैनिकल स्पिनिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है, प्रारम्भण से जुड़ी गतिविधियां प्रगति पर हैं।
- यूनिट –2 : लोवर ब्रैकेट और स्टेट को नीचे कर दिया

और एयर कूलर तथा विकेट गेट को फिक्स करने का कार्य प्रगति पर है सर्विस बे पर रोटर की एसेम्बली पूरी कर ली गई है।

- यूनिट –3 : लोअर ब्रैकेट को लोअर करने का कार्य प्रगति पर है। सर्विस बे पर स्टेटर की एसेंबली को पूरा कर लिया गया है।
- पावर इवैकुएशन सिस्टम तैयार कर लिया गया है। पावर हाऊस में कंट्रोल रूम के निर्माण का कार्य अग्रिम चरण में है, जबकि स्विचयार्ड का काम पूरा होने वाला है।

यूनिटवार कमीशनिंग के लिए लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

यूनिट 1 – 30 सितम्बर–2019

यूनिट 2 – 11 दिसम्बर, 2019

यूनिट 3 – 20 दिसम्बर, 2019

- परियोजना की लागत, इस पर किया गया व्यय और कमीशनिंग की समय–सूची नीचे दी गई है :–

(राशि करोड़ ₹ में)

| परियोजना लागत | | कार्य पूरा होने की समय–सूची | |
|---|---|---|---|
| अनुमोदित (जुलाई, 19 के मूल्य स्तर पर) | व्यय ( अगस्त, 19 तक) | अनुमोदित (जुलाई, 16 के मूल्य स्तर पर) | प्रत्याशित |
| 294.60 | 302.76 (102.76%) | फरवरी-14 | अक्टूबर-19 |

झेलम तमक

- 108 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की अद्यतित डीपीआर दिसंबर, 12 में सीईए को सौंप दी गई थी।
- माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 2013 के आदेश द्वारा उत्तराखंड की 24 जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय अनुमति देने पर रोक लगा दी थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अलकनंदा घाटी की 6 विशिष्ट जल विद्युत परियोजनाओं, जिनमें झेलम तमक विद्युत परियोजना भी शामिल थी, के लिए 15 सदस्यों को शामिल कर मई–15 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
- पर्यावरण प्रवाह पर विशेषज्ञ समिति के प्रारुप सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिनांक 06.04.18 के पत्र द्वारा ई बी से प्राप्त प्रारुप रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रवाह पर विचार कर विद्युत क्षमता अध्ययन पर पुनरीक्षित अध्याय प्रस्तुत करने का निदेश दिया। तदनुसार, पुनरीक्षित विद्युत क्षमता अध्ययन 17 मार्च, 18 को सीईए को प्रस्तुत कर दिए गए थे।
- एमओडब्ल्यूआर, भारत सरकार ने दिनांक 8.10.18 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा ऐसे ई–प्रवाह की सिफारिश की जो ई बी–II द्वारा सिफारिश की गई पूर्ववर्ती ई–प्रवाह सिफारिशों से भिन्न थी। एमओडब्ल्यूआर के ई–प्रवाह के आधार पर जनवरी, 19 में सीईए को पुनरीक्षित पी पी अध्ययन सौंपे गए थे। इसके अतिरिक्त राजपत्र की अधिसूचना के ई–प्रवाह और नई जल विद्युत नीति पर विचार करते हुए परियोजना की व्यवहार्यता दिनांक 30.5.19 को सीईए को सौंपी गई है जो दिसंबर–18 के मूल्य स्तर पर 5.36 किलोवाट होती है।
- सीईए ने 8 अगस्त, 19 को डीपीआर लौटा दी थी और इस टिप्पणी के साथ कि 8 अक्तूबर, 18 की राजपत्र अधिसूचना में यथा अधिसूचित संशोधित ई–प्रवाह रिलीज को देखते हुए, परियोजना 108 मेगावाट की आईसी के लिए तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है जिसके कम होने की संभावना है।' सीईए ने यह भी टिप्पणी की कि परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय के पुरीक्षणाधीन 24 जल विद्युत परियोजनाओं में शामिल की गई है और परियोजना की नियति माननीय उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी। तदनुसार अब तक जारी की गई सभी आंशिक स्वीकृतियां रद्द की जाती हैं। सीईए ने, सीईए के नए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित आईसी के साथ डीपीआर पुनः प्रस्तुत करने को कहा है।
- 31 मार्च, 2019 तक 17.03 करोड़ रू. का व्यय हुआ है।

## अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में विविधीकरण

आपकी कंपनी जल विद्युत से ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे पवन सौर और ताप में अपनी गतिविधियों का विविधीकरण कर रही है। ऐसी परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

### पवन विद्युत परियोजनाएँ :

आपके दोनों पवन ऊर्जा संयंत्र अर्थात पाटन डब्ल्यूपीपी (50 मेगावाट) और देवभूमि द्वारका डब्ल्यूपीपी (63 मेगावाट) ने गत वित्त वर्ष 2018–19 की तुलना में बेहतर निष्पादन

श्री ए.के. भल्ला, भूर्व सचिव (विद्युत), भारत सरकार एवं श्री डी.पी. सिंह, अ. एवं प्र.नि., टीएचडीसीआईएल
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एमओयू दस्तावेजों का आदान–प्रदान करते हुए

किया। पाटन और देवभूमि डब्ल्यूपीपी ने 108.32 मि.यू. और 183 मि.यू. विद्युत उत्पादन किया और क्रमशः 24.73% तथा 28.95% तक का सीयूएफ प्राप्त किया। आज की तारीख तक दोनों पवन विद्युत संयंत्रों से प्रोत्साहन आधारित उत्पादन के रूप मे 22.77 करोड़ रू. की संचयी प्राप्त की गई है।

### सौर विद्युत परियोजना

- 250 एकड़ सरकारी भूमि के अंतरण के लिए केरल सरकार द्वारा शासकीय आदेश जारी किए जाने और 16 जनवरी, 19 को केएसईबी तथा टीएचडीसीआईएल के बीच करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद सोलर पार्क के एकबारगी अपफ्रंट विकास प्रभार के रूप में टीएचडीसी आईएल द्वारा 25.4 करोड़ रू. आरपीसीकेएल के पास जमा किए गए हैं।
- 10 वर्ष के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रापण और आपूर्ति, निर्माण और उत्थापन, परीक्षण प्रारंभण और वृहद प्रचालन तथा अनुरक्षण (ओ एंड एम) के लिए 50 मेगावाट (ए सी) सोलर पीवी विद्युत संयंत्र का कार्य 8 अगस्त, 19 को मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड को दिया (एवार्ड) गया है।
- आपकी कंपनी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों में अवसर तलाशने की शुरूआत भी कर दी है। सोलर पार्कों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पहले ही टीएचडीसी को सौंपा जा चुका है। इस प्रयोजन के लिए यूपीएनईडीए सहित एक एसपीवी की स्थापना की जाएगी।

### खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना (1320 मेगावाट) :

- 1320 मेगावाट के खुर्जा एसटीटीपी और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मध्य प्रदेश में अमेलिया कोयला खदान के लिए क्रमशः 11,089.42 करोड़ रू. और 1587. 16 करोड़ रू. (दिसंबर, 17 के मूल्य स्तर पर) निवेश मंजूरी 07 दिसंबर, 19 को प्रदान की गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने 9 मार्च, 19 को आधारशिला भी रखी। संयंत्र से 85% के पी एल एफ पर 9264 मि.यू. ऊर्जा (बिजली) का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना से उत्पादित की जाने वाली बिजली की लागत 3.61/ प्रति यूनिट (लेवलीकृत) है और प्रथम वर्ष का प्रशुल्क 3.90 रू. प्रति यूनिट होने का अनुमान है।
- 07 पैकेजों में से 'स्टीम जनरेटर और सम्बद्ध पैकेजों' का कार्य 29 अगस्त, 19 को 4087 करोड़ रू. में मैसर्स एलएंडटी–एमएचपीएस बायलर्स को दिया (एवार्ड) गया है। "टर्बाइन जनरेटर और संबद्ध पैकेजों" की 1815 करोड़ रू. की बोलियों को एवार्ड करने की प्रक्रिया चल रही है। टीजी पैकेज को सितंबर, 19 तक एवार्ड किए जाने की संभावना है।
- शेष 05 बी.ओ.पी. पैकेजों में से जल प्रणाली पैकेज और स्विचयार्ड पैकेज मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन है। कोयला, लाइमस्टोन और जिप्सम हैंडलिंग संयंत्र पैकेज की निविदा पलोट कर दी गई है। जबकि राख डायक पैकेज और विविध भवन और अन्य पैकेज निविदा किए जाने के चरण में है। इन सभी पैकेजों को वित्त वर्ष

2019–20 में एवार्ड किए जाने की संभावना है।

**खुर्जा संयंत्र परियोजना स्थल**

- रेल गलियारे के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन परामर्श के लिए दिनांक 14.05.19 को राइट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. एसएलएओ, बुलंदशहर ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए 25 अप्रैल, 19 को अधिसूचना जारी की है।
- दिनांक 30 मार्च, 17 को परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए "स्थापित करने के लिए सहमति" 13 जून, 18 को एसपीसीबी ने प्रदान कर दी है।
- **कार्य में अवरोध :** यूपीएसआईडीसी ने 1991–95 में भूमि का अधिग्रहण करते समय ग्रामीणों को पूरा मुआवजा दिया। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल ने 90% अधिक भूमि के लिए वर्ष 2015–16 में 721 रू. प्रति वर्ग मीटर की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान किया और परियोजना प्रभावित किसानों (पीएएफ) द्वारा न्यायालय में लंबित सभी मुकदमों को वापस लेने कोई नया मुकदमा दायर न करने और शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा देने का वचन दिया गया। इसके बाद भी कुछ ग्रामीण धरने पर बैठ गए और नाजायज मांग करने लगे। कार्य स्थल पर चल रहे अन्वेषण तथा अपसंरचनात्मक कार्य में बीच–बीच में अवरोध पैदा किए गए और 11 जुलाई, 18 से पूरी तरह से कार्य रोक दिया गया था। इसके अतिरिक्त एक परियोजना प्रभावित किसान द्वारा न्यायालय में मुकदमा दायर किए जाने के कारण किसानों को अनुग्रह राशि के वितरण और पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने का कार्य भी रूका हुआ है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए विद्युत मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप से भरपूर प्रयास किए गए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को स्थिति से अवगत कराए जाने और उनके द्वारा 10 जुलाई, 19 को हस्तक्षेप किए जाने के बाद दिनांक 6 अगस्त, 19 से कार्य दोबारा शुरू किया जा सका।

**अमेलिया कोयला ब्लाक :**

- पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की शर्तों के अनुपालन में 843.76 हेक्टेयर वन भूमि को कोयले की खदानों के लिए एनपीवी, पूरक वानिकी और एसएमसी प्रभार के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सीएएमपीए खातों में 8 मार्च, 19 को 157.56 करोड़ रू. जमा किए गए हैं।

टिहरी बांध एवं जलाशय का विहंगम दृश्य

- 10 एमवीए विद्युत आपूर्ति के लिए अनुमोदन 18 जून, 19 को प्राप्त किया गया है।
- कोयला ब्लाक क्षेत्र की 178.13 हेक्टेअर सरकारी भूमि का अंतरण, पुर्नस्थापन और पुनर्वास स्थल के विकास के लिए 53.13 हेक्टेअर सरकारी भूमि का आबंटन, 337.3 हेक्टेअर प्राइवेट भूमि के लिए पुनरीक्षित एवार्ड की घोषणा तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति का अनुमोदन प्रगति पर है।
- अमेलिया कोयला खान से होकर गुजरने वाली मौजूदा 3 एच टी लाइनों के डायवर्जन/स्थान परिवर्तन के लिए 28 मार्च, 19 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए और 19.14 करोड़ रू. का भुगतान किया गया है। कोयला उठाने के लिए कन्वेयर बेल्ट के संरेखण का सर्वेक्षण कार्य सीएमपीडीआईएल द्वारा पूरा किया गया है। अमेलिया कोयला खान के कोयला उठाव गलियारे (कॉर्डर) के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र, कोयला मंत्रालय से प्राप्त किया जा रहा है ताकि उसे सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार की जा रही खनन योजना में शामिल किया जा सके। हालांकि पुनरीक्षित पीक रेटिंग क्षमता के लिए कोयला मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

### सर्वेक्षण और अन्वेषण के अधीन परियोजनाएं :

#### भूटान में परियोजनाओं का विकास :

**अ. संकोश एचईपी परिसर (2585 मेगावाट)–**

- प्रस्तावित परियोजना में 215 मीटर ऊंचे रोलर संपीडित कंक्रीट मुख्य बांध 2500 मे.वा. (8x312.5 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता के 5,949.05 मि.यू. उत्पादन सहित मुख्य बांध के ठीक नीचे दो विद्युत गृह बांए एवं दायें छोर पर मुख्य बांध के डाउनस्ट्रीम में 416.34 मि.यू. की ऊर्जा उत्पादन के साथ एक विनियामक बांध 85 मे.वा. (3x28.33) के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- संकोश परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में पहले दौर की वार्ता 19 सितंबर, 18 को आरजीओबी और भारत सरकार के बीच थिम्पू, भूटान में हुई। संकोश जल विद्युत परियोजना के इष्टतमीकरण और परियोजना की व्यवहार्यता को इष्टतम बनाने के लिए किए गए अध्ययन को उजागर किया गया। आरजीओबी ने संकोश परियोजना कार्यान्वयन के लिए अधिक कार्यकुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए संशोधित आई जी मॉडल पर सहमति व्यक्त की।
- आरजीओबी के जल विद्युत और विद्युत प्रणाली विभाग (डीएचपीएस) ने संकोश जल विद्युत परियोजना की पर्यावरण अनुमति के संबंध में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इस दिशा में डीएचपीएस और आरजीओबी के अधिकारियों ने दिनांक 22.01.2019 से 25.01.2019 तक परियोजना क्षेत्र का दौरा किया ताकि आरजीओबी कर्मचारियों की इच्छा के अनुसार सभी खदानों, आवासीय कालोनियों, मलबा निपटान क्षेत्र और हित के अन्य बिंदुओं से जुड़े स्थानों को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके।
- संकोश जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए डाउनस्ट्रीम नदी में ई–प्रवाह स्थिति तथा खाद्य को सामान्य बनाने की प्रणाली तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में इसके लाभ पर विद्युत मंत्रालय में 29.04.19 को और इसके बाद अन्य संबद्ध मुद्दों अर्थात भूटान में निःशुल्क बिजली के प्रावधान, प्रशुल्क व्यवहार्यता, भारतीय नदियों के लिए ई–प्रवाह आवश्यकता और बांध की मैपिंग आदि पर 8 मई, 19 को विदेश मंत्रालय में विचार–विमर्श हुआ।
- बांध को विनियमित करने (भारतीय पक्ष) का डाउनस्ट्रीम पर पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में संकोश जल विद्युत परियोजना (2585 मेगावाट) के बारे में एक संक्षिप्त नोट 20 जून, 19 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।
- संकोश जल विद्युत परियोजना, भूटान की कार्यान्वयन पद्धति के बारे में विद्युत मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, टीएचडीसी और आरजीओबी के अधिकारियों के बीच 5 जुलाई, 19 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। तदनुसार, संकोश जल विद्युत परियोजना की नकद लागत अप्रैल, 19 के मूल्य स्तर पर अद्यतन बनाकर 8 जुलाई, 19 को सीईए को प्रस्तुत की गई थी।
- टीएचडीसी इस मामले में भारत सरकार से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रही है।

**ब. बुनाखा एचईपी (3X60 मेगावाट)**

प्रस्तावित परियोजना में 707.44 मि.यू. ऊर्जा के वार्षिक उत्पादन सहित उर्ध्वाधर टबाईन 180 मेगावाट (3X60 मेगावाट) की संस्थापना सहित भंडारण बांध और तलीय विद्युत गृह निर्माण की परिकल्पना की गई है। फरवरी, 14 के दौरान भूटान की शाही सरकार की कैबिनेट ने बुनाखा एचईपी के कार्यान्वयन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया। भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच कार्यान्वयन के लिए अंतर–सरकारी करार (आईजी) पर अप्रैल, 14 में हस्ताक्षर किए गए हैं।

परियोजना का निर्माण एकमात्र परियोजना के रूप में आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं माना गया है। सीईए/सीडब्ल्यूसी ने

बांध की लागत अनुप्रवाह परियोजनाओं की अंशधारिता के लिए बनाए गए फार्मूला के आधार पर फिडिंग पैटर्न निर्धारित किया है। सभी हितधारकों ने बुनाखा के लिए सहमत अंतिम लागत साझेदारी तंत्र पर हस्ताक्षर कर दिए है। लागत अनुमान जो मूलत: 2013 के मूल्य स्तर पर तैयार किए गए थे, उन्हें अप्रैल, 2015 के मूल्य स्तर पर 16228.5 मिलियन रु. में पुनरीक्षित कर दिया गया है और सीईए के द्वारा विधीक्षित कर दिया है। भूटान की बुनाखा एचईपी के कार्यान्वयन के लिए भूटानी पीएसयू के साथ संयुक्त उद्यम का निर्माण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं आरजीओबी के पास विचाराधीन है। टीएचडीसी इस संबंध में भारत सरकार के निदेशों की प्रतीक्षा कर रही है।

### टीएचडीसीआईएल में बांध की सुरक्षा के उपाय

टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी का बांध सुरक्षा कार्यक्रम काफी व्यापक है। बांध की बॉडी और उसकी संबद्ध संरचनाओं में इंस्ट्रूमेंटेशन की व्यापक स्कीम की व्यवस्था की गई है ताकि बांध में होने वाली गतिविधियों का आंकलन और निगरानी की जा सके। बांध की बॉडी में उपलब्ध करवाई निरीक्षण गैलरियां बांध सुरक्षा कार्यक्रम का भाग हैं और समय–समय पर उनका निरीक्षण किया जाता है। क्रमश: मजबूत कंपन और माइक्रो नेटवर्क के जरिए भूकंप के दौरान बांध के अशांत व्यवहार वाले जलाशय द्वारा अभिप्रेरित भूकंप प्रवृत्ति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

बांधों का सुरक्षित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के दिशानिर्देशों तथा अन्य संगठन में मौजूदा परिपाटियों के अनुसार मानसून से पहले और बाद में बांधों का अनिवार्य रूप से सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समय–समय पर केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त अन्य एजेंसियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

### टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी

मशीनों की उपलब्धता, विश्वसनीयता और जीवन काल में तथा संयत्र के निष्पादन में सुधार लाने के लिए वर्ष 2011–12 से टिहरी और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के इलेक्ट्रो–मेकैनिकल इक्यूपमेंट की कंडीशन मॉनीटरिंग और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की जा रही है। टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ई–एम इक्विपमेंट की कंडीशन मॉनीरटिंग की गई और परीक्षकों के परिणामों से उपस्कर की स्थिति अच्छी रहने की पुष्टि हुई।

### सुरक्षा की लेखा परीक्षा

सुधार किए जा सकने वाले क्षेत्रों की पहचान करने और मानकों से विचलन अर्थात लागू सांविधिक अधिनियमों सीईए, 2011 बीएंडओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 कारखाना अधिनियम, 1948, ओएसएचएएस 18001 : 2007, आईएस 14489:1998 तथा टीएचडीसीआईएल एसएचई मैनुअल तथा अन्य लागू अधिनियमों में परियोजना सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार विचलन का पता लगाने के लिए सभी परीक्षा की जाती है।

### जलाशय प्रचालन और बाढ़ उपशमन उपाय

जलाशय नियम वक्र के अनुसार प्रत्येक वर्ष 21 जून से शुरू कर जलाशय भरा जाता है। जलाशय को भरने के दौरान नियम वक्र (रूल कर्व) से पूर्व निर्धारित दर पर जलाशय को भरने तथा सक्रिय मानसून अवधि के दौरान भावी बाढ़ के लिए उचित भंडारण स्थान बनाए रखने में मदद मिलती है ताकि बांध से नीचे की ओर विनियमित/ नियंत्रित रूप में पानी छोड़ा जा सके। टिहरी जलाशय के लिए वास्तविक समय अन्तप्रर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली वर्ष 2016 से प्रचालनरत है जिसका नियंत्रण कक्ष टिहरी बांध पर स्थित है। पूर्वानुमान प्रणाली से जलाशय का बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में मदद मिल रही है। कोटेश्वर बांध से ऋषिकेश तक नीचे की ओर आठ स्थानों पर स्पीकर/ सायरन से युक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) दिसंबर, 2017 में स्थापित की गई है, जो कोटेश्वर बांध स्थित नियंत्रण कक्ष और स्टेट इमर्जेंसी आपरेशन सेंटर, देहरादून से प्रचालित की जाती है। ईडब्ल्यूएम नदी के आस–पास नीचे की ओर रहने वाले लोगों को संदेशों और सायरनों के जरिए आगाह करने/ चेतावनी देने में मदद करती है।

### पुनर्वास और पुनर्स्थापन:

आपकी कंपनी हमेशा ही मानवीय चेहरे के साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास ओर पुनर्स्थापन के लिए प्रतिबद्ध रही है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन इस तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है कि तर्कसंगत संक्रमण अवधि के बाद बाढ़ प्रभावित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हो या कम से कम पूर्व स्तर बना रहे, आय क्षमता और उत्पादन स्तर में सुधार हो। टीएचडीसीआईएल पारस्परिक सहयोग या नियमित परामर्श के माध्यम से परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के साथ सौहादपूर्ण संबंध बना रही है।

परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए मुआवजा लागू मानकों के दिशा–निर्देशों के अनुसार पुनर्वास और/पुनर्स्थापन

कोटेश्वर बांध एवं जलाशय का विहंगम दृश्य

हितलाभ प्रदान किये जा रहे हैं। चूँकि यीपीएचईपी विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना है , इसलिए उस परियोजना में विश्व बैंक की सोशल सेफ गार्ड पालिसी भी चलन में है।

कार्यान्वयन का संपूर्ण निर्देशन और नियंत्रण पुनर्वास और पुनर्स्थापन के पास होता है। टीएचडीसीआईएल पुनर्वास और पुनर्स्थापन से जुड़ी सभी गतिविधियों में प्रशासक की सहायता करता है। उसे इस कार्य में एक गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) सहयोग देता है, जो टीएचडीसीआईएल और परियोजना प्रभावित समुदायों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। समय–समय पर विश्व बैंक आर.ए.पी. के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करता है। आर.ए.पी. के भली–भांति कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी भी आवधिक आधार पर मानीटरिंग और मूल्यांकन करती है। यह इस बात का भी मूल्यांकन करती है कि जो लोग वास्तविक रूप में दोबारा बसाए गए हैं, अपनी आय को दोबारा पुनःस्थापित कर रहे हैं, अपनी जमीन को दोबारा पुनःस्थापित कर रहे हैं, जिन्होंने सामान्य संपत्ति संसाधनों का निर्माण किया है, उनके संबंध में आर और आर नीति / आरएपी के उद्देश्यों के परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं या नहीं।

टीएचडीसीआईएल उच्च स्तर के जलाशयों (जलाशय के रिम पर 850 मीटर से ऊपर) जल स्तर में उतार–चढ़ाव होने के कारण हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए भी वचनबद्ध है। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की पहचान भू–वैज्ञानिकों की एक ऐसी समिति द्वारा की जाती है जिसका गठन राज्य सरकार करती है। हानि की गणना पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा की जाती है। जलाशय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को अब तक 22.50 करोड़ जारी किए जा चुके है जिसकी अनुशंसा उपरोक्त समिति ने की है।

परिसम्पत्तियों को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के अतिरिक्त, कौशल विकास कार्यक्रम, आय प्राप्त करने की गतिविधियों जैसी विभिन्न पहले शुरू कर प्रभावित परिवारों के आर्थिक उत्थान पर भी बल दिया जा रहा है।

## अभियांत्रिकी परामर्श

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने जल, जल संसाधन परियोजनाओं और भूस्खलन के स्थिरीकरण के क्षेत्र में पूर्ण अभियांत्रिकी समाधान देकर भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी तथा सांविधिक निकायों को अपनी पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान की है। टीएचडीसीआईएल ने डिजाईन और अभियंत्रिकी सेवा में परामर्श देने के क्षेत्र में अनेक करार किए हैं। टीएचडीसीआईएल ने "भूटान की दो जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट" तैयार की है। इसके अलावा, भारत में भूस्खलन संरक्षण / उपचार कार्यों के लिए 50 से अधिक डीपीआर तैयार किए हैं। टीएचडीसी ने उत्तराखंड के यरूणायत पर्वत पर भूस्खलन के स्थिरीकरण,

उत्तराखंड के अलग–अलग भागों में राज्य लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर लगभग 20 स्थानों पर तथा माता वैष्णो देवी, कटरा/जम्मू और कश्मीर के मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर स्थिरीकरण के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टीएचडीसीआईएल द्वारा किए जा रहे ढलान स्थिरीकरण के विभिन्न जिम्मेदारियों की स्थिति निम्नानुसार हैं:

1. टीएचडीसीआईएल ने कटरा और श्री माता वैष्णो देवी जी मंदिर के बीच स्थित कमजोर जोनों के स्थिरीकरण के लिए डिजाईन और अभियांत्रिकी उपायों के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। भू–स्थलाकृति और भूगर्भीय छानबीन तथा अभियांत्रिक उपाय कर चिह्नित किए गए 33 स्थानों में से बारह (12) स्थानों का उपचार पहले और दूसरे चरण में किया जा चुका है। मार्च, 2016 में, भवन क्षेत्र के समीप एक भू–स्खलन हुआ जिससे पवित्र गुफा और भवन के बीच का संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। टीएचडीसीआईएल के डिजाइन विभाग ने स्थल का दौरा किया और उसके बाद क्षतिग्रस्त ढलान और मार्ग के उपचार के लिए निर्माण ड्राइंग जारी की। इस स्थान का स्थिरीकरण भी सफलतापूर्वक किया गया है। शेष 21 स्थलों के लिए आगे दो चरणों में डी.पी.आर. तैयार की जाएंगी।
2. टीएचडीसीआईएल, उत्तराखंड की सड़कों पर स्थित 20 विभिन्न स्थानों के क्रॉनिक स्लाइड जोनों के स्थिरीकरण के लिए अभियांत्रिकी परामर्श कार्य से जुड़ा हुआ है। उपचार किए जाने वाले 20 चिह्नित क्रॉनिक स्लाइडों में 20 स्थानों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रस्तुत की गई 20 डी.पी.आर. में से 11 स्थानों पर संरक्षण/उपचार कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं जिनके लिए निर्माण ड्राइंग टीएचडीसीआईएल के डिजाइन विभाग ने जारी की थी। शेष 9 स्थानों के लिए टेंडर और एवार्ड विभिन्न चरणों में है।
3. टीएचडीसीआईएल राजभवन, नैनीताल से सटे ढलान के क्रॉनिक स्लिप जोनों के लिए तत्काल उपाय (चरण–I) और व्यापक स्कीम (चरण–II) के स्थिरीकरण के लिए अभियांत्रिकी परामर्श कार्य में संलग्न है। राजभवन, नैनीताल से सटे ढलान के क्रॉनिक स्लिप जोन के लिए तत्काल उपाय (चरण–I) का संरक्षण/उपचार कार्य एवार्ड किया गया और सफलतापूर्वक पूरा किया गया। व्यापक स्कीम (चरण–II) के लिए, डी.पी.आर. राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पी.डब्ल्यू.डी., नैनीताल को प्रस्तुत की गई है।
4. श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की पवित्र गुफा के नजदीक संरक्षण/उपचार और ढलान स्थिरीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। स्थालकृतीय सर्वेक्षण और जैव–तकनीकी छानबीन के बाद अभियांत्रिकी उपाय किए गए तथा तदनुसार दिसम्बर, 2017 में डी.पी.आर. प्रस्तुत की गई थी।
5. टीएचडीसीआईएल, मैसर्स वाप्कोस द्वारा उत्तराखंड सरकार को प्रस्तुत 5 स्थानों के ढलान स्थिरीकरण की डी.पी.आर. की विधीक्षा के लिए अभियांत्रिकी परामर्श देने में संलग्न है। के.एम.–32 काकरागढ़, के.एम–8 (कालीमठ), के.एम.–2 और 3, के.एम.–78 (गौरीकुंड) और पूर्णागिरी मंदिर जैसे स्थानों के लिए पांचों स्थानों की तकनीकी विधीक्षा, टीएचडीसी की टिप्पणियां प्राप्त होने तथा वाप्कोस द्वारा आवश्यक अनुपालन कर दिए जाने के बाद पी.आई.यू. (कार्यक्रम कार्यान्वयन एकक) को प्रस्तुत की गई थी।
6. ताम्बाखानी भूस्खंलन जोन – ताम्बाखानी श्यूट उपचार के लिए दीर्घकालीन स्थिरता उपाय हेतु डिजाइन स्कीम, टेंडर ड्राइंग, तकनीकी विनिर्देशन, मात्रा के बिल और लागत अनुमान प्रस्तुत किए गए थे। टीएचडीसीआईएल के डिजाइन विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण ड्राइंग जारी की गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

## अनुसंधान और विकास

टीएचडीसीआईएल ने ऋषिकेश में एक पूर्ण अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किया है। वर्तमान में अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा विभिन्न अनुसंधान और विकास परियोजनाएं जैसे टिहरी क्षेत्र के आस–पास स्थापित भूकंप निगरानी स्टेशनों, टिहरी और के.एच.ई.पी. के ई.एम. उपस्कर की स्थिति निगरानी, टिहरी क्षेत्र के आस–पास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क, जीरोब्रिज से कोटेश्वर के बीच ढलान स्थिरता के लिए समग्र समाधान तथा टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र के लिए सैटेलाइट आधारित वास्तविक समय प्रवाह पूर्वानुमान प्रणाली आदि कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

उपरोक्त चल रही परियोजनाओं के अलावा, वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान और विकास परियोजनाएं पूरी की गई हैं:

31.07.2019 को पूर्ण विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मे.वा.) का रॉकफिल बांध

1. "टिहरी और कोटेश्वर के लिए रोटरी मशीनों तथा सहायक पुर्जों के लिए वाइब्रेशन डाटा एनालिसिस" इसका उद्देश्य, कंपन आंकड़ों का विश्लेषण करना, मूल कारण का पता लगाने के लिए उनका प्रयोग करना, कंपन स्तर में गंभीरता की जांच करना, घूमने वाले अवयवों के रन–टाइम की असफलता का निर्धारण करना तथा अंत में निवारक उपाय निर्धारित करना या सफल प्रचालन के लिए कंपन नियंत्रक तैयार करना है।

2. शीघ्र चेतावनी प्रणाली कोटेश्वर स्थित नियंत्रण कक्ष और राज्य आपातकालीन प्रचालन केंद्र, देहरादून तथा कोटेश्वर बांध के डाउनस्ट्रीम में 8 स्थानों पर चेतावनी देने के लिए लगाए गए सायरन को शामिल कर डी.एम.एम.सी., देहरादून के सहयोग से स्थापित की गई ताकि टिहरी/कोटेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने पर शीघ्र चेतावनी दी जा सके। शीघ्र चेतावनी प्रणाली का प्रारंभण दिसम्बर, 2017 में किया गया है और वर्तमान में यह सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है।

3. "विभिन्न हाइड्रो विद्युत ढांचों के लिए सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट (एस.एस.सी.) का विकास", को भी पूरा कर लिया गया है। एस.सी.सी. उन स्थानों के

बुजुवां एसएचईपी – यूनिट – 1 का दृश्य

लिए बहुत उपयोगी है जहां दुर्गम स्थल होने, इमारत के बहुमंजिली होने के कारण पारंपरिक तरीके से कंपैक्शन संभव नहीं है। इसी प्रकार मशीन फाउंडेशन और बैकफिल कंक्रीट आदि में भी यह बहुत उपयोगी है।

वर्ष के दौरान तकनीकी शोध पत्र विभिन्न पत्रिकाओं/सम्मेलनों में लिखे गए हैं, प्रकाशित किए गए हैं और प्रस्तुत किए गए हैं। आंतरिक आरएंडडी गतिविधियों के आधार पर एक तकनीकी शोध पत्र "न्यूमेरिकल मॉडलिंग एंड रिवर्स एनालिसिस मेथड फॉर आप्टिमल डिजाइन ऑफ पी.ए.सी. एंड बी.बी.सी. ऑफ टिहरी एच.पी.पी." सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यूरोक 2018 में प्रकाशित/प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ एजेंसियों के सहयोग से निष्पादित की जा रही आर एंड डी परियोजनाओं के परिणाम के आधार पर वर्ष के दौरान 02 शोध पत्र विभिन्न पत्रिकाओं और सम्मेलनों में प्रकाशित किए गए हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर 43.30 मिलियन रूपये का व्यय हुआ था जो वर्ष 2017–18 के "पीएटी" के न्यूनतम 0.5% की तुलना में 0.56% है।

### गुणवत्ता आश्वासन

संयंत्र के उपकरणों द्वारा बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए, आपकी कंपनी के पास एक स्थापित, पूर्ण और केंद्रीकृत गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण (क्यू.ए. एंड आई.) विंग है। इस संबंध में एक आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कार्यशील है जो कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के गुणवत्ता आश्वासनों और निरीक्षण गतिविधियों को कार्यान्वित करती है ताकि विद्युत उत्पादन से जुड़ी सभी इकाइयों की चल रही परियोजनाओं के कार्यस्थलों (टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और कुकयां एसएचईपी) को उपलब्ध कराए जाने वाले सभी उपस्करों तथा अनुषंगी पुर्जों की गुणवत्ता आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुसार सुनिश्चित की जा सके। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भूमिका उपस्कर के प्रत्येक चरण अर्थात, टेंडर डाक्यूमेंट के लिए क्यू.ए. एंड आई. पक्ष के लिए बोली मूल्यांकन, गुणवत्ता समन्वय प्रणाली को अंतिम रूप देने, उप–विक्रेता अनुमोदन, गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं के अनुमोदन, कार्य चरण और अंतिम निरीक्षण, सामग्री प्रेषण अनुमति प्रमाणपत्र (एमडीसीसी) पर है।

इसके अतिरिक्त, क्यू.ए. एंड आई विंग संयंत्रों के उत्थापन और प्रारंभण के अलग–अलग चरणों पर नियमित/आवधिक निरीक्षण कर कार्य स्थल पर उपस्करों के संस्थापन के दौरान किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

दिनांक 31.03.2019 तक विक्रेता अनुमोदन, क्यू.ए.पी. तथा निरीक्षणों के लिए परियोजना–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| परियोजना | उप विक्रेता | विनिर्माण गुणवत्ता योजना | पूर्व–प्रेषण निरीक्षण |
|---|---|---|---|
| टिहरी–पी.एस.पी. | 661 | 91 | 245 |
| वीपीएचईपी | 1628 | 36 | 74 |
| कुकयां | 226 | 100 | 54 |

आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2018–19 तक निम्नलिखित प्रबंधन प्रणाली अधिप्रमाणन प्राप्त हुए है:

- कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश, टिहरी एच.पी.पी, पी.एस.पी., के.एच.ई.पी. कोटेश्वर, वी.पी.एच.ई.पी, पीपलकोटी और कुकयां लघु जल विद्युत परियोजना को आई.एस.ओ. 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आई.एस.ओ. 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) और ओ.एच.एस.ए.एस. 18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्राप्त हुआ है।
- कारपोरेट आई.टी. विभाग, ऋषिकेश को अक्तूबर, 2015 में एस.टी.क्यू.एस. (मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन), नई दिल्ली द्वारा आई.एस.एम.एस. (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) आई.एस.ओ. 27001:2013 प्राप्त हुआ है।

### पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी ने हमेशा उपयुक्त पर्यावरण सुरक्षा उपाय अपनाए हैं ताकि इसके विभिन्न कार्यालयों तथा परियोजना मोर्चों पर इसकी गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने

वाले नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके, न्यूनतम किया जा सके और कम किया जा सके।

आपकी कंपनी जीवों और वनस्पतियों की रक्षा करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने तथा अपने सभी कार्यस्थलों पर सर्वोत्तम पद्धतियों का कार्यान्वयन करने के प्रति समर्पित है। आपकी कंपनी का उद्देश्य अपनी प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का उचित कार्यान्वयन करना है। इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

- 444 मेगावाट की विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के विकास में शामिल निगरानी और पर्यावरण मूल्यांकन और सामाजिक मुद्दों के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों का पांच सदस्यीय पैनल लगाया गया है। ईएंडएस पैनल का तीसरा दौरा अप्रैल, 2017 में हुआ।
- मैसर्स वाप्कोस लि., गुड़गांव और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून को क्रमशः पीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना और जलागम क्षेत्र उपचार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्ष के रूप में लगाया गया है।
- डायरेक्ट्रेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरिस रिसर्च (डीसीएफआर), भीमताल को पीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु लगाया गया है।
- पीपीएचईपी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग को कैमरा ट्रैप उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि परियोजना स्थलों के आसपास उचित वन स्थानों पर उन्हें संस्थापित कर निगरानी रखी जा सके।
- पीपीएचईपी कॉलोनी में लगभग1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में एचआरडीआई, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से एक औषधीय पौधों का उद्यान विकसित किया जा रहा है।
- प्रख्यात पर्यावरणविद श्री जगत सिंह चौधरी ऊर्फ "जंगली" के पर्यवेक्षण में पीपीएचईपी में हरित पट्टी का विकास कार्य शुरू किया गया है। परियोजना क्षेत्र में अब तक कुल 5000 पौधे रोपे गए हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपकी कंपनी को पीपीएचएचईपी की पर्यावरणीय वैधता अवधि में तीन (03) वर्षों अर्थात अगस्त, 2020 तक समय विस्तार दिया गया है।

आपकी कंपनी 1320 मेगावाट के खुर्जा सुपर विद्युत संयंत्र का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें ईआईए–ईएमपी रिपोर्ट के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न पर्यावरण और संरक्षण गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां समरूप आधार पर कार्यान्वित की जानी हैं।

लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष जून, 2015 को कारपोरेट कार्यालय के साथ–साथ सभी परियोजनाओं में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

### जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन :

अधिकतम जल परियोजनाएं हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए स्थान विशिष्ट भौगोलिक खतरा बना रहता है। कंपनी ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन मैनुअल अपनाया है। इस मैनुअल का उद्देश्य कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर एक समान और स्तरीय जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनाना है।

कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन समिति है जिसमें परियोजना के स्थल के सदस्य जोखिम अधिकारी के रूप में शामिल होते हैं, जो प्रत्येक चल रही परियोजना के वित्त और कारपोरेट डिजाइन (सिविल और एच.एम.) विभाग से होते हैं और उन्हें चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कारपोरेट जोखिम प्रबंधन अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत सूचना अलग से कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक– I) में दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुलग्नक– III में प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण – रिपोर्ट में जोखिम के मुख्य तत्व दिए गए हैं।

### सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

टीएचडीसीआईएल में समग्र उत्पादकता तथा कुशलता को सुधारने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी को एक रणनीतिक उपकरण समझा जाता है। हमने उत्पादित की जाने वाली परिसंपत्तियों के इष्टतम प्रयोग, निर्माण परियोजना के विकास में गति देने के लिए विभिन्न साफ्टवेयर सोल्यूशंस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है ताकि इससे संगठन की गुणवत्ता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में सुधार आए।

श्री ए.के. भल्ला, पूर्व सचिव (विद्युत), भारत सरकार श्री डी.वी. सिंह, अ. एवं प्र.नि. टीएचडीसीआईएल के साथ बुकुथां एसएचईपी (24 मेगावाट) के दौरे पर

टीएचडीसीआईएल के पास नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार अवसंरचना हैं। वित्त, मानव संसाधन, खरीद एवं संविदा, माल, परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र प्रचालन एवं ऊर्जा बिक्री अनुरक्षण एवं लेखांकन, गुणवत्ता आश्वासन आदि सभी मुख्य व्यवसायों के कार्य हेतु कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है।

ये सभी कंप्यूटराइज्ड प्रणालियां वेब आधारित हैं तथा इनके द्वारा सभी स्थानों जैसे कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजनाओं, विद्युत केंद्रों से इंटरनेट के माध्यम से एसेस किया जा रहा है। सभी स्थानों पर साफ्टवेयर अनुप्रयोगों की निर्बाध एसेस के लिए डुअल हाई स्पीड इंटरनेट लीज लाइनें मौजूद हैं। इसके साथ ही भुगतानों में पारदर्शिता के लिए विक्रेताओं/ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों की स्थिति का पता लगाने के लिए हमने वेब आधारित बिल ट्रेकिंग प्रणाली भी कार्यान्वित की है। अपनी शिकायतों को दर्ज करने और शिकायतों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जनता के लिए शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की गई है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित मूल्य विवर्धन हासिल किए गए :

- ओपन सोर्स टेक्नोलाजी में नई वेबसाइट विकसित की गई हैं और इसे एनआईसी में क्लाउड एनवायर्नमेंट में डिप्लाय किया गया है। इसमें बहुत सी उन्नत सुविधाएं हैं जैसे डायनेमिक लुक, विद्युत स्टेशनों की निष्पादन रिपोर्ट, परियोजनावार स्थिति रिपोर्ट, परियोजनाओं की सफलता की कहानियां, सीएसआर पोर्टल आदि सुधारयुक्त फीचर्स हैं।
- एफएमएस एप्लीकेशन साफ्टवेयर को भारतीय लेखाकरण मानक के इंड–ए एस अनुरूप बनाया गया है। इसके अलावा, साफ्टवेयर को नए फीचर्स के साथ निरंतर अपग्रेड किया जाता है।
- ई 8 और इससे ऊपर के कार्यपालकों की तिमाही सतर्कता निकासी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास।
- ई 7, ई 8 और ई 9 स्तर के कार्यपालकों के लिए आनलाइन पीएमएस का कार्यान्वयन।
- 'गेट 2018' के माध्यम से अभियंता प्रशिक्षुओं की आनलाइन भर्ती के एप्लीकेशन और कार्यान्वयन का विकास।
- लगातार कार्यकुशलता तथा पत्र, नोट और फाइलों पर व्यक्ति/ अनुभाग/विभाग को कारगर बनाने में सुधार के लिए धीरे–धीरे कागज रहित कार्यालय की दशा में आगे बढ़ने के लिए, टीएचडीसीआईएल में ई ऑफिस (एनआईसी द्वारा विकसित) विभाग को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इससे कार्रवाई करने में होने वाले

श्री डी.पी. सिंह अ. एवं प्र.नि., टीएचडीसीआईएल, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह से वर्ष 2018–19 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए

विलम्ब में कमी आएगी तथा पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित होगी।

- आई.टी. प्रणाली और साफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए साफ्टवेयर एप्लीकेशन तथा आई.टी. अवसंरचना की नियमित लेखा परीक्षा सी.ई.आर.टी.–इन. पैनलबद्ध सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है तथा कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। नए स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षुओं के लिए साइबर सुरक्षा पर एक सत्र आयोजित किया गया है ताकि उन्हें साइबर सुरक्षा के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी जा सके।
- आनलाइन वार्षिक संपत्ति विवरण (ए.पी.आर.) प्रणाली एच.आर.एम.एस. साफ्टवेयर में विकसित की गई है और कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2018 की ए.पी.आर. आनलाइन प्रस्तुत की गई है।
- भिन्न–भिन्न परियोजना के बीच पी.सी. आयोजित करने के लिए कंपनी में सुस्थापित मल्टी प्वाइंट वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली है।
- अधिकांश कर्मचारियों को नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम से युक्त डेस्कटॉप भी दिए गए हैं।
- प्रतिभा प्रबंधन और एग्जिट प्रोसीजर के लिए एच.आर.एम.एस. में नया साफ्टवेयर माड्यूल विकसित कर कार्यान्वित किया गया है।

## पुरस्कार और मान्यताएं

आपकी कंपनी के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए भारत सरकार एवं अन्य प्रतिष्ठित संगठनों तथा संस्थानों द्वारा समय–समय पर इसे विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न पुरस्कारों के रूप में मान्यता एवं सराहना की गई है। टीएचडीसी का प्रयास चहुंमुखी वृद्धि का है जो कि नीचे दिए गए पुरस्कार एवं उपलब्धियों से प्रतिबिम्बित होता है।

- कंपनी को पी.एच.डी. चैम्बर, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01.04.2019 को सीएसआर नवाचार और नेतृत्व पुरस्कार 2019 दिया गया है।
- टीएचडीसीआईएल को टिहरी जिले में सेवा–टीएचडीसी की टेलीमेडिसिन पहल के कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- टीएचडीसीआईएल को पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा 08 से 10 दिसम्बर, 2018 तक देहरादून में आयोजित इसके 43वें सत्र में "एवार्ड फॉर सोशल मीडिया फॉर पी.आर. एंड ब्रांडिंग" प्रदान किया गया है।

यह पुरस्कार उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा श्री विजय गोयल, निदेशक (कार्मिक) को दिनांक 08.12.2018 को प्रदान किया गया।

- टीएचडीसीआईएल को जल विद्युत की सबसे अच्छी कार्य निष्पादन करने वाली संस्था (यूटीलिटी) के लिए "सी.बी.आई.पी. एवार्ड 2019" प्रदान किया गया। यह पुरस्कार श्री आर.के. सिंह, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा श्री एच.एल. अरोड़ा, पूर्व–निदेशक (तकनीकी) और श्री आर. के. विश्नोई, वर्तमान निदेशक (तकनीकी) को दिनांक 04.01.2019 को प्रदान किया गया।
- टीएचडीसीआईएल द्वारा वित्त वर्ष 2018–19 में राजभाषा (हिंदी) को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे "राजभाषा कीर्ति" पुरस्कार (द्वितीय) प्रदान किया गया है। टीएचडीसीआईएल को यह पुरस्कार पी.एस.यू. खंड में तथा राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से श्रेणी "क" क्षेत्र में प्रदान किया गया है। माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने राज्य मंत्री (गृह) भारत सरकार, श्री नित्यानंद राय, सचिव (राजभाषा) भारत सरकार, सुश्री अनुराधा मिश्रा की उपस्थिति में यह सम्मान श्री डी.पी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीआईसीएल को प्रदान किया। इस अवसर पर, टीएचडीसीआईएल की ओर से श्री विजय गोयल, निदेशक (तकनीकी) और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

## मानव संसाधन प्रबंधन

सबसे मूल्यवान संपत्ति जिस पर कोई भी कंपनी भरोसा करती है यह उसका मूल्यवान मानव संसाधन है। कंपनी की ब्रांड छवि बनाने के लिए, रणनीतिक योजना को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी को अत्याधुनिक बढ़त प्रदान करने, संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि मानव एक मुख्य संसाधन है और आपकी कंपनी का प्रयास अपने कर्मचारियों को उनकी केरियर आकांक्षाओं को पूरा करते हुए, व्यावसायिक आवश्यकताओं की प्रदायगी में सक्षम बनाता है। आपकी कंपनी में संगठनात्मक विकास में एक सफल प्रणाली को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो मानव संसाधन के उपयोग को अधिकतम करता है, साथ ही साथ बड़ी व्यावसायिक रणनीतियों के हिस्से के रूप में अन्य संसाधनों का अनुकूलन करता है। 31.03.2019 को आपकी कंपनी की मानव पूँजी 1891 है, जिसमें कार्यपालक 858, पर्यवेक्षक103 और कामगार 903 शामिल हैं। आपकी कंपनी अपने अति प्रेरित और सक्षम मानव संसाधन पर गर्व करती है जिसने कंपनी को अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है।

## प्रशिक्षण और विकास

आपकी कंपनी रणनीति के मानव संसाधन हस्तक्षेप कर अपने कर्मचारियों को व्यापार से जोड़कर उनकी क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करती है। आपकी कंपनी ने तकनीकी, प्रबंधकीय और व्यवहार क्षेत्र के संबंध में 49 आंतरिक समर्पित प्रशिक्षण आयोजित किये हैं। इसके अतिरिक्त, 6371 मानव दिवस प्रशिक्षण के लिए बाह्य नामांकन पलोट किए हैं जो लक्ष्य से 59% अधिक है।

"जन क्षमता परिपक्वता मॉडल के अनुरूप मूल्यांकन स्तर" के एम.ओ.यू. के लक्ष्य पूरा करने के लिए आपकी कंपनी को "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त हुई है। आपकी कंपनी को पी.सी.एम. एम. में स्तर 3 के रूप में निर्णीत और अधिप्रमाणित किया गया है और इसने स्तर 4 अधिप्रमाणन के लिए आगे बढ़ने का विकल्प दिया है।

वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं– 13 सप्ताह का ओ एंड एम प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, नेतृत्व रूपांतरण, सी.एस.आर. के बारे में सुग्राही बनाना, सततता और संचार रणनीतियां, युवा–पीढ़ी को ज्ञान का हस्तांतरण करने के लिए अनुभव साझा करने संबंधी कार्यक्रम, भूमि–अधिग्रहण अधिनियम के बारे में पुनश्चर्या कार्यक्रम, कंपन विश्लेषण तथा उपकरण की स्थिति पर निगरानी, आई.एस.ओ. लीड ऑडिटर पाठ्यक्रम, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, प्राद्रमवेरा प्रशिक्षण इत्यादि।

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को भारत और विदेशों की प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे आई.आई.एम., आई.आई.टी., आई. आई.सी.ए., ए.एस.सी.ए., ए.एस.सी.आई. आदि के लिए प्रायोजित किया गया है।

कर्मचारियों में कार्य–संस्कृति को बढ़ावा देने और मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाने, उत्साह

गणतंत्र दिवस–2019 समारोह

बढ़ाने तथा सकारात्मकता की भावना भरने के लिए टीएचडीसीआईएल के विभिन्न स्थानों पर जाने–माने प्रेरणादायी वक्ताओं के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रेरक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में 48 अभियंता प्रशिक्षुओं (ट्रेड टी) और 12 जेईटी को भर्ती किया है। नए भर्ती किए गए प्रशिक्षुओं के लिए एक व्यापक रूपरेखा कंपनी में निर्बाध रूप से काम शुरू करने के लिए विकसित की गई है ताकि वे, संगठन के उत्पादक और कार्यकुशल सदस्य बन सकें।

आपकी कंपनी आस–पास के क्षेत्र के युवाओं के लिए सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण पहलों और अपने कर्मचारियों के कौशल विकास में निवेश कर रही है। आपकी कंपनी ने उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिष्ठित एक्सीड एचआर गोल्ड एवार्ड, 2018 जीता है जो श्री हरक सिंह रावत, माननीय कैबिनेट मंत्री, वन्य एवं वन्य जीव, पर्यावरण और ठोस अपशिष्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान किया गया।

## कर्मचारी संबंध और कल्याण

आपकी कंपनी के अनवरत तारांकित निष्पादन के पीछे सौहार्दपूर्ण कर्मचारी संबंधों का शक्तिशाली बल है। आपकी कंपनी में कर्मचारी संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। कर्मचारी और प्रबंधन दोनों ही कंपनी के हित के साथ–साथ इसके हितधारकों के हितों को आगे बढ़ाने में एक दूसरे के प्रयासों में सहयोग देते हैं जिससे कंपनी में सद्भाव और सौहार्दपूर्ण कर्मचारी संबंध विशिष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

वर्ष के दौरान टीएचडीसीआईएल की सभी परियोजनाओं/केंद्रों/इकाइयों में कर्मचारी संबंध सौहार्दपूर्ण और समरस बने रहे। प्रबंधकों और कामगारों तथा कार्यपालकों के शीर्ष संघ के बीच लगातार विचार–विमर्श होता रहा। वर्ष के दौरान संगठित बैठकें आयोजित की गई जिनमें कार्य निष्पादन और उत्पादकता संबंधी मामलों पर गहन विचार–विमर्श किया गया। कामगारों के प्रतिनिधियों को संयुक्त प्रबंधन परिषद में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई जिसमें प्रबंधन और कामगारों के समान संख्या में प्रतिनिधियों ने सकारात्मक विचार–विमर्श में भाग लिया। टीएचडीसीआईएल की क्वालिटी सर्कल टीम ने गुणवत्ता संकल्पनाओं के संबंध में मॉडल प्रस्तुत किए जिनकी प्रशंसा हुई और टीएचडीसीआईएल की टीमों ने क्वालिटी सर्किल मीट में 01 अति उत्कृष्ट और 04 उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त किए। इस प्रकार इसने सतत सुधार और सामग्री उन्मुख एप्रोच के प्रति उत्साहवर्धक प्रतिबद्धता प्रमाणित की।

आपकी कंपनी कल्याण संबंधी ऐसी नई नीतियां तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है जिनका उद्देश्य कर्मचारियों के उत्साह और स्वास्थ्य में वृद्धि करना है। आपकी कंपनी ने इस वर्ष के दौरान ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन खेल तथा अंतर–सार्वजनिक उपक्रम खेल आदि अनेक कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की और आईसीपीएसयू के तत्वावधान में आयोजित अनेक खेल कार्यक्रमों में विजेता बनी। इसमें

बैडमिंटन भी शामिल था जिसमें महिला टीम को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। संबंधित क्लबों द्वारा कर्मचारियों की तनाव मुक्ति तथा आपसी संबंधों को बेहतर बनाने हेतु अन्य अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वस्थ सामुदायिक जीवन के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कर दीवाली, होली, दुर्गापूजा, नववर्ष, स्थापना दिवस आदि जैसे विभिन्न त्यौहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं।

कर्मचारियों और उनके परिवारों को लगातार योग का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित और सुयोग्य योगाचार्य प्रतिनियुक्त किए गए हैं। योग दिवस का आयोजन, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक मुद्दों पर कार्यशालाओं की व्यवस्था भिन्न–भिन्न इकाइयों में स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर आदि वर्ष भर चलने वाली अतिरिक्त गतिविधियां थी।

### अ.जा./अ.ज.जा तथा दिव्यांग व्यक्तियों संबंधी पहल

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रुप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने का प्रयास करती रही है। आपकी कंपनी ने अ.जा./अ.ज.जा. कार्मिकों के कल्याण के लिए सरकारी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है तथा उनकी शिकायतों का पूर्णरूपेण समाधान किया है। आंतरिक पदोन्नति और भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी ने खुले विज्ञापन द्वारा अनुसूचित जाति के 05 उम्मीदवारों की वर्ग 'ग' में और अनुसूचित जाति के 06 उम्मीदवारों की वर्ग 'क' में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में तीन उम्मीदवारों और अ. पि. व. श्रेणी के 14 उम्मीदवारों की समूह 'क' में नियुक्ति की। इसमें 01 उम्मीदवार विशेष सक्षम (अस्थि–विकलांग) श्रेणी से भी संबंधित था।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के कार्यान्वयन के अनुपालन में निगम ने अपने अधिकांश भवनों पर रैंप बनवाकर सुगम पहुंच प्रदान की है। आपकी कंपनी सुगम भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित दिशा– निदेशों का पालन कर दिव्यांगजनों के लिए निर्बाध माहौल बनाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। आपकी कंपनी ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों को नामित किया है। भिन्न रूप से सक्षम कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने तथा विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी ने संपर्क अधिकरियों को नामित किया है।

### राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने दिन–प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास किए हैं। आपकी कंपनी का मत है कि हिंदी भाषा में सहयोग एवं राष्ट्रीय उत्साह सृजन करने की शक्ति है। इसलिए आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार एवं सफल कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान परियोजनाओं एवं कारपोरेट कार्यालय में अनेक हिंदी कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ताकि सरकारी काम में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए कर्मचारी प्रोत्साहित हो सकें। सभी कार्यालय आदेश, फार्मेट एवं परिपत्र हिंदी में जारी किए गए। सामग्री, अधिकारिक वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में भी दर्शाई जा रही है। महत्वपूर्ण विज्ञापन और गृह पत्रिकाएं द्विभाषी रूप में हिन्दी और अंग्रेजी में जारी की गईं। वर्ष के दौरान राजभाषा अनुभाग द्वारा 22 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 496 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कम्प्यूटरों/ लैपटॉप में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हिन्दी सॉफ्टवेयर/फॉंट संस्थापित किए गए हैं। कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी टंकण/ आशुलिपि प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। अधीनस्थ कार्यालयों/ यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, हिन्दी पखवाड़ा सहित वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों मे भाग लेकर हिन्दी को बढ़ावा देने में कर्मचारियों को सक्रिय रूप से भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार स्कीमें भी लागू की गई हैं।

आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय में सर्वोत्तम पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय तथा कंपनी की विभिन्न संस्थापनाओं में हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किए हैं जहाँ कर्मचारियों को

लोकप्रिय/साहित्यिक पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं।

आपकी कंपनी 'नराकास' (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) हरिद्वार और टिहरी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रम जैसे छमाही बैठकें आयोजित की गईं। सभी गतिविधियों और कार्यक्रम राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश को नराकास की राजभाषा वैजयंती योजना के अंतर्गत, वर्ष 2018–19 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

वर्ष 2018 के दौरान, कारपोरेट कार्यालय और यूनिटों में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 जन्म शताब्दी के अवसर पर विशेष कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। हिंदी गृह पत्रिका पहले से ही प्रकाशित की जा रही है।

### थिंक ग्रीन गो, ग्रीन पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों को वार्षिक आम सभा के नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने सदस्यों को उनकी पंजीकृत मेल पर भेजने की अनुमति देता है। साथ ही, ऐसे कागजात मूल (दस्तावेजी) रूप में भेजने की भी अनुमति देता है।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के ग्रीन इनिशिएटिव के कार्यान्वयन का समर्थन किया है और शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक रूप से नोटिस और वार्षिक रिपोर्टें भेजी हैं। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति भी कंपनी के सभी शेयर धारकों को इलेक्ट्रानिक रूप में भेजी जा रही हैं।

आपकी कंपनी ने वर्ष, 2016 से संगठन में कागज रहित बोर्ड की शुरूआत की है। बोर्ड और बोर्ड स्तर की समितियों की बैठकों की सभी कार्य सूचियां सभी निदेशकों को डिजिटल रूप में भेजी जाती हैं। फलतः कागज की खपत में भारी कमी हुई है।

इसके अतिरिक्त संगठन में कागज रहित कार्य शुरू करने के लिए भारत सरकार की पहल ई–आफिस वर्ष 2019 में टीएचडीसीआईएल के विभागों के बीच अंतर–संचार के लिए शुरू की गई।

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए ठोस कार्रवाई की है।

टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर ऐसी सूचनाएं होती हैं, जो अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत प्रकाशित की जानी आवश्यक हैं। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, सूचना प्राप्त करने के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने से संबंधित सभी प्रपत्र टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सूचना मांगने वालों से प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों का निपटान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मे सन्निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 136 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थीं और उन्हें समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई थीं।

वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय अधिकारी को 12 अपीलें प्राप्त हुई, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सभी अपीलों का निपटान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में 2 अपीलें दायर की गई और आयोग ने उनका निपटान किया।

### महिला कर्मचारी कल्याण

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारक, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियां गठित की जो महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और ध्यान देने वाला माहौल प्रदान करने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। आपकी कंपनी ने डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) समिति भी गठित की है और यह डब्ल्यूआईपीएस का आजीवन सदस्य है। आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए डब्ल्यूआईपीएस के सदस्यों को नामित किया है। महिला कर्मचारियों के लिए बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वित्त वर्ष 2018–19 में कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

### जन संपर्क पहल / कारपोरेट संचार

आपकी कंपनी का रचनात्मक संचार में दृढ़ विश्वास है तथा विभिन्न हितधारियों को संलग्न करने के लिए नवोन्मेषी और विविध साधनों को अपनाती है। वर्ष 2018–19 के दौरान उत्पादक हस्तक्षेपों के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं।

कंपनी ने सक्रिय एवं विविध सोशल मीडिया उपकरण यथा वैरीफाइड फेसबुक पेज, यू ट्यूब चैनल, ट्वीटर हैंडल विकसित किए हैं और इन मीडिया टूल्स को विद्युत मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं भारत सरकार की माय गवर्नमेंट (सिटीजन एनगेजमेंट प्लेटफार्म) के साथ जोड़ा गया है। आपकी कंपनी ने रोचक सूचनाप्रद सामग्री के साथ इलेक्ट्रानिक पत्रिका (टीएचडीसीआईएल संचार चार्टर) तथा कर्मचारियों के साथ त्वरित गति से वास्तविक संवाद हेतु बल्क मैसेज सेवा विकसित की है। आपकी कंपनी ने वायस काल सर्विस जैसी नई पहल की शुरुआत भी की है।

आपकी कंपनी को पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी आन इंडिया (पीआरएसआई) द्वारा दिनांक 8 से 10 दिसंबर 2018 तक आयोजित अपने 43 वें आल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कान्फ्रेंस में "एवार्ड फार सोशल मीडिया फार पीआर एंड ब्रांडिंग" दिया गया। यह पुरस्कार उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा श्री विजय गोयल निदेशक (कार्मिक) को दिया गया।

आपकी कंपनी ने संचार रणनीति के विकास और कार्यान्वयन हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए मैसर्स परफेक्ट रिलेशंस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को मीडिया सलाहकार के रूप में संलग्न किया है। संविदा दिनांक 02.11.2018 को निर्धारित समय में सफलतापूर्वक पूरी हो गई। विश्व बैंक ने अपने अधिदेश को सफलतापूर्वक पूरा करने लिए टीएचडीसीआईएल की संचार टीम की भूमिका की प्रशंसा की।

आपकी कंपनी ने विभिन्न कार्यशालाएं नामतः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों के साथ–साथ निगम के प्रमुख कार्यपालकों के लिए मीडिया वर्कशाप आयोजित की। क्षमता निर्माण एवं संस्थानिक सशक्तीकरण (सीबीआईएस) के अंतर्गत सीएसआर तथा जनसंपर्क से जुड़े कार्मिकों के लिए सीएसआर एवं कम्युनिटी आउटरीच कार्यशाला का आयोजन किया।

आपकी कंपनी ने मीडिया गोल मेज सम्मेलन बुलाया जिसमें निगम की उपलब्धियां मीडिया कार्मिकों के साथ साझा की गई थीं। आपकी कंपनी ने भारत सरकार के प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आपके निगम ने हितधारकों की आउटरिच में संलग्नता हेतु नवाचारी और विषय माध्यमों को अपनाया है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान टीम कारपोरेट कम्युनिकेशन के उत्पादक हस्तक्षेपों के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं :

1. **कम्युनिटी आउटरीच** – निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (कार्मिक) ने दिनांक 06.12.2018 को एक मीडिया गोल मेज सम्मेलन बुलाया जिसमें उन्होंने मीडिया कार्मियों के साथ निगम की उपलब्धियां साझा की। टीम कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन / टीएचडीसीआईएल ने भारत सरकार के प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2. **आउटलाइन इंटरव्यू सिरीज** : निगम के संचार विभाग ने आउटलाइन इंटरव्यू सिरीज "आज की मुलाकात आप के साथ / लेट अस टॉक" शुरू की है।

3. **दृश्य सामग्री** : टीम कारपोरेट कम्यूनिकेशन का उद्देश्य दृश्य सामग्री में वृद्धि करना है। टीएचडीसी की उपलब्धियों, सीएसआर हस्तक्षेप, कल्याण पहलें आदि से संबंधित प्रतिमाह 01 वीडियो की दर से 12 वीडियो इन हाउस बनाई गई है और टीएचडीसी के आधिकारिक यू–ट्यूब चैनल पर अपलोड की गई है।

4. **प्रकाशन** : कारपोरेट कम्यूनिकेशन ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले :

   - गृह पत्रिका गंगातरण के 4 त्रैमासिक अंक
   - पुनर्वास और पुनर्स्थापन–टिहरी बांध और अन्य जल विद्युत परियोजनाएं
   - टीएचडीसी हाइड्रो–टेक
   - द्विभाषी टीएचडीसी प्रोफाइल और ब्रोशर
   - टिहरी बांध तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन पर पुस्तक

32 वें स्थापना दिवस का उत्सव

### सतर्कता गतिविधियां :

सतर्कता प्रभाग ने कार्यात्मक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए निवारक और अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। निष्ठा का माहौल बनाने तथा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सिस्टम में मूल्यों को जोड़ने के लिए निवारक सतर्कता की रणनीति बनाकर उसका कार्यान्वयन किया जाता है। निवारक सतर्कता के दृष्टिकोण में अनेक प्रकार के उपाय जैसे नियमों और नीतियों की समीक्षा विशेष रूप से प्रापण और भर्ती, जागरूकता से जुड़े कदम तथा विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों पर बल देना आदि शामिल हैं।

निवारक सतर्कता के भाग के रूप में सीटीई टाइप नियमित जांच / औचक निरीक्षण किए गए हैं। पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार की संभावना पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित विभाग के परामर्श से सिस्टम को सुप्रवाही बनाया जा रहा है।

- जांच और अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय–सूची का कुल मिलाकर पालन किया गया।
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और एचओबी (सीबीआई) देहरादून से परामर्श कर वर्ष के लिए तैयार की गई सूची की समीक्षा कर उसे अंतिम रूप दिया गया है। वर्ष के दौरान संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची को भी अंतिम रूप दिया गया है।
- प्रणालीगत त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को सूचित किया जा रहा है।
- ई–सुशासन
  - पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आनलाइन शिकायत प्रणाली विकसित और नियोजित की गई है। यू आर एल http://www.thdc.co.in के माध्यम से सतर्कता एमआईएस सिस्टम और शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम मार्च, 2015 से प्रचालन में है।
  - विद्युत मंत्रालय और टीएचडीसीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन के अनुपालन में वरिष्ठ कार्यपालकों

(एजीएम और उनसे ऊपर) के लिए ऑन लाइन तिमाही सतर्कता समाशोधन के लिए लिंक टीएचडीसीआईएल में विकसित एवं नियोजित की गई है।

- ई–भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। शत प्रतिशत संविदात्मक भुगतान इलेक्ट्रानिक ढंग से किए जाते हैं। तदनुसार निविदा दस्तावेजों में शर्तें रखी जा रही है।
- कर्मचारियों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरणी आनलाईन प्रस्तुत की जा रही है।

**प्रणालीगत सुधार:–** जाँच/ अन्वेषण के दौरान कुछ मुद्दे जानकारी में आते हैं। इन मुद्दों से बचा जा सकता था, यदि संबंधित कार्यपालक ने अधिक सावधानी से पारदर्शी निर्णय लिया हो। सुव्यवस्थित सुधार के रूप में ऐसे मुद्दे/ मामले सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाते हैं ताकि भविष्य में गलतियाँ न दोहराई जाएं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2018:–** टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा 29.10.2018 से 03.11.2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसका विषय "भ्रष्टाचार हटाओ नया भारत बनाओ" था। कर्मचारियों में सतर्कता की भावना पैदा करने के लिए "क्या करें, क्या न करें एवं प्रणालीगत सुधार" पर एक बुकलेट प्रकाशित की। पोस्टर्स/ बैनर्स आन एंटी– करप्शन, सूचना प्रदाता तंत्र और निष्ठा की शपथ से संबंधित पीडीपीआई दिशानिर्देशों पर भारत सरकार के संकल्प को प्रकाशित कर प्रदर्शित करने के लिए टीएचडीसीआईएल के सभी अधिकारियों में वितरित किया। ऋषिकेश, टिहरी और पीपलकोटी स्थित स्कूलों में सत्यनिष्ठा क्लब स्थापित किए गए थे और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सत्यनिष्ठा क्लब के सदस्यों के बीच विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

## सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदारी

वर्ष 2018–19 के दौरान टीएचडीसी ने अपनी कुल वार्षिक खरीदारी की 36.27% वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी एमएसई से की है। इसमें उन मदों/ उपस्करों/ सेवाओं के मूल्य शामिल नहीं है जो या तो मूल उपस्कर विनिर्माता(ओईएम) प्रोपाइटरी उपस्कर और/या एमएसई द्वारा विनिर्मित नहीं किए गए हैं/उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीदारी का ब्यौरा, जो कि सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करना जरूरी है, इस प्रकार है :

| क्रम. सं | विवरण | आंकड़े रुपए (करोड़ में) वर्ष 2018–19 |
|---|---|---|
| I | कुल वार्षिक प्रापण ( मूल्य में)* | 26.3411 |
| II | एमएसई (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित) से प्रापण किए गए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम | 9.5537% |
| III | अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण किए समान एवं सेवाओं का कुल दाम | 0.0489 |
| IV | कुल प्रापण में से (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) एमएसई से प्रापण का प्रतिशत | 36.27% |
| V | कुल प्रापण में से अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत | 0.19% |
| VII | क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय की वार्षिक प्रापण योजना अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। | जी, हां। |

*इसमें सामान एवं सेवाओं का प्रापण शामिल है।

सतत आजीविका एवं सामुदायिक विकास केन्द्र, टीएचडीसीआईएल, ऋषिकेश में श्री विजय गोयल, निदेशक (कार्मिक) के द्वारा (i) संविदा श्रम प्रबंधन पुस्तिका – अंक – 2 एवं (ii) अनुशासनिक प्रक्रिया–विधि–पुस्तिका का विमोचन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के समन्वय से विक्रेता विकास हेतु विशेष कार्यक्रम भी संचालित किए गए। सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों (एमएसईएस) के खरीदारी हेतु मदों सहित वार्षिक खरीद योजना को टीएचडीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। टीएचडीसीआईएल की ओर से खरीदारी योजना के कार्यान्वयन और समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय को इससे अवगत कराया गया।

## संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाएं और प्रबंध

वित वर्ष 2018–19 में कंपनी ने अपने किसी संबद्ध पक्ष के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) और इस अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड(ज) के अनुपालन में और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) में संदर्भित संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटन निम्नलिखित हैं :–

| विवरण | ब्यौरा |
|---|---|
| आर्म्स लैंथ आधार को छोड़कर संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का ब्यौरा | शून्य |
| आर्म्स लैंथ आधार पर संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का ब्यौरा | शून्य |

## कारपोरेट सुशासन

आपकी कंपनी ने अच्छे कारपोरेट सुशासन संव्यवहार अंगीकार करने का प्रयास किया है। आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र पारदर्शिता और निष्पक्षता, समयबद्ध और संतुलित प्रकटन, वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा, पर्यावरण के प्रति नैतिक और उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय लेने की बाध्यता, हितधारकों के अधिकार और हितों के संरक्षण पर आधारित है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनिमय 2015, लोक उपक्रम विभाग के द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट सुशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट जिसमें लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और अन्य बोर्ड स्तर की समितियों के कार्य एवं दायरा अनुलग्नक–। के अनुसार संलग्न है।

डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालनार्थ पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र भी संलग्न है।

### कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सततता विकास (एसडी)

आपकी कंपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा सामाजिक एवं पर्यावरण सततता के लिए जागरूक है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सीएसआर नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सीएसआर एवं सततता नीति 2015 प्रारंभ की है। तदनुसार, पूर्ववर्ती 03 वर्षों के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया गया है।

सभी सीएसआर परियोजनाओं पर बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) द्वारा विचार किया जाता है तथा बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (बीएलसी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। सीएसआर परियोजना के कार्यान्वयन से पहले गतिविधियों की प्राथमिकताओं के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाता है।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान सेवा द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर 17.52 करोड़ रू. का व्यय किया गया जो पूर्ववर्ती तीन वर्षों के निवल लाभ के 2% से अधिक है। कुल व्यय में टीएचडीसीआईएल का अंशदान 17.35 लाख रू. है।

सीएसआर पर विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक–।। संलग्न है।

### प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसरण में प्रबंधन संबंधी विचार–विमर्श और विश्लेषण के बारे में एक विशेष रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक–।।। में संलग्न है।

### ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण अनुलग्नक–IV में दिया गया है।

### व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अच्छी कारपोरेट सुशासन पद्धति व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन संबंधी मुद्दों पर कंपनी द्वारा की गई पहलों का प्रकटीकरण अनुलग्नक–V में दिया गया है। यह रिपोर्ट व्यावहारिक आचरण संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश के अनुसार संशोधित सिद्धांतों (एनजीआरबीसी) पर आधारित है। एनजीबीआरसी को स्वैच्छिक प्रकटन बनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित कर व्यापार में सहायता देने के लिए तैयार किया गया है।

### वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार अनुलग्नक–VI में दिया गया है। इसे यूआरएल https://thdc.co.in/sites/default/files/AnnualReport2017-18English.pdf पर देखा जा सकता है।

### निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अनुसरण में निदेशक एतदद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू रखा है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचान करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालनीय है।

(च) निदेशकों ने कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी रूप से प्रचालनरत थीं।

### सांविधिक प्रकटन

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

- वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।
- विनियामकों या न्यायालय द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेश पारित नहीं किए गए थे जिससे चालू कारोबार और कंपनी के भावी प्रचालनों की स्थिति पर प्रभाव पड़े।
- वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों की संख्या, विचारार्थ विषय और संरचना के संबंध में जानकारी, सतर्कता तंत्र/ सूचना प्रदाता नीति (व्हिसिल ब्लोअर नीति) और वेब लिंक की स्थापना, निदेशकों की प्रशिक्षण नीति, संबद्ध पक्षकार के लेन देन के महत्व तथा संबद्ध पक्षकार के साथ व्यवहार और महत्वपूर्ण राजसहायता निर्धारण करने संबंधी नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को क्षतिपूर्ति, स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में भाग लेने का शुल्क आदि कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट में दिया गया है जिसे समय–समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में तैयार किया जाता है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (11) के अनुसरण में अपने सामान्य व्यापारिक कार्य के सिलसिले में कंपनियों का वित्त पोषण करने या अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करने में संलग्न कंपनी द्वारा दिये गए ऋण, दी गई गारंटी कंपनी पर लागू नहीं होते इसलिए किसी प्रकार का प्रकटन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उनके अंतर्गत बनाए गए नियम जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित है, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते इसलिए किसी प्रकार का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं।
- वित्त वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च, 2019 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता घटित नहीं हुई है जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।
- कंपनी के निदेशकों को या कंपनी के किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।
- सतर्कता मामले, लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों के उत्तर तथा सूचना का अधिकार से जुड़े मामलों से संबंधित ब्योरे आदि को इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए जाते हैं।

### अन्य प्रकटीकरण

#### आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण है। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया तथा प्रचालन अथवा डिजाईन में कोई कमी नहीं पाई गई।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक अर्थात मैसर्स पी डी अग्रवाल ऐंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कंपनी में वित्तीय रिपोर्ट के संबंध में ठोस एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और धोखाधड़ी को रोकने और इसका पता लगाने के लिए कंपनी में पर्याप्त नीतियां मौजूद हैं।

#### ऋणों तथा दी गई गारंटी, किए गए निवेश तथा दी गई प्रतिभूतियों के विवरण

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 (उपधारा 1 के अतिरिक्त) की धारा 186 जो लिए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा प्रदत्त प्रतिभूतियों से संबंधित है, उन कंपनियों पर लागू नहीं है जो अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

#### कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित आदेश का महत्व एवं वस्तु स्थिति का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या अधिकरण द्वारा कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं

प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण एवं तथ्यपरक आदेश पारित नहीं किया गया है।

## लागत रिकार्ड का रख–रखाव

आपकी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अंतर्गत लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है।

## स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशक, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) में स्वतंत्र निदेशकों के बारे में निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं तथा प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से धारा 149(7) के अंतर्गत आवश्यक घोषणा प्राप्त हो गई है।

## निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अलग बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–IV के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए कार्य की समीक्षा की। इसमें बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन भी शामिल है।

## लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

### सांविधिक लेखा परीक्षक

सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सी एंड ए जी के दिनांक 16.08.2019 के पत्र क्रमांक सीएवी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, टिहरी(1)/722 के द्वारा मैसर्स पीडी अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 364 ए, गोविंदपुरी, हरिद्वार – 249403 को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत यथापेक्षित सांविधिक लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक का भुगतान नियत करने के लिए प्रस्ताव वार्षिक आम सभा की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

### सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में बिना शर्त (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी शून्य हैं।

### भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों सहित संलग्न है।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने वार्षिक लेखाओं के संबंध में शून्य टिप्पणियां दी हैं, तदनुसार प्रबंधन का उत्तर शून्य है।

### लागत लेखा परीक्षक एवं लागत लेखा परीक्षक रिपोर्ट

मैसर्स एस.सी. मोहन्ती एवं एसोशिएट, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली , मैसर्स के.जी. गोयल एंड एसोशिएट, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली एवं मैसर्स के. बी. सक्सेना एवं एसोशिएट, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली को लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। मैसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स और मैसर्स के. बी. सक्सेना एंड एसोसिएट्स को 60,000 रु. के पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया है जबकि मैसर्स एस.एन. मोहंती एंड एसोसिएट्स ,लागत और प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली को 50,000 रु. के पारिश्रमिक पर कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अधीन क्रमशः टिहरी यूनिट, कोटेश्वर यूनिट और जल विद्युत परियोजनाओं के लागत लेखांकन रिकॉर्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। उपरोक्त नियुक्त किए गए लागत लेखा परीक्षकों में से मैसर्स के.पी. गोयल एंड एसोसिएट, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार मुख्य लागत लेखा परीक्षक हैं।

लागत लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई संदेह या शर्त नहीं लगाई है।

### सचिवालयी लेखापरीक्षा

वर्ष 2018–19 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में मैसर्स पीएसआर मूर्ति, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव ने की है। कंपनी ने

सभी सचिवालयी प्रावधानों का अनुसरण किया है और चूक के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट अनुलग्नक–VII के रुप में संलग्न है।

### डिबेंचर ट्रस्टी

आपकी कम्पनी द्वारा जारी किए गए कारपोरेट बांड के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

| ट्रस्टी का नाम और पता |
|---|
| विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व आईएल एवं एफएस ट्रस्ट कम्पनी लिमिटेड)<br>ए–268 प्रथम तल, भीष्म पितामह मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली – 110024 |

### आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालयों, विभागों/बोर्ड, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं और निवेशकों से प्राप्त सतत सहयोग और समर्थन हेतु उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है। बोर्ड अपने बहुमूल्य ग्राहकों, प्रादेशिक विद्युत बोर्डों तथा डिस्काम्स एवं हमारे परामर्शी कार्यों के अन्य मूल्यवान ग्राहकों की विशेष सराहना करता है।

आपके निदेशकगण सभी हितधारकों, व्यापारिक भागीदारों एवं टीएचडीसी के सभी सदस्यों को बोर्ड में उनके विश्वास, निष्ठा एवं भरोसा रखने के लिए धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशक गण, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से प्राप्त रचनात्मक सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनके द्वारा दिए गए निरंतर सहयोग व सहायता के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशक टीएचडीसीआईएल के सभी स्तरों के कर्मचारियों की उनके समर्पित प्रयासों व उत्साह के प्रति सराहना करते हैं जिन्होंने कंपनी को निरंतर आगे बढ़ाना जारी रखा तथा इसका विस्तार किया जाना सुनिश्चित किया है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

दिनांक : 27.09.2019
स्थान : नई दिल्ली

# कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट

# कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

कारपोरेट सुशासन कंपनी के विभिन्न हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के बारे में है। कम्पनी का मानना है कि कारपोरेट सुशासन कम्पनी के वास्तविक स्वामी के रूप में पणधारियों का अहस्तांतरणीय अधिकार है।

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कारपोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है। कंपनी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। हमारी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी कारपोरेट शासन मापदण्डों द्वारा कारपोरेट सुशासन के क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सेबी (एलओडीआर) विनियामक, 2015 के प्रावधानों का पालन करने के अतिरिक्त हम लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन पर जारी दिशानिर्देशों का भी पालन करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 एवं लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत अपेक्षित कारपोरेट सुशासन की अच्छी पद्धतियों को लागू करने के लिए कंपनी प्रयासरत एवं आकांक्षी है। कंपनी लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सभी कारपोरेट सुशासन दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर रही है। कारपोरेट सुशासन से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए डीपीई द्वारा कंपनी को वर्ष 2018–19 के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है।

## 1. कारपोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा का संक्षिप्त विवरण

हमारी कारपोरेट संरचना, व्यापार एवं प्रकटन पद्धतियां हमारी कारपोरेट सुशासन विचारधारा से जुड़ी हैं। कम्पनी के कारपोरेट सुशासन सिद्धांत सभी संगत एवं लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं और उनका पालन किया जाता है। हमारा मत है कि बेहतर कारपोरेट सुशासन हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिए ठोस कारपोरेट सुशासन महत्वपूर्ण है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं कि हम अपने व्यावसायिक लक्ष्य निष्ठा से प्राप्त करें। हमारी कम्पनी की कारपोरेट सुशासन नीति का मूलभूत प्रयोजन पणधारियों एवं अन्य भागीदारों के लिए विवेक एवं अभिज्ञता की कारपोरेट संस्कृति को जारी रखना है।

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित है:

- पारदर्शिता और निष्पक्षता
- समयबद्ध और संतुलित प्रकटन
- मूल्यवर्धन में बोर्ड की भूमिका तथा जिम्मेदारियां
- वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा
- नीतिपरक तथा उत्तरदायी निर्णय लेने को बढ़ावा देना
- पर्यावरण के प्रति दायित्व
- हितधारकों के अधिकार और हित
- अनुपालन

निदेशक मंडल को कम्पनी प्रबंधन, इसके मामलों और कम्पनी के निदेशन एवं निष्पादन का सम्पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। निदेशक मंडल, कम्पनी अधिनियम, 2013, एओए, डीपीई और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों जो कम्पनी पर लागू हों, के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य करता है। टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल होते हैं। निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियां इस धारणा, इरादे एवं प्रयोजन के साथ पुनः विभिन्न कार्यपालकों को उप–प्रत्यायोजित की गई हैं कि इससे निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का निर्धारित नीतिगत ढांचे में निर्बाध, शीघ्र एवं दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन हो सके। टीएचडीसीआईएल ने सामान एवं सेवाओं की

खरीद के लिए मानक नीति एवं प्रक्रियाओं को भी तैयार कर लागू किया है जिससे प्रक्रिया–विधि को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी तथा आसान बनाकर उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के साथ शीघ्र और विकेंद्रित रूप से निर्णय लिया जा सके।

रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजनाएं और बजट, आंतरिक नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग की निष्ठा, कंपनी के प्रचालनों के विभिन्न पहलुओं संबंधी पारदर्शिता और पूर्व प्रकटन पर जोर देने सहित सम्प्रेषण नीति तथा सभी सांविधिक/विनियामक आवश्यकताओं सहित इसका पूर्ण अनुपालन और इनका वित्तीय तथा समग्र अनुपालन संबंधी प्रणालियां न केवल सैद्धान्तिक रूप से बल्कि वास्तविक रूप से भी विद्यमान हैं।

वर्ष 2018–19 के लिए कारपोरेट सुशासन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं की शर्तों का अनुपालन निम्नवत है:–

## 2 निदेशक मंडल

### 2.1 बोर्ड का आकार

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें 75 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति की है तथा 25 प्रतिशत इक्विटी शेयर होलडिंग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की है। कंपनी के कारोबार का अधीक्षण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करते हैं जो सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

### 2.2 बोर्ड की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का आदर्श संयोजन है। इसके साथ–साथ यह भी निर्धारित है कि निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यपालक और गैर कार्यपालक के निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए। वर्तमान में निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वंतत्र निदेशक शामिल हैं। टीएचडीसीआईएल निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित चार प्रकार्यात्मक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित एक निदेशक तथा तीन स्वंतत्र निदेशक हैं। निदेशक, बोर्ड को व्यापक अनुभव और कौशल प्रदान करते हैं। निदेशकों का संक्षिप्त परिचय वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

### 2.3 निदेशकों की आयु–सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से सेवा समाप्त हो जाने पर ये सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। स्वंतत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

### 2.4 निदेशकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

नए निदेशक की भर्ती के समय उनके नाम एक अभियादन पत्र दिया जाता है जिसके साथ निदेशक के रूप में निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों एवं दायित्वों का ब्यौरा होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और अन्य लागू विनियमों के अंतर्गत उनसे अपेक्षित अनुपालनों के अलावा, कंपनी के निदेशकों और प्रबंधन से संगत सूचनाएं (प्रकटन) ली जाती हैं।

कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए एक प्रशिक्षण नीति तैयार की है जिसका लक्ष्य नेतृत्व गुणों को प्रखर बनाना तथा निदेशकों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और अनुभवों को साझा करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना है जो क्रमिक रूप से नए निदेशकों को, कंपनी, इसके संचालन, कंपनी के विभिन्न प्रभागों और उनकी भूमिका व जिम्मेदारियों, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं तथा कंपनी से संबंधित अन्य संगत और महत्वपूर्ण सूचनाओं से परिचित कराता है।

वर्ष 2018–19 के निदेशकों की नियुक्ति और समाप्ति

| | | |
|---|---|---|
| श्री टी. वेंकटेश,<br>उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक | नियुक्ति | 14.05.2018 |
| श्री डी पी सिंह, निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार | निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार | 01.09.2018 |
| श्री बच्ची सिंह रावत, | पुनः नियुक्ति | 22.12.2018 |
| श्री मोहन सिंह रावत | पुनः नियुक्ति | 22.12.2018 |
| प्रो. महाराज के. पंडित | पुनः नियुक्ति | 22.12.2018 |

## 2.5 बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड की 6 बैठकें हुई थीं। बैठकों की तिथि, बोर्ड के सदस्यों की संख्या और उपस्थिति निदेशकों की संख्या का विवरण तालिका–1 में दिया गया है:

तालिका–1: वर्ष 2018–19 आयोजित बोर्ड की बैठकों के विवरण :

| क्र. सं. | बोर्ड की बैठकों की तिथि | बोर्ड के सदस्यों की संख्या | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 15 मई, 2018 | 8 | 8 |
| 2. | 10 अगस्त, 2018 | 9 | 8 |
| 3. | 28 सितंबर, 2018 | 8 | 7 |
| 4. | 13 नवंबर, 2018 | 8 | 7 |
| 5. | 27 फरवरी, 2019 | 8 | 7 |
| 6. | 15 मार्च, 2019 | 8 | 6 |

वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशकों की श्रेणियों, बोर्ड की ऐसी बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित थे, पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशक पद/समिति की सदस्यता की संख्या से संबंधित ब्यौरा तालिका–2 में दिया गया है :

तालिका–2 निदेशकों की श्रेणियों तथा उनके द्वारा धारित निदेशक पद तथा समिति में धारित पद संबंधी विवरण :

| क्र. सं. | निदेशक गण | आलोच्य अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या | बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति | पिछली ए.जी.एम. में उपस्थित | अन्य धारित निदेशक पद | अन्य पद | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | अध्यक्ष | सदस्य |
| प्रकार्यात्मक निदेशक | | | | | | | |
| 1. | श्री डी पी सिंह, (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार | 6 | 6 | उपस्थित | - | - | - |
| 2. | श्री श्रीधर पात्रा निदेशक (वित्त) (31.08.2018 तक) | 2 | 2 | एजीएम के दौरान निदेशक नहीं | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | एच. एल. अरोड़ा, निदेशक (तकनीकी) (22.12.2017 से 31.08.2019 तक) | 6 | 6 | उपस्थित | - | - | - |
| 4. | विजय गोयल,निदेशक (कार्मिक) | 6 | 6 | उपस्थित | - | - | - |
| सरकार द्वारा नामित निदेशक | | | | | | | |
| 5. | श्री राजपाल, (30.08.2017 से) | 6 | 6 | उपस्थित | 2 | - | - |
| 6. | श्री टी. वेंकटेश (14.05.2018 से) | 5 | 0 | उपस्थित नहीं | - | - | - |
| स्वतंत्र निदेशक | | | | | | | |
| 7. | श्री बच्ची सिंह रावत | 6 | 5 | उपस्थित | - | - | - |
| 8. | श्री मोहन सिंह रावत | 6 | 6 | उपस्थित | - | - | - |
| 9. | प्रो0 महाराज के. पंडित | 6 | 6 | उपस्थित | - | - | - |

2.6 निर्देशकों के पारिश्रमिक एवं प्रकटन :

आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसलिए बोर्ड पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के बारे में निर्णय नहीं लेता है। सरकार द्वारा पदेन हैसियत में नामित अंशकालिक निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। स्वंतत्र निदेशकों को बोर्ड तथा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 20,000 रू. प्रति सीटिंग की दर से शुल्क का भुगतान किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसार बोर्ड द्वारा बैठक शुल्क नियत किया जाता है।

वर्ष 2018–19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के लिए किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा तालिका 3 में दिया गया है:

तालिका 3: स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के लिए किए गए भुगतान का ब्यौरा

| स्वतंत्र निदेशकों के नाम | बैठक शुल्क (रुपये में) | | | | कुल (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | बोर्ड की बैठक | लेखा परीक्षा समिति की बैठक | पारिश्रमिक समिति की बैठक | सी.एस.आर. एवं सतत विकास समिति की बैठक | |
| श्री बच्ची सिंह रावत | 1,00,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 2,60,000 |
| श्री मोहन सिंह रावत | 1,20,000 | 80,000 | शून्य | 20,000 | 2,20,000 |
| प्रोफेसर महाराज के. पंडित | 1,20,000 | 80,000 | 40,000 | शून्य | 2,40,000 |

कंपनी के पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदशकों, मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2018–19 में भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा:

तालिका 4: पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

| निदेशकों का नाम | पदनाम | वेतन एवं भत्ते | बोनस/ कमीशन' | निष्पादन संबद्ध वेतन (पी.आर.पी.) | सकल योग |
|---|---|---|---|---|---|
| श्री डी.वी. सिंह | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार सहित | 4656569 | - | 3347855 | 8004424 |
| श्री एच.एल.अरोड़ा | पूर्व–निदेशक (तकनीकी) | 6643752 | - | 1414980 | 8058732 |
| श्री विजय गोयल | निदेशक (कार्मिक) | 4481674 | - | 1152369 | 5634043 |
| श्री श्रीधर पात्रा (31.08.2018 तक) | पूर्व–निदेशक (वित्त) | 2431503 | - | 550349 | 2981852 |
| श्री जे. बेहरा | मुख्य वित्त अधिकारी | 3778175 | - | 996840 | 4775015 |
| सुश्री रश्मि शर्मा | कंपनी सचिव | 1621508 | - | 335243 | 1956751 |

**2.7 केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) टीएचडीसीआईएल नियम, 2014 के अनुसार निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक होने चाहिए, तदनुसार टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोनिर्दिष्ट किए हैं।

1. श्री डी.वी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री जे. बेहेरा, प्रमुख वित्त अधिकारी
3. श्रीमती रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव

**2.8 बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया–विधियां:**

i) **निर्णय लेने की प्रक्रिया:** कंपनी ने दिशा–निर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कारपोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इन दिशा–निर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

ii) **बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयन:**

- बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियां, प्रबंधन रिपोर्टें तथा अन्य स्पष्टकारी विवरण आमतौर पर सदस्यों के मध्य पर्याप्त समय देते हुए सामान्यतः 07 दिन पूर्व परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सकें।
- अति आवश्यक मामलों में बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होने पर अल्पावधि नोटिस पर बैठकें बुलाई जाती है या परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- जब कार्यसूची के साथ अधिक मात्रा में दस्तावेजों का संलग्न करना व्यावहारिक न हो तो ऐसे कागजात बैठक के दौरान पटल पर रखे जाते है।
- संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यसूची से संबंधित कागजात परिचालित किए जाते हैं।
- कार्यसूची के मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्यगण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।
- बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारियां

होती है। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार की जाने वाली मदों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

iii) बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:

प्रत्येक बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मसौदे को बैठक के बाद पन्द्रह दिन के भीतर सभी सदस्यों को उनकी अभ्युक्तियों हेतु परिचालित किया जाता है। निदेशक कार्यवृत्त के मसौदे पर इसके परिचालन की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी अभ्युक्तियां देते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों की तुलनात्मक शीट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की कार्यवाही का अनुमोदित कार्यवृत्त, कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत अभिलिखित किया जाता है।

iv) अनुवर्ती तंत्र:

बोर्ड द्वारा जारी निदेशों को नियमित रूप से संबंधित विभागों को संप्रेषित किया जाता है एवं बोर्ड के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है जिससे अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा करने में सहायता मिलती है।

v) अनुपालन:

हमारा प्रयास है कि विधि, नियम एवं दिशा–निर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी अधिनियम, 2013 (जिस सीमा तक ये लागू हैं), सेबी विनियमन एवं दिशा–निर्देश, विभिन्न कानूनों के तहत सूचीबद्ध करार एवं सांविधिक अपेक्षाओं के सभी लागू प्रावधानों का कंपनी अनुपालन सुनिश्चित करती है। निदेशक मंडल समय–समय पर उसके समक्ष प्रस्तुत विधायी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

vi) निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाएं:

- वार्षिक परिचालन योजना, बजट और संगत अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट तथा संगत अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- बड़े निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उपक्रम और रणनीतिक गठजोड़।
- खरीदारी/कार्य/नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए ठेकों से संबंध में तिमाही सूचना।
- परियोजना की प्रगति रिपोर्ट की स्थिति।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट।
- निदेशकों की उनके निदेशक पद के बारे में रूचि का प्रकटीकरण।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के प्रस्ताव या बड़े ठेके अवार्ड करना।
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन एवं उसके कारणों सहित पद्धतियां।
- लागू कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार बोर्ड की सूचना या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

## 3. निदेशक मंडल की समितियां:

वर्तमान में कंपनी में बोर्ड की निम्नलिखित तीन उप–समितियां हैं:

i) लेखापरीक्षा समिति

ii) पारिश्रमिक समिति

iii) सीएसआर तथा सततता संबंधी समिति

कंपनी सचिव, बोर्ड की उप–समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

### 3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति गठित की है। लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति (कोरम), विस्तार क्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग, भारत

सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप होते हैं। लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां तथा विचारार्थ विषय कारपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हैं।

### 3.1.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे तथा लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:

दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संरचना तालिका 5 में दी गई है:

तालिका 5 : लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां

| क्रम सं. | सदस्य का नाम | सदस्य की श्रेणी |
|---|---|---|
| 1. | श्री बच्ची सिंह रावत | स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष |
| 2. | श्री मोहन सिंह रावत | स्वतंत्र निदेशक – सदस्य |
| 3. | प्रोफेसर महाराज कृष्ण पंडित | स्वतंत्र निदेशक – सदस्य |
| 4. | श्री एच. एल. अरोड़ा | निदेशक (तकनीकी) – सदस्य (31.08.2019 तक) |

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

### 3.1.2 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन का निरीक्षण करना ताकि वित्तीय विवरणों को सही, पर्याप्त और विश्वसनीय होना सुनिश्चित किया जा सके।
- कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं के लिए संविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और इस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना:
  - लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में होने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों, तथा उसके कारण;
  - प्रबंधन द्वारा निर्णय की कवायद पर आधारित मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां जिनमें अनुमान भी शामिल हैं;
  - लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण समायोजनों को वित्तीय विवरणों में शामिल करना;
  - वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन; और
  - किसी भी संबद्ध पार्टी के लेन–देन का प्रकटन; तथा
  - ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।
  - बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए तिमाही वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।
  - प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक लेखा परीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर समीक्षा करना।
  - लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता तथा कार्य निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी।
  - कंपनी के सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन–देन पर उत्तरवर्ती संशोधन अथवा अनुमोदन।
  - अन्तर–कारपोरेट ऋणों तथा निवेशों की संवीक्षा।
  - कंपनी के दायित्व एवं सम्पत्तियों का, जहां आवश्यक हो, मूल्यांकन।
  - आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

- आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा/अथवा लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी उल्लेखनीय निष्कर्ष के बारे में चर्चा करना तथा उस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- जिन मामलों में जालसाजी का संदेह हो, अनियमितता की गई हो या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां उल्लेखनीय ढंग से असफल हुई हों, उन मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों/ लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गई आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा बोर्ड को उसकी जानकारी देना।
- भुगतान के मामले में हुई गंभीर चूकों के कारनामे का पता लगाना।
- सूचना प्रदाता तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
- नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई लेखापरीक्षा टिप्पणी पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- कंपनी में होने वाले सभी सम्बद्ध पार्टी लेन–देनों का पूर्व–अनुमोदन य समीक्षा करना।
- कार्यक्षेत्र व्याप्ति की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी तथा सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा प्रयासों के समन्वय पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।
- प्रबंधन तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार तथा समीक्षा करना:
- कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता।
- प्रबंधन के प्रत्युत्तर सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों के सम्बद्ध निष्कर्ष तथा सिफारिशें।

- प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार तथा समीक्षा करना:
  - पूर्व लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान के महत्वपूर्ण निष्कर्ष।
- कार्यक्षेत्र अथवा अपेक्षित सूचना तक पहुंच में किसी प्रकार के प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना होना।

### 3.1.3 लेखा परीक्षा समिति की शक्तियां:

अपनी भूमिका के अनुरूप, लेखापरीक्षा समिति शक्तियों का प्रयोग करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लेखापरीक्षा समिति को यह अधिकार होगा कि यह ऊपर विनिर्दिष्ट अथवा बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी भी मामले की जांच कर सकेगी तथा इस उद्देश्य के लिए कंपनी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर उसकी पूरी पहुंच होगी।
- किसी भी कर्मचारी के बारे में तथा उससे सूचना मांगना।
- यदि आवश्यकता पड़े तो बाहर से कानूनी अथवा अन्य पेशेवर सलाह लेना।
- यदि आवश्यक हो तो, संगत विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति मांग सकते हैं।
- किसी भी मामले पर लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड विचार करेगा।

### 3.1.4 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना की समीक्षा करेगी:

- प्रबंधन के विचार–विमर्श तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम;
- महत्वपूर्ण सम्बद्ध पार्टी लेन–देन (लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित), प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विवरण;
- प्रबंधन के पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण की कमियों से संबंधित पत्र;
- आंतरिक नियंत्रण की कमियों से सम्बद्ध आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

### 3.1.5 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2018–19 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गयीं। आयोजित बैठक से संबंधित ब्यौरा तालिका 6 में दिया है:

तालिका 6: वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे

| क्र.सं. | लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तारीख | सदस्यों की संख्या | उपस्थित सदस्यों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 10 अगस्त , 2018 | 4 | 4 |
| 2. | 28 सितंबर , 2018 | 4 | 4 |
| 3. | 13 नवंबर , 2018 | 4 | 4 |
| 4. | 27 फरवरी ,2019 | 4 | 4 |

वर्ष 2018–19 में लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा तालिका–7 में दिया गया है।

तालिका 7: लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा

| क्र. सं. | लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के नाम | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | भाग ली गई बैठकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री बच्ची सिंह रावत | 4 | 4 |
| 2. | श्री मोहन सिंह रावत | 4 | 4 |
| 3. | प्रो. महाराज के. पंडित | 4 | 4 |
| 4. | श्री एच. एल. अरोड़ा | 4 | 4 |

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के विशेष आमंत्रिती के रूप में लेखा परीक्षा की बैठकों में निरपवाद रूप से भाग लिया।

### 3.2 पारिश्रमिक समिति

कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों, लिस्टिंग करार और सेबी (लिस्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर की आवश्यकता) विनियम, 2015 के अनुसार, निर्धारित सीमा के भीतर वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय वेतन पूल तथा कार्यपालकों एवं गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों में वितरण संबंधी नीति के बारे में विचार करने तथा निर्णय लेने के लिए पारिश्रमिक समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया गया। पारिश्रमिक समिति में तीन सदस्य शामिल हैं। सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणी तालिका 8 में दी गई है:

तालिका 8: पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां :

| क्र.सं. | सदस्यों के नाम | सदस्यों की श्रेणी |
|---|---|---|
| 1. | श्री बच्ची सिंह रावत | स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. महाराज के. पंडित | स्वतंत्र निदेशक–सदस्य |
| 3. | श्री राज पाल | भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक–सदस्य |

निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

#### 3.2.1 बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान पारिश्रमिक समिति की तीन बैठक आयोजित की गईं। पारिश्रमिक समिति की जिन बैठकों में सदस्यगण शामिल हुए थे, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

तालिका 9: पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी उपस्थिति

| क्र.सं. | पारश्रमिक समिति के सदस्य | सदस्यों की श्रेणी | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठक | भाग ली गई बैठकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री बच्ची सिंह रावत | अध्यक्ष | 3 | 3 |
| 2. | प्रो. महाराज के. पंडित | सदस्य | 3 | 2 |
| 3. | श्री राज पाल | सदस्य | 3 | 3 |

निदेशक (कार्मिक) ने विशेष आमंत्रिती के रूप में बैठक में भाग लिया।

### 3.3 सीएसआर तथा सततता समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा सीएसआर तथा सततता नीति– 2015 के अनुसार आपकी कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड ने बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति का गठन किया है।

#### 3.3.1 संरचना

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर तथा सततता समिति की संरचना तालिका 10 में दी गई है:

तालिका 10: सीएसआर तथा सततता समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां:

| क्र.सं. | सदस्यों के नाम | सदस्यों की श्रेणी |
|---|---|---|
| 1. | श्री मोहन सिंह रावत | स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष |
| 2. | श्री बच्ची सिंह रावत | स्वतंत्र निदेशक–सदस्य |
| 3. | श्री श्रीधर पात्रा (31.08.2018 तक) | प्रकार्यात्मक निदेशक–सदस्य |
| 4. | श्री एच. एल. अरोड़ा | प्रकार्यात्मक निदेशक–सदस्य |

कार्यपालक निदेशक (एस एंड ई), नोडल अधिकारी होने के नाते समिति में स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

#### 3.3.2 बैठकें तथा उपस्थिति

वित्त वर्ष 2017–18 में सीएसआर तथा सततता समिति की एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक का ब्यौरा तालिका 11 में दिया गया है:

तालिका 11: सीएसआर तथा सततता समिति की बैठक तथा उपस्थिति:

| क्र.सं. | सीएसआर तथा सततता समिति की बैठक की तारीख | सदस्यों की संख्या | उपस्थित सदस्यों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 10 अगस्त, 2018 | 4 | 4 |

तालिका 12: सीएसआर एवं सततता समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा:

| क्र.सं. | समिति के सदस्यों के नाम | कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री मोहन सिंह रावत | 1 | 1 |
| 2 | श्री बच्ची सिंह रावत | 1 | 1 |
| 3 | श्री श्रीधर पात्रा (31.08.2018 तक) | 1 | 1 |
| 4 | श्री एच. एल. अरोड़ा | 1 | 1 |

#### 3.3.3 सीएसआर तथा सततता समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति कंपनी के सीएसआर–एसडी कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग पर नजर रखती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएसआर तथा सतत परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।
- आवधिक सीएसआर–एसडी प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।
- सीएसआर–एसडी गतिविधियों की मानीटरिंग करना।
- सीएसआर–एसडी परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।
- अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए।

### 4. आम सभा की बैठकें

जिस तारीख, समय तथा स्थान पर पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकें आयोजित की गई थीं, उन्हें तालिका 13 में दर्शाया गया है।

तालिका 13: पिछली तीन वार्षिक आम सभा के ब्यौरे:

| वार्षिक आम सभाएं | 28 सितंबर, 2018 को आयोजित 30वीं वार्षिक आम सभा की बैठक | 20 सितंबर, 2017 को आयोजित 29वीं वार्षिक आम सभा की बैठक | 26 सितंबर, 2016 को आयोजित 28वीं वार्षिक आम सभा की बैठक |
|---|---|---|---|
| समय | अपराह्न 2:00 | अपराह्न 12:45 | अपराह्न 12:30 |
| स्थान | टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामाह मार्ग, नई दिल्ली | टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामाह मार्ग, नई दिल्ली | टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ऋषिकेश |
| विशेष कार्य | • वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।<br>• सुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी बॉंड प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर जारी करना। | • वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना। | • वित्त वर्ष 2016–17 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।<br>• सुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी बॉंड प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर जारी करना। |

## 5. प्रकटन

### 5.1 सतर्कता तंत्र

कंपनी का अलग सतर्कता विभाग है जो टीएचडीसीआईएल के साथ व्यवसाय कर रहे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं या अन्य पक्षों के कर्मचारियों/प्रतिनिधियों से संबंधित धोखाधड़ी या संदिग्ध मामलों पर कार्रवाई करता है।

कंपनी में अनैतिक/अनुचित आचरण की जानकारी देने और इसकी जांच करने और दुरस्त करने के लिए एक परिभाषित एवं स्थापित सचेतक नीति (सतर्कता तंत्र) है। सचेतक नीति, कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर उपलब्ध है। इस नीति के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान सचेतक नीति के अधीन कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके अतिरिक्त किसी भी कर्मचारी को टीएचडीसीआईएल की लेखा परीक्षा समिति के पास जाने से वंचित नहीं किया गया है।

### 5.2 सेबी (दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाओं की लिस्टिंग) विनियम, 2015 एवं कारपोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश:

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन पर जारी स्टाक एक्सचेंज एवं दिशानिर्देश के साथ लिस्टिंग करार की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। वर्ष के दौरान कंपनी पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया या निंदा नहीं की गई।

5.3 लेखाकरण व्यवहार – प्रबंधन के दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लागू भारतीय लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया।

### 5.4 बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए) ने दिनांक 5 जून, 2015 के सामान्य परिपत्र द्वारा सरकारी कंपनियों को 178(2) के प्रावधानों से मुक्त कर दिया है जो निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समितियों और नामित किए गए निदेशक तथा परिश्रमिक समिति के निष्पादन मूल्यांकन के तौर–तरीके के बारे में प्रावधान करते हैं। एमसीए के उपरोक्त परिपत्र में सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को 134 (3) (पी) के प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है जिसमें इसके अपने और इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशक के निष्पादन की बोर्ड द्वारा औपचारिक मूल्यांकन की रीति को बोर्ड की रिपोर्ट में उल्लेख किए जाने का प्रावधान है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के

मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है जो प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभारी हो या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार अपनी मूल्यांकन प्रणाली से मूल्याकंन करती है। इस संबंध में लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) ने सभी कार्यात्मक निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली निर्धारित की है। डी पी ई ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि टीएचडीसी प्रति वर्ष भारत सरकार से समझौता ज्ञापन कार्यान्वित करता है जिसमें कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन प्राचल शामिल होते हैं। एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के लक्ष्यों को अलग कर व्यक्तियों के निष्पादन मूल्यांकन का अभिन्न अंग बनाया जाता है। आंतरिक एम ओ यू में सभी प्रचालनात्मक और निष्पादन प्राचल जैसे संयंत्र निष्पादन और कार्यकुशलता, वित्तीय लक्ष्य, लागत कमी लक्ष्य, पर्यावरण, कल्याण, सामुदायिक विकास और अन्य संगत कारक शामिल होते हैं। कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन, लोक उद्यम विभाग द्वारा भारत सरकार के साथ किए गए एम ओ यू की तुलना में किया जाता है।

### 5.5 स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक

टीएचडीसीआईएल बोर्ड में इस समय तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 27 फरवरी, 2019 को आयोजित की गई थी जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे। स्वतंत्र निदेशकों ने बैठक में निम्नलिखित मदों पर चर्चा की:

- गैर–स्वतंत्र निदेशकों तथा पूरे बोर्ड के निष्पादन की समीक्षा
- कंपनी के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा
- कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचनाओं के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा तथा सीमावधि का मूल्यांकन करना।

### 5.6 निवेशकों के लिए सूचना

#### 5.6.1 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट बांड निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है:

| बीएसई लिमिटेड | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड |
|---|---|
| पता: फिरोज जीजीभोय टावर्स,<br>दलाल स्ट्रीट, मुंबई–400001<br>आईएसआईएन: आईएनई812यी07013 | पता: एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा<br>(पूर्व) ,मुंबई–400051<br>आईएसआईएन: आईएनई812यी07013 |

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क 31 जुलाई, 2019 से पहले दोनों स्टॉक एक्सचेंजो को भुगतान किया गया है।

#### 5.6.2 रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजेंट्स

कार्वे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
कार्वे सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32
गाछीबाउली,
फाइनेंनसियल जिला, नानकर्मगुडा,
हैदराबाद–500 032

#### 5.6.3 डिबेंचर ट्रस्टी

विस्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
ए–268, प्रथम तल, भीष्म पितामह मार्ग,
नई दिल्ली –110014
मो.नं. 919619105439
ईमेल– Sanjay.Dodti@vistra.com

### 5.6.4 निवेशक की शिकायतें

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी निवेशक की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

### 5.6.5 केंद्रीयकृत वेब आधारित निवारक प्रणाली–स्कोर्स

सेबी की केंद्रीयकृत वेब आधारित शिकायत निवारक प्रणाली अर्थात स्कोर्स कंपनी में प्रयोग में लाई जाती है। स्कोर्स के माध्यम से बांडधारक कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत निवारण के लिए दर्ज करा सकते हैं। दर्ज कराई गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि शिकायतों का समुचित रूप से निपटान किया गया है तो सेबी द्वारा शिकायतों का निपटारा कर दिया जाता है।

### 5.6.6 अनुपालन अधिकारी का नाम तथा पदनाम

सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव सूचीकरण अनुबंध के खंड 6 की मद में अनुपालन अधिकारी है।

## 6. लाभांश का भुगतान

| वर्ष | वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रदत्त लाभांश की कुल राशि (करोड़ में) | वार्षिक आम सभा की तारीख जिसमें लाभांश घोषित किया गया |
|---|---|---|
| 2016-17 | 221 | 20 सितंबर 2017 |
| 2017-18 | 256.10 | 28 सितंबर 2018 |
| 2018-19 | 423.12 | अंतरिम लाभांश |
| 2018-19 | 126.00 | अंतिम लाभांश, 27 सितंबर, 2019 |

*इसमें डी.आई.पी.ए.एम. के अनुसरण में वर्ष 18–19 के दौरान भुगतान किया गया 84.36 करोड़ रुपये शामिल हैं।

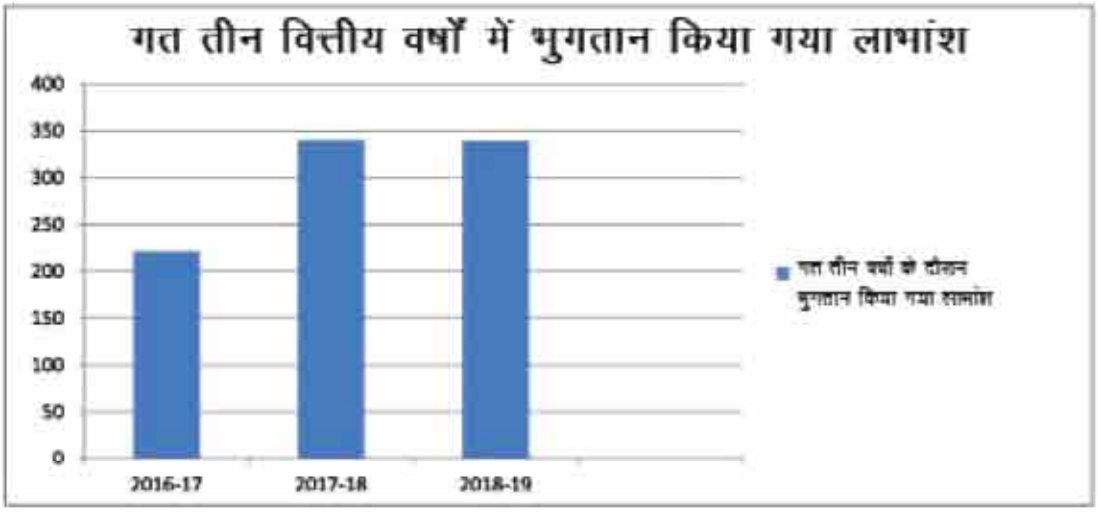


शेयरधारक प्रतिमान:

| क्र. सं. | श्रेणी | कुल शेयर | इक्विटि का % |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 27199417 | 74.42 |
| 2 | उत्तर प्रदेश के राज्यपाल | 9349400 | 25.58 |
| 3 | अन्य नाममात्र के शेयरधारक | 10 | 0 |

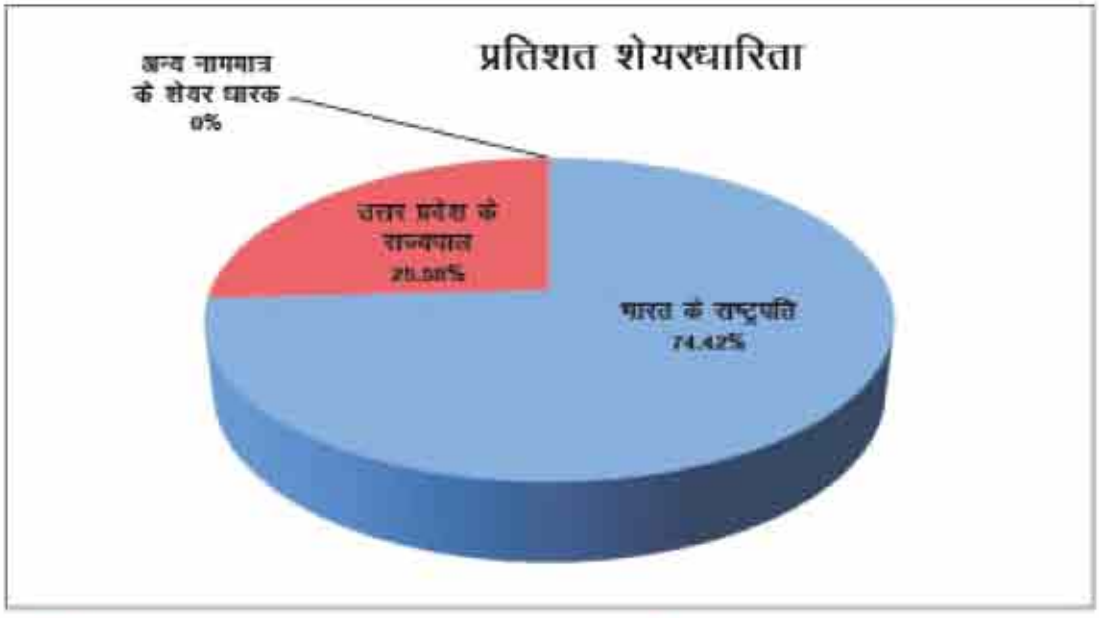


### 7. सचेतक नीति

कंपनी में निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक मूल्यों के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सचेतक नीति है। यह कर्मचारियों को उत्पीड़न से सुरक्षोपाय देता है जो इस तंत्र का लाभ उठाकर अध्यक्ष या लेखा परीक्षा समिति तक भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षक समिति से संपर्क करने के लिए मना नहीं किया गया है। नीति में धोखाधड़ी को रोकने के लिए तंत्र भी शामिल है।

- इसमें सद्भावपूर्वक सचेत करने वाले कर्मचारियों की उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
- जानबूझ कर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- कंपनी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

### 8. शिकायत निवारण तंत्र

संगठन की उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने तथा कार्य की संतुष्टि में वृद्धि के लिए कर्मचारियों की शिकायत का शीघ्र निपटारा करने हेतु आसान और सुलभ व्यवस्था करने के उद्देश्य से डीपीई दिशानिर्देश के क्रम में शिकायत निवारण समिति गठित की गई है।

### 9. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने जून, 2012 में "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" अपनाया। इस मैनुअल से यह अभिप्रेत है कि यह निगम में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में एकरूप और स्रोत जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखे। 'जोखिम प्रबंधन योजना' के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए मैनुअल के अनुसार वित्त, नियोजन, परिकल्पना इत्यादि से सदस्यों को लेकर जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है। जोखिम प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

नियमों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जा रही है। "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" में उल्लेख किए गए अनुसार प्रत्येक परियोजना ने जोखिम रजिस्टर खोला है और जोखिम वाले कार्यकलापों के समन्वय के लिए नोडल जोखिम अधिकारी नामित किया है। जोखिम की किसी घटना के होने पर उसका रिकार्ड "जोखिम अनुभव रजिस्टर" में रखा जा रहा है, जिसमें भविष्य में जोखिम की घटना में कमी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कंपनी द्वारा समय-समय पर कंपनी के जोखिम प्रबंधन की समीक्षा की जाती है। बोर्ड भी नियमित आधार पर जोखिम प्रबंधन की समीक्षा करता है।

### 10. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसी ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है। कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी और अपेक्षित स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है।

### 11. संचार का माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारकों से वार्षिक रिपोर्ट, आम सभा, समाचार पत्र एवं वेबसाइट के जरिए संवाद करती है। सूचीबद्ध करार एवं सेबी (लिस्टिंग ओबलिगेशन एंड डिवलोजर रिक्वायरमेंट) विनियामक, 2015 के अनुसार कंपनी के आयधिक वित्तीय परिणाम विनिर्दिष्ट समय में घोषित किए जाते हैं। ये परिणाम राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते है। कंपनी ने कर्मचारियों के साथ–साथ जनता को भी सामग्री उपलब्ध कराते हुए अपनी आधिकारिक वेबसाइट बनाई है। कंपनी के बारे में सभी तथ्यपूर्ण जानकारी वेबसाइट (www.thdc.co.in) पर होस्ट की गई है। कंपनी के विषय में जानकारी, नवीनतम अद्यतन एवं घोषणाएं इसकी वेबसाइट www.thdc.co.in से प्राप्त की जा सकती है। जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं –

- वार्षिक वित्तीय परिणाम
- शेयरधारक प्रतिमान
- कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट
- स्टॉक एक्सचेंज को समय–समय पर की गई कारपोरेट घोषणाएं।

कंपनी की अधिकारिक न्यूज विज्ञप्ति, अन्य प्रेस की जानकारी, निवेशकों या विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियां भी इसकी वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं।

### 12. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

आपकी कंपनी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत इसका संसदीय निरीक्षण भी किया जा सकता है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आपकी कंपनी की लेखाओं का परीक्षण की दृष्टि से लेखापरीक्षा करते हैं तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कंपनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

### 13. कारपोरेट आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने अच्छे कारपोरेट सुशासन पहल के भाग के रूप में कारपोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों में अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम व्यावसायिक नैतिकता, अच्छे सुशासन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मानक को स्थापित करना है।

### 14. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कंपनी कार्य व्यवहार के नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है और लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है। कंपनी में बोर्ड सदस्यों जिसमें सरकार द्वारा नामित सदस्य सहित स्वतंत्र निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिक शामिल हैं, के मामलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में नैतिकता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के मद्देनजर निदेशकों एवं इसके वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (संहिता) के लिए आचार संहिता लागू है। निदेशक मंडल ने कंपनी के मिशन और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंपनी के विजन और नैतिक मूल्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों

को संचालित करने में आचार नीति तथा पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है।

बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से व्यापारिक आचार संहिता और नैतिकता वार्षिक पुष्टि मांगी जाती है। बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन अर्थात प्रमुख कार्यपालकों ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है।

**डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा**

बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

### कारपोरेट सुशासन प्रमाण पत्र

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

### 15. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
प्रगतिपुरम, बाईपास रोड,
ऋषिकेश–249201
उत्तराखंड

पत्राचार के लिए फोन न. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए है

| | |
|---|---|
| कंपनी सचिव | सुश्री रश्मि शर्मा |
| कार्यालय से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं. | 0135-2439309,<br>फैक्स - 0135-2439442 |
| ई–मेल | rashmi@thdc.co.in |
| सार्वजनिक शिकायतों के लिए | श्री आर. एन. सिंह, अपर महाप्रबंधक (एस पी)/ निदेशक, लोक शिकायत |
| संपर्क | 0120-2776490,<br>Fax - 0120-2776433 |
| ई–मेल | rnsingh@thdc.co.in |

# पी.एस.आर.मूर्ति
# पेशेवर कंपनी सचिव
# सी.पी. 13090

## वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कारपोरेट सुशासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल,
टिहरी–249 001

मैंने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) सीआईएन. यू45203यूआर1988जीओआई009822 द्वारा मई, 2010 में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जारी दिशा–निर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है। टीएचडीसी इंडिया लि., ऋण प्रतिभूतियों के लिए सूचीबद्ध है और भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी अंशभागिता के साथ भारत सरकार का उपक्रम है।

1. कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकार की गई प्रक्रिया विधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

2. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। जहां तक बोर्ड की संरचना का संबंध है महिला निदेशक की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के पास लंबित है।

3. मेरा आगे यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में और न ही यह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

हस्ता./–
(पी.एस.आर. मूर्ति)
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 11 सितंबर, 2019

# कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

स्वच्छ भारत अभियान के लिए पहल

# कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

## कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कारपोरेट मामले मंत्रालय / डीपीई द्वारा जारी नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर नीति–2015 मौजूद है। तथापि, अप्रैल, 2014 से अंतराल अवधि के दौरान नए नियमों / दिशानिर्देशों का पालन किया गया था।

दिशानिर्देशों के आधार पर वार्षिक सीएसआर बजट औसतन 15 से 20 करोड़ के बीच होता है—— सीएसआर के प्रति टीएचडीआईएल का दृष्टिकोण दीर्घकालिक सतत विकास पर निर्भर है। सीएसआर क्रियाकलापों की योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि टीएचडीसीआईएल के प्रचालन स्थान और संसाधन क्षमताओं के आधार पर लाभ छोटी से छोटी इकाई अर्थात गांव, पंचायत, ब्लॉक या जिले तक पहुँचना सुनिश्चित किया जा सके।

सीएसआर के कार्यों का कार्यान्वयन कंपनी द्वारा प्रायोजित "सेवा–टीएचडीसी एवं टीएचडीसी शिक्षा समिति" नामक एनजीओ के माध्यम से किया जा रहा है।

### सेवा–टीएचडीसी

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने सीएसआर के कार्यान्वयन एवं कंपनी के सततता क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन "सेवा–टीएचडीसी" कंपनी प्रायोजित गैर सरकारी संगठन का गठन किया है। सेवा–टीएचडीसी ने 2009–10 से कार्य आरंभ किया है। इस समिति के लक्ष्य एवं उद्देश्य परोपकारार्थ एवं गैर लाभकारी हैं। इसकी प्रबंधन समिति में 07 सदस्य हैं जो टीएचडीसीआईएल द्वारा मनोनीत इसके कर्मचारी हैं। कंपनी के सीएमडी, इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं।

### टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस)

सोसाइटी का गठन इसकी परियोजना द्वारा प्रभावित जनसंख्या के बच्चों और टिहरी एवं ऋषिकेश जैसे पिछड़े जिलों के सीमांत और वंचित सामज को शिक्षा देने के लिए



नागनी (चंबा), टिहरी में कम्प्यूटर केंद्र

किया गया है। वर्तमान में इस समिति (टीईएस) के तत्वावधान में दो स्कूल चल रहे हैं एक भागीरथीपुरम, टिहरी जो छठी से 12वीं तक शिक्षा प्रदान कर रहा है और दूसरा स्कूल प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में है जो पहली से 10वीं तक शिक्षा प्रदान कर रहा है।

## 1.1 संस्थागत तंत्र

### बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति

टीएचडीसीआईएल ने बोर्ड की चार सदस्यीय सीएसआर समिति का गठन किया है। एक स्वतंत्र निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी सचिव, सीएसआर समिति के सचिव हैं।

सीएसआर समिति, कंपनी अधिनियम/भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों द्वारा परिभाषित भूमिका एवं दायित्वों के अनुसार कार्य करती है और सीएसआर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और संबंधित मुद्दों की चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें रहती हैं।

### बोर्ड से निचले स्तर की समिति

सीएसआर एवं सततता कार्यों की अध्यक्षता करने वाले महाप्रबंधक/ईडी स्तर के अधिकारी जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, को इसका नोडल अधिकारी मनोनीत किया जाता है। बीबीएलसी के अन्य सदस्य इसके विभिन्न प्रकार्यात्मक विभागों से होते हैं। सीएसआर एवं सततता विकास के क्षेत्र में स्वतंत्र विशेषज्ञ, संगठन के बाहर से भी बीबीएलसी में नामांकित किए जाते हैं।

नोडल अधिकारी बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति में स्थायी विशेष आमंत्रित होता है।

## 1.2 योजना

### 1.2.1 संसाधन

पिछले अंतिम तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा किए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% इसके सीएसआर एवं सततता नीति के अनुपालन में खर्च होता है। खर्च से बची राशि व्यपगत नहीं होती है और अगले वित्तीय वर्ष के अग्रेनीत हो जाती है। बजट एवं वार्षिक सीएसआर एवं सततता योजना सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है।

### 1.2.2 सीएसआर कार्यक्रम का चयन

सीएसआर कार्यक्रम का चयन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित है। टीएचडीसीआईएल सीएसआर पहलों का शीर्षक "टीएचडीसी सहृदय" (मानव हृदय के साथ कारपोरेट)है। मुख्य क्षेत्र जहां टीएचडीसीआईएल, सीएसआर कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य पूरा करना चाहती है उनके शीर्षक निम्नलिखित हैं:

- टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य)–पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल परियोजनाएं
- टीएचडीसी जागृति (बेहतर भविष्य के लिए पहलें)– शिक्षा पहलें
- टीएचडीसी दक्ष (कौशल)– जीविका सृजन एवं कौशल विकास पहलें।
- टीएचडीसी उत्थान (प्रगति)– ग्रामीण विकास
- टीएचडीसी समर्थ (सशक्तीकरण)– सशक्तीकरण करने वाली पहलें
- टीएचडीसी सक्षम (सक्षम)– वृद्ध एवं विकलांगों की देखभाल
- टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण)– पर्यावरण संरक्षण पहले।

जहां तक संभव हो, सीएसआर कार्यक्रम टीएचडीसी की सीएसआर संचार नीति का अनुसरण करते हुए परियोजना मोड में चलाए जाते हैं।

### 1.2.3 स्थान एवं लाभार्थियों का चयन

सीएसआर एवं सततता परियोजना कार्यक्रमों की वरीयता स्थानीय क्षेत्र को दी जाती है अर्थात् (i) कंपनी संयत्र/परियोजना/क्रियाकलापों के निकट स्थान एवं (ii) व्यापक भौगोलिक क्षेत्र जो कंपनी के व्यापार प्रचालनों और क्रियाकलापों से सीधे रूप से प्रभावित हो।

## 1.3 कार्यान्वयन

सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्यतः सेवा–टीएचडीसी एवं टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से किया जाता है जो कंपनी द्वारा प्रायोजित/स्थापित पंजीकृत समितियां हैं। सीएसआर कार्यक्रमों के प्रचालन टीएचडीसीआईएल की परियोजनाओं।एककों द्वारा सीधे रूप से भी किया जाता है।

## 1.4 निगरानी

सीएसआर कार्यक्रमों की पारदर्शिता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित दर्शित

माध्यमों का उपयोग करके एक मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है।

i. मासिक प्रगति रिपोर्ट

ii. तिमाही प्रगति रिपोर्ट

iii. वीडियो कांफ्रेंसिंग

iv. स्थल भ्रमण

v. फोटोग्राफी, फिल्म तथा वीडियो सहित प्रलेखी साक्ष्य

vi. आंतरिक निगरानी तंत्र, जैसा कि सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

vii. निगरानी के लिए तृतीय पक्ष की भी नियुक्ति की जाती है।

### 1.5 रिपोर्टिंग

सीएसआर एवं सततता के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट, बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद ही बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

वार्षिक रिपोर्ट में भी सीएसआर एवं सततता रिपोर्ट शामिल होती है जिसमें अधिनियम/नीति में यथा विनिर्दिष्ट विवरण शामिल होते हैं और उक्त कंपनी की वेबसाइट पर भी दर्शाए गए हैं। सततता पहलों के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण भी सीएसआर पर बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल होता है।

वार्षिक सततता रिपोर्ट भी 'टीएचडीसीआईएल' सीएसआर संप्रेषण योजना के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है एवं दर्शाई जाती है।

### 1.6 प्रभाव आंकलन

5.00 लाख रूपए से अधिक सभी पूर्ण सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों का प्रभाव आंकलन विशेषज्ञता प्राप्त बाहरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है और सफलता/असफलता वाली रिपोर्ट भी बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति के समक्ष रखी जाती है।

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान चलाई गई सीएसआर परियोजनाओं का सिंहावलोकन

   टीएचडीसीआईएल इसकी सीएसआर एवं सततता योजना को इसकी व्यापारिक योजना एवं रणनीतियों के साथ एकीकृत करती है। इन क्रियाकलापों की योजना अग्रिम रूप से तैयार की जाती है। लक्ष्य विभिन्न उपलब्धियों पर निर्धारित किए जाते हैं जिसमे आवंटित बजट में अपेक्षित संसाधनों की मात्रा का पूर्वानुमान और वांछनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए निश्चित समय–सीमा निर्धारित की जाती है। इसके सरल क्रियान्वयन के लिए लंबी अवधि की सीएसआर एवं सततता योजनाओं को मध्यम एवं लघु अवधि में श्रेणीबद्ध किया जाता है। यह कंपनी सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं के लिए ऐसे पणधारियों को प्राथमिकता देती है जो इसके प्रचालनों से सीधे प्रभावित होते हैं सीएसआर क्रियाकलाप, टीएचडीसीआईएल की सीएसआर योजना के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

   सकारात्मक सततता परिवर्तन लाने के लिए दीर्घावधि में कोई लाभ न देने वाली टुकड़ों–टुकड़ों में छोटी–मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थान पर टीएचडीसीआईएल लक्षित समुदायों के समग्र विकास पर ध्यान देता है। महिलाओं का शोषण रोकने के लिए महिला सशक्तिकरण, खेती तथा बागवानी कार्यों में हस्तक्षेप से आय अर्जन, स्वयं सहायता समूहों के पुनर्चक्रण निधि के माध्यम से आय अर्जन, चल–खाल (तालाबों) के जीर्णोद्धार/निर्माण करके पारंपरिक पारिस्थितिकीय ज्ञान को बढ़ाया, जल संरक्षण संरचनाओं को बढ़ाया, क्षमता विकास हेतु पारंपरिक जल–मिलों का आधुनिकीकरण, ईंधन, चारा और औषधीय वृक्षों का रोपण, स्वास्थ्य संरक्षित पेय जल की उपलब्धता, स्वच्छता सुविधाएं (आर्थिक रूप से कमजोर, एससी/एसटी तथा ओबीसी वर्ग को) शिक्षा को बढ़ाया, कंप्यूटर एवं सिलाई में कौशल प्रशिक्षण, स्थानीय आईटीआई की सहायता सहित रोजगार सृजन, पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना, परिस्थितिकीय संतुलन आदि समग्र विकास में शामिल हैं।

2. बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का गठन इस प्रकार है:

   - श्री मोहन सिंह रावत, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
   - श्री बच्ची सिंह रावत, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
   - श्री विजय गोयल, निदेशक (कार्मिक) – सदस्य

कंपनी सचिव, सीएसआर समिति के सचिव है।

3. कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ : 867.58 करोड़ रुपए

4. निर्दिष्ट सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद का 2 प्रतिशत) : 17.35 करोड़ रुपए

5. वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

   (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि: 17.52 करोड़ रुपए

   (ख) व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो: शून्य

   (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को खर्च करने के तरीके: परिशिष्ट – I के अनुसार

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत या उसके किसी भाग को खर्च करने में नाकाम रही है, तो कंपनी को बोर्ड की रिपोर्ट में राशि खर्च न कर पाने का कारण देना होगा।

   टीएचडीसीआईएल ने सीएसआर पर पूर्ववर्ती तीन वर्ष के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक व्यय किया है। इसलिए कोई औचित्य अपेक्षित नहीं है।

   सीएसआर समिति का उत्तरदायित्वपूर्ण कथन है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर के उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है।

| हस्ताक्षर<br>(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) | हस्ताक्षर<br>(सीएसआर समिति के अध्यक्ष) |
|---|---|

परिशिष्ट – I

# वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियां

## टीएचडीसी जागृति – शिक्षा विकास

शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार–सृजन का महत्वपूर्ण भाग मानते हुए निम्नानुसार विभिन्न उपाए किए गए।

### टीएचडीसी शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे ऋषिकेश तथा टिहरी विद्यालयों के माध्यम से शिक्षाः

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में टीएचडीसीआईएल जरूरतमंद बाहरी हितधारकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने एवं योगदान करने के लिए दो विद्यालय चला रहा है, एक भागीरथीपुरम, टिहरी में जो छठी से बारहवीं कक्षा तक तथा दूसरा प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में है जो पहली से दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान कर रहा है। ये विद्यालय टीएचडीसीआईएल शिक्षा समिति (टीईएस) के अंतर्गत पिछड़े तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संचालित किए जा रहे है। विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दियां, पुस्तकें तथा लेखन सामग्री, बस सेवा के साथ "नैवैद्यम" योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। इन स्कूलों को चलाने का वार्षिक बजट लगभग 5.50 करोड़ रु है। वर्ष के दौरान छात्रों ने भिन्न–भिन्न, गतिविधियों अर्थात वाद–विवाद, निबंध लेखन प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा स्वच्छ भारत अभियान मिशन में भाग लिया।

### जूनियर हाई स्कूल कोटेश्वरपुरम

उपरोक्त के साथ ही केएचईपी के परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए सेवा–टीएचडीसी द्वारा ओमकारानंद सरस्वती पब्लिक विद्यालय, शिक्षा समिति के माध्यम से कोटेश्वर, टिहरी में अंग्रेजी माध्यम का एक जूनियर हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 250 छात्रों ने इस स्कूल से शिक्षा ली।

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान टिहरी एवं देहरादून जिलों के 28 सरकारी स्कूलों के 2427 छात्रों की सुविधा के लिए 35 लाख रूपए की लागत के 809 स्कूल फर्नीचर

श्री डी.पी. सिंह, अ.प्र.नि. टीएचडीसीआईएल, दूसरे निदेशकों के साथ एम्स ऋषिकेश को प्रदान की गई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए

सेट प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त टिहरी एवं देहरादून जिले के 11 स्कूलों को 13 वाटर फिल्टर सह कूलर भी प्रदान किए गए।

- देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवकों को शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु टिहरी, देहरादून और हरिद्वार जिले में परियोजना से प्रभावित और पुनर्वास क्षेत्र में बेरोजगार युवकों तथा छात्रों के कौशल विकास के लिए सेवा–टीएचडीसी द्वारा 17 कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किए गए। सभी केन्दों पर छह माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया जहां वर्ष 2018–19 के दौरान इस कार्यक्रम से 690 युवा और छात्र लाभान्वित हुए।

### टीएचडीसी दक्ष (कौशल)– आजीविका सृजन और कौशल विकास संबंधी पहलें

कोटेश्वर और टिहरी के कमजोर वर्ग के युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे होटल प्रबंधन, एएनएम, आईटीआई, आतिथ्य, खाद्य उत्पादन, फिटर और प्लंबर, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्खननकर्ता प्रचालक, ए.सी. और रेफ्रिजरेशन आदि दिए गए। भिन्न–भिन्न कौशल प्रशिक्षण के लिए अब तक 516 युवाओं को प्रायोजित किया गया है जिनमें से 145 युवाओं को वित्त वर्ष 2018–19 में प्रायोजित किया गया था।

### टीएचडीसी निरामय– स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

इस पहल में स्वास्थ्य तथा बचाव एवं स्वच्छता योजना आदि सहित स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना शामिल है।

- टिहरी के सुदूर क्षेत्र दीन गांव में एमबीबीएस चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्स और चिकित्सा सहायक की टीम के साथ वर्ष 2014–15 से एक एलोपैथिक औषधालय चल रहा है। निकटवर्ती 20 गांवों के औसतन वार्षिक 12000 व्यक्ति ओपीडी का लाभ उठा रहे हैं। इस औषधालय में लघु आपरेशन कक्ष तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं यथा पैथालोजी प्रयोगशाला, एक्सरे, ईसीजी आदि तथा काल करने पर एम्बुलैंस सुविधा भी उपलब्ध है। दवाइयां निःशुल्क वितरित की जाती हैं। वित्त वर्ष 2018–19 में 32 बहु विशेषज्ञता चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर लगाए गए।
- वित्त वर्ष 2018–19 में 32 बहु विशेषज्ञता चिकित्सा स्वस्थ्य शिविर लगाए गए हैं।
- विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर बहु विशेषज्ञता वाले स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं।
- टीएचडीसीआईएल द्वारा भागीरथीपुरम डाक्टर: टिहरी जिले में कुल 12 शिविर। कुल ओपीडी–2268 (पुरुष 1029, महिला 1239)
- एम्स ऋषिकेश: एम्स ऋषिकेश के साथ तालमेल स्थापित कर टिहरी–2, कोटेश्वर–2 (नवम्बर 18 से मार्च 19), ऋषिकेश–2 (दिसम्बर,18 और मार्च,19), इस प्रकार कुल 6 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। कुल ओपीडी–1338 वित्त वर्ष (2018–19)। एम्स ऋषिकेश द्वारा ऋषिकेश में एक अनुवर्तन जागरूकता शिविर भी लगाया गया जिसमें ओपीडी की संख्या 102 थी।
- निर्मल नेत्र संस्थान: तालमेल स्थापित कर छह नेत्र शिविर चमेलिया, कोटेश्वर, रमामगांव, लामगांया, चिनयालीसौर और कामंद में लगाए गए। कुल ओपीडी–1023 (पुरुष–521 महिला–502) कैटेरेक्ट सर्जरी–202
- दीनगांव औषधालय द्वारा स्वास्थ्य शिविर:– एक शिविर गांव गोरसाडा, जिला उत्तरकाशी में आयोजित किया गया था। कुल पंजीकृत ओपीडी 285 (96 पुरुष, 125 महिला और 44 बच्चे) थे।
- जॉली ग्रांट में स्वास्थ्य शिविर: (मार्च 2019 कुल तीन शिविर लगाए गए हैं। कुल पंजीकृत ओपीडी की संख्या थी– 284
- सिंगरौली, मध्यप्रदेश: मिश्रा पालीक्लीनिक एंड नर्सिंग होम द्वारा मार्च, 2019 तक परियोजना प्रभावित गावों में दो चिकित्सा शिविर लगाए गए थे। कुल ओपीडी 680 थी।
- यह देखा गया है कि एमबीबीएस डाक्टर पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में सेवाएं देने को तैयार नहीं हैं। इसलिए उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए और बांध प्रभावित क्षेत्र के चिकित्सा मुद्दों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सेवा–टीएचडीसी ने स्वामी नारायण मिशन सोसाइटी, ऋषिकेश के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में होम्योपैथिक औषधालय शुरू किए थे। इस समय पांच होम्योपैथिक औषधालय चल रहे हैं। टिहरी जिले के गलिया, धोंत्री, कोटेश्वर और शीशम झाड़ी में एक–एक तथा गांव इंदा नगर, ऋषिकेश, जिला देहरादून में एक जहां निःशुल्क दवाई की सुविधा है। इन औषधालयों में शुरू होने के

समय से सामूहिक रूप से 6,60,227 ओपीडी चलाई गई अतः 2018–19 में 85221 ओपीडी चलाई गई।

- टिहरी जिले के दूर दराज के गांव में दूरी की समस्या दूर करने तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए टीएचडीसीआईएल और टिहरी जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से 20 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित किए जो उत्तराखंड में अपनी तरह का पहला है। प्रत्येक टेलीमेडिसिन सेंटर, सरकारी अस्पताल टिहरी में स्थापित नियंत्रण कक्ष से (वीडियो) से जुड़ा हुआ है। सभी टेलीमेडिसिन केंद्र में एक मेडिकल किट होती है जिसमें पल्स आक्सीमीटर, ईसीजी मशीन, वाई–फाई ईसीजी रिकार्डर, एक्सरे व्यू बुक, ग्लूकोमीटर और अन्य आवश्यक उपकरण और एक व्यापक पैथालोजिकल किट होती है। इसके साथ ही एक एन्ड्रायड टैबलेट होता है जिसमें जरूरी दवाइयों की सूची और उठाकर ले जाने योग्य हॉटस्पॉट होता है ताकि अस्पताल में निदान, आँकड़ा हस्तांतरण और संचार को सुकर बनाया जा सके। ऐसे केंद्र प्रशिक्षित फार्मासिस्ट/नर्स द्वारा चलाए जाते हैं जो नई टिहरी के बुराड़ी में स्थित जिला अस्पताल के नियंत्रण कक्ष में बैठने वाले विशेषज्ञ डाक्टर और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के मरीज के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं।
- एम्स, ऋषिकेश को विशेषज्ञतायुक्त परामर्श और उपचार के लिए नियत किया गया है। ये 20 टेलीमेडिसिन केंद्र साथ–साथ लगभग 75 ग्राम सभाओं की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। दिसंबर, 2017 में आरंभ किए जाने के समय से मार्च, 2019 तक कुल 17288 ओपीडी पंजीकृत किए गए हैं जिनमें से 15324 ओपीडी वित्त वर्ष 2018–19 में पंजीकृत किए गए हैं।
- टिहरी जिला प्रशासन सहित टीएचडीसीआईएल को लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मार्च, 2019 में ई–गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पहलें:

- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल कार्यालयों, विभिन्न स्थानों पर स्थित कालोनियों, स्कूलों, अस्पतालों में और कार्य स्थलों, गलियों, सड़कों पर, बाजारों में, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर, पवित्र गंगा नदी के किनारों पर पार्कों में तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक जनजागरण अभियान चलाया गया है। जरूरत के अनुसार स्थानीय क्षेत्रों में सफाई की गई थी और नगर पालिका ऋषिकेश मुनी की रेती और नई टिहरी की नगरपालिका से परामर्श कर अलग–अलग स्थानों पर कचरादान (डस्टबिन) रखे गए थे।
- कुल निर्मित शौचालयों की संख्या–225 (व्यक्तिगत–179, एसएपी–42 और अन्य–4)। इसमें उत्तरखंड के टिहरी जिले के 3 गांवों में 79 शौचालय शामिल हैं। जिन्हें खुले में शौच (ओडीएफ) से मुक्त करवाया गया (i) गांव देवरी–43, (ii) गांव लवारया–24, (iii) गांव बनाली–12
- टीएचडीसी कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश के समीप सफाई के लिए तीन बस्तियां गोद ली गईं।

  (i) प्रगति विहार, (ii) नेहरू ग्राम (iii) इन्दिरा नगर
- बाईपास रोड, ऋषिकेश (नटराज चौक से मंसा देवी) के चार कि.मी. के हिस्से को अपनाया गया
- सफाई के लिए अपनाए गए रेलवे स्टेशन

  (i) ऋषिकेश (ii) वीरभद्र
- सफाई के लिए ऋषिकेश के चार स्कूलों को अपनाया गया

  i. राजकीय प्राथमिक स्कूल, मंसादेवी
  ii. राजकीय प्राथमिक स्कूल, बापूग्राम
  iii. राजकीय प्राथमिक स्कूल, बीबीवाला
  iv. राजकीय प्राथमिक स्कूल, इन्द्रानगर

### टीएचडीसी प्रकृति– पर्यावरण प्रबंधन

- पर्यावरण सततता और पारिस्थितिकीय संतुलन लाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए हैं।
- टीएचडीसी प्रकृति– पर्यावरण केन्द्रित पहलें तीन उद्देश्यों के साथ कार्य कर रही हैं जो इस प्रकार हैं– मृदा और जल संरक्षण, ग्रीन ऊर्जा उत्पादन और प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन तथा पर्यावरण संरक्षण और प्रोत्साहन
- मृदा और जल के संरक्षण के लिए टीएचडीसी उत्तराखंड पौरी (गढ़वाल) में कार्यान्वित श्री सच्चिदानंद भारती के प्रायोगिक मॉडल के आधार पर धारा/गधेरा उपचार और वनस्पति के पुनरूत्पादन पर कार्य कर रहा है।

इसके साथ ही वर्षा के जल के संरक्षण के लिए ये वाटर जल संचयन टैंक (प्रत्येक की धारिता 3000 लीटर) परियोजना से प्रभावित गांवों में संस्थापित किए गए थे। इस क्रियाकलाप के जरिये हम लोग मानसून के दौरान लगभग 9 लाख लीटर वर्षा का जल एकत्र कर सके।

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत टीएचडीसी ने उत्तराखंड के सितारगंज और खुर्जा में, उत्तरप्रदेश के उन्नाव और लखनऊ में 732 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइटें और उत्तर प्रदेश के उन्नाव और लखनऊ में और उत्तराखंड के सितारगंज में 170 से अधिक एलईडी आधारित सौर हाई मास्ट लाइटें संस्थापित की।
- वर्ष 2018–19 में टीएचडीसी ने 10056 पौधे रोपे जिससे अब तक कुल पौधों की संख्या 260212 हो गई। कुछ पौधों के नाम हैं: आम, अमरूद, आंवला, बेल, नीम्बू, अनार, संतरा, कीनू, लीची, रसभरी, जामुन, कटहल, अखरोट, बादाम, बांस, कचनार, शीशम, बांज, पदम, अंगा, रीठा, तून, सूबाबूल, खारिक, दैकान, तिमला, नीम, रिंगल, मोरू, स्टेविया, देवदार, , देहू, गुलमोहर, माजू, अश्वगंधा, हर–सिंगार, पूत्रजीवक, कदम, अर्जुन, एलोवेरा, हरड़ बहेड़ा, आंवला।
- तीन फल विशिष्ट गांव भी विकसित किए गए थे नामतः कोटेश्वर ब्लॉक के गांव प्लाम और गांव क्यारी "मैंगा गांव" के रूप में और टिहरी गढ़वाल के ब्लाक प्रतापगढ़ के गांव "जखानी नीम्बू" गांव के रूप में।

### टीएचडीसी उत्थान (ग्रामीण विकास)

- एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय सेया–टीएचडीसी के माध्यम से समग्र विकास कार्यक्रम में टिहरी परियोजना के 30 रिम क्षेत्र के गांवों में एक समग्र विकास योजना तैयार की गई है और इसके कार्यान्वयन के लिए एचएनबी गढ़वाल को संलग्न किया गया है। पूरी योजना की परिकल्पना समुदाय के लोगों का दीर्घकालिक आजीविका के अवसर प्रदान करने, महिलाओं को सशक्त बनाने तथा समाज का समग्र विकास करने के लिए तैयार की गई है।
- शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से उत्तरखंड में टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लाक के उपली रामोली पत्ती और अन्य क्षेत्रों में सतत आजीविका तथा संसाधन प्रबंधन के लिए सीएसआर पहलें।

पशुलोक, ऋषिकेश में महिला सशक्तिकरण केन्द्र

- कंपनी, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर उत्तरखंड में टिहरी जिले के प्रताप नगर ब्लाक के उपली रामोली पत्ती और अन्य क्षेत्रों में सतत आजीविका और मानव संसाधन के लिए सीएसआर पहलों के संबंध में वर्ष 2011 से एक कार्यक्रम चला रही है यह टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक के 20 दूरदराज के गांवों के ग्राम आधारित समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम है। वर्ष 2018–19 की परियोजना की गतिविधियां थीं: पॉलीहाउसेज का संवर्धन, वर्मिन कंपोस्ट पिट का निर्माण, किसान गोष्ठियों का आयोजन, विशेषज्ञों के माध्यम से एकसपोजर दौरे तथा कृषि भूखंडों का प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम, सैनिटरी नैपकिनों का वितरण, करियर कांउसेलिंग कार्यक्रम, वर्षा जल संरक्षण टैंकों का निर्माण, आजीविका के सृजन के लिए मशरूम के उत्पादन का प्रशिक्षण, सफाई के लिए "स्वच्छ भारत अभियान" के अंतर्गत किसान क्लबों की स्थापना, सरकारी स्कीमों से तालमेल कर फार्म मशीनरी बैंक।

### वरदान के माध्यम से भिलंगना घाटी, टिहरी गढ़वाल में समेकित आजीविका सुधार कार्यक्रम

- समेकित आजीविका सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य से 100 किसान समूहों को प्रोत्साहित करने, किसानों की वर्तमान कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, चुनिंदा फलदार फसलों और औषधीय तथा खुशबूदार पौधों की खेती, पर्याप्त अवसंरचना, खेती करने के तरीकों का आधुनिकीकरण के उद्देश्य से जनवरी से मार्च 2019 के बीच सरकार

टीएचडीसी कैम्पस, ऋषिकेश में गरीब एवं न्यून आय ग्रुप के व्यक्तियों के लिए निशुल्क बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर

के भिन्न–भिन्न सरकारी संगठनों के साथ तालमेल कर पायलट परियोजना के रूप में ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक एप्रोच के लिए फसल से पूर्व और बाद के प्रबंधन पद्धतियों में सुधार लाने को कार्यान्वित किया गया।

- गीता महिला समिति (जीएमएस) के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के लिए महिला सशक्तीकरण और महिलाओं की आय को दोगुना करने के लिए आजीविका संवर्धन परियोजना के उद्देश्य से टीएचडीसी ने परियोजना स्थल के 20 गांवों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गीता महिला समिति (जीएमएस) को संलग्न किया। परियोजना की प्रमुख गतिविधियां थीं: पॉली हाउसेज को संवर्धन वर्मिंग कंपोस्ट पिट का निर्माण, वर्षा जल संरक्षण टैंकों का निर्माण, आजीविका के सृजन के लिए प्रशिक्षण किसान बलबों की स्थापना, सरकारी स्कीमों से तालमेल कर फार्म मशीनरी बैंक और स्वयं सहायता समूहों का निर्माण,

### अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल गतिविधियां

वरदान, जीएमएस, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय और एसबीएस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यमों से राज्य कृषि और बागवानी विभाग के साथ विभिन्न कृषि केंद्रित (गतिविधियों के लिए वर्ष 2018–19 में कंवर्जेंस) परियोजना चलाई गई। कनवर्जेंस की लागत 433.20 लाख रु. थी, इस लागत को टीएचडीसी (129.10) लाख, राज्य कृषि और बागवानी विभाग (279.90) लाख और लाभग्राही और कार्यान्यन एजेंसियों द्वारा आंशिक रूप से (31.97) लाख साझा किया जिससे 1500 परिवारों के 5582 लाभग्राहियों का लाभ हुआ।

1. नाबार्ड, देहरादून: लागत साझेदारी आधार पर (सेवा–टीएचडीसी का हिस्सा 25 प्रतिशत हो या अधिक होगा) सीएसआर आधारित विभिन्न गतिविधियों के लिए नाबार्ड, देहरादून के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भिलंगना वाटर शेड के वाटर शेड प्रबंधन पर सहमति बनी है। अगले 4–5 वर्षों के दौरान लगभग 1000 हेक्टयर क्षेत्र का उपचार किया जाएगा जिसमें पौधारोपण, चेक डैम और वाटर शेड के अंतर्गत आने वाले गांवों में भी विभिन्न आजीविका गतिविधियां आएंगी। पहले चरण में लगभग 100 हेक्टेअर वाटर शेड का उपचार/प्रबंधन किया जाएगा। बाद में पायलट परियोजना की सफलता के आधार पर 900 हेक्टेअर क्षेत्र का उपचार किया जाएगा।

2. जिला कृषि विभाग, टिहरी

कृषि विभाग और टीएचडीसीआईएल द्वारा 4:1 के अनुपात में लागत साझा कर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से टिहरी जिले के अलग–अलग गांवों में 51 फार्म मशीनरी बैंक सृजित किए गए हैं। प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक पर 5 लाख रुपये खर्च होते हैं जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्व–सहायता समूह में 15 से 25 के सदस्यों को विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए यंत्रीकृत उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। (राज्य कृषि विभाग द्वारा समर्थित 4 लाख रूपये, सेवा–टीएचडीसी द्वारा 1 लाख रुपये और कर, यदि कोई हो तो किसानों के समूहों द्वारा)। ऐसे प्रयासों को मापने और बनाए रखने के लिए सरकारी विभागों के साथ नियमित निगरानी अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

### टीएचडीसी समर्थ – महिला सशक्तीकरण

- महिलाएं, विशेषकर, कमजोर तबके की महिलाओं के लिए सिलाई–बुनाई,उत्पादन एवं सौंदर्य प्रसाधन जैसे विभिन्न केंद्र उनकी जीविका को सुदृढ़ करने और साथ ही महिलाओं को वृद्धि एवं विकास का मजबूत माध्यम बनाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्थापित किए गए। ये केंद्र निःशुल्क संचालित होते हैं, अभी तक इन केंद्रों में 710 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
- अनुसूचित जाति के बाहुल्य वाले गांव दारसिल, घांसली (टिहरी गढ़वाल) में कौशल संवर्धन कार्यक्रम उन 30 परिवारों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है जो रिंगल (एक प्रकार का बांस) से हस्तशिल्प कार्य में संलग्न हैं।

- टिहरी जिले के लम्बगाँव क्षेत्र में 11 सदस्यीय प्रबंधन समिति वाली दीपा माई महिला क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना, कुछ वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त करने में गरीब महिला किसानों को मदद देने के लिए अक्तूबर 2016 में की गई थी। टीएचडीसी ने आरम्भ में दस लाख रुपए का अंशदान किया है जिसे सोसायटी के लिए निष्पादन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। कोई भी महिला 100 रु. सदस्यता शुल्क का भुगतान कर सोसाइटी की सदस्य बन सकती है और न्यूनतम 1000 रु. तथा अधिकतम 5000 रु. अंशदान कर सोसाइटी में हिस्सा प्राप्त कर सकती है। सदस्य अपने अंशदान का पांचगुना ऋण प्राप्त करने के पात्र होते हैं। अब तक 91 महिलाएं सोसाइटी की सदस्य हैं, 67 महिलाओं ने अपने हिस्से का अंशदान दिया है। सदस्यों से कुल 2.12 लाख एकत्र किए गए हैं और 65 शेयर धारकों को दी गई ऋण की राशि 14.45 लाख रु. है।

प्राकृतिक विरासत कला और संस्कृति का संरक्षण

- सशक्त गंगा नदी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और लाखों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों/आगुंतकों की सुविधा के लिए ऋषिकेश के गंगाघाट में रामझूला, लक्ष्मण झूला, परमार्थ निकेतन तथा त्रिवेणी घाट के अन्य प्रमुख ढांचों को सजावटी फैसेड प्रकाश द्वारा राम झूला से परमार्थ निकेतन तक गंगा के दोनों किनारों पर रामझूला से खारासौत तक दाहिने किनारों पर और त्रिवेणी घाट पर 16 हाई मास्ट लाइटें संस्थापित कर मरम्मत कर और मौजूदा हेलोजेन स्ट्रीट लाइटों / हाई मास्ट लाइटों (150) के स्थान पर लक्ष्मण झूला से राम झूला और त्रिवेणी घाट पर प्रकाश व्यवस्था में सुधार किया गया। परियोजना की कुल लागत 567 लाख रु. थी। संपूर्ण व्यवस्था के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण के अलावा, एलईडी लाइटों से प्रतिवर्ष लगभग 70000 यूनिट बिजली की बचत (प्रतिवर्ष 4 लाख रु.) होगी।

# वित्त वर्ष 2018–19 की सीएसआर गतिविधियों का विवरण एवं व्यय

(₹ लाख में)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं. | सीएसआर परियोजनाएं या चिह्नित गतिविधि | सेक्टर जिसमें परियोजना लागू है | परियोजना या कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. राज्य या जिले जहां परियोजना या कार्यक्रम शुरू किए गए थे | कार्यक्रम या परियोज–नावार राशि (बजट) | परियोजना या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि / उपशीर्ष: 1. परियोजनाओं / कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपशीर्ष | आलोच्य अवधि तक परिसंचयी व्यय | व्यय की गई राशि: कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा या सीधे सीएसआर कार्य कंपनी प्रायोजित गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं |
| 1 | स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत शौचालयों तथा अल्प सुविधा प्राप्त व्यक्तियों के लिए शौचालयों का निर्माण, चार होम्योपैथिक तथा एक एलोपैथिक औषधालय, बहु चिकित्सा विशेषज्ञताओं वाले शिविर, जलापूर्ति योजनाएं चलाना तथा वाटर प्यूरीफायर्स आदि का वितरण | कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या 1.अर्थात स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता अर्थात् भूख, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना जिसमें रोग निरोधी स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता एवं पेयजल को उपलब्ध करवाना शामिल है। | प्रभावित क्षेत्रों में सभी परियोजनाएं चलाई जाती हैं। | | 362.60 | 362.60 | सेवा–टीएचडीसी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | टिहरी, कोटेश्वर तथा ऋषिकेश में तीन विद्यालयों का संचालन, टीएचडीसी इण्डिया इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का निर्माण, विद्यालयों को अवसंरचनात्मक सामग्री उपलब्ध कराना, कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, होटल प्रबंधन तथा आईटी प्रशिक्षण आदि। | कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (ii) शिक्षा को बढ़ावा देना जिसमें विशेष शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना शामिल है। | | | 809.99 | 809.99 | सेवा– टीएचडीसी तथा टीएचडीसी शिक्षा समिति |
| 3 | महिला सशक्तीकरण हेतु सिलाई–कढ़ाई केंद्र की स्थापना | कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा, महिला सशक्तीकरण आदि | | | 21.64 | 21.64 | सेवा– टीएचडीसी |
| 4 | वृक्षारोपण तथा नर्सरी विकास तथा सौर प्रकाश का संस्थापन | कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (iv) पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति एवं अन्य जीवों को संरक्षण देना, पशु कल्याण, कृषि वानिकी को सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण एवं मृदा, हवा एवं जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। | | | 39.63 | 39.63 | सेवा– टीएचडीसी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | पारंपरिक कला और संस्कृति का विकास एवं उन्नयन | कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (v) राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति आदि का संरक्षण | | | 80.72 | 80.72 | सेवा–टीएचडीसी |
| 6 | खेल–कूद को बढ़ावा | कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल–कूद, ओलंपिक खेलों का बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण | | | 9.36 | 9.36 | सेवा–टीएचडीसी |
| 7 | राष्ट्रीय आपदा/विपत्ति के दौरान आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए अनुमत्य सीएसआर कार्यक्रम (वार्षिक सीएसआर बजट का 5%) | कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (VIII) केंद्र सरकार आदि द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष अथवा अन्य किसी कोष में अंशदान | | | 3.82 | 3.82 | सेवा–टीएचडीसी |
| 8 | परियोजना प्रभावित क्षेत्र, कार्यस्थलों पर श्मशान घाट, पैदल मार्ग, यात्री शेड, ग्रामीण सामुदायिक भवन निर्माण। जीविका विकास कार्यक्रम, कस्टम हायरिंग केंद्र आदि की स्थापना | कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (x)<br><br>अर्थात ग्रामीण विकास परियोजना | | | 354.52 | 354.52 | सेवा–टीएचडीसी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | सशस्त्र बल कोष | सशस्त्र बल के उम्रदराज लोगों, युद्ध के कारण हुई विधवाएं और उनके आश्रित | | | 5.00 | 5.00 | सेया– टीएचडीसी |
| 10 | प्रशासनिक शिरोपरि खर्च, क्षमता निर्माण, बेसलाइन/ आवश्यकता आंकलन सर्वेक्षण, प्रभाव निर्धारण आदि (वार्षिक बजट का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। | | | | 65.08 | 65.08 | सेया– टीएचडीसी |
| | कुल | | | | 1752.36 | 1752.36 | |

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर गतिविधियों का व्यय 17.52 करोड़ रु. है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान– औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक है। कुल व्यय में से टीएचडीसीआईएल का अंशदान 17.35 लाख रु. है।

# प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

# प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

## पृष्ठभूमि

भारत में विद्युत सेक्टर में ऐसी घातांकीय वृद्धि हो रही है जो पहले कभी नही हुई थी। जून, 2019 में 3,57,875 मेगावाट की कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता सहित मात्र विश्व के तीसरे सबसे बड़े विद्युत उत्पादक के साथ–साथ उपभोक्ता के रूप में उभरा है।

भारत सरकार बिजली की अधिक खपत के माध्यम से अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रति समर्पित है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने सभी को अर्थात परिवारों / घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24 x 7 बिजली उपलब्ध करवाने तथा कृषि उपभोक्ताओं को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त पहल की है।

चूंकि नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन दिन के समय या जलवायु की स्थिति जैसे उर्जा स्रोतों, जिन्हें शीघ्र बढ़ाया जा सकता है और जो आर्थिक रूप से उपेक्षित होते हैं, पर कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जल आधारित ऊर्जा एक ऐसे आर्थिक संतुलनकर्ता के रूप में उभर रही है जो भारतीय ग्रिड को बढ़ाने और उसकी जरूरतों को संतुलित करने में सहायक होगी। भारत सरकार के मार्च, 2019 में नई जल विद्युत नीति का कार्यान्वयन कर इस दिशा में कदम उठाए हैं।

वर्ष 2017–2022 तक की अवधि के लिए परंपरागत स्रोतों से कुल 58,384 मेगावाट क्षमता वृद्धि की परिकल्पना की गई थी जिसमें 47,855 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों से, 406 गैस आधारित विद्युत स्टेशनों से, 6,823 मेगावाट जल विद्युत स्टेशनों और नाभिकीय विद्युत स्टेशनों से 3,300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाना था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय विद्युत उत्पादन स्थापित करने पर सरकारी द्वारा बड़ा बल दिया जा रहा है जिसमें 100 गीगावाट सौर विद्युत होगी। 60 गीगावाट पवन उर्जा होगी तथा 15 गीगावाट अन्य स्रोतों से प्राप्त होगी। राष्ट्रीय विद्युत योजना एनईपी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी बड़ी निष्पादन परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन सेक्टर में 11,55,652 करोड़ रु. निवेश की आवश्यकता होगी।

वित वर्ष 2019 के पहले सात महीनों के दौरान राष्ट्रीय विद्युत मांग वृद्धि 6.5 प्रतिशत रही है जो वित वर्ष 2018 की इसी अवधि में पूरे वर्ष की संसूचित वृद्धि 5.5 प्रतिशत से अधिक है।

वर्ष 2019–20 में परंपरागत स्रोतों से 1330 बिलियन यूनिट (बीयू) का लक्ष्य अर्थात गत वर्ष 2018–19 के परंपरागत तरीके से किए गए वास्तविक उत्पादन 1249.337 बीयू से लगभग 6.46 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2018–19 के दौरान परंपरागत उत्पादन 1249.337 बीयू था जबकि वर्ष 2017–18 के दौरान यह 1206.306 बीयू था। यह 3.57 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

भारत में नवीकरणीय उर्जा बड़ी तेजी से विद्युत का स्रोत बनता जा रहा है। उर्जा अनुसंधानकर्ता ब्लूमबर्ग एनडीएच के अनुसार जलवायु संभावना रिपोर्ट बलाइमेट स्कोप रिपोर्ट के अनुसार निवेशों में वृद्धि और स्वच्छ ऊर्जा संस्थापन की दृष्टि से वर्ष 2018 में तेजी के बाद दूसरे स्थान पर है। समग्र संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मार्च, 09 में 9 प्रतिशत से बढ़कर जून, 19 में 22 प्रतिशत हो गया है।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने वाला संगठन होने के नाते टीएचडीसी सरकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 4000 करोड़ रु. और संदत्त पूंजी 3654.88 करोड़ रु. है जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकारी की साझा सहभागिता 3:1 के अनुपात में है। टीएचडीसीआईएल दिसंबर–19 तक 24 मेगावाट लुकवां एसएचपी वर्ष 2020–21 में केरल के कासरगाड में 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना और वर्ष 2023–24 में उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा नामक स्थान पर 1320 मेगावाट का सुपर ताप विद्युत संयंत्र का प्रारंभ करने के लिए प्रतिबद्ध है। रणनीतिक व्यापारिक विविधीकरण योजना के अंतर्गत टीएचडीसी पूरे भारत के साथ–साथ विदेशों में सभी संभव परंपरागत / गैरपरंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में विचार कर रही है, संभावना तलाश रही है।

## एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

आपकी कंपनी के अवसर एवं चुनौतियां बनाम मजबूती और कमजोरी का विश्लेषणात्मक अध्ययन नीचे दिया गया है:–

### A) मजबूती

- **सुदृढ़ तकनीकी कौशल आधार**

  दो प्रचालनात्मक मेगा परियोजनाओं के कार्यान्वयन चरण के दौरान आई तथा तीन निर्माणाधीन परियोजनाओं में आ रही चुनौतियों और उनको कारगर ढंग से काम करने के लिए सफल कार्यान्वयन टीएचडीसीआईएल को एक कंपनी के रूप में अपने जल विद्युत के प्रतिस्पर्धियों में तकनीकी रूप से मजबूत आधार प्राप्त हो गया है।

- **जटिल हिमालयी भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत कार्यों में आपवादिक इंजीनियरिंग तथा निर्माण संबंधी कौशल**

  टिहरी एचपीपी के जटिल हिमालयी भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत कार्यों में आपवादिक इंजीनियरिंग तथा निर्माण संबंधी कौशल को प्रयोग किया गया है। इस परियोजनाओं में 27 सुरंगें हैं जिनकी कुल लंबाई लगभग 18 कि.मी. है। 18 शाफ्ट हैं जिनकी कुल लंबाई बड़े व्यास के साथ लगभग 2.27 किलोमीटर हैं। यहां प्राप्त किया गया कौशल और ज्ञान कोटेश्वर एचईपी में काफी उपयोगी सिद्ध हुआ तथा वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन दो जल विद्युत परियोजनाओं में उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

- **जल विद्युत उत्पादन संयंत्र के कार्यान्वयन में शामिल पर्यावरण और जटिल मुद्दों को संभालने की योग्यता**

  टीएचडीसीआईएल अपने क्रियाकलापों का पर्यावरणीय प्रभाव कम से कम करने का प्रयास करता है। पर्यावरणीय संततता से संबंधित टीएचडीसीआईएल की रणनीति में उर्जा ओर जल का प्रयोग इष्टतम करना, कार्बन फुटप्रिंट कम करना तथा जैव विविधता का संरक्षण/पुनर्निर्माण करना शामिल है। टीएचडीसीआईएल ई–वेस्ट और कूड़े का निपटान लगातार जिम्मेदारी से कर रही है। टीएचडीसीआईएल ने जैव गैस संयंत्र सीवेज संयंत्र भी स्थापित किया है तथा जल संरक्षण के उपायों को अपनाया है।

  व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आई एंड आर) टिहरी जल विद्युत परिसर के लिए कार्यान्वित किया गया था और वर्तमान में यह पीपीएचपी तथा खुर्जा एसटीपीपी में कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन चरण के दौरान उसके बाद भी टीएचडीसी आईएल ने स्वास्थ्य, शिक्षा महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में अवसंरचना विकसित कर और विभिन्न पहलें कर स्थानीय समुदायों को मदद दी है। टीएचडीसीआईएल परियोजना से प्रभावित लोगों का उपयुक्त मुआवजे आय पैदा करने के स्रोतों की पेशकश कर उनकी वित्तीय/जीविका को हुई हानि को कम से कम करने के प्रति वचनबद्ध है।

- **प्रभावी प्रचालन एवं अनुरक्षण**

  दो जल और दो पवन विद्युत संयंत्रों के प्रारंभण के समय से टीएचडीसीआईएल अपने संयंत्रों के आंतरिक प्रचालन और अनुरक्षण के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल की है। कंपनी संयंत्र के निष्पादन को अधिक से अधिक करने कारगर ढंग से निगरानी करने, दुर्घटनाएं कम करने तथा कुशलतापूर्वक कार्य करने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। इससे बिना रुके तथा सामान्य स्तर से परे विद्युत उत्पादन की उपलब्धता हुई है।

- **स्वचालित संयंत्र निगरानी**

  संयंत्र की निगरानी एससीएडीए पर्यवेक्षीय नियंत्रण एवं आंकड़े अर्जन प्रणाली के माध्यम से की जाती है। यह एक ऐसी स्वचालित पर्यवेक्षीय प्रणाली है जिसमें आरेखीय प्रयोक्ता अंतरानीक द्वारा समर्थित कंप्यूटर एवं नेटवर्क आंकड़े संचार का उपयोग किया जाता है जो कंपनी को इन संयंत्रों के उच्च स्तरीय पर्यवेक्षीय प्रबंधन के लिए इन्हें सक्षम बनाता है।

- **सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल**

  आपकी कंपनी के पास अत्यधिक पेशेवर प्रबंधन टीम तथा सहायक स्टाफ की उत्कृष्ट टीम है जिसमें 31.03.2019 को 1891 कर्मचारी थे।

- **सुदृढ़ वित्तीय स्थिति**

  टिहरी एचपीपी के प्रारंभ के समय से ही आपकी कंपनी लाभ कमाने वाली कंपनी है। संदत्त पूँजी से अधिक आरक्षित और अधिशेष निधि में कंपनी को भावी विस्तार

क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों के लिए अपने संसाधनों को निवेश करने का प्लेटफार्म प्रदान किया है।

- उच्च कर्मचारी प्रतिधारण दर

  आपकी कंपनी में अत्यधिक कुशल एवं अनुभवी तथा प्रेरित कर्मचारियों की प्रतिधारण बहुत अधिक है।

ख. कमजोरियां:

- संभाव्य अवसरों को प्राप्त करने में विलंब।
- डिस्कामों की बकाया देनदारियों के कारण टीएचडीसीआईएल के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तथापि, भारत सरकार ने दिनांक 28.06.2019 के पत्र द्वारा डिस्कामों को एलसी खोलने का आदेश दिया है ताकि उत्पादक कंपनियों की देनदारियों की वसूली में सुधार लाया जा सके।
- आकस्मिक देनदारियों में वृद्धि
- जटिल हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजना होने के कारण भूगर्भीय चुनौतियां आती हैं जिनके परिणामस्वरूप विलंब होता है और समय एवं लागत में बढ़ोतरी होती है जिससे प्रशुल्क टैरिफ में बढ़ोतरी होती है।
- जल विद्युत विकास करने से निर्माणपूर्व की अवधि में बहुत अधिक समय लगता है
- सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व के साथ जुड़ी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां
- मौजूदा तथा नवाचारी प्रौद्योगिकियों के उपयोग का स्तर कम होना
- प्राकृतिक संघर्षण समय से और पर्याप्त भर्ती न होने के कारण ज्ञान का पलायन होता है, उक्त कदम उठाकर इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

ग. अवसर

- **अत्यधिक अप्रयुक्त जल विद्युत संभाव्यता एवं अस्थिर नवीकरणीय इंजेक्शन का बढ़ता हुआ भाग:** भारत में जल विद्युत क्षेत्र में भारी संभावना है जो अप्रयुक्त है। नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिए जाने से जल–ताप मिश्रण में कमी आ रही है जो ग्रिड पीकिंग सपोर्ट के लिए अधिक पंप स्टोरेज संयंत्र पर बल दे रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने जल विद्युत सेक्टर को प्रोत्साहित करके निम्नलिखित उपाय घोषित किए हैं–
  - बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित किया गया है।
  - जल विद्युत दायित्व, गैर सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व के रूप में अलग ट्रकार्ड (आर पी ओ)
  - टैरिफ की फ्रंट लोडिंग सहित जल विद्युत टैरिफ को नीचे लाने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय
  - बाढ़ नियंत्रण/भंडारण के लिए बजटीय सहायता
  - समर्थकारी अवसंरचना अर्थात सड़कों और पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता

  टीएचडीसीआईएल को जल विद्युत विकास में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसलिए यह उत्तराखंड तथा राष्ट्र के अन्य संभाव्य राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं की संभाव्यता तलाश रही है।
- **अन्य देशों में अवसर:** भारत के बाहर विशेष रूप से नेपाल और भूटान जैसे देशों के क्षेत्र में व्यापार के विकास की संभावनाएं हैं। जहां भारत सरकारी द्विपक्षीय सहयोग प्रदान करती है, इसी मिशन के साथ टीएचडीसीआईएल अपने विद्युत उत्पादन कौशल का उपयोग करने की योजना बना रही है तथा अन्य फर्मों के साथ अपना ध्यान विकासशील अफ्रीकी बाजार तथा संभावना वाले अन्य बाजारों पर केंद्रित कर रही है ताकि अन्य देशों में अपनी व्यापार विकास गतिविधियां सुदृढ़ की जा सकें।
- **भंडारण सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचा:** तेजी से विकसित होते विद्युत वाहन बाजार अर्थात चार्जिंग पोर्टों के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश पर विचार कर सकती है।
- रणनीतिक विविधीकरण

  टीएचडीसीआईएल ने पहले ही भारत में परंपरागत तापीय गैरपरंपरागत पवन तथा सौर स्रोतों को विविधिकरण किया है तथा विदेशों में ऐसे ही अवसरों की संभावना तलाश रही है।
  - ताप विद्युत: 1320 मेगावाट का खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2023–24 तक तैयार हो जाएगा जिसकी वार्षिक क्षमता 9828 एम.यू. है।

- पवन विद्युतः पहले ही 113 मेगावाट की दो पवन विद्युत परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। अन्य परियोजनाओं के लिए आगे विचार किया जा रहा है।
- सौर विद्युतः टीएचडीसीआईएल ने कासरगढ़, केरल में 50 मेगावाट सौर पीवी परियोजना स्थापित करने का कार्य 8 अगस्त, 19 को मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड को दे दिया है। साथ ही चरणबद्ध तरीके से 200 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य में कैनाल–टॉप तथा अन्य सौर परियोजनाओं के लिए विचार कर रही है। भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ सहयोग जेवी/एसपीवी तैयार कर उत्तर प्रदेश में सौर पार्क विकसित करने का कार्य भी टीएचडीसीआईएल को सौंपा है।

- अन्य उदीयमान क्षेत्रों में: पुराने पहाड़ी जीर्ण ढलान को स्थिर बनाने में हमारे स्थापित प्रभूत विशेषज्ञता और अनुभव ने दूसरे सरकारी संगठनों की विभिन्न परियोजनाओं और इंजीनियरी समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

### (घ) चुनौतियां:

- जटिल प्रक्रिया एवं अनुमति प्राप्त करने में समय लगना: पर्यावरण और वन संबंधी अनुमति तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (जहां लागू हो) से अनुमति प्राप्त करने के भारत सरकार के कठोर मानदंड और जटिल प्रक्रिया होने के कारण परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने में विलंब होता है जिससे क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरण तथा धार्मिक आधार पर गैर–सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किए जाने के कारण परियोजना मंजूरी तथा उनके कार्यान्वयन में विलंब होता है। भारत सरकार इस दिशा में सिंगल विंडो क्लीयरेंस के बारे में सोच रही है। इसके अतिरिक्त आजकल ई–फ्लो में वृद्धि के बड़े जोखिम के कारण भी परियोजना छोड़नी पड़ती है।
- जटिल भूमि अधिग्रहण प्रकिया: अवसंरचना संबंधी कार्य तथा जलमग्नता सहित परियोजना के घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और उसमें काफी समय लगता है।
- भौगोलिक अनिश्चितताएं: भौगोलिक अनिश्चितताओं के कारण, विशेषकर जटिल और तरुण हिमालय क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होता है। समय और लागत में काफी वृद्धि हो जाती है जिससे टैरिफ भी बढ़ जाता है।
- बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं: चूंकि अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए भू–स्खलन, पर्वतीय ढलानों के ढह जाने अकसर सड़कों के अवरुद्ध होने, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा समय और लागत बढ़ जाती है।
- बाजार की बदलती परिस्थितियां: सस्ते दर पर लघु अवधि बाजार में विद्युत की उपलब्धता।
- राज्य विद्युत कंपनियों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति: विद्युत प्रापण को विक्रय करने में अक्षमता, विशेषकर मंहगी बिजली के कारण।
- जल विद्युत क्षेत्र के ठेकेदारों की खराब वित्तीय स्थिति: भारत में जल विद्युत के अनुभवी ठेकेदार बहुत खराब वित्तीय स्थिति में है।
- विनियामक जोखिम: इस बात की पूरी संभावना रहती है कि विनियामक प्राधिकरण भविष्य में टैरिफ के लिए परियोजना की पूरी लागत पर विचार न करें। टैरिफ विनियमों में आगे समय–समय पर और परिवर्तन किए जाने से नकदी प्रवाह प्रचलन परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।
- जल विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत उत्पादन एवं पीएएफ के लिए कठोर लक्ष्य का निर्धारण: जलीय परियोजनाओं का निष्पादन मानसून की उपलब्धता एवं कुछेक स्तर तक बर्फ परत पर निर्भर करता है। पिछले पांच वर्षों के सबसे उच्चतर स्तर पर सख्त एमओयू लक्ष्यों का निर्धारण जलीय सीपीएसयू के कार्य निष्पादन में कमी करता है।

### भावी दृष्टिकोण

बिजली की मांग प्रति वर्ष 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़नी तय है। जल विद्युत का उपयोग कम होने से पुनः जल–ताप मिश्रण में सुधार नहीं होता है। भारत सरकार द्वारा सबको 24X7 बिजली उपलब्ध करवाने के लिए पहल की जाने से

मांग में तेजी आने की संभावना है। इस प्रकार कंपनी का भावी दृष्टिकोण सतत विकास की दिशा में है जिसका बल निम्नलिखित पर होता है:

- व्यापार विकास गतिविधियों में भरपूर वृद्धि करना।
- विद्युत उत्पादन के प्रत्येक उपलब्ध संसाधन का उपयोग करने के लिए भारत के अन्य राज्यों तथा अफ्रीका व दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में स्थान बनाने की संभावना तलाशना।
- विद्युत कंपनियों की बकाया राशि को कम करना।
- पर्यावरण को संरक्षण देने तथा भविष्य में विद्युत उत्पादन को सुरक्षोपाय देने के लिए ग्रीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना।
- पूरे भारत में विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावना तलाश करना।
- भूटान में संकोश एचईपी के विकास के लिए भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर करना।
- भूटान की बुनाखा जल विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – IV

# ऊर्जा संरक्षण उपाय, तकनीकी अंगीकरण, समावेशी एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

## क. ऊर्जा संरक्षण के उपाय

ऊर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबंधन उपाय ऊर्जा की चरम और औसत मांग को घटा सकते हैं। संरक्षित ऊर्जा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण और इसके संसाधनों को सुरक्षित रखने में सहायक है। मार्जिन में ऊर्जा संरक्षण में निवेश ऊर्जा आपूर्ति में निवेश बेहतर प्रतिफल देता है।

टीएचडीसीआईएल का विद्युत की मांग कम करने के लिए इसके दक्षतापूर्वक उपयोग में विश्वास है। टीएचडीसीआईएल कंपनी में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

पिछले वर्ष ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए:–

(i) टीएचडीसीआईएल की सभी टीएचडीसीआईएल इकाईयों में सड़क लाइटों सहित पुराने बल्बों को बदलने का काम पूरा किया जा चुका है। हालांकि, दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में स्थित टिहरी एवं कोटेश्वर में 90% कार्य पूरा हो गया है।

(ii) टीएचडीसीएआईएल, ऋषिकेश के सभी कार्यालय परिसर में गैर ऊर्जा प्रभावी बिजली उपकरणों के बदलने का कार्य पूरा हो चुका है।

(iii) टीएचडीसीआईएल परिसर, ऋषिकेश के आवासीय परिसर में गैर ऊर्जा प्रभावी 40 वा. की फ्लोरसेन्ट ट्यूब के स्थान पर 20 वाट के एलईडी ट्यूब को बदलने का कार्य पूरा हो चुका है।

(iv) 500 कि.वा. रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और यूपीसीएल द्वारा 2.43 लाख रूपए की ऊर्जा की आपूर्ति अपनी स्वयं की खपत के अतिरिक्त नौ माह तक ग्रिड को निर्यात की आपूर्ति करने के लिए दी गई है।

(v) सभी नए गैर आवासीय परिसरों में एलईडी प्रकाश के प्रावधान हैं।

(vi) गैर आवासीय भवनों के लिए विद्युत वितरण प्रणाली के अनुरक्षण / नवीनीकरण में एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया।

(vii) आवासीय और गैर – आवासीय भवनों में पांच सितारा स्तर के छत के पंखें लगाए गए।

(viii) गैर आवासीय भवनों में स्टार स्तर के एसी लगाए गए तथा बिना सितारा रेटिंग वाले एसी को पांच सितारा रेटिंग वाले एसी से बदला गया।

(ix) गैर–आवासीय परिसर और अतिथि गृहों के सामान्य क्षेत्र में स्विच सेंसरों के माध्यम से 67 अवयूपेंसी मोड और वैकेंसी मोड लाइटिंग प्रबंध किया गया है। साथ ही अतिथि गृह के प्रत्येक कमरे में कार्यालयाध्यक्ष के ऑफिस में की फॉब स्विचिंग की गई है।

(x) आवासीय तथा गैर–आवासीय परिसर में 50 सौर एलईडी लाइटें संस्थापित की गई है।

(xi) अतिथि गृह के कमरों में पांच सितारा रेटिंग वाले गिजर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

कार्यालय परिसर और अतिथिगृहों में लगभग 553 एसी काम कर रहे हैं, जिसमें से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए 453 एसी को स्टार स्तर के एसी में बदला गया। विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान शेष एसी को भी सितारा स्तर के एसी में बदले जाने की योजना है।

उद्यान क्षेत्र, कार्यालय और आवासीय क्षेत्र की फेंसिंग और प्रकाश व्यवस्था भी सौर प्रणाली से की गई है। दिन के प्रकाश को समुचित ढंग से प्रयोग करने के लिए सभी नए भवनों में समुचित प्रावधान किए गए हैं। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में सुधार तथा हानि में कमी करने के लिए स्वचालित पावर फैक्टर नियंत्रक लगाए गए हैं। कंपनी अपनी सभी व्यापारिक संस्थापनाओं में एलईडी का उपयोग कर रही है और प्रभावी ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है।

पर्यावरण के उन्नयन के लिए विभिन्न अन्य पहलों के अतिरिक्त ऊर्जा का संरक्षण करना जिसमें ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों को बढ़ावा देना शामिल है, आपकी कंपनी के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सततता कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग रहा है। आपकी कंपनी ने निम्नलिखित दो परियोजनाओं को पूरा किया है।

1. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले एवं लखनऊ छावनी एवं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सौर ऊर्जा प्रकाश परियोजनाः

   इस परियोजना का कार्यान्वयन आउटडोर सामुदायिक गतिविधियों का समर्थन करने, वाणिज्य को बढ़ाने, विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने, ग्रीन और ऊर्जा बचाने वाली प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय सौंदर्य को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। इस परियोजना के अधीन एनर्जी इफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी एवं पीजीसीआईएल के एक संयुक्त उद्यम द्वारा 2.47 करोड़ रूपए की लागत से सोलर हाई मास्ट लाईट (एचएमएल) एवं सोलर स्ट्रीट लाईट (एसएसएल) की संस्थापना की गई है।

2. हरिद्वार जिले में गैंदीखाता में ग्रिड से जुड़े 200 कि.वा. सोलर रूफ टॉप संयंत्र का निर्माणः

   इस परियोजना के अधीन श्री कृष्णायन देशी गौरक्षा एवं गोलोक धाम समिति एक पंजीकृत सोसाईटी है जो हरिद्वार में 2000 परित्यक्त गायों के लिए एक गौशाला चला रही है, जिसके लिए संयंत्र की कुल लागत अर्थात 110 लाख रूपए में से 30.90 लाख रूपए के अंतराल वित्त पोषण का सहयोग दिया गया। शेष 79.10 लाख रूपए की राशि भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) द्वारा सब्सिडी के रूप में अनुमोदित की गई। गौशाला की विद्युत जरूरतों के अतिरिक्त इस संयंत्र का उद्देश्य गौशाला की प्रचालन लागत को पूरा करने के लिए राजस्व कमाना भी है। इस गतिविधि के समर्थन के पीछे टीएचडीसीआईएल का उद्देश्य ग्रिड को 200 कि.वा. ऊर्जा सुलभ करवाकर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन में भागीदार बनाना और साथ ही परित्यक्त गायों की मदद करना और उनके लिए सुरक्षाघाय करना है।

## ख. तकनीकी समावेश, अंगीकरण एवं नवाचार

1. मलबा प्रवाह अवरोध

   गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ येयर प्रकार के ढांचों का निर्माण करने के लिए ढलानों पर प्राकृतिक नाले, चैनलों और श्युटों में गैबियन और आर आर मैशनरी का इस्तेमाल प्रायः किया जाता है जिन्हें कमजोर ढलान पर लगाया जाता है ताकि मलबा बहाव की शुरुआत को सीमित किया जा सके। हाल ही में लचीली संरक्षण प्रणाली प्रौद्यागिकी में एक नई एडवांसमेंट विकसित की गई है ताकि नदियों/ प्राकृतिक नालों के रास्तों/ छिछले भूस्खलनों में मलबा बहावों या कीचड़ बहावों के कारण हुए स्थित और गतिशील भार को सहन किया जा सके जो भारी वर्षा, ग्लेशियर के पिघलने या इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के कारण ढलानों पर अत्यधिक पानी आने के कारण घटित होते हैं और जानबूझकर इनका परीक्षण किया जाता है और विश्व भर में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

   नदियों के किनारों के बीच नदी के चैनल में एक लचीली मलबा प्रवाह अवरोध प्रणाली स्थापित की जाती है जिसमें 2 से 6 मीटर (बाजार उपलब्ध) तक की उंचाई सहित 15 मीटर मापने की क्षमता (अतिरिक्त पोस्टों सहित 25 मीटर) होती है। सहायता और पार्श्विक रस्सियों द्वारा इस्पात के जाल का स्पैन किया जाता है। इन रस्सियों को एंकर लेंथ सहित किनारों पर ऐंकर किया जाता है जो जमीन पर भार की क्षमता पर निर्भर कर करता है। प्लास्टिक की विरूपता और इस कारण सभी में उर्जा समामेलित करने वाले तत्व बेरियर प्रणाली में बड़ी प्लास्टिक विरूपता ला देते हैं और प्रभाव के दौरान चरम भार में कमी ला देते हैं।

   मलबा प्रवाह अवरोध एक स्थल पारंपरिक रूप से निर्मित विशिष्ट प्रणाली है जिसमें कंटेनमेंट मेस, कंप्रेशन ब्रेक सपोर्ट रोप और पोस्ट शामिल होते हैं जो ढलान के भीतर तेजी से बने जल भराव के कारण शुरू हुए मिश्रित सामग्री के अति गतिशील प्रवाह के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस दौरान जमीन अत्यधिक गीली हो चुकी होती है जिसमें लोगों की संपत्ति और अवसंरचना (डेब्रिस पलो) को काफी नुकसान हो सकता है। डीएफ अवरोधों को परियोजना के आयामों, प्रत्याशित मलबा सामग्री

तथा प्रवाह की अपेक्षित मात्रा के अनुरूप बनाया जाता है। मलबा प्रवाह द्वारा प्रभाव पड़ने पर डीएफ अवरोधों को कंप्रेशन बैंकों तथा ऊर्जा का अवशोषण करने वाली प्रणाली के द्वारा धीरे–धीरे विरूपित करना चाहिए। प्रवाह के भीतर हाइड्रोस्टेटिक दबाव मलबा प्रवाह के रोक देने पर समाप्त हो जाना चाहिए और मलबे की मात्रा अवरोध के भीतर रह जानी चाहिए। डीएफ अवरोध तैनात कर दिए जाने और मलबा प्रवाह रोक दिए जाने पर मलबा को खाली कर निस्तारण कर दिया जाएगा। पुनः उपयोग या प्रतिस्थापन करने से पूर्व कंप्रेशन ब्रेक बदल दिए जाने चाहिए जब सपोर्ट रोपों तथा कंटेनमेंट मैश की जांच की जाएगी।

एसएमयीडीएसबी का तकनीकी परामर्शदाता होने के कारण टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा श्री माता वैष्णो देवी के नए ट्रैक के नाला क्रासिंग पर चरण–II के कार्यों में यह प्रणाली प्रस्तावित की गई है और इसे श्री माता वैष्णो देवी कटरा के नए ट्रैक पर पायनियर इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक संस्थापित किया गया है।

2. वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली

टिहरी परियोजना में अब अत्याधुनिक "वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली" शामिल की गई है। जलाशय कुण्ड स्तर एवं इसमें जल भरने की मात्रा की छह घंटे पूर्व का अनुमान जारी किया जा रहा है। यह पूर्वानुमान जनव्यापी रूप से उपलब्ध है। कोई भी इसकी वेबसाइट URL117.239.95.84 के माध्यम से देख सकता है।

इस प्रणाली के प्रथम चरण में टिहरी जल भराव क्षेत्र से गंगोत्री तक 11 एडब्ल्यूएस (ऑटोमैटिक वैदर स्टेशन) एवं 4 ऑटोमैटिक नदी स्तर एवं डिस्चार्ज रडार सेंसर संस्थापित किए गए हैं। बारिश, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, हवा की गति, सौर संघटन और वायुमंडलीय दबाव आंकड़े आरोमैटिक सेंसरों के जरिए एकत्र किए जाते हैं और डाटा लॉग में एकत्र किए जाते हैं। बांध के ऊपर स्थित अर्थ स्टेशन को जीपीआरएस/जीपीएस प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ें प्रसारित किए जाते हैं। इन आंकड़ों को आईआईटी, रूड़की एवं टीएचडीसी, ऋषिकेश के डिजाईन विभाग में स्थित मॉडलिंग केंद्रों द्वारा प्रदत्त वेबसाइट के माध्यम से देखा जाता है। इनको संसाधित करने और मॉडलिंग के बाद पूर्वानुमान जारी किया जाता है और प्रशासनिक एवं इंजीनियरिंग प्राधिकारियों को प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग भारत में पहली बार किया जा रहा है। जब जलाशय का स्तर एफआरएल के पास होता है तो इससे उस समय की जानकारी मिलती है जिससे बांध प्राधिकारी इस पर निर्णय ले सकते हैं। उन स्थानों पर जल को मोड़कर 2 से 3 मीटर कंजर्वेशन स्थान को बाढ़ स्थान में और विलोमतः परिवर्तित किया जा सकता है। लीड टाइम रचना का उपयोग कर अतिरिक्त ऊर्जा पैदा की जा सकती है।

दूसरे चरण में कुछ और एडब्ल्यूएस और स्वचालित नदी स्तर और डिस्चार्ज सेंसर संस्थापित किए जायेंगे। जहां मोबाइल सिग्नल उपलब्ध नहीं हैं, वहां वीएसएटी प्रौद्योगिकी के ज़रिये आंकड़े प्रेषित किए जायेंगे। फोरकास्ट प्रेसीपिटेशन माडल का उपयोग बढ़ाया जाएगा और 12, 24 तथा 48 घंटे पूर्व पूर्वानुमान प्रकाशित किया जाएगा।

3. डिजीटल ऐलिवेशन मॉडल

डिजीटल ऐलिवेशन मॉडल संख्यात्मक आंकड़ों की फाइल है जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र की भूमि की सतह पर किसी निर्धारित ग्रिड अंतराल की भौगोलिक सतह का उत्थान शामिल होता है। डीईएम का उपयोग अनेक अनुप्रयोगों जैसे जलीय, मॉडलिंग, रेल, सिविल इंजीनियरिंग, व्यापक स्तर के मानचित्रण एवं दूरसंचार में भूमि की सतह को दर्शाने के उपकरण के रूप में किया जाता है।

बोकांग बैलिंग एच.पी.पी. में पहुंच सीमित है। इस स्थान पर क्षेत्र का सर्वेक्षण डिजीटल ऐलिवेशन मॉडल का उपयोग करके 15 मी. की सटीकता के साथ किया गया है।

## आगामित प्रौद्योगिकी

### अलग–अलग गति से डबल फेड एसीक्रोनर मशीन (डीएएसएम) का इस्तेमाल पीएसपी के लिए किया गया

टीएचडीसीआईएल के निर्माणाधीन के टिहरी पंपयुक्त भंडारण परियोजना (टीपीएसपी) के लिए अलग–अलग गति वाली रिवर्सिबिल मशीनों की परिकल्पना की गई है। यह मशीन टर्बाइन और पंप मोड दोनों प्राकर से प्रचालित की जा सकती

है। स्थिर गति वाली सिंक्रोनस मशीन के विपरीत इस मशीन की गति एक सेट रेंज में अलग–अलग (206 आरपीएम से 250 आरपीएम) हो सकती है। बड़े हाइड्रालिक हेड के स्थान पर भिन्न–भिन्न गति अपनाने से आंशिक लोड आपरेशनों की दक्षता काफी बढ़ जाती है। चर गति नियंत्रण इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह स्थिर सिंक्रोनस गति मशीन के क्लासिकल समाधान का विकल्प बन सके। पंप मोड में अनुवर्तन गति की भिन्नता से ग्रिड से ली गई बिजली को नियंत्रित किया जा सकता है, इकाई, पंप मोड में भी ग्रिड आवृत्ति को स्थिर बनाने में योगदान कर सकती है। पम्प स्टोरेज स्कीम में अनुवर्तन गति में भिन्नता को वोल्टेज सोर्स इनवर्टर वीएसआई की सहायता से डबल फेड एसीन्क्रोनस मशीन (डीएएसएम) के माध्यम से रिलीज़ किया जा सकता है।

## ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(₹ लाख में)

| | विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| क | विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर) | | |
| | यात्रा | 129 | 20 |
| | परामर्श एवं व्यावसायिक व्यय | 306 | 236 |
| | ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान | 4539 | 1315 |
| | वस्तुओं का आयात | 3417 | 2571 |
| | सम्मेलन के लिए नामांकन | 3 | 0 |
| | कुल | **8394** | **4142** |
| ख | विदेशी मुद्रा में आय (नकद आधार पर) | **0** | **0** |
| ग | सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य | | |
| i) | पूंजीगत वस्तुएं | 3520 | 2602 |
| ii) | अतिरिक्त (स्पेयर) पुर्जे | 25 | 0 |
| | कुल | **3545** | **2602** |
| घ | खपत किए गए भाग, स्टोर्स एवं स्पेयर पुर्जों का मूल्य | | |
| i) | आयातित (रु. लाख में) | 27 | 3 |
| | (%) | 4.89 | 0.32 |
| ii) | स्वदेशी (रु. लाख में) | 532 | 915 |
| | (%) | 95.11 | 99.68 |
| च | निर्यात का मूल्य | **0.00** | **0.00** |

# व्यापार दायित्व रिपोर्ट
# 2018–19

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–V

# टीएचडीसीआईएल व्यापार दायित्व रिपोर्ट 2018–19

## खंड–क: कंपनी के बारे में सामान्य सूचनाएं

1. कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : यू45203यूआर1988जीओआई009822
2. कंपनी का नाम : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
3. पंजीकृत पता: : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम, टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल
4. वेबसाइट: : www.thdc.co.in
5. ईमेल आई डी: : cmd@thdc.co.in
6. जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है: : 2018-19
7. जिस सेक्टर/जिन सेक्टरों के साथ कंपनी जुड़ी हुई है (औद्योगिक गतिविधि कोड वार): विद्युत

| *समूह | वर्ग | उपवर्ग | विवरण |
|---|---|---|---|
| 351 | 3510 | 35101 | विद्युत ऊर्जा का उत्पादन |

** राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्गीकरण के अनुसार*

8. उन तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिनका कंपनी विनिर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन–पत्र के अनुसार) :
   i. जल विद्युत
   ii. पवन विद्युत
   iii. अभियांत्रिकी परामर्श
9. उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक गतिविधियां चलाई जाती हैं:
   i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या: 1 (बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट), भूटान)
   ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या: 19

| क्रम सं. | कार्यालय का नाम/स्थान | जिला | राज्य | संचालित परियोजनाएं/गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश | देहरादून | उत्तराखंड | टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सभी परियोजनाएं |
| 2. | एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी | गाजियाबाद | उत्तर प्रदेश | थर्मल डिजाइन तथा विद्युत मंत्रालय के साथ समन्वय |
| 3. | पंजीकृत कार्यालय, भागीरथीपुरम, टिहरी | टिहरी गढ़वाल | उत्तराखंड | टिहरी एचपीपी (1000 मे.वा.), टिहरी पीएसपी (1000 मे.वा.) तथा कोटेश्वर एचईपी (400 मे.वा.) |
| 4. | परियोजना कार्यालय, कोटेश्वरपुरम, कोटेश्वर | टिहरी गढ़वाल | उत्तराखंड | कोटेश्वर एचईपी (400 मे.वा.) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | नई परियोजना कार्यालय, न्यू टिहरी शहर (एनटीटी) | टिहरी गढ़वाल | उत्तराखंड | नई परियोजनाएं– झेलम तमक एचईपी (108 मे.वा.) और बोकांग बेलिंग एचईपी (330 मे.वा.) |
| 6. | परियोजना कार्यालय, अलकनंदा पुरम | चमोली | उत्तराखंड | विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मे.वा.) |
| 7. | समन्वय कार्यालय, देहरादून | देहरादून | उत्तराखंड | राज्य सरकार एवं आर एंड आर कार्य के लिए समन्वय |
| 8. | परियोजना कार्यालय, खुर्जा | बुलंदशहर | उत्तर प्रदेश | खुर्जा एसटीपीपी (1320 मे.वा.) |
| 9. | परियोजना कार्यालय, जोशीमठ | चमोली | उत्तराखंड | झेलम तमक एचईपी (108 मे.वा.) |
| 10. | परियोजना कार्यालय, धारचुला | पिथौरागढ़ | उत्तराखंड | बोकांग बेलिंग एचईपी (200 मे.वा.) |
| 11. | समन्वय कार्यालय, पंचकुला | पंचकुला | हरियाणा | चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ समन्वय |
| 12. | समन्वय कार्यालय, नैनीताल | नैनीताल | उत्तराखंड | माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड में न्यायिक मामले |
| 13. | समन्वय कार्यालय, लखनऊ | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | ढुकयां एसएचपी (24 मे.वा.) तथा उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय |
| 14. | परियोजना कार्यालय, बबीना | झांसी | उत्तर प्रदेश | ढुकयां एसएचपी (24 मे.वा.) |
| 15. | परियोजना कार्यालय, राधनपुर | पाटन | गुजरात | पाटन पवन विद्युत फार्म (50 मे.वा.) |
| 16. | परियोजना कार्यालय, देवभूमि द्वारका | देवभूमि द्वारका | गुजरात | देवभूमि द्वारका पवन विद्युत फार्म (63 मे.वा.) |
| 17. | ट्रांज़िट कैंप, एनबीसीसी टॉवर | नई दिल्ली | नई दिल्ली | मंत्रालय तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से समन्वय |
| 18. | परामर्शी कार्यालय, कटरा | रियासी | जम्मू–कश्मीर | कटरा तथा वैष्णो देवी के बीच ढलान स्थिरीकरण के लिए परामर्श |
| 19. | परियोजना कार्यालय, धौधान | सिंगरौली | मध्य प्रदेश | अमेलिया कोयला खान |

**10. कंपनी की सेवा प्राप्त करने वाले बाजार:**

टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध कराता है।

i) उत्तराखंड
ii) उत्तर प्रदेश
iii) हरियाणा
iv) पंजाब
v) हिमाचल प्रदेश
vi) जम्मू और कश्मीर
vii) राजस्थान
viii) दिल्ली
ix) चंडीगढ़
x) गुजरात
xi) मध्य प्रदेश

खंड ख: कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1. प्रदत्त पूंजी : 3654.88 करोड़ (31.03.2019 को)
2. कुल कारोबार (सकल आय) : 2850.29 करोड़ रु.
3. करोपरांत कुल लाभ (पीएटी) : 1251.60 करोड़ रु.
4. करोपरांत लाभ (%) के प्रतिशत के रुप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च: कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत लिया जाता है। तदनुसार वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर बजट 17.35 करोड़ रु. आता है। कंपनी अधिनियम, 2013 में समाहित प्रावधानों के अनुसार व्यय के लक्ष्य को 17.52 करोड़ रु. खर्च करके सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
5. उन गतिविधियों की सूची जिनके लिए उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है:

   कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान मोटे तौर पर निम्नलिखित मुख्य शीर्षों पर सीएसआर व्यय किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरुप है:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | सीएसआर परियोजना या गतिविधि | क्षेत्र (सेक्टर) | स्थानीय क्षेत्र एवं जिला | अनुमोदित बजट (लाख रूपये में) | खर्च की गई राशि (लाख रूपये में) | खर्च की गई राशि: सीधे या कार्यान्वित करने वाली एजेंसी के माध्यम से |
| 1 | स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि | स्वास्थ्य | परियोजना प्रभावित क्षेत्र (उत्तराखंड) | 1735.17 | 362.60 | सेवा–टीएचडीसी |
| 2 | शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कौशल आदि | शिक्षा | | | 809.92 | सेवा–टीएचडीसी |
| 3 | महिला सशक्तीकरण | महिला सशक्तीकरण | | | 21.64 | सेवा–टीएचडीसी |
| 4 | पर्यावरण सततता आदि | पर्यावरण | | | 39.63 | सेवा–टीएचडीसी |
| 5 | राष्ट्रीय विरासत कला संस्कृति को बढ़ावा देना | कला और संस्कृति | | | 80.72 | सेवा–टीएचडीसी |
| 6 | सशस्त्र बल कल्याण | कल्याण | | | 5.00 | सेवा–टीएचडीसी |
| 7 | खेल–कूद को प्रोत्साहन | खेल–कूद | | | 9.36 | सेवा–टीएचडीसी |
| 8 | ग्रामीण विकास कार्यक्रम | सामाजिक | | | 358.34 | सेवा–टीएचडीसी |
| 9 | निष्पादन करने वाली एजेंसी (सेवा–टीएचडीसी) के कार्यालयीन व्यय / बेस लाईन सर्वेक्षण / विशेषज्ञों के दौरे पर खर्च | | | | 65.01 | सेवा–टीएचडीसी |
| | योग | | | 1735.17 | 1752.36 | |

खंड ग: अन्य ब्यौरे

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं?

   नहीं

2. क्या सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी की बी आर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी / कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें।

   लागू नहीं

3. क्या कोई अन्य इकाई / इकाईयां (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं, यदि हां, तो ऐसी इकाई / इकाईयों के प्रतिशत का उल्लेख करें (30 प्रतिशत से कम, 30–60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)

   नहीं

खंड घ: बी आर संबंधी सूचना

1. बी आर के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण

क) बी आर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का ब्यौरा:

- डी आई एन नं. – 03107819
- नाम – श्री डी. वी. सिंह
- पदनाम – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बीआर शीर्ष का ब्यौरा

1. बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी अलग–अलग निदेशक

| सिद्धांत संख्या | विवरण | नीति / नीतियां | उत्तरदायी निदेशक / निदेशकगण |
|---|---|---|---|
| सिद्धांत 1 (पी 1) | व्यापार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालित व सुशासित किए जाएं। | • आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली<br>• कामगारों के लिए स्थायी आदेश<br>• कारपोरेट आचार नीति<br>• व्यापारिक आचार और नैतिक संहिता<br>• सचेतक नीति<br>• सत्यनिष्ठा समझौता | निदेशक (तकनीकी)<br>निदेशक (कार्मिक)<br>निदेशक (वित्त) |
| सिद्धांत 2 (पी 2) | व्यापार द्वारा ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सतत और सुरक्षित हों। | सुरक्षा नीति,<br>सीएसआर और सततता नीति<br>ओएचएसएएस 18001: 2007 | निदेशक (तकनीकी) |
| सिद्धांत 3 (पी 3) | व्यापार द्वारा वैल्यूचैन में आने वाले कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के हितों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। | मानव संसाधन (एच आर) नीतियां | निदेशक (कार्मिक) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सिद्धांत 4 (पी 4) | व्यापार द्वारा सभी हितधारियों के हितों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। | आर एंड आर नीति<br>विजन व मिशन | निदेशक (तकनीकी) |
| सिद्धांत 5 (पी 5) | व्यापार द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। | विजन, मिशन और मूल्य | निदेशक (कार्मिक) |
| सिद्धांत 6 (पी 6) | व्यापार द्वारा पर्यावरण का सम्मान और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए तथा पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए। | पर्यावरण नीति<br>आईएसओ 14001–2015 (ईएमएस) | निदेशक (तकनीकी) |
| सिद्धांत 7 (पी 7) | व्यापार, जब जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों तो उन्हें उत्तरदायी और पारदर्शी रीति से यह कार्य करना चाहिए। | मूल मान्यताएं (कोर वैल्यू) | निदेशक (तकनीकी)<br>निदेशक (कार्मिक)<br>निदेशक (वित्त) |
| सिद्धांत 8 (पी 8) | व्यापार द्वारा समावेशी विकास तथा समता मूलक विकास का समर्थन किया जाना चाहिए। | सीएसआर और सततता नीति<br>सीएसआर संचार रणनीति | निदेशक (तकनीकी) |
| सिद्धांत 9 (पी 9) | व्यापार जगत को अपने ग्राहकों के साथ जुड़े रहना चाहिए तथा उन्हें अपने ग्राहकों को उत्तरदायी रुप में महत्व देना चाहिए | उपभोक्ता प्रति–पुष्टि (फीडबैक तंत्र) | निदेशक (तकनीकी)<br>निदेशक (कार्मिक)<br>निदेशक (वित्त) |

सिद्धांतवार बीआर नीति / नीतियां (उत्तर हां / नहीं)

| क्र.सं. | प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | क्या पी1, पी2, पी3 सिद्धांतों के लिए आपकी कोई नीति / नीतियां है | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | नहीं |
| 2. | क्या संगत हितधारियों से परामर्श करने के उपरांत नीति तैयार की गई है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | नहीं |
| 3. | क्या नीति किन्हीं राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो स्पष्ट उल्लेख करें– | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | नहीं |
| 4. | I. क्या नीति को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | नहीं |
| | II. यदि हां, तो क्या प्रबंध निदेशक / मालिक / सीईओ / यथोचित बोर्ड निदेशक ने इस पर हस्ताक्षर किए है? | हां | हां | | | हां | | | | हां |

| क्र.सं. | प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी में बोर्ड / निदेशक / कार्मिकों की विशिष्ट समिति है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | नहीं |
| 6. | नीति (पॉलिसी) को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें? | * | * | वेब पर नहीं | * | वेब पर नहीं | * | वेब पर नहीं | * | - |
| 7. | क्या सभी संगत आंतरिक और बाहरी हितधारियों को नीति के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया जा चुका है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | |
| 8. | क्या नीति / नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी के पास आंतरिक ढांचा है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | |
| 9. | क्या नीति / नीतियों से जुड़ी हितधारियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कंपनी की नीति / नीतियों से जुड़ा कोई शिकायत निवारण तंत्र है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | |
| 10. | क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी से इस नीति के कामकाज की स्वतंत्र लेखा परीक्षा / मूल्यांकन करवाया है? | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | |

*पर्यावरण नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
https://thdc.co.in/content/environment-policy
*पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है
https://thdc.co.in/content/rr-policy
*सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR-CD-policy28.05.13.pdf
*टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_CommuStrategy.pdf
*टीएचडीसीआईएल विजन, मिशन और मूल्य निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
https://thdc.co.in/content/visionmissionvalues
*कारपोरेट आचार संहिता नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
https://thdc.co.in/sites/default/files/Corporate_Ethics_Policy.pdf
*सचेतक नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicy.pdf
*व्यापार आचार संहिता और नैतिक आचार संहिता निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf
*अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
http://www.thdc.co.in/sites/default/files/R%26D_Policy_THDC.pdf
*संरक्षा नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
http://www.thdc.co.in/sites/default/files/Occupational_Health%26Safety.pdf

2. यदि किसी सिद्धांत के लिए क्र.सं. 1 का उत्तर "नहीं" है तो कृपया कारण बताएं (दो विकल्पों पर √ का निशान लगाएं)।

सिद्धांत –9 के अन्तर्गत चिन्हित किए गए सभी मूल तत्वों का टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विधिवत पालन किया जाता है। तथापि टीएचडीसीआईएल का मानना है कि सिद्धांत–9 के संबंध में पृथक नीति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि:

- टीएचडीसीआईएल बल्क उपभोक्ताओं के बिजली की आपूर्ति करती है, जिसमें अधिकार की मालिक संबंधित राज्य सरकार होती है।
- कतिपय नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा बिजली का आबंटन किया जाता है।
- टीएचडीसीआईएल की जल विद्युत परियोजनाओं का विद्युत प्रशुल्क का निर्धारण सभी हितधारकों को शामिल कर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईआरसी) द्वारा किया जाता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के लिए निर्णय टीएचडीसीआईएल और लाभग्राही राज्यों के बीच पारस्परिक सहमति से लिया जाता है।
- यदि कोई मुद्दा हो तो उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति एनआरपीसी जैसे सामान्य मंच पर उसके सम्बन्ध में विचार कर समाधान किया जाता है जिसके सदस्य ग्राहक संगठन और उत्पादक होते हैं।
- ग्राहकों की जरूरतों तथा उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए उनसे अलग से प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है।

3. बीआर से संबंधित सुशासन

- जिस अंतराल पर निदेशक मंडल, बोर्ड की समितियां या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कंपनी के बी आर निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं, उसका उल्लेख करें :–

छमाही

- क्या कंपनी बीआर या सततता रिपोर्ट प्रकाशित करती है, इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? कितने समय के अंतराल पर इसका प्रकाशन किया जाता है?

टीएचडीसीआईएल वर्ष 2008–09 से हर वर्ष सततता रिपोर्ट प्रकाशित करती है। टीएचडीसीआईएल की सततता रिपोर्ट http://thdc.co.in/reports पर उपलब्ध हैं। व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट टीएचडीसीआईएल की वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

खंड ङ– सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत। (व्यापारों संचालन व सुशासन आचार पारदर्शी और जिम्मेदारी के साथ स्वयं करना चाहिए।

क. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति के दायरे में केवल कंपनी ही आती है, हां/नहीं; क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/ अन्यों पर लागू है?

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड कारपोरेट सुशासन के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है। कारपोरेट सुशासन के बारे में टीएचडीसीआईएल का दर्शन निष्पक्ष, नैतिक और पारदर्शी सरकारी प्रथाओं के आधार पर स्थापित किया जाता है। टीएचडीसीआईएल ने हमेशा ही कंपनी अधिनियम/ लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित कारपोरेट सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास किया है। इस सुशासन में कंपनी के सभी कर्मियों से जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है और यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति पर आधारित होता है। इन नीतियों में वर्णित सिद्धांतों को दिशानिर्देशों और आचार संहिता के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। नैतिकता संबंधी नीति, सचेतक नीति, कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के लिए आचरण और अनुशासन तथा अपील नियम तथा कामगारों के लिए स्थायी आदेश पहले से ही प्रचलन में हैं जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करना है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता में कंपनी के सभी निदेशक और प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ कार्मिक आते हैं। सचेतक नीति का उद्देश्य संगठन में पारदर्शिता और भरोसे की संस्कृति बनाना और सुदृढ़

करना है तथा अनुचित गतिविधियों "व्हिसिल ब्लोअर" के लिए जिम्मेदार और सुरक्षित संसूचना देने के लिए कर्मचारियों का एक ढांचा/प्रक्रिया उपलब्ध करवाना है।

टीएचडीसीआईएल द्वारा की गई सभी बड़ी संविदाओं (अनुमानित मूल्य 1000 मिलियन रु. से अधिक) और आपूर्ति सेवा संविदाओं का (अनुमानित मूल्य 500 मिलियन रु. से अधिक) के लिए अनिवार्य रूप से निष्ठा शपथ पर हस्ताक्षर करवाया जाता है। प्राप्त और संविदा प्रबंधन में पादर्शिता को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भारत के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नीति ठेकेदारों पर भी लागू होती है।

टीएचडीसीआईएल में एक सतर्कता विभाग है जिसके प्रधान मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं, जो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं तथा उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामित किया जाता है। टीएचडीसीआईएल में स्थापित सतर्कता विभाग में कारपोरेट केंद्र और परियोजनाओं के सतर्कता कार्यपालक शामिल होते हैं। सतर्कता विभाग सतर्कता तंत्र के विभिन्न पहलुओं पर कार्रवाई करता है और सतर्कता मामलों के त्वरित समाधान के लिए कार्य करता है।

(ख) गत वित्त वर्ष के दौरान हितधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है तथा प्रबंधन द्वारा उनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषप्रद रूप से समाधान किया गया है? यदि हां तो 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

पूर्ववर्ती वर्ष की कोई शिकायत बकाया नहीं है। दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के बीच सचेतक नीति के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सिद्धांत 2 (व्यवसायों को इस तरीके से उत्पाद और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सतत और सुरक्षित हैं और उनके जीवन चक्र में स्थिरता हेतु योगदान करते हैं)

क. अपने 03 उत्पादों या सेवाओं की सूची उपलब्ध करवाएं जिनकी डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता जोखिम और/या अवसर उपस्थित हुए हैं।

सभी विद्युत उत्पादन पद्धतियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जल विद्युत क्षेत्र एवं पवन विद्युत क्षेत्र में होने के कारण प्रभाव न्यूनतम है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत हैं। कंपनी, संव्यवहार अपने प्रचालनों का प्रभाव सीमित करने के लिए पर्यावरण का प्रबंधन सावधानीपूर्वक करती है।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में कंपनी अपनी गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। टीएचडीसीआईएल का उद्देश्य वातावरण के उत्सर्जन में कमी लाना, (विशेषकर ग्रीनहाउस गैसें) मृदा और जल का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, सुविधाओं को उनके माहौल में समेकित करना, स्रोत पर ही कटौती करना, पुनः प्रयासों और पुनः चक्रण करना है।

ऐसी निर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव अध्ययन किए जाते हैं जिनसे जैव, भौतिक और मानव के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। उपशमन, प्रतिपूर्ति और अनुवर्तन के उपाय भी विकसित किए जाते हैं। अपने कार्यों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए टीएचडीसीआईएल ठोस पर्यावरणीय प्रबंधन पर निर्भर करती है। चार परियोजनाओं नामतः टिहरी एचपीपी, कोटेश्वर एचईपी, टिहरी पीएसपी और विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी के लिए आईएसओ 14001:2004 (ईएमएस) प्राप्त की गई है। पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए कारगर कार्यान्वयन के लिए तृतीय पक्ष निगरानी भी की जाती है। 444 मेगावाट के वीपीएचईपी में टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का प्रयोग कर 12 किमी लंबी हेड रेस टनल का निर्माण किया जाएगा जो पर्यावरण के अनुरूप है।

1320 मेगावाट का खुर्जा एसटीपीपी बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए टीएचडीसीएल द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

ख. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधन के प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध करवाएं, प्रति ईकाई उत्पाद (वैकल्पिक):

(i) पिछले वर्ष की तुलना में पूरी वैल्यू चेन के दौरान स्रोत/उत्पादन/वितरण में प्राप्त की गई कमी कितनी है?

(ii) पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा (ऊर्जा, जल) प्रयोग में की गई कमी?

टीएचडीसीआईएल जल विद्युत और पवन विद्युत के माध्यम से बिजली पैदा कर रहा है। जल विद्युत परियोजनाएं जल की खपत किए बिना इसका उपयोग कर बिजली उत्पादन करती है और इस जल को पीने और सिंचाई के प्रयोजन से छोड़ दिया जाता है। पवन विद्युत पवन की गति का प्रयोग करते हुए विद्युत का उत्पादन करती है तथा इसमें भी संसाधनों की कोई खपत/कमी नहीं होती।

ग. क्या सतत स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कंपनी की कोई प्रक्रिया–विधियां है? यदि हां, तो आपकी इनपुट का कितना प्रतिशत दीर्घकालिक रूप से किया गया? साथ ही लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

जल विद्युत उत्पादन के लिए नदी के जल का प्रयोग किया जाता है तथा पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयुक्त पवन को प्रयोग में लाया जाता है। दोनों संसाधन प्राकृतिक स्रोत हैं और इस विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में इसकी मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है।

घ. क्या कार्यस्थल के आस–पास स्थित समुदाय के लोगों सहित स्थानीय और लघु उत्पादकों से माल और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी ने कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और योग्यता बढ़ाने लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

माल कार्य/सेवाओं का प्रापण ई–टेंडर के जरिए किया जाता है। व्यापक प्रचार करने के लिए समाचार पत्रों में एनआईटी भी प्रकाशित की जाती हैं। सभी टेंडर सभी वेंडरों के लिए खोले जाते हैं जिनमें स्थानीय वेंडर भी शामिल होते हैं। स्थानीय/छोटे वेंडरों/ठेकेदारों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं.

- ई–टेंडरिंग में स्थानीय/छोटे वेंडरों को ई–टेंडरिंग के प्रति संवेदनशील किया जा रहा है। टीएचडीसीआईएल द्वारा खोले गए "सुविधा केंद्रों" के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से पंजीकरण एवं टेंडर अपलोड करने के लिए विक्रेताओं की सहायता की जाती है।
- टाउनशिप के अवसंरचनात्मक/अनुरक्षण कार्यों से संबंधित छोटे कार्य स्थानीय ठेकेदारों को अवार्ड किए जाते हैं।
- परियोजनाओं/व्यापारिक संस्थापनाओं के लिए वाहन किराए पर लेना, कार्यालय परिसर की सफाई, बागवानी कार्य जैसी सेवाएं स्थानीय विक्रेताओं/एजेंसियों के माध्यम से करायी जाती हैं।
- विशेषज्ञता कार्य में जुटे प्रमुख ठेकेदारों को स्थानीय विक्रेताओं/एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उपक्रमों से प्रापण को बढ़ावा देने के क्रम में दिशानिर्देशों के अनुसार रियायतें जैसे टेंडर की लागत एवं ईएमडी के भुगतान से छूट भी दी जाती है।
- सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा सभी स्टार्ट–अप चाहे एमएसएमई या अन्यत्र को पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव के संबंध में योग्यता मानदंड को पूरा करने में कुछ छूट दी जाती है।
- टीएचडीसीआईएल ने एमएसई को समय से भुगतान करने के लिए मैसर्स मींड सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड एम 1 एक्सचेंज को पंजीकृत किया है।
- टीएचडीसीआईएल अनेक उपाय जैसे ई–भुगतान, ई बिलिंग, ई प्रयास, ई–नीलामी, वेंडर पंजीकरण, टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर बिल की स्थिति की आनलाइन ट्रैकिंग तथा सीपीपी पोर्टल पर निविदा दस्तावेजों को अपलोड कर अत्यधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

वित्त वर्ष 2018–19 में 28.34 करोड़ की वस्तुएं और सेवाएं खरीदी गई हैं। सेवा प्रदाताओं को 100 प्रतिशत भुगतान ई–पेमेंट के जरिए किया गया है और नकदी रहित लेन–देन किया गया था।

ङ. क्या उत्पादों और अपशिष्ट का पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) करने का कोई तंत्र कंपनी के पास है। यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट का पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) करने का प्रतिशत क्या है (अलग–अलग <5 प्रतिशत, 5.10 प्रतिशत, >10 प्रतिशत) लगभग 50 शब्दों में उनका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

हमारे उत्पाद अर्थात बिजली की पूरी की पूरी खपत हो जाती है और इसलिए पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) की कोई गुंजाइश नहीं है। ई–अपशिष्ट का निपटान सरकार द्वारा अनुमोदित पक्षों के माध्यम से किया जाता है।

टीएचडीसीएल द्वारा नगर क्षेत्र, कैंटीन की ठोस छीजन एवं बागवानी छीजन के उत्पादक प्रयोग के लिए ऋषिकेश नगर क्षेत्र में बायो गैस संयंत्र की भी स्थापना की गई है। संयंत्र की क्षमता 500 किलोग्राम प्रतिदिन है। संयंत्र से उत्पादित बायो गैस का प्रयोग कैंटीन/अतिथि गृह की रसोई में तापीय अनुप्रयोग के लिए किया जाता है जबकि खाद का प्रयोग इन हाउस बागवानी गतिविधियों के लिए किया जाता है। टीएचडीसीआईएल के ऋषिकेश नगर क्षेत्र से मलजल के उपचार हेतु मलजल उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है।

**सिद्धांत 3 (व्यापार को वैल्यू चेन वाले कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए)**

क. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं:

1891 (31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार)

ख. कृपया अस्थायी/संविदा/ तथा आकस्मिक आधार पर मेहनताने के एवज में रखे गए कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं:

2528 (इसमें संविदा आधार पर रखे गए 3 डॉक्टर भी हैं) (31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार)

ग. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें:

116 (31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार)

घ. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें:

33 (31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार)

ङ. क्या आपकी कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी एसोसिएशन है जिसे प्रबंधन ने मान्यता प्रदान की हो।

टीएचडीसीआईएल में निम्नलिखित एसोसिएशन/यूनियनें हैं

क. टीएचडीसी आफिसर्स एसोसिएशन
ख. टीएचडीसी डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन
ग. टीएचडीसी सुपरवाइजर एसोसिएशन
घ. टीएचडीसी चालक/हेल्पर कर्मचारी यूनियन
ङ. टीएचडीसी श्रमिक संघ
च. टीएचडीसी वर्कर्स यूनियन
छ. टीएचडीसी आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ
छ. टिहरी जल विकास निगम लिमिटेड कर्मचारी संघ

च. आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं?

दिनांक 31.03.2019 के अनुसार कुल 1584(83.76 प्रतिशत) स्थायी कर्मचारी मान्यता प्राप्त टीएचडीसीआईएल यूनियन और एसोसिएशन के सदस्य हैं।

छ. कृपया पिछले वित्त वर्ष के दौरान बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की संख्या तथा वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।

| क्र. सं. | श्रेणी | वित्त वर्ष के दौरान की गई शिकायतों की सं. | वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. |
|---|---|---|---|
| 1 | बाल श्रम/बेगार/गैर.स्वैच्छिक श्रम | शून्य | लागू नहीं |
| 2 | यौन उत्पीड़न | शून्य | लागू नहीं |
| 3 | रोजगार में भेदभाव | शून्य | लागू नहीं |

ज. आपके नीचे वर्णित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को गत वर्ष संरक्षा और कौशल सुधार संबंधी प्रशिक्षण दिया गया? (2018–19)

| | प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या | | प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| | संरक्षा में प्रशिक्षण | कौशल उन्नयन | संरक्षा में प्रशिक्षण | कौशल उन्नयन |
| स्थायी कर्मचारी | 203 | 402 | 10.7% (203/1891*100) | 21.2% (402/1891*100) |
| स्थायी महिला कर्मचारी | 6 | 27 | 5.1% (6/116*100) | 23.2% (27/116*100) |
| अनियत / अस्थायी/संविदा कर्मचारी* | 15 | 30 | 0.59% (15/2528*100) | 1.18% (30 / 2528*100) |
| विकलांग कर्मचारी | 2 | 0 | 6.06% (2/33*100) | 0% (0 / 33*100) |

सिद्धांत 4 (व्यापार को समस्त के हितों की रक्षा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए)

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाहरी हितधारियों की गणना की है?

   हां

2. क्या कंपनी ने उपर्युक्त में से वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारियों की पहचान की है?

   हां

3. क्या वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारियों को नियुक्त करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

   कंपनी, वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारियों के उत्थान के लिए तत्पर रहती है। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्व–सहायता समूह के गठन तथा रिवाल्विंग फंड प्रदान करने के रूप में दी गई सतत सहायता और समर्थन के कारण उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ है। उनके लिए स्वास्थ्य जागरुकता और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए हैं।

सिद्धांत 5 (व्यापार को मानवाधिकारों को सम्मान एवं बढ़ावा देना चाहिए)

क. क्या मानव अधिकार से संबंधित कंपनी की नीति के दायरे में केवल कंपनी आती है या यह समूह/संयुक्त उपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकार संगठनों/अन्यों पर भी लागू है?

टीएचडीसीआईएल की सभी मानव संसाधन (एचआर) नीतियां, इकाइयों, कार्यालयों और परियोजनाओं में तैनात इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। कंपनी द्वारा अवार्ड किए गए ठेकों में मानवाधिकार से जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं तथा विभिन्न श्रम कानूनों तथा देश के कानूनों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है।

ख. पिछले वित्त वर्ष के दौरान हितधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रुप से किया गया?

वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायत सहित मानवाधिकार से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6 (व्यापार को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा पुनः स्थापन करना चाहिए)

क. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति के दायरे में केवल कंपनी आती है या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर.सरकारी संगठनों / अन्यों पर भी लागू है।

टीएडीसीआईएल आईएसओ 14001 (ईएमएस) प्रमाणित कंपनी है। टीएचडीसीआईएल की पर्यावरण नीति इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। ठेकों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े खंड हैं ताकि हमारे ठेकेदार, शिकमी ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता और परामर्श दाता उनकी गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने पर पर्याप्त ध्यान दे सकें। कर्मचारियों के लिए

सततता विकास जागरूकता पर आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

ख. क्या जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए कंपनी ने कोई रणनीति तैयार की है/पहलें की हैं, यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।

हां, टीएडीसीआईएल पर्यावरण नीति का वेब लिंक है.

http://www.thdc.co.in/Content/Environment-Policy

ग. क्या कंपनी पर्यावरण जोखिम से जुड़े बड़े खतरों की पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं

हां। परियोजना की तैयारी के स्तर पर विस्तृत पर्यावरण प्रभाव का आंकलन किया जाता है और पर्यावरण योजना तैयार की जाती है जिसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता है। उत्तराखंड में निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी एचई परियोजना (444 मेगावाट) के लिए प्रयासों की समीक्षा एवं सर्वोत्तम पद्धति अपनाने के लिए विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय पैनल गठित कर दिया गया है। इस जानकारी को अन्य परियोजनाओं में भी लागू किया जा रहा है।

घ. क्या कंपनी की क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म से जुड़ी कोई परियोजना है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं। यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?

वर्तमान में कंपनी की क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म एकजीक्यूटिव बोर्ड के साथ पंजीकृत कोई परियोजना नहीं है।

ङ. क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलाजी, ऊर्जा कार्यकुशलता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कुछ अन्य पहलें शुरू की हैं। हां/नहीं। यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।

कंपनी जल विद्युत उत्पादन करती है जो अपने आप में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है। टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2017–18 में पाटन और देवभूमि द्वारका, गुजरात में क्रमशः 50 मेगावाट तथा 63 मेगावाट की दो पवन परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं। कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में 500 मे.वा. सोलर रूफ टॉप भी संस्थापित किया गया है। 24 मे.वा. की लघु जल विद्युत परियोजना ढुकवां, झांसी, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है जिसको 2019–20 में चालू किया जाना है। कासरगोड, केरल में सोलर एनर्जी कारपोरेशन आफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ 50 मे.वा. सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कार्य 8 अगस्त 2019 को मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड को दिया गया है।

च. क्या आलोच्य वित्त वर्ष के दौरान सीपीसीबी /एसपीसीबी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार कपंनी द्वारा किया गया उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्धारित सीमा के भीतर है?

हां

ज. वित्त वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या (अर्थात संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किए गए थे)

आलोच्य अवधि में सीपीसीबी/एसपीसीबी से कोई कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ।

सिद्धांत 7: (व्यापार जब जनता तथा विनियामक नीति को प्रभावित करने लगे, उसे ऐसा पारदर्शी और उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए)

क. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड चैम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन प्रमुख संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका व्यापारिक संबंध है।

क. आल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए)

ख. स्टैंडिंग कांफ्रेंस आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (स्कोप)

ख. क्या आपने अपनी एसोसिएशन के माध्यम से लोक हित को आगे बढ़ाने या उसमें सुधार लाने का समर्थन किया है? हां/नहीं, यदि हां तो प्रमुख क्षेत्रों का विशेष उल्लेख करें (ड्राप बाक्सः सुशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा सतत व्यापारिक सिद्धांत, अन्य)

जिम्मेदार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते टीएचडीसीआईएल, देश के कानूनों, नियमों, विनियमों और सार्वजनिक नीतियों का अनुपालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी अपनी नीतियां तैयार करते समय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीतियां और दिशा–निर्देशों तथा सांविधिक निर्देशों को ध्यान में रखती है।

जब कभी भी मौजूदा नीतियों और दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को मत/सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि यह उन पर विचार कर सके। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तुत किए गए मत/सुझाव कंपनी या समाज के किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रख कर न तैयार किए गए हों बल्कि समग्र जनता और संपूर्ण राष्ट्र के व्यापक लाभ के लिए तैयार किए गए हों।

**सिद्धांत 8 (व्यापार को समग्र वृद्धि और समान विकास को सहयोग देना चाहिए)**

क. क्या सिद्धांत 8 से जुड़ी नीति के बारे में कंपनी के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहलें/ परियोजनाएं हैं? यदि हां तो उसका ब्यौरा दें।

टीएचडीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित समुदायों का समग्र विकास रहा है जो अपने आप में समावेशी विकास के साथ–साथ समान विकास का बड़ा परिपेक्ष्य है। टिहरी बांध के 50 रिम गांवों के समग्र विकास के लिए तीन सरकारी विश्वविद्यालय नामतः एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्री नगर, शहीद भगत सिंह सांध्य कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा वीर चंदर सिंह गढ़वाली बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय को संलग्न किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य लक्षित समुदायों के जीवन में कुल मिलाकर सकारात्मक सतत परिवर्तन लाना है। तदनुसार, सभी तीनों क्षेत्रों के अर्थात सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय श्रेणी पर विचार कर हस्तक्षेप किए जाते हैं जो टीएचडीसीआईएल की सीएसआर पहलों से स्पष्ट है कुछ प्रमुख पहलें संक्षेप में नीचे की जा रही है।

क. शिक्षाः वंचित/सुविधाहीन समुदायों को शिक्षा मुहैय्या करवाने, उच्च और तकनीकी शिक्षा केंद्र की स्थापना करने, व्यावसायिक शिक्षा और अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप किए गए हैं। प्रमुख हस्तक्षेप निम्नलिखित हैः

I वंचित/सुविधाहीन समुदायों के लिए विद्यालयों का संचालनः टीएचडीसीआईएल, अपनी "टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस)" नामक सोसाइटी के माध्यम से योग्य शिक्षकों/कर्मचारियों की सहायता से दो स्थानों नामतः पिछड़े टिहरी गढ़वाल जिले कि टिहरी और कोटेश्वर में एवं एक ऋषिकेश में वंचित/सुविधहीन समुदायों के लिए तीन विद्यालयों का संचालन कर रही है। इन विद्यालयों में नाममात्र का शुल्क लिया जाता है। पोशाक, मध्याह्न भोजन और अध्ययन सामग्री निशुल्क मुहैय्या करवाई जाती है। इन विद्यालयों के संचालन हेतु वार्षिक बजट लगभग 8.0 करोड़ रुपए का है।

वर्ष 2018–19 के दौरान विद्यार्थियों के विवरण निम्नानुसार है:–

| स्कूल | अ.जा. श्रेणी के छात्र | | अ.वि.व. श्रेणी के छात्र | | सामान्य श्रेणी के छात्र | | कुल छात्र | | कुल छात्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लड़के | लड़की | लड़के | लड़की | लड़के | लड़की | लड़के | लड़की | |
| ऋषिकेश | 34 | 39 | 61 | 94 | 77 | 109 | 172 | 242 | **414** |
| टिहरी | 41 | 53 | 00 | 01 | 64 | 54 | 105 | 108 | **213** |
| कोटेश्वर | 48 | 36 | 02 | 00 | 96 | 68 | 146 | 104 | **250** |
| कुल | 123 | 128 | 63 | 95 | 237 | 231 | 423 | 454 | **877** |

II उच्च तकनीकी शिक्षा केंद्र की स्थापना: टीएचडीसीआईएल ने लगभग 60 करोड़ रु. की लागत से टिहरी में पहला जल विद्युत विकास संस्थान और अभियांत्रिकी महाविद्यालय टीएचडीसी "इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी" की स्थापना की है। यह संस्थान देश भर के इच्छुक छात्रों को 5 विषयों अर्थात सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, संचार तथा कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रदान करता है। शैक्षिक वर्ष 2018–19 के दौरान 173 छात्रों ने भिन्न–भिन्न विषयों में डिग्री स्तर पर अध्ययन किया। संस्थान में 5 प्रतिशत सीटें परियोजना से प्रभावित छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

III संघात वर्ग– टिहरी गढ़वाल के दूर–दराज क्षेत्रों में स्थित छात्रों को शैक्षिक सहायता कार्यक्रम– इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतापनगर और थौलधार ब्लाक के आठ स्कूलों में कक्षा 5, 6, 7 और 8 के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा सहायता प्रदान की जा रही है। कुल 287 (134 लड़कियां और 153 लड़के) छात्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं। शैक्षिक प्रयासों को प्रोजेक्टर, स्क्रीन तथा श्रव्य प्रणाली द्वारा सहायता दी जाती है ताकि शिक्षण को मनोरंजक और प्रभावी बनाया जा सके।

IV सरकारी स्कूलों को अवसंरचनात्मक सहायता: अलग–अलग स्कूलों के छात्रों में कुल 809 फर्नीचर (मेज और कुर्सी) 154 वर्दियां तथा 3714 पुस्तकें वितरित की गई हैं।

ख स्वास्थ्य

स्थापित ऐलोपैथी अस्पताल, होम्योपैथी औषधालयों और बहु विशेषज्ञता युक्त शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विवरण निम्नानुसार है:–

I. एलोपैथिक औषधालय: एमबीबीएस चिकित्सक और पूर्ण प्रशिक्षित पैरामेडिकल सहायक स्टाफ पिछड़े टिहरी गढ़वाल जिले के दीन गांव में एलोपैथिक हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। औषधालय में बेसिक पैथोलॉजी टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, कॉल पर एम्बुलेंस के साथ मुफ्त दवाईयों सहित माइनर ऑपरेशन थियेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यह निकटवर्ती लगभग 40 गांवों की लगभग 15000 जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करता है। प्रारंभ होने के समय से कुल पंजीकृत ओ.पी.डी. 69109 है और वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, 15450 ओपीडी दर्ज हुई हैं।

II. होम्योपैथिक औषधालय: वर्तमान में स्वामी नारायण मिशन सोसाइटी, ऋषिकेश की सहायता से पांच होम्योपैथिक डिस्पेंसरी कार्यशील हैं, जिनमें से तीन टिहरी जिले में गलियाखेत, धूंतरी, कोटेश्वर और दो शीशम झारी में तथा एक गांव इंद्रानगर, ऋषिकेश जिला देहरादून में, निःशुल्क दवा–वितरण सुविधा के साथ कार्यशील हैं। इन डिस्पेंसरियों में आरंभ से सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष 6,60,227 ओपीडी हुई हैं और वित्त वर्ष 2018–19 में 85221 ओपीडी हुई हैं।

III. टेलीमेडिसन परियोजना: टिहरी जिले के दूर दराज के गांव में दूरी की समस्या दूर करने तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए टीएचडीसीआईएल और टिहरी जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से 20 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित किए जो उत्तराखंड में अपनी तरह का पहला प्रयास है। प्रत्येक टेलीमेडिसिन सेंटर, सरकारी अस्पताल टिहरी में स्थापित नियंत्रण कक्ष से (वीडियो) से जुड़ा हुआ है। सभी टेलीमेडिसिन केंद्र में एक मेडिकल किट (ब्रिफकेस) होता है जिसमें पल्स आक्सीमीटर, ईसीजी मशीन वाई फाई ईसीजी रिकार्डर, एक्सरे व्यू बुक, ग्लूकोमीटर और अन्य आवश्यक उपकरण और एक व्यापक पैथालोजिकल किट होता है। इसके साथ ही एक एन्ड्रायड टैबलेट होता है जिसमें जरूरी दवाइयों की सूची और उठाकर ले जाने योग्य हॉटस्पॉट होता है ताकि अस्पताल में निदान, आँकड़ा हस्तांतरण और संचार को सुकर बनाया जा सके। ऐसे केंद्र प्रशिक्षित फार्मासिस्ट/नर्स द्वारा चलाए जाते हैं जो नई टिहरी के बुराड़ी में स्थित जिला अस्पताल के नियंत्रण कक्ष में बैठने वाले विशेषज्ञ डाक्टर और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के मरीज के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। एम्स, ऋषिकेश

को भी विशेषज्ञ परामर्श हेतु जोड़ा गया है। ये 20 टैलीमेडीसन केंद्र एक साथ 100 ग्राम सभाओं और लगभग 56900 लोगों की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। शुरूआत से (दिसम्बर, 2017) से मार्च 2019 तक 2018–19 के दौरान 15324 पंजीकृत ओपीडी के साथ कुल 17288 ओपीडी पंजीकृत की गई। मार्च, 2019 में भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने टीएचडीसीआईएल के साथ टिहरी जिला प्रशासन को इसके लिए ई–सुशासन अवार्ड प्रदान किया।

IV. बहुविशेषज्ञता चिकित्सा शिविरः विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर बहु विशेषज्ञता वाले स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। **टीएचडीसीआईएल अस्पताल, भागीरथीपुरम, टिहरी, गढ़वाल** – टिहरी जिले में कुल 12 शिविर कुल पंजीकृत ओपीडी–2268 (पुरुष 1029, महिला 1239)

**एम्स ऋषिकेशः** एम्स ऋषिकेश के साथ तालमेल स्थापित टिहरी–2, कोटेश्वर–2 (नवम्बर,18 और मार्च,19), ऋषिकेश–2 (दिसंबर, 18 और मार्च,19) इस प्रकार कुल 6 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। कुल ओपीडी–1338 वित्त वर्ष (2018–19) एम्स ऋषिकेश द्वारा ऋषिकेश में एक अनुवर्तन जागरूकता शिविर भी लगाया गया जिससे ओपीडी की संख्या 102 थी।

**निर्मल नेत्र संस्थानः** मार्च,2019 तक टिहरी जिले में 6 नेत्र विशिष्ट शिविर चमियाला, कोटेश्वर, लामगांव, नंदगांव, चिनयालीसौर और कामंद में लगाए गए। कुल ओपीडी– 1023 (पुरुष–521, महिला–502, कैटेरैक्ट सर्जरी–202)

**दीनगांव औषधालय द्वारा स्वास्थ्य शिविरः**

एक शिविर गांव गोरसादा, जिला उत्तरकाशी में आयोजित किया गया था। कुल पंजीकृत ओपीडी 265 (96 पुरुष, 125 महिलाएं और 44 बच्चे)

**जॉली ग्रांट में स्वास्थ्य शिविरः** जॉली ग्रांट में मार्च, 2019 तक कुल तीन–तीन शिविर लगाए गए हैं। कुल पंजीकृत ओपीडी की संख्या थी– 284

**सिंगरौलीः** मार्च, 2019 तक परियोजना प्रभावित गाँव में मिश्रा पालीक्लिनिक एंड नर्सिंग होम द्वारा दो चिकित्सा शिविर लगाए गए थे। कुल पंजीकृत ओपीडी– 680

### ग. प्राकृतिक विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण

दैवीय नदी गंगा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता तथा ऋषिकेश में लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों/ पर्यटकों को देखते हुए एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) के माध्यम से स्वर्गाश्रम–ऋषिकेश के गंगा घाट इलाकों में एक एलईडी बेस्ड लाइटिंग प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया गया है। इस परियोजना में मौजूदा लाइटिंग सिस्टम का प्रोन्नयन, संपूर्ण लाइटिंग स्थितियों और सौंदर्य में सुधार करने के लिए नई एलईडी हाईमास्ट लाइटों का संस्थापन मौजूदा परंपरागत लाइटिंग यूनिट की ऊर्जा कार्यक्षम एलईडी के साथ बदलना, विख्यात स्थानों जैसे रामझूला, लक्ष्मण झूला, परमार्थ निकेतन, और त्रिवेणी घाट आदि को सजावटी लाइटों से रोशन करना आदि शामिल है। नदी के किनारे और त्रिवेणी घाट पर 16 नई हाई मास्ट लाइटें संस्थापित की गई थी। कुल 150 स्ट्रीट लाइटों की भी मरम्मत की गई और लक्ष्मण झूले से राम झूले तक और त्रिवेणी घाट पर उन्हें ऊर्जा की दृष्टि से दक्ष एलईडी लाइटों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

### घ. महिला सशक्तीकरण–दीपमाई क्रेडिट सोसाइटीः

आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों को सशक्त बनाने के लिए दीपमाई क्रेडिट सोसाइटी नामक एक महिला क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना अक्तूबर, 2016 में सेवा–टीएचडीसी द्वारा 10 लाख रु. की निधि (कार्पस फंड) से की गई है। मार्च, 2019 तक सोसाइटी की स्थिति इस प्रकार है:

- कुल महिला सदस्य (सदस्यता शुल्क 100 रु. की दर से)–91
- कुल शेयर धारक (शुल्क 1000 रु. की दर से अधिकतम 5000 रु.)–67
- 65 शेयर धारकों को दी गई ऋण की राशि (अधिकतम शेयर धारण 14,45,500 रु. का पांच गुणा)
- ई. एम.आई के माध्यम से वसूली रु.2,12,100

ङ. कौशल विकास:

कोटेश्वर और टिहरी के कमजोर वर्ग के युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे होटल प्रबंधन, एएनएम आईटीआई, आतिथ्य, खाद्य उत्पादन, फिटर और प्लम्बर, वेल्डर, विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स, उत्खनन आपरेटर, एसी और रेफ्रीजरेशन आदि दिए गए। अब तक 516 युवाओं को भिन्न–भिन्न प्रशिक्षणों के लिए प्रायोजित किया जाता है जिसमें 145 युवाओं को वर्ष 2018–19 में प्रायोजित किया गया।

च. रिंगल परियोजना

अनुसूचित जाति के बाहुल्य वाले गांव दार्सिल, घनसाली (टिहरी गढ़वाल) में रिंगल (स्थानीय बांस) से बने हस्तशिल्प कार्य में संलग्न 30 परिवारों के लिए कौशल संवर्धन कार्यक्रम प्रगति पर है पायलट परियोजना के लिए संलग्न किया गया गैर सरकारी संगठन 70 और परिवारों का आंकलन कर रहा है तथा विभिन्न प्रदर्शनियों में उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध करया रहा है।

छ. पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन

वर्ष 2018–19 में फल, चारा, ईंधन और औषधीय प्रजाति के 10056 पौधे रोपे गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पारंपरिक जल संरक्षण ढांचों का निर्माण शुरू किया गया है।

ज. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पहलें

- कुल निर्मित शौचालय–225 (वैयक्तिक 179, एसएपी 42 और अन्य–4) जिसमें उत्तराखंड के टिहरी जिले के तीन गावों में निर्मित किए गए 79 शौचालय शामिल हैं जिसमें निम्नलिखित गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए।

  (i) देवरी गांव – 43 (ii) गांव लवारखा – 24
  (iii) गांव बनाली–12

- टीएचडीसी के कारपोरेट कार्यालय ऋषिकेश के समीप सफाई के लिए 3 बस्तियां ली गईं।

  (i) प्रगति विहार (ii) नेहरू ग्राम (iii) इंदानगर

- बाईपास रोड, ऋषिकेश के 4 किमी लंबे क्षेत्र (नटराज चौक से मंसा देवी) सफाई के लिए लिया गया।
- रेलवे स्टेशन को सफाई के लिए लिया
  i. ऋषिकेश ii. वीरभद्र
- ऋषिकेश में 4 स्कूलों को सफाई के लिए अपनाया गया।
  i. राजकीय प्राथमिक स्कूल, मंसादेवी
  ii. राजकीय प्राथमिक और अपर स्कूल, बापूग्राम
  iii. राजकीय प्राथमिक स्कूल बीबीवाला और
  iv. राजकीय प्राथमिक स्कूल, इंदानगर

झ. अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल (कनवर्जेंस)

वरदान, जीएमएस, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से राज्य के कृषि और बागवानी विभाग के साथ विभिन्न किसान केंद्रित गतिविधियों के लिए वर्ष 2018–19 में कनवर्जेंस परियोजना पूरी की गई। कनवर्जेंस की लागत 433.97 लाख रु. थी। लागत में टीएचडीसी (129.10 लाख), राज्य कृषि और बागवानी विभाग 272.90 लाख) और अंशतः लाभग्राही और कार्यान्वयन एजेंसियों (31.97 लाख रु.), द्वारा अंशभागिता की गई जिससे 1500 परिवारों के 5582 लाभर्थियों को लाभ हुआ।

निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कनवर्जेंस परियोजनाएं है।

- जिला कृषि विभाग, टिहरी:

  कृषि विभाग और टीएचडीसीआईएल द्वारा 4:1 के अनुपास में लागत साझा करने के आधार पर स्व–सहायता समूह के माध्यम से टिहरी जिले के 51 फार्म मशीनरी बैंक सृजित किए गए हैं। प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक पर 5 लाख रु. की लागत आती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्व–सहायता समूह के 15 से 25 स्व–सहायता समूह सदस्यों को विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए मशीनीकृत उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। (राज्य कृषि विभाग द्वारा 4 लाख, सेवा–टीएचडीसी द्वारा 01 लाख और कर, यदि कोई हो, किसानों के समूह द्वारा वहन किया जाता है।

- नाबार्ड, देहरादून

  लागत साझा करने के आधार पर (सेवा–टीएचडीसी का हिस्सा 25 प्रतिशत या अधिक होगा) विभिन्न

सीएसआर आधारित गतिविधियों के लिए नाबार्ड, देहरादून के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के अंतर्गत मिलंगना वाटर शेड की वाटर शेड प्रबंधन गतिविधि पर सहमति बनी है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार 4–5 वर्षों में किया जाएगा जिसमें वाटर शेड के अंतर्गत आने वाले गांवों में पौधरोपण, चेकडैम और आजीविका से जुड़ी अनेक गतिविधियां शामिल होंगी। प्रथम चरण में लगभग 100 हैक्टे. वाटर शेड का उपचार/प्रबंधन किया जायेगा। 100 हैक्टे. भूमि के लिए परियोजना को अनुमोदित किया गया है।

ख. क्या आंतरिक टीम/ स्वयं के प्रतिष्ठान/बाहरी गैर सरकारी संगठन/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन द्वारा कार्यक्रम परियोजनाएं चलाई जाती हैं।

लगभग सभी सीएसआर कार्यक्रम/परियोजनाएं कंपनी प्रायोजित एनजीओ सेवा–टीएचडीसी और टीएचडीसी शिक्षा सोसाइटी (टीईएस) द्वारा चलाई जा रही हैं।

ग. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आंकलन किया है?

टीएचडीसीआईएल अपनी सीएसआर परियोजनाओं का मूल्यांकन/प्रभाव आंकलन टाटा ट्रस्टीट्यूट आफ साइंसेज (टीआईएस), मुंबई, आईआईटी रुड़की, एसआर एशिया और सरकारी विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से करवाता है।

घ. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष अंशदान भारतीय रूपये में राशि तथा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है?

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए 17.52 करोड़ रूपये का कुल व्यय किया गया था। उन बड़ी परियोजनाओं का ब्योरा ऊपर संदर्भ बिंदु 2 दिया गया है, जिनमें व्यय किया गया है।

ङ. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि सामुदायिक विकास पहल समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया 50 शब्दों में स्पष्ट करें।

हां, टीएचडीसीआईएल का दृष्टिकोण यही रहता है कि यह अपनी सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन आवश्यकता के अनुसार करें तथा यह हितधारकों की नजदीकी प्रतिभागिता से हो ताकि उनमें मालिक होने की भावना और स्वः प्रोत्साहन आए जिससे परियोजना समाप्त होने के बाद भी गतिविधि चलती रहे।

ग्रामीण महिलाओं की सूक्ष्म आधार जरूरतों को पूरा करने के लिए टीएचडीसीआईएल द्वारा 10 लाख रू. के बीच धन से एक क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया है जिसका सफल प्रबंधन, टिहरी गढ़वाल जिले के लाम्बगांव क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। समुदाय द्वारा सफल अंगीकरण का दूसरा सफल उदाहरण यह है कि गांव पथरी, जिला हरिद्वार से वर्ष 2016 से 2018 के बीच 3 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करने संबंधी पहलें काफी लोकप्रिय हुई हैं और किसानों को प्रेरित किया है। इसके फलस्वरूप टीएसडीआईएल ने केवल वित्त वर्ष 2018–19 में ही टीएचडीसीआईएल टिहरी जिले के भिन्न–भिन्न गांवों में 51 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए हैं।

**सिद्धांत 9 (व्यापार को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायी तरीकों से बचनबद्ध होना चाहिए और उनका मूल्य देना चाहिए)**

टीएचडीसीआईएल द्वारा सिद्धांत–9 के अंतर्गत चिन्हित सभी बातों का अपनी वाणिज्यिक प्रक्रिया के माध्यम से पालन किया जाता है। तथापि, टीएचडीसीआईएल महसूस करती है कि निम्नलिखित कारणों से सिद्धांत 9 पर अलग नीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि:

- टीएचडीसीआईएल बड़ी मात्रा में खरीदारी करने वाले ग्राहकों को विद्युत आपूर्ति करती है। इनमें से अधिकांश संबंधित राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं,
- विद्युत का आबंटन विद्युत मंत्रालय द्वारा निश्चित नीतियों और दिशा–निर्देशों के आधार पर किया जाता है।
- टीएचडीसीआईएल के जल संयंत्रों का विद्युत प्रशुल्क (पावर टैरिफ) का निर्धारण सभी हितधारियों को शामिल कर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया (ईआरसीसी) जाता है।

- नवीकरणीय ऊर्जा के लिए टैरिफ टीएचडीसीआईएल और हितधारी राज्यों के आपसी समझौते पर तय किया जाता है।
- यदि कोई मुद्दा हो तो उस पर उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति एनआरपीसी जैसे सामूहिक मंच पर चर्चा कर समाधान किया जाता है, इसमें ग्राहकों के संगठन और उत्पादक सदस्य होते हैं।
- ग्राहकों की जरुरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए उनसे अलग से (लाभग्राहियों से) फीडबैक प्राप्त किया जाता है।

क. वित्त वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?

वित्त वर्ष के दौरान ग्राहकों से कोई शिकायत/मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

ख. क्या किसी हितधारक द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापारिक परिपाटी, अनुत्तरदायी विज्ञापन तथा/अथवा गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार संबंधी कोई केस किया गया है और वित्त वर्ष के अंत में लंबित हैं। यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।

किसी हितधारक द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापारिक परिपाटी, गैरजिम्मेदार विज्ञापन तथा/अथवा गैर–परंपरागत व्यवहार संबंधी कोई केस नहीं है।

ग. क्या आपकी कंपनी ने किसी प्रकार का ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रुझान किया है।

हां, टीएचडीसीआईएल द्वारा सर्वेक्षण किया गया तथा हितधारकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रतिपुष्टि का विश्लेषण किया जाता है। सभी लाभग्राहियों ने वार्षिक प्रतिपुष्टि फार्म में लगातार अपना संतोष 'उत्कृष्ट' रेटिंग के रूप में व्यक्त किया है।

# प्रपत्र सं. एमजीटी–9
# वार्षिक विवरणी का सार

**31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार**

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

## I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे

| | | |
|---|---|---|
| i | सीआईएन | यू45203यूआर1988जीओआई009822 |
| ii | पंजीकरण की तिथि | 12 जुलाई, 1988 |
| iii | कंपनी का नाम | टीएचडीसी इंडिया लि. |
| iv | कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी | सरकारी कंपनी |
| v | पंजीकृत कार्यालय का पता | भगीरथी भवन, टाप टैरेस,<br>भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल,<br>उत्तराखंड (249001) |
| vi | संपर्क ब्यौरे | कंपनी सचिव,<br>टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड<br>बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, गंगा भवन,<br>ऋषिकेश–249201<br>फोन– 0135–2439309 |
| vii | क्या सूचीबद्ध कंपनी है | हां, ऋण सूचीबद्ध |

## II. कंपनी की मुख्य व्यवसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या उससे अधिक योगदान करने वाले व्यवसाय निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण | उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड | कंपनी के कुल कारोबार का % |
|---|---|---|---|
| 1 | **Generation of Electricity** | **3510** | **100%** |

III. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

| शेयर होल्डर्स की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % |
| क. प्रमोटर्स | | | | | | |
| (1) भारतीय | | | | | | |
| क) व्यक्तिगत | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
| ख) केंद्र सरकार | 26924917 | 26924917 | 74.23% | 27199417 | 27199417 | 74.42% |
| ग) राज्य सरकार (रे) | 9349400 | 9349400 | 25.77% | 9349400 | 9349400 | 25.58% |
| उप-योग क (1):. | 36274327 | 36274327 | 100% | 36548827 | 36548827 | 100% |
| (2) विदेशी | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| क) अनिवासी–भारतीय व्यक्ति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ख) अन्य व्यक्ति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ग) निकाय निगम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| घ) बैंक / वित्तीय संस्थान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ड.) अन्य कोई | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| उप–जोड़ (क) (2):- | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| प्रमोटर की कुल शेयर होल्डिंग | | | | | | |
| (क) = (क)(1) + (क)(2) | 36274327 | 36274327 | 100% | 36548827 | 36548827 | 100% |

| शेयर होल्डर्स की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % |
| ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग | | | | | | |
| (1) संस्थाएं | | | | | | |
| क) म्यूचुअल फंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ख) बैंक / वित्तीय संस्थाएं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ग) केंद्र सरकार | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| घ) राज्य सरकार (रें) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ड.) वेंचर केपिटल फंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| च) बीमा कंपनियां | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| छ) वित्तीय संस्थाएं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ज) एफआईआईएस | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| झ) विदेशी वेंचर केपिटल फंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ञ) अन्य (उल्लेख करें) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| उप.जोड (ख)(1) :- | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (2) गैर–संस्थाएं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| क) निकाय निगम | | | | | | |
| i) भारतीय | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ii) विदेशी | | | | | | |
| ख) व्यक्तिगत | | | | | | |
| i) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रू. तक नाम मात्र शेयर पूंजी रखते हैं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ii) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रू. से अधिक शेयर पूंजी रखते हैं | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ग) अन्य (उल्लेख करें) | | | | | | |
| उप–योग (ख)(2) :- | | | | | | |
| कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)= (ख)(1) + (ख)(2) | | | | | | |
| ग.अभिरक्षक द्वारा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के लिए धारित शेयर्स | शून्य | | | शून्य | | |
| कुल जोड (क+ख+ग) | 36274327 | | | 36548827 | | |

(ii) प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग

| क्र. स. | शेयर होल्डर का नाम | वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग | | | वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता | कुल शेयरों का भारग्रस्त/ गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता | कुल शेयरों का भारग्रस्त/ गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता | वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग के प्रतिशत में परिवर्तन |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 26924917 | 74.23 | शून्य | 27199417 | 74.42% | शून्य | .19% |
| 2 | उत्तर प्रदेश के राज्यपाल | 9349400 | 25.77 | शून्य | 9349400 | 25.58% | शून्य | .19% |
| | कुल | 36274317 | 100 | - | 36548817 | 100 | - | |

(iii) प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन

| क्र. सं. | विवरण | वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग | | वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | भारत के राष्ट्रपति | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता |
| क | वर्ष के प्रारंभ में | 26924917 | 74.23 | 26924917 | 74.23 |
| ख | 14 मई, 2018 को आबंटित शेयरों की संख्या<br>28 दिसंबर, 2018 को आबंटित शेयरों की संख्या<br>27 फरवरी, 2019 को आबंटित शेयरों की संख्या | 178800<br>48200<br>47500 | | | |
| ग | वर्ष की समाप्ति पर (क+ख)=ग | 27199417 | 74.42% | 27199417 | 74.42% |
| 2) | उत्तर प्रदेश के राज्यपाल | | | | |
| क | वर्ष के प्रारंभ में | 9349400 | 25.77% | 9349400 | 25.77% |
| ख | कोई आबंटन/अंतरण नहीं | शून्य | 00.00% | शून्य | 00.00% |
| ग | वर्ष की समाप्ति पर (क+ख)=ग | 9349400 | 25.58% | 9349400 | 25.58% |

(iv) शीर्ष 10 शेयर होल्डर्स के लिए शेयरहोल्डिंग पद्धति (निदेशक गण, प्रोमोटरों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) - शून्य

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग

| क्र. सं. | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशकों के विवरण | वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग | | वर्ष के अंत में संचयी शेयर होल्डिंग | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की स. | कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| 1. | श्री डी.पी. सिंह | 1 | शून्य | 1 | शून्य |
| 2. | श्री विजय गोयल | 1 | शून्य | 1 | शून्य |
| 3 | श्री श्रीधर पात्रा | 1 | शून्य | 1 | शून्य |
| 4 | श्री एच. एल. अरोड़ा | 1 | शून्य | 1 | शून्य |
| 5 | श्री राज पाल | 2 | शून्य | 2 | शून्य |
| 6 | श्री टी. वेंकटेश | 2 | शून्य | 2 | शून्य |
| 7 | सुश्री सौम्या अग्रवाल | 2 | शून्य | 2 | शून्य |
| 8 | श्री बची सिंह रावत | 0 | शून्य | 0 | शून्य |
| 9 | श्री मोहन सिंह रावत | 0 | शून्य | 0 | शून्य |
| 10. | प्रो. महाराज के. पंडित | 0 | शून्य | 0 | शून्य |

IV. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित ब्याज लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(राशि लाख ₹ में)

| | जमा धनराशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण | असुरक्षित ऋण | जमा | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|---|---|---|---|
| वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋण ग्रस्तता | | | | |
| i) मूलधन* | 34740962752 | 6006689360 | | 40747652112 |
| ii) ब्याज देय, परंतु प्रदत्त नहीं | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iii) उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं | 501057934 | 52118042 | | 553175976 |
| कुल ( i + ii + iii ) | **35242020686** | **6058807402** | | **41300828088** |
| वित्त वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में बदलाव | | | | |
| – वृद्धि | 13000000000 | 843149110 | 0 | 13843149110 |
| – कमी | (10144188843) | (298799805) | 0 | (10442988648) |
| निवल परिवर्तन | **2855811157** | **544349305** | **0** | **3400160462** |
| वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता | | | | |
| i) मूलधन* | 37596773909 | 6551038665 | | 44147812574 |
| ii) ब्याज देय, परंतु प्रदत्त नहीं, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iii) उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं | 378002889 | 88502712 | | 466505601 |
| कुल (i+ii+iii) | **37974776798** | **6639541377** | **0** | **44614318175** |

नोटः– प्रतिशत ऋणों के अंतर्गत मूलधन में पीएनबी और बांडों के ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

V निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/या प्रबंधक के पारिश्रमिक: (राशि लाख ₹ में)

| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | कुल राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | श्री डी. वी. सिंह | श्री एच.एल. अरोड़ा | श्री विजय गोयल | श्री श्रीधर पात्रा | कुल |
| 1. | सकल वेतन<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन<br>(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ | 46.57<br>-<br>33.48 | 66.43<br>-<br>14.15 | 44.82<br>-<br>11.52 | 24.32<br>-<br>5.50 | 182.14<br>-<br>64.65 |
| 2. | स्टाक विकल्प | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3. | स्वेट इक्विटी | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | कमीशन<br>- लाभ के प्रतिशत के अनुसार<br>- अन्य, उल्लेख करें..... | <br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य |
| 5. | अन्य, कृपया उल्लेख करें | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | कुल (क) | 80.05 | 80.58 | 56.34 | 29.82 | 246.79 |
| | अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा (प्रति बैठक) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक (राशि लाख ₹ में)

| क्र. स. | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशक का नाम | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | श्री बची सिंह रावत | श्री मोहन सिंह रावत | प्रो. महाराज के. पंडित | कुल |
| 1. | स्वतंत्र निदेशक<br>• बोर्ड एवं समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क<br>• कमीशन<br>• अन्य, कृपया उल्लेख करें | <br>260000<br>शून्य<br>शून्य | <br>220000<br>शून्य<br>शून्य | <br>240000<br>शून्य<br>शून्य | <br>720000<br>0<br>0 |
| | कुल (1) | 260000 | 220000 | 240000 | 720000 |
| 2. | अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक गण<br>• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क<br>• कमीशन<br>• अन्य, कृपया उल्लेख करें | <br>शून्य<br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य<br>शून्य |
| | कुल (2) | शून्य | शून्य | शून्य | - |
| | कुल (ख) = (1+2) | 260000 | 220000 | 240000 | 720000 |
| | अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा (प्रति बैठक) | 100000 | 100000 | 100000 | |

टिप्पणी: टीएचडीसीआईएल में सिटिंग फीस का भुगतान रु. 20,000 प्रति सिटिंग की दर से किया जाता है।

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. सं. | पारिश्रमिक का विवरण | कुल राशि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सीएफओ | कंपनी सचिव | कुल |
| 1. | सकल वेतन<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन<br>(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ | 37.78<br><br>9.97 | 16.22<br>-<br>3.35 | 54.00<br>-<br>19.32 |
| 2. | स्टाक विकल्प | शून्य | शून्य | शून्य |
| 3. | स्वेट इक्विटी | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | कमीशन<br>– लाभ के प्रतिशत के अनुसार<br>– अन्य, उल्लेख करें... | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5. | अन्य, कृपया उल्लेख करें | शून्य | शून्य | शून्य |
| | कुल | | 19.57 | 19.57 |

VI. शास्तियां/दंड/दोषों में वृद्धि

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | लगाई गई शास्ति/दंड आरोपित वर्धित शुल्क का ब्यौरा | प्राधिकार [आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट] | यदि कोई अपील की गई हो (ब्यौरा दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| क. कंपनी | | | | | |
| शास्ति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| दंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| समझौता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ख. निदेशक | | | | | |
| शास्ति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| दंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| समझौता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ख. अन्य अधिकारी डिफॉल्ट में | | | | | |
| शास्ति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| दंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| समझौता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VII

पी.एस.आर. मूर्ति

प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव

सीपी 13090

# फार्म नं. एमआर–3
# सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
# 31मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रामिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार) ]

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

टिहरी गढवाल,

टिहरी–249001

मैंने मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") सीआईएननं. यू45203यूआर1988जीओआई009822 के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों तथा सकारात्मक निगमित प्रचालनों के अनुपालन हेतु सचिवालीय लेखा परीक्षा की है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी भागीदारी के साथ भारत सरकार का गैर–सूचीबद्ध उपक्रम है।

सचिवालीय लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई जो मुझे कारपोरेट आचारण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए तथा उन पर अपनी राय देने के लिए सार्थक आधार प्रदान करती है।

कंपनी के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों तथा कंपनी द्वारा फाइल की गई रिटर्नों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन तथा सचिवालीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एंजेटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नांकित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद दी गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन तथा उसी प्रकार समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन साधन भी है।

मैंने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाए फार्मों तथा कंपनी द्वारा फाइल की गई रिटर्नों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) डिपोजटरीज अधिनियम, 1996 तथा इसके अन्तर्गत निर्धारित विनियम एवं उपनियम;

(iii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लेन–देन का कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग तथा यथाधिसूचित एमसीए के साथ रिटर्न फाइल करना;

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश लागू हैं;

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम (निर्गम और ऋण प्रतिभूतियों की सूची) 2008 (वर्ष 2018–19 के दौरान नए मामले नहीं थे)

(v) प्रतिभूति और एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया निर्गम और (शेयर स्थानन्तरण एजेंटो के रजिस्ट्रार) विनियम

(vi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों की सूची और मांगों का प्रकटीकरण) नियम, 2015

(vii) कंपनी तथा डिबेंचर न्यासी मैसर्स विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित डिबेंचर न्यास विलेख दिनांक 30 नवम्बर, 2016

मैंने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालीय मानकों की लागू धाराओं के पालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और आश्वासनों के आधार पर कंपनी ने आमतौर पर उपरोक्त विषयों का निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है:

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि:

वित्त वर्ष के अंत में कंपनी का निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशकों एवं बोर्ड की महिला निदेशकों को छोड़कर अन्य निदेशकों जिनके लिए कंपनी ने विद्युत मंत्रालय के समक्ष नियुक्ति हेतु प्रस्ताव की शुरूआत की है, सहित कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक निदेशकों से मिलकर बना है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक के निर्धारण की पर्याप्त सूचना दी जाती है, कुछ बैठकों को छोड़कर कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए थे। बैठकों से पहले एजेंडे की मदों की जानकारी तथा स्पष्टीकरण के लिए तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि में बोर्ड की कार्यसूची में कोई विसम्मति नहीं है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी के द्वारा अनुसरण किए गए अनुपालन तंत्र के आधार पर तथा बोर्ड के समक्ष रखी गई अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर मेरी राय है कि कंपनी के आकार एवं संचालनों के अनुरूप तथा लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं।

ह./-

(पी.एस.आर. मूर्ति)
एसीएस.5880
सी.पी. नं. 13090

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11 सितम्बर, 2019

यह रिपोर्ट हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो अनुलग्नक–क के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

पी.एस.आर. मूर्ति
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सीपी 13090

अनुलग्नक–क

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

टिहरी गढवाल, टिहरी–249001

मेरी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालीय रिकार्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरा दायित्व इन सचिवालीय रिकार्ड पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालीय रिकार्ड अंतर्वस्तु की यथार्थता के बारे में सार्थक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवालीय रिकार्डों में सही तथ्यों के परिलक्षित होने को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था। मुझे विश्वास है कि मैंने जिन पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है वे मेरी राय को उचित आधार प्रदान करती है।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड तथा बही खातों की सत्यता एवं औचित्य को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां आवश्यक हुआ, मैंने विधि, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन तथा हो रही घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन से विवरण प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। मेरी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है, जिनके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

ह./-
(पी.एस.आर. मूर्ति)
एसीएस.5880
सी.पी. नं. 13090

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 सितम्बर, 2019

# वित्तीय विवरण
# 2018–19

- तुलन–पत्र
- लाभ एवं हानि का विवरण
- नगदी प्रवाह विवरण
- लेखा संबंधी टिप्पणियां
- वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अभ्युक्तियां

# 31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन–पत्र

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| परिसंपत्तियां | | | | | |
| गैर–चालू परिसंपत्तियां | | | | | |
| (क) परिसंपत्ति, प्लांट एवं पुर्जे | 2 | | 683,030 | | 732,768 |
| (ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर | 3 | | 455,714 | | 394,994 |
| (ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां | 2 | | 85 | | 33 |
| (घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां | 3 | | 0 | | 33 |
| (ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | |
| (i) ऋण एवं अग्रिम | 4 | 4,079 | | 4,483 | |
| (ii) अन्य | 5 | 1,452 | 5,531 | 1,582 | 6,065 |
| (च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) | 6 | | 89,104 | | 82,532 |
| (छ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां | 7 | | 119,490 | | 69,965 |
| चालू परिसंपत्तियां | | | | | |
| (क) माल सूची | 8 | | 3,060 | | 3,000 |
| (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | |
| i) प्राप्य व्यापार | 9 | 170,128 | | 130,726 | |
| ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष | 10 | 4,577 | | 6,102 | |
| iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक बकाया | 11 | 676 | | 37 | |
| iv) ऋण तथा अग्रिम | 12 | 5,292 | | 4,578 | |
| v) अन्य | 13 | 178 | 180,851 | 167 | 141,610 |
| (ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) | 14 | | 9,049 | | 9,047 |
| (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 15 | | 4,368 | | 5,983 |
| नियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष | 16 | | 7,501 | | 0 |
| जोड | | | 1,557,783 | | 1,446,030 |
| इक्विटी एवं देयताएं | | | | | |
| इक्विटी | | | | | |
| क) इक्विटी शेयर पूंजी | 17 | 365,488 | | 362,743 | |
| ख) अन्य इक्विटी | | 562,590 | 928,078 | 488,384 | 851,127 |
| गैर चालू देनदारियां | | | | | |
| क) वित्तीय देनदारियां | | | | | |
| (i) ऋण | 18 | 265,201 | | 241,530 | |
| (ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां | 19 | 1,794 | | 2,200 | |
| (iii) अन्य | 20 | 248 | 267,243 | 284 | 244,014 |
| ख) अन्य गैर चालू देनदारियां | 21 | | 90,992 | | 97,907 |
| ग) प्रावधान | 22 | | 39,483 | | 35,087 |

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| चालू देनदारियां | | | | | |
| (क) वित्तीय देनदारियां | | | | | |
| i) ऋण | 23 | 121,840 | | 64,663 | |
| ii) व्यापार देयताएं | | | | | |
| क. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं | | 43 | | 41 | |
| ख. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को छोड़कर क्रेडिटर की कुल बकाया देयताएं | | 17,641 | | 7,454 | |
| (iii) अन्य | 24 | 65,506 | 205,030 | 113,980 | 186,138 |
| अन्य चालू देयताएं | 25 | | 3,857 | | 4,429 |
| ग) प्रावधान | 26 | | 12,293 | | 21,015 |
| घ) चालू कर देनदारियां (निवल) | 27 | | 4,494 | | 0 |
| विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष | 28 | | 6,313 | | 6,313 |
| जोड | | | 1,557,783 | | 1,446,030 |
| लेखाकर नीतियां | 1 | | | | |
| वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन | 38 | | | | |
| लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां 1 से 39 तक की टिप्पणियां लेखाओं का अभिन्न अंग है। | 39 | | | | |

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

| (रश्मि शर्मा) | (जे. बेहरा) | (डी.वी. सिंह) |
|---|---|---|
| कंपनी सचिव | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| सदस्यता सं. 26692 | डीआईएन: 08536589 | डीआईएन: 03107819 |

हमारी समं दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 071427

दिनांक: 27.08.2019

स्थान: ऋषिकेश

# 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| आय | | | | | |
| लगातार प्रचालनों से प्राप्त राजस्व | 29 | | 276,796 | | 218,510 |
| अन्य आय | 30 | | 8,233 | | 3,809 |
| सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व | | 6,915 | | 6,822 | |
| घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास | 2 | 6,915 | 0 | 6,822 | 0 |
| **कुल राजस्व** | | | **285,029** | | **222,319** |
| व्यय | | | | | |
| कर्मचारी लाभ व्यय | 31 | | 41,183 | | 30,649 |
| वित्त लागत | 32 | | 17,568 | | 22,787 |
| मूल्यह्रास और परिशोधन | 2 | | 55,500 | | 57,452 |
| सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय | 33 | | 22,132 | | 20,342 |
| अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान | 34 | | 4,985 | | 0 |
| **कुल व्यय** | | | **141,368** | | **131,230** |
| | | | | | |
| **विनियामक आस्थगित खाते में संचलन और कर पूर्व लाभ** | | | **143,661** | | **91,089** |
| विनियामक आस्थगित खाता शेष आय/(व्यय) में संचलन | 16 | | 7,501 | | 0 |
| **कर पूर्व लाभ** | | | **151,162** | | **91,089** |
| **कर व्यय** | 35 | | | | |
| चालू कर | | | | | |
| आयकर | | | 32,275 | | 19,056 |
| आस्थगित कर–परिसंपत्ति | | | (6,676) | | (5,083) |
| I लगातार परिचालन से अवधि के लिए लाभ | | | **125,563** | | **77,116** |
| II अन्य बृहत आय | | | | | |
| (i) मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएगी: | | | | | |
| परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन | 36 | | (299) | | 563 |
| परिभाषित हित लाभ योजनाओं पर आस्थगित कर हितलाभ योजनाएं – आस्थगित कर परिसंपत्ति | | | (104) | | 195 |

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| अन्य बृहत् आय | | | (403) | | 758 |
| | | | | | |
| कुल बृहत् आय (I+II) | | | 125,160 | | 77,874 |
| प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित) | | | | | |
| बेसिक (₹) | | | 344.38 | | 213.14 |
| तनुकृत (₹) | | | 344.35 | | 213.13 |
| (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित) | | | | | |
| बेसिक (₹) | | | 323.81 | | 213.14 |
| तनुकृत (₹) | | | 323.78 | | 213.13 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 1 | | | | |
| वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन, जोखिम प्रबंधन | 38 | | | | |
| लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां, 1 से 39 तक की टिप्पणी इन लेखाओं के अभिन्न अंग हैं। | 39 | | | | |

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

| (रश्मि शर्मा) | (जे. बेहरा) | (डी.वी. सिंह) |
|---|---|---|
| कंपनी सचिव | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| सदस्यता सं. 26692 | डीआईएन: 08536589 | डीआईएन: 03107819 |

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 071427

दिनांक: 27.08.2019

स्थान: ऋषिकेश

# 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

| विवरण | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह | | | | |
| कर पूर्व लाभ जिसमें विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन शामिल हैं | | 151,162 | | 91,089 |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन | | | | |
| मूल्यह्रास | 55,500 | | 57,452 | |
| मूल्यह्रास – सिंचाई घटक | 6,915 | | 6,822 | |
| प्रावधान | 4,985 | | - | |
| ऋणों पर ब्याज | 17,568 | | 22,787 | |
| अन्य बृहत आय (ओसीआई) | (299) | | 563 | |
| एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन | - | | 317 | |
| विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन | (7,501) | | - | |
| आपवादिक मदें | - | 77,168 | - | 87,941 |
| **कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | **228,330** | | **179,030** |
| निम्नलिखित के लिए समायोजनः– | | | | |
| माल सूची | (121) | | 264 | |
| प्राप्य व्यापार | (39,402) | | 42,502 | |
| अन्य परिसंपत्तियां | 1,729 | | 655 | |
| ऋण और अग्रिम (वर्तमान + गैर चालू) | (5,236) | | (1,002) | |
| व्यापार देय और देनदारियां | 5,126 | | (15,973) | |
| प्रावधान (वर्तमान + गैर चालू) | (4,326) | (42,230) | 6,785 | 33,231 |
| **कर पूर्व प्रचालक गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | **186,100** | | **212,261** |
| कारपोरेट कर | | (32,275) | | (19,056) |
| **प्रचालनों से निवल नगदी (क)** | | **153,825** | | **193,205** |
| ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह | | | | |
| निम्नलिखित में परिवर्तन | | | | |

| विवरण | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| संपत्ति, संयम, उपस्कर और सीडब्ल्यूआईपी | (73,416) | | (107,886) | |
| पूँजी अग्रिम | (49,520) | | 21,944 | |
| निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख) | | (122,936) | | (85,942) |
| ग. वित्तीय गतिविधियों के नगदी प्रवाह | | | | |
| शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित) | 2,800 | | 3,200 | |
| उधारियां | (23,175) | | (98,875) | |
| ब्याज और वित्तीय प्रभार | (17,568) | | (22,787) | |
| लाभांश तथा कर पर लाभांश | (51,009) | | (40,345) | |
| वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ग) | | (88,952) | | (158,807) |
| घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) | | (58,063) | | (51,544) |
| ड. आरंभिक नगदी तथा नगदी समकक्ष | | (58,524) | | (6,980) |
| च. समापन नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ + ड.) | | (116,587) | | (58,524) |

*टिप्पणी:*

1. *नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 878 लाख रु. (गत वर्ष में 37 लाख रु.) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।*
2. *पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीत किया गया है।*
3. *नगदी और नगदी समकक्ष को नोट सं. 39.21 (ख) में मान्य कर दिया गया है।*

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

| (रश्मि शर्मा) | (जे. बेहरा) | (डी.वी. सिंह) |
|---|---|---|
| कंपनी सचिव | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| सदस्यता सं. 26692 | डीआईएन: 08536589 | डीआईएन: 03107819 |

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 071427

दिनांक: 27.08.2019

स्थान: ऋषिकेश

## इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

### क. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| | | राशि |
| रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष | | 362,743 |
| अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | | 2,745 |
| रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष | | 365,488 |

### ख. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि लाख ₹ में

| | | | 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक आरक्षित एवं अधिशेष | | अन्य बृहत् आय | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | नोट सं. | शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन | प्रतिधारित आय | डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य | बीमांकिक लाभ/(हानि) | कुल |
| अथ शेष | | 345 | 494,747 | 3,000 | 291 | 498,383 |
| लेखांकन नीति में परिवर्तन का पूर्व अवधि (आय)/व्यय | 37 | | 0 | | | 0 |
| पुनर्निरूपित अथ शेष (I) | | 345 | 494,747 | 3,000 | 291 | 498,383 |
| वर्ष के लिए लाभ | | | 125,563 | | | 125,563 |
| अन्य बृहत् आय | | | | | (403) | (403) |
| कुल बृहत् आय | | | 125,563 | | (403) | 125,160 |
| लाभांश | | | 42,312 | | | 42,312 |
| लाभांश पर कर | | | 8,696 | | | 8,696 |
| प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II) | | | 74,555 | | | 74,152 |
| डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित (III) | | | (1,500) | | | (1,500) |
| वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/ (उपभोग) (IV) | | | | 1,500 | | 1,500 |
| वर्ष के दौरान शेयर पूँजी आवंटन जमा/ आनंटित (V) | | 2,800 | | | | 2,800 |
| वर्ष के दौरान शेष पूंजी लंबित आवंटन (VI) | | (2,745) | | | | (2,745) |
| अंतिम शेष (I+II+III+IV+V+VI) | | 400 | 557,902 | 4,500 | (112) | 582,590 |

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

| (रश्मि शर्मा) | (जे. बेहरा) | (डी.वी. सिंह) |
|---|---|---|
| कंपनी सचिव | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| सदस्यता सं. 26692 | डीआईएन: 08536589 | डीआईएन: 03107819 |

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 071427

दिनांक: 27.08.2019
स्थान: ऋषिकेश

टिप्पणी सं:– 1

# महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 2018–19

## 1. सामान्य

संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के सांविधिक प्रावधानों, विद्युत अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सीईआरसी विनियमों, एमसीए द्वारा जारी किये गए भारतीय लेखाकरण नीतियों (इंड एएस) और उनमें किये गए संशोधनों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विवरणों और मार्गदर्शी टिप्पणियों के आधार पर तैयार किए गए हैं।

## 2. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

## 3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीएंडई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी. कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियों और प्रणालियों, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे नियेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे पूंजीकरण के मानक को पूर्ण करते हैं और इन्हें इस राशि में शामिल किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों को 'स्टोर्स एवं स्पेयर्स' के रूप में रखा जाता है।

3.4 यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनापेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए नियल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

3.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में है, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भूभाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

## 4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 सुविधाओं के सृजन पर व्यय की गयी पूंजी, जिस पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है लेकिन परियोजना के निर्माण हेतु जिसका सृजन अनिवार्य है इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में शामिल किया जाता है। तदन्तर व्यवस्थित रूप से आबंटित किया जाता है। ऐसी प्रकृति के कार्यों पर किया गया व्यय, परियोजना पूरी होने के बाद, लाभ एवं हानि से प्रशास्ति किया जाता है।

4.3 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउन–शिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अपर्गीकृत है।

4.4 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.5 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.6 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.7 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, सामान्य नागरिक सुविधाओं के उन्नयन एवं अनुरक्षण पर व्यय, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य ऊपरी लागत, यदि परियोजना लागत में लगी हो, ऐसी लागतें चल रही निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

## 5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अविग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनापेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

## 6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौदिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया।

6.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौदिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौदिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

6.3 मौदिक मदों के निपटारे अथवा अंतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लाभ–हानि विवरण में लाभ अथवा व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है तथा इसे प्रचालनीय विद्युत केंद्रों तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूंजीगत कार्य की राशि में जोड़ दिया जाता है।

## 7. उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य यह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, यह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आगतों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों की न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकड़ें उपलब्ध हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर 3– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

## 8. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति की उन परिस्थितियों में पहचान की जाती है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं.

1. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
2. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
3. लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 **प्रारंभिक पहचान और मापः** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाय व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य अवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **तदन्तर मापः** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **अमान्य–पहचान (डी रिकागनिशन):-** किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

## 9. माल–सूची

9.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

9.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को

लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

## 10. वित्तीय देनदारियां

10.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

10.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

10.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

10.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती है। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों नियल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

10.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

10.4 उत्तरवर्ती माप

10.4.1 प्रारंभिक पहचान के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर रखाव लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

10.4.2 रखाव लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

10.5 अमान्य करना: किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

## 11. सरकारी अनुदान

11.1 केंद्र/प्रादेशिक/ अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान में उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचपीपी स्टेज–1 हेतु प्राप्त अंशदान भी शामिल है। इसे प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर–प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

## 12. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

12.1 कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व प्रस्तुत करने पर प्रावधानों की पहचान होती है आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण अपेक्षित है तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। ये प्रावधान तुलन–पत्र की तिथि से अपेक्षित व्ययस्थापन राशि के अनुमान के निर्धारण हेतु सुनिश्चित किए जाते हैं।

12.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

12.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

## 13. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

13.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

13.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा वार्षिक नियत प्रभार की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा तथा संग्रहण के उद्देश्य से अनंतिम दर स्वीकार की जाती है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

13.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 18 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

13.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

13.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितग्राहियों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं है, प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

13.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 23 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 35 वर्ष माना गया।

13.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

13.8 विविध देनदारों से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य अधिभार के इनकी वसूली/स्वीकृति की अनिश्चतता के कारण प्रोद्भूत देय नहीं माना गया और तदनुसार रसीद के आधार पर गणना की गयी।

13.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

13.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

13.11 बीमा कंपनी सहित अन्य पक्षों से संपत्ति तथा उपस्करों अथवा अन्य मदों के असामान्य, गुम अथवा हानि पहुंचने पर क्षतिपूर्ति और देय अन्य दावों को उनकी वसूली की निश्चितता पर लाभ–हानि में शामिल किया जाता है। मदों के गुम या असामान्य होने पर बीमा कंपनी सहित अन्य पक्षों से क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु संगत दावे तथा तदन्तर परिसंपत्ति/माल सूची संबंधी कोई खरीद एकल आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें अलग से लेखे में लिया जाता है।

## 14. व्यय

14.1 मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते को प्रभारित की जाती है।

14.2 प्रत्येक मामले में 5,00,000/- रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि

खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है। संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटियां पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थी तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनित अधिशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

14.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

14.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

14.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

14.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

14.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

## 15. कर्मचारियों के हितलाभ

15.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

15.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) -19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

15.3 वास्तविक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

## 16. ऋण लागत

16.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

16.2 सामान्यतया उधार ली गई निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत, जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हों, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में मान्य किया जाता है।

## 17. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

17.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध हैं, प्रभारित किया जाता है।

17.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर अधिसूचित नहीं की है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

17.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

17.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/ पूंजीकृत वर्ष में रू.1/- रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

17.5 1500/- रुपये से अधिक लेकिन 5000/- रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

17.6 1500/- रुपये तक की कम लागत वाली सामग्रियां,जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

17.7 लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

17.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष, जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

17.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

## 18. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

18.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

## 19. आय कर

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। लाभ और हानि विवरण से आयकर की पहचान होती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचानी जाती है।

19.1 **वर्तमान आयकर**– आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। लाभ और हानि विवरण में उल्लिखित लाभ से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें जो आय अथवा व्यय अन्य वर्ष में कर योग्य अथवा घटाने योग्य है, शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मदें कभी कर योग्य अथवा घटाने योग्य (स्थायी अंतर) नहीं, ये भी शामिल नहीं है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन–पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

19.2 आस्थगित कर

19.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन–पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

19.2.2 प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन–पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

19.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या इक्विटी में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या इक्विटी में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करती है।

20. नकदी प्रवाह विवरण

20.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)-7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन–पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन–पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

21. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण– कंपनी तुलन–पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

21.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब यह–

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो

- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

21.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

21.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

## 22. दर विनियमित गतिविधियां – विनियामक आस्थगित खाता शेष

22.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को 'विनियामक आस्थगित लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।

22.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

22.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

## 23. लाभांश वितरण

23.1 कंपनी के अंशधारकों को लाभांश वितरण के लिए जिस अवधि के लिए लाभांश अनुमोदित किया जाता है उसे कंपनी के वित्तीय विवरण में उसी अवधि के लिए देनदारी के रूप में माना गया है।

## 24. सेगमेंट रिपोर्टिंग

24.1 विद्युत उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)–108– 'प्रचालन सेगमेंट' के अनुसार प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं हैं।

## 25. विविध

25.1 समान वस्तुओं की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण श्रेणी वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शायी जाती है। असमान प्रकृति की वस्तुओं और कार्यों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक ये गौण न हों।

टिप्पणी– 2

# संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल, 2018 के अनुसार | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | 1 अप्रैल, 2018 के अनुसार | 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के बीच की अवधि के लिए | वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | 31 मार्च, 2018 के अनुसार |
| क. संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण | | | | | | | | | | |
| लीज होल्ड परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| 1. लीज होल्ड भूमि | 3,905 | - | - | 3,905 | 382 | 186 | - | 568 | 3,337 | 3,523 |
| अन्य परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| 2. फ्री होल्ड भूमि | 3,825 | - | - | 3,825 | - | - | - | - | 3,825 | 3,825 |
| 3. जलमग्न भूमि | 165,069 | 63 | - | 165,132 | 55,551 | 5,879 | - | 61,430 | 103,702 | 109,518 |
| 4. भवन | 89,045 | 11,470 | - | 100,515 | 21,041 | 4,249 | - | 25,290 | 75,225 | 68,004 |
| 5. अस्थायी भवन ढांचे | 2,360 | 58 | - | 2,418 | 2,360 | 58 | - | 2,418 | - | - |
| 6. सड़क, पुल तथा पुलिया | 16,034 | 224 | - | 16,258 | 3,278 | 562 | - | 3,840 | 12,418 | 12,756 |
| 7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति | 2,140 | 95 | - | 2,235 | 665 | 94 | - | 759 | 1,476 | 1,475 |
| 8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी | 2,149 | 103 | (7) | 2,245 | 1,290 | 61 | (2) | 1,349 | 896 | 859 |
| 9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी | 304,911 | 217 | - | 305,128 | 117,046 | 16,457 | - | 133,502 | 171,626 | 187,865 |
| 10. ई.डी.पी. मशीन | 1,418 | 435 | (244) | 1,609 | 1,104 | 120 | (219) | 1,005 | 604 | 314 |
| 11. विद्युत संस्थापनाएं | 4,570 | 7 | - | 4,577 | 670 | 244 | - | 914 | 3,663 | 3,900 |
| 12. पारेषण लाइनें | 2,461 | 123 | - | 2,584 | 1,042 | 132 | - | 1,174 | 1,410 | 1,419 |
| 13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण | 5,675 | 195 | (4) | 5,866 | 2,561 | 344 | (2) | 2,903 | 2,963 | 3,114 |
| 14. फर्नीचर तथा फिक्सचर | 2,490 | 179 | - | 2,669 | 1,069 | 161 | - | 1,230 | 1,439 | 1,421 |
| 15. वाहन | 1,546 | 556 | (29) | 2,073 | 765 | 131 | (22) | 874 | 1,199 | 781 |
| 16. रेलवे साइडिंग | 122 | - | - | 122 | 41 | 4 | - | 45 | 77 | 81 |
| 17. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे | 518,190 | 225 | - | 518,415 | 251,394 | 27,531 | - | 278,925 | 239,490 | 266,796 |
| 18. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, कोन्ड्यूट इत्यादि | 139,980 | - | - | 139,980 | 72,876 | 7,440 | - | 80,316 | 59,664 | 67,104 |
| 19. निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो में अप्रयोज्य/अप्रचलित आस्तियां | 12 | - | 4 | 16 | - | - | - | - | 16 | 12 |
| उप जोड़ | 1,265,902 | 13,950 | (280) | 1,279,572 | 533,134 | 63,653 | (245) | 596,542 | 683,030 | 732,768 |
| पिछले वर्ष के आंकड़े | 1,247,126 | 19,363 | (587) | 1,265,902 | 486,484 | 66,428 | 222 | 533,134 | 732,768 | 760,642 |
| ख. अमूर्त परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| 1. अमूर्त परिसंपत्तियां- सॉफ्टवेयर | 397 | 74 | - | 471 | 364 | 22 | - | 386 | 85 | 33 |
| उप जोड़ | 397 | 74 | - | 471 | 364 | 22 | - | 386 | 85 | 33 |
| पिछले वर्ष के आंकड़े | 395 | 2 | - | 397 | 350 | 14 | - | 364 | 33 | 45 |
| मूल्यह्रास का ब्यौरा | | | | | चालू वर्ष | | पूर्व वर्ष | | | |
| ई.डी.पी. को प्रभारित मूल्यह्रास | | | | | 1,260 | | 2,166 | | | |
| पी एंड एल विवरण को प्रभारित मूल्यह्रास | | | | | 55,500 | | 57,452 | | | |
| आस्थगित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान | | | | | 6,915 | 63,675 | 6,822 | 66,442 | | |
| वर्ष के दौरान रू.1500.00 से अधिक परंतु रू. 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया | | | | | 29 | | 10 | | | |

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को आवंटित 14.27 एकड़ भूमि 01 रू. के सांकेतिक मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रयुक्त विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अन्य अवशिष्ट सामग्री के कारण इसका कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं होगा।

टिप्पणी:– 3

## पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं अमूर्त संपत्तियां विकासाधीन

राशि लाख ₹ में

| विवरण | | | 31 मार्च 2019 की समाप्ति पर | | | 31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | टिप्पणी सं. | 01 अप्रैल 2018 की स्थिति अनुसार | वर्ष 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान वृद्धि | वर्ष 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान समायोजन | वर्ष 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान पूंजीकरण | |
| क. निर्माण कार्य प्रगति पर | | | | | | |
| भवन एवं अन्य सिविल कार्य | | 7,522 | 10,608 | 264 | (11,481) | 6,913 |
| सड़क– पुल तथा पुलिया | | 636 | 1,646 | (126) | (217) | 2,139 |
| जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी | | - | 317 | - | (77) | 240 |
| उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी | | 118,932 | 24,866 | (1) | (10) | 143,787 |
| जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे जल चैनल, पियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य | | 218,100 | 28,466 | (16) | - | 246,550 |
| जलागम क्षेत्र वनीकरण | | 1,187 | 7,812 | - | - | 8,999 |
| विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण | | 88 | 57 | - | (124) | 21 |
| कोयला खान का विकास | | 3,761 | 0 | 0 | 0 | 3,761 |
| सौर ऊर्जा का विकास | | 0 | 2,583 | 0 | 0 | 2,583 |
| अन्य | | 125 | 59 | - | (2) | 182 |
| आबंटन होने तक व्यय | | | | | | |
| सर्वेक्षण तथा विकास खर्च | | 9,788 | 68 | (40) | - | 9,816 |
| निर्माण के दौरान व्यय | 28.1 | 4,024 | (1,168) | | | 2,856 |
| पुनर्वास | | | | | | |
| पुनर्वास व्यय | | 30,631 | 1,144 | - | (425) | 31,350 |
| घटाएं : सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान | | 0 | 3,483 | 0 | 0 | 3,483 |
| **जोड़** | | **394,994** | **72,975** | **81** | **(12,336)** | **455,714** |
| **पिछले वर्ष के आंकड़े** | | **303,496** | **106,451** | **195** | **(15,148)** | **394,994** |
| **ख) अमूर्त–पूंजीगत कार्य प्रगति पर** | | | | | | |
| अमूर्त– परिसंपत्तियां विकासाधीन | | 33 | 65 | (29) | (69) | 0 |
| **उप जोड़** | | **33** | **65** | **(29)** | **(69)** | **0** |
| **पिछले वर्ष के आंकड़े** | | **33** | **0** | **0** | **0** | **33** |

*3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा आदि जैसी निर्माणाधीन चल रही परियोजनाएं शामिल हैं। चूंकि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए क्षति का प्रश्न नहीं उठता।*

टिप्पणी:– 4

## गैर चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| कर्मचारियों को ऋण | | | | | |
| शोध्य समझे गए–प्रतिभूत | | 1,924 | | 2,490 | |
| शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत | | 761 | | 717 | |
| कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज | | | | | |
| शोध्य समझे गए–प्रतिभूत | | 2,665 | | 2,674 | |
| शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत | | 180 | | 183 | |
| कर्मचारियों को कुल ऋण | | **5,530** | | **6,064** | |
| घटाएं : उचित मूल्यांकन समायोजन | | 1,451 | 4,079 | 1,582 | 4,482 |
| निदेशकों को ऋण | | | | | |
| शोध्य समझे गए–प्रतिभूत | | 0 | | 0 | |
| शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत | | 0 | | 0 | |
| निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज | | | | | |
| शोध्य समझे गए–प्रतिभूत | | 0 | | 1 | |
| शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत | | 0 | | 0 | |
| निदेशकों को कुल ऋण | | **0** | | **1** | |
| घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) | | | | | |
| (नकद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए) | | | | | |
| कर्मचारियों के लिए | | 0 | | 0 | |
| अन्य के लिए | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जमा राशियां | | | | | |
| अन्य जमा राशियां | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उप जोड | | | **4,079** | | **4,483** |
| घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | 0 | | 0 |
| | | | | | |
| उप जोड–अग्रिम | | | **4,079** | | **4,483** |
| कुल ऋण और अग्रिम | | | **4,079** | | **4,483** |
| टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय | | | | | |
| मूलधन | | 0 | | 0 | |
| ब्याज | | 0 | | 1 | |
| जोड | | **0** | | **1** | |
| घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय | | | | | |
| मूलधन | | 1 | | 2 | |
| ब्याज | | 1 | | 1 | |
| जोड | | **2** | | **3** | |
| घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन | | 0 | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | |

टिप्पणी:– 5

## अन्य गैर–चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31.03.2019 की स्थिति अनुसार | | 31.03.2018 की स्थिति अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| अन्य | | | | | |
| उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत | | | 1,452 | | 1,582 |
| जोड़ | | | **1,452** | | **1,582** |

टिप्पणी:– 6

## आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31.03.2019 की स्थिति अनुसार | | 31.03.2018 की स्थिति अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| आस्थगित कर देनदारियां | | (2,975) | | (2,975) | |
| आस्थगित कर परिसंपत्ति | | 92,079 | 89,104 | 85,507 | 82,532 |
| जोड़ | | | **89,104** | | **82,532** |

टिप्पणी:– 7

## अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31.03.2019 की स्थिति अनुसार | | 31.03.2018 की स्थिति अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्वभुगतान व्यय | | 40 | | 35 | |
| उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं | | 0 | 40 | 0 | 35 |
| उप जोड़ | | | **40** | | **35** |
| अग्रिम पूंजी | | | | | |
| अप्रतिभूत | | | | | |
| i) बैंक गारंटी के विरूद्ध (65992 लाख रु. की बैंक गारंटी के लिए) | | 59,337 | | 52,764 | |
| ii) पुनर्वास/पुनर्स्थापन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान | | 26,552 | | 3,012 | |
| iii) अन्य | | 40,435 | | 26,546 | |
| iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज | | 5,528 | 131,852 | 10 | 82,332 |
| घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | | | 12,402 | | 12,402 |
| उप जोड़ – पूंजी अग्रिम | | | **119,450** | | **69,930** |
| | | | | | |
| जोड़ | | | **119,490** | | **69,965** |

टिप्पणी:– 8

## माल सामग्री

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31.03.2019 की स्थिति अनुसार | | 31.03.2018 की स्थिति अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| माल सामग्री | | | | | |
| (भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर) | | | | | |
| अन्य सिविल और भवन सामग्री | | 104 | | 111 | |
| यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे | | 2,694 | | 2,697 | |
| अन्य (भंडारण एवं पुर्जे सहित) | | 267 | | 213 | |
| निरीक्षणाधीन सामग्री ( लागत पर मूल्य) | | 25 | 3,110 | 1 | 3,022 |
| घटाएं : अन्य भंडारों के लिए प्रावधान | | | 50 | | 22 |
| जोड़ | | | **3,060** | | **3,000** |

टिप्पणी:– 9

## व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) छः माह से अधिक बकाया ऋण (निवल) | | | | | |
| अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए | | 41,892 | | 15,773 | |
| उधारी में कमी | | 14,576 | 56,268 | 18,476 | 34,249 |
| घटाएं: –अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | 14,576 | | 18,476 |
| (ii) अन्य ऋण (निवल) | | | | | |
| अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए | | 128,436 | | 70,092 | |
| उधारी में कमी | | 0 | 128,436 | 0 | 70,092 |
| (iii) लंबित प्रशुल्क याचिका के विरुद्ध कर्जदार | | | | | |
| अप्रतिभूत शोध्य समझे गए | | 0 | | 44,861 | |
| उधारी में कमी | | 0 | 0 | 2,201 | 47,062 |
| घटाएं : – अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | 0 | | 2,201 |
| जोड़ | | | 170,128 | | 130,726 |

*9.1 व्यापार प्राप्य में लंबित प्रशुल्क याचिका के लिए शून्य ₹ (वसूलनीय शून्य ₹ और भुगतान योग्य शून्य ₹) (प्रतिवर्ष 47062 लाख ₹ वसूलनीय 78584 ₹ और भुगतान करने योग्य 29522 लाख ₹)*

*9.2 व्यापार प्राप्य में शून्य ₹ (पिछले वर्ष 849 लाख) में वह राजस्व भी शामिल है जिसे लेखे में शामिल नहीं किया गया है।*

टिप्पणी:– 10

## नकद और नकद समकक्ष

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| नकद एवं नकद समकक्ष | | | | | |
| बैंकों में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ फ्लेक्सी जमा सहित) | | | 4,576 | | 6,094 |
| हाथ में चैक, ड्राफ्टस, स्टैम्पस | | | 1 | | 8 |
| जोड़ | | | 4,577 | | 6,102 |

टिप्पणी:– 11

## नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| अन्य बैंक शेष | | | | | |
| अन्य (कम्पनी के द्वारा प्रयोग के लिए अनुपलब्ध धारणाधिकार के अंतर्गत बैंक में शेष) | | | 676 | | 37 |
| जोड़ | | | 676 | | 37 |

टिप्पणी:– 12

## चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ– ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| कर्मचारियों को ऋण | | | | | |
| शोध्य समझे गए–प्रतिभूत | | 702 | | 799 | |
| अशोध्य समझे गए–अप्रतिभूत | | 262 | | 253 | |
| कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज | | | | | |
| शोध्य समझे गए–प्रतिभूत | | 196 | | 163 | |
| अशोध्य समझे गए–अप्रतिभूत | | 5 | | 1 | |
| कर्मचारियों को कुल ऋण | | **1,165** | | **1,216** | |
| घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन | | 178 | 987 | 167 | 1,049 |
| निदेशकों को ऋण | | | | | |
| शोध्य समझे गए–प्रतिभूत | | 0 | | 0 | |
| अशोध्य समझे गए–अप्रतिभूत | | 0 | | 0 | |
| निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज | | | | | |
| शोध्य समझे गए–प्रतिभूत | | 0 | | 1 | |
| शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत | | 0 | | 0 | |
| निदेशकों को कुल ऋण | | **0** | | **1** | |
| घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| अन्य | | | | | |
| अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) | | | | | |
| (नकद या वस्तु रूप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए) | | | | | |
| कर्मचारियों के लिए | | 251 | | 273 | |
| अन्य के लिए | | 35 | 286 | 35 | 308 |
| जमा राशियां | | | | | |
| प्रतिभूति जमा | | 915 | | 687 | |
| सरकार/न्यायालय में जमा राशियां | | 3,088 | | 2,534 | |
| अन्य जमा राशियां | | 24 | 4,027 | 7 | 3,228 |
| उप जोड़ | | | **5,300** | | **4,586** |
| घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | | | 8 | | 8 |
| कुल अग्रिम | | | **5,292** | | **4,578** |
| कुल ऋण और अग्रिम | | | 5,292 | | 4,578 |
| टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय | | | | | |
| मूलधन | | 0 | | 0 | |
| ब्याज | | 0 | | 1 | |
| जोड़ | | **0** | | **1** | |
| घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय | | | | | |
| मूलधन | | 0 | | 1 | |
| ब्याज | | 0 | | 0 | |
| जोड़ | | **0** | | **1** | |
| घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन | | 0 | 0 | 0 | 1 |

टिप्पणी:– 13

## अन्य–चालू–वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| अन्य | | | | | |
| उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत | | | 178 | | 167 |
| जोड | | | **178** | | **167** |

टिप्पणी:– 14

## चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| जमा किया गया कर | | | 9,049 | | 9,047 |
| जोड | | | **9,049** | | **9,047** |

टिप्पणी:– 15

## अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्व भुगतान व्यय | | | 2,971 | | 3,119 |
| उपार्जित ब्याज | | | 16 | | 28 |
| उप जोड | | | **2,987** | | **3,147** |
| अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) | | | | | |
| कर्मचारियों को | | | 35 | | 25 |
| खरीद के लिए | | | 1,255 | | 1,211 |
| अन्य को | | | 1,532 | | 1,600 |
| | | | **2,822** | | **2,836** |
| घटाएं: विविध वसूलियों के प्रावधान | | | 1,441 | | 0 |
| उप जोड –अन्य अग्रिम | | | **1,381** | | **2,836** |
| जोड | | | **4,368** | | **5,983** |

टिप्पणी:– 16

## विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| अथ शेष | | | 0 | | 0 |
| वर्ष के दौरान निवल संचालन | | | 7,501 | | 0 |
| अंत शेष | | | **7,501** | | **0** |

टिप्पणी:– 17

## शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | राशि | शेयरों की सं. | राशि |
| प्राधिकृत | | | | | |
| 1000/–रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर | | 40,000,000 | 400,000.00 | 40,000,000 | 400,000.00 |
| निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी | | 36,548,817 | 365,488 | 36,274,317 | 362,743 |
| 1000/–रु. प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर | | | | | |
| कुल | | **36,548,817** | **365,488** | **36,274,317** | **362,743** |

टिप्पणी:– 17.1

## कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | % | शेयरों की सं. | % |
| 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक | | | | | |
| I. भारत सरकार | | 27,199,417 | 74.42 | 26,924,917 | 74.23 |
| II. उत्तर प्रदेश सरकार | | 9,349,400 | 25.58 | 9,349,400 | 25.77 |
| जोड | | **36,548,817** | **100** | **36,274,317** | **100** |

टिप्पणी:– 17.2

## शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की सं. | राशि | शेयरों की सं. | राशि |
| प्रारंभिक | | 36,274,317 | 362,743 | 35,988,817 | 359,888 |
| निर्गत | | 274,500 | 2,745 | 285,500 | 2,855 |
| अंतिम | | **36,548,817** | **365,488** | **36,274,317** | **362,743** |

*17.3 कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 42312 लाख लाभांश का भुगतान किया और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 12600 लाख रु. के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है।*

टिप्पणी:– 18

## गैर –चालू– वित्तीय देयताएं – उधारियाँ

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| क. बॉन्ड्स | | | | | |
| बॉन्ड्स निर्गत सं. 1 – प्रतिभूत | | | | | |
| (प्रत्येक रू. 1000000/–के 7.59 प्रतिशत की दर से गैर–परिवर्तनीय बांड 10 वर्षीय सुरक्षित प्रतिदेय) (मोचन की तारीख 03.10.2028) | | | 60,000 | | 60,000 |
| जोड (क) | | | **60,000** | | **60,000** |
| ख. प्रतिभूत | | | | | |
| पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि.(पीएसएफसी)–78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)** | | | | | |
| (15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।) | | | 31,597 | | 40,625 |
| पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि.(पीएफसी)–783020002 (केएचईपी के लिए)# | | | | | |
| (15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है) | | | 20,475 | | 32,175 |
| रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी (केएचईपी के लिए)# | | | | | |
| (यूए–जीईं–पीएसयू–033 –2010– 3754) | | | | | |
| (30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय 9.35 प्रतिशत की वार्षिक दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू) | | | 15,767 | | 22,774 |
| रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)—330001– (टिहरी–एचपीपी के लिए)** | | | | | |
| (सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय फ्लोटिंग ब्याज दर 9.35 प्रतिशत प्रति वर्ष लागू) | | | 19,036 | | 28,554 |
| पंजाब नेशनल बैंक (पीएसपी के लिए) @ | | | | | |
| पंजाब नेशनल बैंक(30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर/एमसीएलआर प्रतिवर्ष 8.45 प्रतिशत | | | 56,000 | | 0 |
| जोड (ख) | | | **142,875** | | **124,128** |
| ग. अप्रतिभूत | | | | | |
| विदेशी मुद्रा ऋण | | | | | |
| (भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा) | | | | | |
| विश्व बैंक ऋण–8078–आई एन (वीपीएचईपी केलिए) $ | | | | | |
| (15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों के भीतर छमाही किस्तों में प्रतिदेय ब्याज दर / एलआईबीओआरआई भिन्नता विस्तार अर्थात वर्तमान में प्रतिशत | | | 62,326 | | 57,402 |
| जोड (ग) | | | **62,326** | | **57,402** |
| | | | | | |
| कुल (क + ख + ग) | | | **265,201** | | **241,530** |

** टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियां अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण, अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते हैं। टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

\# कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण।

$ संबंधित ऋण हैजिंग समरूप के तहत विश घोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिए सहित।

* टिहरी एचपीपी चरण–I की वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम/समरूप प्रभार बांड सुरक्षित हैं।

@ टिहरी पीएसपी की परिसम्पत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए हस्ताक्षरित हाइड्रोमैकेनिकल के लिए प्रतिभूत मध्यकालिक ऋण है।

इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी:– 19

## गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| देनदारियां | | | | | |
| ठेकेदार आदि से जमा, प्रतिधारण राशि | | 2,042 | | 2,484 | |
| घटाएं: उचित मूल्य समायोजन, प्रतिभति जमा/प्रतिधारण राशि | | 248 | 1,794 | 284 | 2,200 |
| जोड़ | | | 1,794 | | 2,200 |

टिप्पणी:– 20

## अन्य–गैर चालू–वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ: प्रतिभति जमा/प्रतिधारण राशि | | | 248 | | 284 |
| जोड़ | | | 248 | | 284 |

टिप्पणी:– 21

## अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के लेखे पर आस्थगित राजस्व | | | | | |
| अंतिम तुलन–पत्र के अनुसार | | 21,271 | | 21,271 | |
| जोड़: वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व | | 0 | | 0 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन | | 0 | 21,271 | 0 | 21,271 |
| सिंचाई घटक के लिए अंशदान | | | | | |
| सिंचाई सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान | | 144,118 | | 144,118 | |
| घटाएं: मूल्यह्रास के प्रति समायोजन | | 74,397 | 69,721 | 67,482 | 76,636 |
| अन्य देनदारियां | | | 0 | | 0 |
| जोड़ | | | 90,992 | | 97,907 |

टिप्पणी:– 22

## दीर्घकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्टक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

| | | | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | टिप्पणी सं. | 01 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार | वृद्धि | समायोजन | उपयोग | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
| I. कर्मचारियों से संबंधित | | 34,118 | 4,651 | 3,649 | (3,747) | 38,671 |
| II. अन्य | | 969 | 0 | (157) | 0 | 812 |
| **जोड़** | | **35,087** | **4,651** | **3,492** | **(3,747)** | **39,483** |
| | | | | | | |
| **पूववर्ती वर्ष के आंकड़े** | | **38,970** | **4,729** | **(2,390)** | **(6,222)** | **35,087** |

22.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में ए एस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 39.15 में कर दिया गया है ।

टिप्पणी:– 23

## गैर– वित्तीय देनदारियां –उधार

राशि लाख ₹ में

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक ऋण | | | | | |
| क. प्रतिभूत ऋण | | | | | |
| बैंक ऑफ इंडिया (फ्लोटिंग दर आधार पर एक माह के लिए एम एल सी आर 8.50 प्रतिशत +0.20 प्रतिशत मार्जिन वर्तमान में 8.50 प्रतिशत)# | | | 59,958 | | 0 |
| **बैंकों से ओवर ड्राफ्ट** | | | | | |
| पंजाब नेशनल बैंक (फ्लोटिंग आधार दर एक वर्ष के लिए एमसीएलआर अर्थात वर्तमान में 8.45 प्रतिशत* | | | 61,862 | | 64,663 |
| **जोड़** | | | **121,840** | | **64,663** |

* परियोजना स्थल पर मशीनरी स्पेयर्स, औजार एवं अनुषंगियां, ईंधन स्टाक स्पेयर एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–I एवं कोटेश्वर एचईपी के कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के ₹61882 लाख का ओडी सुरक्षित है।

\# ऋण बही/कंपनी से प्राप्य में प्रभार के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया में लघु अवधि ऋण प्राप्त किया जाता है।

टिप्पणी:– 24

## अन्य–चालू–वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता | | | | | |
| क. प्रतिभूत * | | | 51,253 | | 98,618 |
| (भारतीय मुद्रा में ऋण) | | | | | |
| जोड़ (क) | | | 51,253 | | 98,618 |
| ख. अप्रतिभूत * | | | 3,184 | | 2,665 |
| जोड़ (ख) | | | 3,184 | | 2,665 |
| | | | | | |
| कुल | | | 54,437 | | 101,283 |
| देनदारियां | | | | | |
| ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि | | 6,404 | | 7,165 | |

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| घटाएं: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि | | 0 | 6,404 | 0 | 7,165 |
| आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि | | | 0 | | 0 |
| ब्याज उपार्जित पर देय नहीं | | | | | |
| वित्तीय संस्थाएं | | 4,665 | | 5,532 | |
| अन्य देनदारियां | | 0 | 4,665 | 0 | 5,532 |
| जोड़ | | | 11,069 | | 12,697 |
| कुल देनदारियां | | | 65,506 | | 113,960 |

* प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–18 में दिए गए हैं। पिछले वर्ष में टिहरी पीएसपी की परिसम्पत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से 61365 लाख रु. शामिल हैं।

टिप्पणी:– 25

## अन्य चालू देयताएं

राशि लाख ₹ में

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| देयताएं | | | | | |
| अन्य देयताएं | | | 3,857 | | 4,429 |
| जोड़ | | | 3,857 | | 4,429 |

टिप्पणी:– 26

## चालू प्रावधान

राशि लाख ₹ में

(कोष्टक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित हैं)

| विवरण | टिप्पणी सं. | 01 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए: वृद्धि | समायोजन | उपयोग | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. कार्य | | 635 | 353 | (11) | (414) | 563 |
| II. कर्मचारियों से संबंधित | | 18,861 | 13,329 | (4,772) | (17,034) | 10,384 |
| III. अन्य | | 1,519 | 464 | (39) | (598) | 1,346 |
| जोड़ | | 21,015 | 14,146 | (4,822) | (18,046) | 12,293 |
| पिछले वर्ष के आंकड़े | | 10,347 | 15,857 | (933) | (4,256) | 21,015 |

26.1 कर्मचारियों के हित लाभ के संबंध में एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 39.15 में कर दिया गया है।

टिप्पणी:– 27

## चालू कर देताएं (निवल)

राशि लाख ₹ में

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| आय कर | | | | | |
| अथ शेष | | | 0 | | 0 |
| अवधि के दौरान वृद्धि | | | 32,557 | | 9,696 |
| अवधि के दौरान समायोजन | | | 0 | | (3,730) |
| अवधि के दौरान उपयोग | | | (28,063) | | (5,966) |
| अंतिम शेष | | | 4,494 | | 0 |

टिप्पणी:– 28

## विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि लाख ₹ में

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च, 2019 के अनुसार | | 31 मार्च, 2018 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| अथ शेष | | | 6,313 | | 6,313 |
| वर्ष के दौरान नियत संचालन | | | 0 | | 0 |
| **अंत शेष** | | | **6,313** | | **6,313** |

टिप्पणी:– 28.1

## निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| व्यय | | | | | |
| कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय | 31 | | | | |
| वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ | | 15,319 | | 10,656 | |
| भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान | | 954 | | 730 | |
| पेंशन निधि | | 707 | | 360 | |
| उपदान | | 494 | | 380 | |
| कल्याण | | 268 | | 205 | |
| आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय | | 10 | 17,742 | 36 | 12,367 |
| अन्य व्यय | 33 | | | | |
| किराया | | | | | |
| कार्यालय हेतु किराया | | 63 | | 67 | |
| कर्मचारी आवास हेतु किराया | | 202 | 265 | 299 | 366 |
| दर एवं कर | | | 22 | | 11 |
| विद्युत एवं ईंधन | | | 510 | | 623 |
| बीमा | | | 35 | | 33 |
| संचार | | | 127 | | 168 |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | | | | | |
| संयंत्र एवं मशीनरी | | 2 | | 5 | |
| स्टोर एवं अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत | | 0 | | 0 | |
| भवन | | 323 | | 641 | |
| अन्य | | 228 | 553 | 228 | 874 |
| यात्रा एवं वाहन | | | 226 | | 178 |
| वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना | | | 543 | | 528 |
| सुरक्षा | | | 305 | | 437 |
| प्रचार तथा जनसंपर्क | | | 93 | | 37 |
| अन्य सामान्य व्यय | | | 1,306 | | 1,935 |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि | | | 3 | | 1 |
| सर्वेक्षण और सर्वेक्षण व्यय | | | 13 | | 99 |

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिभूत जमा पर ब्याज/प्रभावी ब्याज दर के लेखे पर प्रतिभारण राशि | | | 87 | | 149 |
| मूल्यह्रास | 2 | | 1,260 | | 2,166 |
| **कुल व्यय (क)** | | | **23,090** | | **19,974** |
| **प्राप्तियां** | | | | | |
| **अन्य आय** | 30 | | | | |
| ब्याज | | | | | |
| बैंक जमा से | | 5 | | 3 | |
| कर्मचारियों से | | 84 | | 96 | |
| कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम: प्रभावी ब्याज के लेखे में समायोजन | | 10 | | 36 | |
| अन्य से | | 4 | 103 | 4 | 141 |
| मशीन किराया प्रभार | | | 1 | | 0 |
| किराया प्राप्तियां | | | 67 | | 70 |
| विविध प्राप्तियां | | | 146 | | 80 |
| प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना | | | 41 | | 219 |
| उचित मूल्य लाभ–प्रतिभूत जमा/प्रतिभारण राशि | | | 88 | | 149 |
| **कुल प्राप्तियां (ख)** | | | **446** | | **659** |
| **करोपरान्त से पूर्व निवल व्यय** | | | **22,644** | | **19,315** |
| **करोपरान्त के लिए प्रावधान** | 35 | | | | |
| **करोपरान्त सहित निवल व्यय** | | | **22,644** | | **19,315** |
| लेखांकरण नीति में परिवर्तन एवं पूर्व अवधि मदें | 37 | | 0 | | 136 |
| ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि) | 38 | | (45) | | 113 |
| पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष | | | 4,023 | | 2,370 |
| **कुल ईडीसी** | | | **26,712** | | **21,708** |
| घटाएं : | | | | | |
| ईडीसी को सीडब्ल्यूआईपी/परिसम्पत्ति आबंटित | | 23,368 | | 17,292 | |
| अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है। | | 488 | 23,856 | 393 | 17,685 |
| **सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष** | | | **2,856** | | **4,023** |

टिप्पणी:– 29

## सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय | | 228,832 | | 215,963 | |
| प्रशुल्क समायोजन के कारण विद्युत बिक्री के लाभार्थियों से आय | | 44,877 | | (554) | |
| घटाएं : | | | | | |
| मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आस्थगित | | 0 | 273,709 | 0 | 215,409 |
| विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार | | | 3,002 | | 2,887 |
| परामर्श से आय | | | 85 | | 214 |
| जोड़ | | | **276,796** | | **218,510** |

29.1 माननीय सीईआरसी ने 2009–14 और 2014–19 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी के प्रशुल्क याचिका का निपटान कर दिया है और 05.12.2017 के आदेश द्वारा संशोधित प्रशुल्क को मंजूरी दे दी है। माननीय सीईआरसी ने 2011–14 और 2014–19 के लिए कोटेश्वर एचईपी की प्रशुल्क याचिका का निपटान कर दिया गया है और अपने दिनांक 05.09.2018 और 09.10.2018 के आदेश द्वारा प्रशुल्क भी जारी किया गया है।

इस आदेश के फलस्वरूप पिछले वर्षों की राशि 44787 लाख रु. को प्रचालनों से होने वाली आय में शामिल किया गया है।

दिनांक 05.12.2017 और 09.10.2018 के उक्त आदेश के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2018–19 के लिए टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए राजस्व को अनुमत्य किया गया ।

29.2 विद्युत बिक्री के प्रतिलाभियों से प्राप्त आय में 31178 लाख रु. (गत वर्ष 15549 लाख रु.) का देर से भुगतान करने पर अधिभार शामिल है।

टिप्पणी:– 30

## अन्य आय

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज | | | | | |
| बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस रू. 117852.00 शामिल है, पिछले वर्ष 103081.00 रु.) | | 59 | | 210 | |
| कर्मचारियों से | | 316 | | 351 | |
| कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम–प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन | | 246 | | 391 | |
| अन्य | | 5 | 626 | 10 | 962 |
| मशीन किराए पर लेने पर प्रभार | | | 2 | | 6 |
| किराया प्राप्तियां | | | 144 | | 135 |
| विविध प्राप्तियां | | | 339 | | 324 |
| प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनर्सांकन | | | 7,277 | | 2,886 |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ | | | 26 | | 41 |
| उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि | | | 265 | | 114 |
| जोड़ | | | **8,679** | | **4,468** |
| घटाएं : | | | | | |
| ईडीसी को अंतरित | 28.1 | | 446 | | 659 |
| जोड़ | | | **8,233** | | **3,809** |

टिप्पणी:– 31

## कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ | | | 49,754 | | 35,770 |
| भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान | | | 3,284 | | 2,523 |
| पेंशन निधि | | | 2,466 | | 1,343 |
| उपदान | | | 1,930 | | 2,003 |
| कल्याण व्यय | | | 1,243 | | 986 |
| आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय | | | 248 | | 391 |
| **जोड़** | | | **58,925** | | **43,016** |
| घटाएं : | | | | | |
| ईडीसी को अंतरित | 28.1 | | 17,742 | | 12,367 |
| **जोड़** | | | **41,183** | | **30,649** |

टिप्पणी:– 32

## कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| वित्त लागत | | | | | |
| बॉड निर्गम श्रृंखला–1 पर ब्याज | | | 4,554 | | 4,554 |
| एफईआरवी सहित ऋणों पर ब्याज | | | 31,546 | | 32,805 |
| **जोड़** | | | **36,100** | | **37,359** |
| घटाएं : | | | | | |
| अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत | | | 18,532 | | 14,572 |
| **जोड़** | | | **17,568** | | **22,787** |

टिप्पणी:– 33

## उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| किराया | | | | | |
| कार्यालय किराया | | 176 | | 185 | |
| कर्मचारी आवास किराया | | 417 | 593 | 699 | 884 |
| दर एवं कर | | | 99 | | 183 |
| विद्युत एवं ईंधन | | | 1,775 | | 1,756 |
| बीमा | | | 2,169 | | 2,252 |
| संचार | | | 318 | | 361 |

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | | | | | |
| संयंत्र एवं मशीनरी | | 2,228 | | 1,803 | |
| भंडार एवं कल पुर्जों की खपत | | 559 | | 917 | |
| भवन | | 1,071 | | 1,350 | |
| अन्य | | 1,656 | 5,514 | 2,611 | 6,681 |
| यात्रा एवं वाहन | | | 770 | | 637 |
| वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन | | | 1,448 | | 1,378 |
| सुरक्षा | | | 4,929 | | 4,171 |
| प्रचार तथा जनसंपर्क | | | 212 | | 298 |
| अन्य सामान्य व्यय | | | 4,628 | | 4,282 |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि | | | 23 | | 17 |
| सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्च | | | 501 | | 508 |
| अनुसंधान और विकास | | | 259 | | 238 |
| परामर्शी परियोजना/सेवित पर व्यय | | | 6 | | 1 |
| निगम की सीएसआर एवं एस डी गतिविधियों पर व्यय | | | 1,735 | | 1,620 |
| ग्राहकों को छूट | | | 694 | | 382 |
| आयकर अधिनियम के अनुसार ब्याज का भुगतान | | | 282 | | 0 |
| सुरक्षा जमा पर ब्याज/प्रभावी ब्याज दर का खाते पर प्रतिवारण राशि | | | 265 | | 114 |
| जोड़ | | | **28,220** | | **25,781** |
| घटाएं : | | | | | |
| ईडीसी को अंतरित | 28.1 | | 4,088 | | 5,439 |
| जोड़ | | | **22,132** | | **20,342** |

टिप्पणी:– 34

## प्रावधान

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| संदिग्ध, ऋणों, सीडब्लूआईपी तथा ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान | | | 4,924 | | 0 |
| भण्डारों तथा पुर्जों के लिए प्रावधान | | | 61 | | 0 |
| जोड़ | | | **4,985** | | **0** |
| घटाएं: | | | | | |
| ई डी सी को अंतरित | 28.1 | | 0 | | 0 |
| जोड़ | | | **4,985** | | **0** |

टिप्पणी:– 35

## कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| आयकर | | | | | |
| चालू वर्ष | | | 32,275 | | 19,056 |
| उप जोड़ | | | 32,275 | | 19,056 |
| जोड़ | | | **32,275** | | **19,056** |

टिप्पणी:– 36

## परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ / (हानि) | | | (344) | | 676 |
| उप जोड़ | | | **(344)** | | **676** |
| घटाएं : | | | | | |
| ई डी सी को अंतरित | 28.1 | | (45) | | 113 |
| जोड़ | | | **(299)** | | **563** |

टिप्पणी:– 37

## लेखाकरण नीति में परिवर्तन एवं पूर्वावधि मदें

राशि लाख ₹ में

| विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्व अवधि आय | | | | | |
| विविध प्राप्ति | | 0 | 0 | 280 | 280 |
| पूर्व अवधि व्यय | | | | | |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | | 0 | | (141) | |
| अन्य सामान्य व्यय | | 0 | | 9 | |
| मूल्यह्रास | | 0 | | 277 | |
| विविध – अन्य | | 0 | 0 | (46) | 99 |
| उप जोड़ | | | **0** | | **(181)** |
| घटाएं : | | | | | |
| ई डी सी को अंतरित | 28.1 | | 0 | | 136 |
| जोड़ | | | **0** | | **(317)** |

38.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंड एएस 107 वित्तीय आपश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियाँ तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की यह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, यह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), और तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम यह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार– चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते हैं।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज दर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजारी जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियाँ, जमा और निवेश शामिल होते हैं।

विदेशी मुद्रा जोखिम– यह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार– चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम – यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रभाव में उतार– चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल : कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पाँच घटक होते हैं रू

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूँजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते हैं, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं, मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएँ तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएँ प्रशुल्क की वसूली की जा सकती है और कंपनी की लाभप्रदता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1 कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।

2. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पी.एस.यू. डिस्काम होते हैं।

3. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2014–19, कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिकार को

वसूलने की अनुमति देता है जिससे भुगतान में विलंब से उद्भूत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।

4. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुभव पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।

5. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।

6. रिपोर्ट की जाने की तारिख को कंपनी व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

### 38.2 वित्तीय आस्तियों की हानि

ए एस. 109 के अनुसार कंपनी ने निम्नलिखित वित्तीय आपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है

(क) वित्तीय आस्तियाँ जो ऋण विलेख हैं और परिभाषित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय आस्तियाँ जो ऋण विलेख हैं और एफवीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) इंड ए एस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य राजस्व मान्यता।

(घ) इंड ए एस 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामले के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

हानियों को अन्य वित्तीय आस्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आँकलन करती है कि क्या शुरूआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्वि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आँकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आँकलन करती है। यदि कालांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्वि होती है कि आरंभिक मान्यता के समय से उसमें उल्लेखनीय वृद्वि नहीं रह पाती है तो संस्था 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता देने लगती है।

### 38.3 हाल की लेखाकरण घोषणाएं

**इंड ए एस –116–पट्टे –इंड ए एस –17 का स्थान लेंगे**

एमसीए ने 30 मार्च 2019 को इंडि. ए एस 116 को अधिसूचित किया और 01 अप्रैल 2019 को या से यह वार्षिक रिपोर्टिंग की अवधि के लिए प्रभावी हुए नए मानदंड में पट्टाधारियों को अधिकांश पट्टों को अपने तुलन–पत्र में मान्यता देनी होगी। सभी पट्टों के लिए एकल लेखाकरण मॉडल का प्रयोग करेंगे जिसमें सीमित छूट प्राप्त होगी। इसमे कंपनी को उन सभी प्रचालनरत पट्टों, जहाँ हम पट्टेधारी के रूप में काम करते हैं, को पूँजीकृत करना होगा। पूँजीकरण आधार सभी भावी छूट प्राप्त रेंटल पर पहले से जुड़े सभी प्रोत्साहन भुगतान किए गए सभी पंजीकृत शुल्क तथा पट्टा रेन्टलों के लिए भुगतान किए गए आनुवार्षिक खर्च होंगे। कंपनी इंड ए एस 116 के विस्तृत प्रभावों का आँकलन करने में जुटी है।

## 39. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मौंगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 199727 लाख रूपये (गत वर्ष रू. 214393 लाख) है।

## 2. आकस्मिक देयताएं

राशि लाख ₹ में

| | विवरण | 31.03.2019 को | 31.03.2018 को |
|---|---|---|---|
| क. | कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया, माध्यस्थम/ अदालती मामले/अन्य** | | |
| | मूलधन | | |
| | सरकारी/सीपीएसई** | 57238 | 62186 |
| | अन्य | 100561 | 102095 |
| | कुल i | 157799 | 164281 |
| | ब्याज | | |
| | सरकारी/सीपीएसई | 2630 | 2465 |
| | अन्य | 190086 | 176730 |
| | जोड़ ii | 192716 | 179195 |
| | कुल जोड़ i+ii | 350515 | 343476 |
| | विभिन्न माध्यस्थम/श्रम न्यायालय/जिला न्यायालय मामलों और विवादित अपीलों में कंपनी के विरूद्ध की गई डिक्री के संबंध में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि/ दी गई बैंक गारंटी | 748 | 721 |
| (ख) | अन्य | | |
| | i. परियोजनाओं / कार्य के लिए कंपनी द्वारा दी गयी गारंटी | 25109 | 25099 |
| | ii. विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर आदि जिसमें कंपनी द्वारा जमा कराए गए 173 लाख रूपये (पिछले वर्ष 173 लाख रूपये) जो अपील के अंतर्गत है। | 757 | 708 |

(*) आकस्मिक देयताओं में कंपनी के विरुद्ध दो माध्यस्थम एवार्ड शामिल हैं जो कंपनी की अपील और याचिकाओं के आधार पर उच्च न्यायिक फोरम के समक्ष लंबित हैं।

(**) इसमें चालू वर्ष के 52717 लाख रु (गत वर्ष 37272 लाख रु) तक जल उप कर और ग्रीन एनर्जी उपकर शामिल है जो कंपनी के विरुद्ध निर्णय होने पर सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लाभग्राहियों द्वारा देय है।

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों / वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कंपनी एफडीआर/सीडीआर प्राप्त कर रही है। कंपनी ने 145 लाख रुपये एवं 568 लाख रूपये (गत वर्ष 106 लाख रूपये तथा 606 लाख रुपये) की एफडीआर/सीडीआर क्रमशः ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 19 एवं 24 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 8445 लाख रुपये (गत वर्ष 9649 लाख रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अविशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 58 लाख रू/ (गत वर्ष 40 लाख रू) के समायोजन के बाद पूंजीकृत उधारी लागत की राशि 18532 लाख रु (गत वर्ष 14572 लाख रु) है।

5 (i) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश सं एफ सं 8-3/89-एफ सी के तहत उत्तराखंड सरकार ने अपने 30 अक्टूबर 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जी आई-186/7-1-2002-300 (459)/88 के तहत कोटेश्वर में 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के विपथन तथा कंपनी के नाम हक विलेख के निष्पादन के लिए आदेश जारी किया है। यह कार्य पूरा हो चुका है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का नाम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा अधिग्रहीत 2547.83 हेक्टेयर (गत वर्ष 2547.83 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 2042.14 हेक्टे. भूमि का स्वामित्व कंपनी के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। शेष भूमि 505.69 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है।

(iii) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून, 1987 के पत्र संख्या 8-32/06-एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वन भूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं 8/32/86-एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/ प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट / प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा है जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585 / टिहरी डेम प्रोजेक्ट /23- सी-4/ टी-18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रक्रियाधीन औपचारिकताओं के पूरा होने पर पट्टा विलेख कार्यान्वित किया जाना है।

(iv) टिहरी पीएसपी के उत्खनित मक के पाटन के लिए टीएचडीसीआईएल ने पारस्परिक बातचीत के आधार चोपड़ा गाँव में 5.974 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है। उक्त भूमि में से 5.217 हेक्टेयर भूमि का हक विलेख कंपनी के वर्तमान नाम में कर दिया गया है। शेष भूमि के हक विलेख का नामांतरण करने की कारवाई चल रही है।

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 29.12.2016 के पत्र संख्या 8 बी/यू.पी.सी /09/217/2015/एमएफ /1516 के बाद उत्तराखंड सरकार ने चोपड़ा गाँव की 4.668 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) के लिए औपचारिक आदेश जारी किये जा चुके हैं। उपरोक्त भूमि के लिए पट्टा विलेख प्रक्रियाधीन है।

(v) खुर्जा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहीत 485.9639 हेक्टे. 1200.483 एकड़) का प्रयोग टीएचडीसीआईएल के परियोजना कार्यों के लिए किया जा रहा है। आवश्यक शर्तों को पूरा न किये जाने के कारण भूमि का हक विलेख अभी किया जाना बाकी है।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 24 फ्लैट (गत वर्ष 25 फ्लैट) विभिन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. (i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों जैसे प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एचसीसी के वित्तीय संकट के कारण पीपीएचईपी परिणाम के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिसमें अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि पीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके। इस प्रबंध के अंतर्गत दिए गए अग्रिम और उस पर व्यय की वसूली तब तक कुछ समय के लिए रोक दी गई है जब तक परियोजना नकदी प्रवाह के कारण अनुकूल स्थिति में न आ जाएं। इसे देखते हुए परियोजना के दिसंबर, 22 तक प्रारंभण की संभावना है।

   उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 101 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके हैं। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था। कंपनी ने मूल रूप से निर्धारित वितरण समय–सूची दिसंबर, 2017 के स्थान पर दिसंबर, 2020 तक पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया। विश्व बैंक ने जून 2019 तक वितरण समय–सूची बढ़ा दी है। चुकौती की हुए मूल संविदा शर्तों के अनुसार डेबिट सर्विसिंग की गई है।

   (ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने की मनाही तथा सिविल ठेकेदार मैसर्स एचसीसीलि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि पीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके। इस प्रबंध के अंतर्गत दिए गए अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली कुछ समय के लिए तब तक रोक दी गई है, जब तक परियोजना नकदी प्रवाह के कारण अनुकूल स्थिति में न आ जाए। इसको देखते हुए परियोजना के दिसंबर, 22 तक प्रारंभ की संभावना है।

   (iii) 1320 मेगावाट के उ.प्र. के बुलंदशहर जिले में खुर्जा एसटीटीपी और मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में अमेलिया कोयला खदान के लिए क्रमशः 11,089.42 करोड रू और 1587.16 करोड रू (दिसंबर 17 के मूल्य स्तर पर) निवेश मंजूरी 07.03.2019 को प्रदान की गई है। परियोजना वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कमीशन किए जाने की संभावना है।

8) (i) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अगस्त, 2013 के आदेश द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले की 65 मेगावाट की मलेरी झेलम और 108 मेगावाट की झेलम तमक जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हो रही थीं जिनमें पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा उत्तराखण्ड राज्य को अगले आदेश होने तक किसी नई विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय या वन अनुमति न देने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त तथ्य पर विचार कर तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनिश्चितता को देखते हुए मलेरी झेलम तथा झेलम तमक परियोजनाओं के लिए व्यय हेतु 1251 लाख तथा 2232 लाख रू का प्रावधान किया गया है।

   (ii) मलसेज घाट पीएसएस (800 मेगावाट) को टीएचडीसीआईएल और एनपीसीआईएल द्वारा संयुक्त उद्यम मोड में शुरू किए जाने का प्रस्ताव था। एनपीसीआईएल की ओर से 1441 लाख रू की राशि व्यय की गई थी और संयुक्त उद्यम का गठन हो जाने के बाद इसका समायोजन किया जाना था। लेखाबही में हमने इस राशि को एनपीसीआईएल से वसूलनीय अग्रिम के रूप में दर्शाया गया था। हालाँकि, महाराष्ट्र सरकार द्वारा परियोजना को स्थगित रखा गया था जैसा कि उनके दिनाँक 26.10.2017 के पत्र संख्या एचईपी (61/2016/एलबी1/एचपी) द्वारा सूचित किया गया है और अब तक संयुक्त उद्यम का गठन भी नहीं किया गया है इन तथ्यों और वसूली/

अग्रिम के समायोजन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए लेखा बही में अग्रिम के संबंध में 1441 लाख रु का प्रावधान किया गया है।

9) संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण

संबद्ध पक्षकारों के प्रकटन भारतीय लेखाकरण मानक 24 द्वारा यथापेक्षित संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण इस प्रकार है–

(क) संबद्ध पक्षकारों की सूची

i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

| | | |
|---|---|---|
| 1) | श्री डी.पी. सिंह | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| 2) | श्री श्रीधर पात्रा* | निदेशक (वित्त) |
| 3) | श्री एच.एल. अरोड़ा** | निदेशक (तकनीकी) |
| 4) | श्री विजय गोयल | निदेशक (कार्मिक) |
| 5) | श्री जे. बेहरा | निदेशक (वित्त) |
| 6) | सुश्री रश्मि शर्मा | कंपनी सचिव |

*31.08.2018 तक

**16.08.2019 से

(ii) अन्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी लाभ के लिए नहीं, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की गई।

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़कर) – सीएसआर गतिविधियों के लिए 'सेवा'–टीएचडीसी को 1735 लाख रूपये संवितरित किए गए।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक और भत्ते और अन्य लाभ और व्यय तथा स्वतंत्र निदेशकों की फीस 385 लाख रु. संवितरित किए गए (गत वर्ष 177 लाख रु.) है।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. स. | विवरण | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष | 31.03.2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ | 330 | 167 |
| 2 | पूर्व कर्मचारी हितलाभ | 26 | 0 |
| 3 | अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ | 9 | 10 |
| 4 | सेवांत हितलाभ | 0 | 0 |
| 5 | शेयर आधारित भुगतान | 0 | 0 |
| | जोड़ | 365 | 177 |

घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां– शून्य

10) प्रति शेयर आय (ईपीएस) – बेसिक और तनुकृत

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

| | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्युमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। लाख (रु.) | 118062 | 77116 |
| करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्युमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है (लाख रु.) | 125563 | 77116 |
| इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है। | बेसिक : 36460777.55<br>तनुकृत : 36464058.37 | बेसिक : 36181261.38<br>तनुकृत : 36182301.11 |
| प्रतिशेयर आय रुपये बेसिक जिसमें विनियामक आय तनुकृत शामिल नहीं हैं।<br>₹ बेसिक<br>₹ तनुकृत | 323.81<br>323.78 | 213.14<br>213.13 |
| प्रतिशेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है<br>₹ बेसिक<br>₹ तनुकृत | 344.38<br>344.35 | 213.14<br>213.13 |
| प्रति शेयर अंकित मूल्य रु | ₹ 1000 | ₹ 1000 |

11. भारतीय लेखांकन मानक आय पर करों के अनुपालन में कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी रू. 6572 लाख (गत वर्ष 5279 लाख रुपये) को लाभ एवं हानि विवरण में चढ़ाया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापसी योग्य है, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार चालू करों का भाग है और वापसी योग्य नहीं है। संचयी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का मदवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. सं. | | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| | आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क) | | |
| i) | बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर | 68374 | 59703 |
| ii) | प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक समायोजन | 487 | 487 |
| iii) | ओसीआई को वर्गीकृत बीमांकित लाभ/हानि | 234 | 338 |
| iv) | मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए | 6837 | 6837 |
| v) | संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान | 10007 | 11626 |
| vi) | कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान | 6140 | 6516 |
| | कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां(क) | 92079 | 85507 |
| | | | |
| | आस्थगित कर देयता (ख) | | |
| i) | बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर | 3572 | 3572 |
| ii) | मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए | -472 | -472 |
| iii) | संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान | -1 | -1 |
| iv) | कर्मचारी हित लाभ योजनाओं के लिए | -124 | -124 |
| | | | |
| | कुल आस्थगित कर देयता (ख) | 2975 | 2975 |
| | निवल आस्थगित कर (देयता) (परिसम्पतियां)(क)–(ख) | 89104 | 82532 |

12. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

क. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसीआईएल लाभ निरपेक्ष, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, के माध्यम से व्यय किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है–

| क्रम सं. | सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय–शीर्ष | ₹ लाख में |
|---|---|---|
| 01 | स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल | 363 |
| 02 | शिक्षा एवं कौशल विकास | 809 |
| 03 | सामाजिक कल्याण | 27 |
| 04 | वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि | 40 |
| 05 | कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय | 81 |
| 06 | ग्रामीण विकास परियोजनाएं | 353 |
| 07 | खेलकूद को बढ़ावा | 9 |
| 08 | आपदा प्रबंधन | 4 |
| 09 | अन्य | 65 |
| जोड | | 1751 |

टीएचडीसीआईएल के रू 1735 लाख के योगदान तथा वर्ष के दौरान ब्याज की आय रू16 लाख से सेवा द्वारा किया गया व्यय।

ख. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार 1735 लाख रू (गत वर्ष 1620 लाख रूपए) की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में रु 1735 लाख (गत वर्ष 1617 लाख रू) की राशि खर्च की, जो पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के औसत नियल लाभ 2% के बराबर है।

ग. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नकद रूप में और नकद रूप में भुगतान किये जाने वाले व्यय तथा व्यय की प्रकृति सहित व्यय(पूँजी या राजस्व ) का ब्यौरा:

(राशि लाख ₹ में)

| | | नकद रूप में | भुगतान किया जाना है | जोड |
|---|---|---|---|---|
| (i) | किसी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण | 0 | 0 | 0 |
| (ii) | क्रम सं (i) से इतर अन्य प्रयोजन के लिए | 1735 | 0.00 | 1735 |

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटन:
कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 433 लाख (पूँजी 174 लाख रु और राजस्व 259 लाख रु) (गत वर्ष 482 लाख रु. (पूँजी–244 लाख रु., राजस्व 238 लाख रु.) व्यय किए हैं।

13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं को भुगतान न किया गया मूलधन 43 लाख (गत वर्ष 41 लाख रु.) है। उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

14. कंपनी ने कर्मचारियों के लिए /कार्यालयों / अतिथिगृहों/ ट्रांजिट कैंपो और वाहनों के लिए प्रचालन पट्टे/किराए पर परिसर लिया है। ये पट्टा प्रबंध आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होते हैं। पट्टे के भुगतान के लिए किराया/ पट्टे 659लाख रु. (गत वर्ष 952 लाख) शामिल है।

15. इन्ड एएस 19– के अंतर्गत कर्मचारी हितलाभ के सम्बन्ध में प्रकटन इस प्रकार है:

क) परिभाषित अंशदान योजना–पेंशन

कंपनी में, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गयी है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि के निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश की अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकित मूल्यांकन शून्य (गत वर्ष शून्य) के आधार पर चूँकि योजनागत परिसम्पत्तियों का अंकित मूल्य दायित्व के वर्तमान मूल्य से 4989 लाख रु (गत वर्ष 2528 लाख रु) अधिक हो जाता है इसलिए इसे लेखा–बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकारियों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियम किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी का नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है।

(v) अन्य प्रतिलाभ (असबाब/ एलएसए/ एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृति की अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल हैं। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

31.03.2019 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार "कर्मचारियों के हित" के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

| विवरण | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| मृत्यु सारणी | आईएएलएम (2006-08) | आईएएलएम (2006-08) | आईएएलएम (2006-08) | आईएएलएम (2006-08) | आईएएलएम (2006-08) |
| छूट की दर | 7.75% | 7.60% | 7.50% | 7.75% | 8.0% |
| भावी वेतन वृद्धि | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.0% |

जोखिम एक्सपोज़र का ब्यौरा: मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि– वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देनदारियां बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से कम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर–उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन में पूर्वानुमान से कम या ज्यादा, मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ङ) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(राशि लाख ₹ में)

(नकारात्मक शेष को आंकड़े कोष्टक में दर्शाए गए हैं)

| विवरण | उपदान | छुट्टी का नकदीकरण | अस्वस्थता अवकाश | सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ | असैनिक भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में पीवीओ | 17486<br>{17003} | 2772<br>{5398} | 8881<br>{12388} | 6270<br>{5639} | 892<br>{862} |
| ब्याज लागत | 1329<br>{1275} | 210<br>{337} | 675<br>{(929)} | 477<br>{423} | 65<br>{65} |
| सेवा लागत उपरान्त | | | | | 338 |
| वर्तमान सेवा लागत | 606<br>{684} | 1236<br>{213} | 427<br>{402} | 217<br>{221} | 111<br>{73} |
| लाभ का भुगतान | (1516)<br>{(691)} | (1052)<br>{(3628)} | (277)<br>{(223)} | (347)<br>{(135)} | (135)<br>{(82)} |
| बीमांकिक (लाभ)/हानि | (12)<br>{(785)} | 1138<br>{452} | 177<br>{(4615)} | 385<br>{122} | (28)<br>{(26)} |
| वर्ष के अंत में पीवीओ | 17893<br>{17486} | 4304<br>{2772} | 9883<br>{8881} | 7002<br>{6270} | 1243<br>{892} |

सारणी – 3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(राशि लाख ₹ में)

(नकारात्मक शेष को आंकड़े कोष्टक में दर्शाए गए हैं)

| विवरण | उपदान | छुट्टी का नकदीकरण | अस्वस्थता अवकाश | सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ | असबाब भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में पीबीओ | 17893 {17486} | 4304 {2772} | 9883 {8881} | 7002 {6270} | 1243 {892} |
| वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| वित्त पोषित देयता प्रावधान | शून्य | शून्य | शून्य | 3320 | शून्य |
| गैर वित्त पोषित देयता/ प्रावधान | 17893 {17486} | 4304 {2772} | 9883 {8881} | 3682 {6270} | 1243 {892} |
| चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ/हानि | | | | | |
| तुलन–पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता | 17893 {17486} | 4304 {2772} | 9883 {8881} | 3682 {6270} | 1243 {892} |

सारणी – 4 लाभ और हानि, ओसीआई/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(राशि लाख ₹ में)

(नकारात्मक शेष को आंकड़े कोष्टक में दर्शाए गए हैं)

| विवरण | उपदान | छुट्टी का नकदीकरण | अस्वस्थता अवकाश | सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ | असबाब भत्ता/ लंबी सेवा एवार्ड/ एफबीएस |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान सेवा लागत | 606 {684} | 1236 {213} | 427 {402} | 217 {221} | 111 {73} |
| सेवा उपरांत लागत | | | | | 337.70 |
| ब्याज लागत | 1329 {1275} | 210 {337} | 675 {929} | 477 {423} | 65 {65} |
| ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि | (12) {(785)} | 1138 {452} | 177 {(4615)} | 385 {122} | (28) {(26)} |
| वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण | 1935 {1959} | 2585 {1003} | (1279) {3284} | 694 {644} | 516 {138} |

सारणी – 5 संवेदनशीलता विश्लेषण (राशि लाख ₹ में)

| निम्नलिखित के कारण प्रभाव | उपदान | | अर्जित अवकाश | | अस्वस्थता अवकाश | | पीआरएमबी | | अन्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.19 | 31.03.18 | 31.03.19 | 31.03.18 | 31.03.19 | 31.03.18 | 31.03.19 | 31.03.18 | 31.03.19 | 31.03.18 |
| छूट दर | | | | | | | | | | |
| 0.50% की वृद्धि | (531) | (564) | (151) | (103) | (315) | (310) | (826) | (811) | (34) | (28) |
| 0.50% की कमी | 559 | 595 | 161 | 110 | 332 | 327 | 877 | 814 | 34 | 30 |
| वेतन दर | | | | | | | | | | |
| 0.50% की वृद्धि | 132 | 161 | 160 | 109 | 315 | 310 | लागू नहीं | लागू नहीं | 17 | 17 |
| 0.50% की कमी | (144) | (171) | (151) | (103) | (332) | (327) | लागू नहीं | लागू नहीं | (17) | (16) |
| चिकित्सा लागत/ समायोजन लागत दर | | | | | | | | | | |
| 0.50% की वृद्धि | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 906 | 814 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 0.50% की कमी | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | (847) | (811) | लागू नहीं | लागू नहीं |

अन्य प्रकटन (राशि लाख ₹ में)

| उपदान | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 17893 | 17486 | 17003 | 14638 | 13741 |
| बीमांकिक (लाभ)/हानि | | | | | 2266 |
| बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त | (12) | (785) | (137) | (205) | |
| वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ ईंढीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | 1935 | 1959 | 3076 | 1597 | 3880 |

| अर्जित छुट्टी | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 4304 | 2772 | 5398 | 3714 | 5875 |
| बीमांकिक (लाभ)/हानि | 1138 | 452 | 1668 | 835 | 2131 |
| वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ ईंढीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | 2585 | 1003 | 2263 | 1521 | 2876 |

| अर्द्धवेतन (एचपीएल) छुट्टी | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 9883 | 8881 | 12388 | 10330 | 9382 |
| बीमांकिक (लाभ/हानि) | 178 | (4616) | 861 | (1) | 4288 |
| वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ ईंढीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | 1279 | (3284) | 2234 | 1242 | 5147 |

| सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी) | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 7002 | 6270 | 5639 | 4598 | 3692 |
| बीमांकिक (लाभ)/हानि | 385 | 122 | 643 | 616 | 1118 |
| बीमांकिक (लाभ)/हानि | 385 | 122 | 643 | 616 | - |
| ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त | 694 | 644 | 525 | 1047 | 1433 |
| वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईंढीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | | | | | |

| अन्य असबाब भत्ता/सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 1243 | 892 | 862 | 805 | 735 |
| बीमांकिक (लाभ)/हानि | (29) | (28) | 38 | 12 | 64 |
| बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त | (29) | (28) | 38 | 12 | |
| वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईंढीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | 516 | 138 | 112 | 149 | 118 |

16. लेखाकरण नीति में परिवर्तन

| क्र.सं. | नीति में संशोधन | प्रभाव |
|---|---|---|
| 1 | "सामान्य" से सम्बंधित लेखाकरण नीति में संशोधन और उनमें पश्चवर्ती संशोधन जोड़े गए हैं। | कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ के लिए संशोधन किया गया है। |
| 2 | "13 राजस्व मान्यता और अन्य आय" के अंतर्गत नयी नीति इस प्रकार जोड़ी गयी है।<br>13.1 इन्ड एएस के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्य किया जाता है जब संस्था, उपभोक्ता को वादा किये गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। किसी परिसंपत्ति का स्थानांतरण उसी स्थिति में होता है जब नियंत्रण का समय न रह गया हो या समय रहते कंपनी उन्हीं राशियों के मामलों में राजस्व को मान्यता देती है जिनमें इस इनवायस का अधिकार होता है | कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। इन्ड एएस 115 के कार्यान्वयन के लिए संशोधन किया गया है। |

| क्र.सं. | नीति में संशोधन | प्रभाव |
|---|---|---|
| 3. | "14.2 व्यय" के अंतर्गत नई नीति को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:<br>जिस पूर्वावधि के दौरान महत्त्वपूर्ण त्रुटियाँ हुई थीं, उस अवधि के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः प्रस्तुत कर उन त्रुटियों को भूतलक्षी प्रभाव से ठीक किया जाता है। यदि त्रुटियाँ प्रस्तुत की गयी आरम्भिक अवधि से पूर्व हुई थीं, तो पूर्व अवधि की परिसम्पत्तियों, देयताओं और इक्विटी को पुनः नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। | वित्त वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए हिसाब में लिया गया। विनियामक आस्थगित शेष 4060 लाख रु. को चालू वर्ष में मान्य किया गया। |
| 4 | "22 दर विनियमित गतिविधि– विनियामक आस्थगित शेष" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया:<br>22.1 लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया गया व्यय/आय जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार पश्चवर्ती अवधि में लाभार्थियों को जिस सीमा तक भुगतेय या उनसे वसूलनीय हो, उस सीमा तक "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्य किए जाते हैं।<br>22.2 ये विनियामक आस्थगित लेखा शेष उस वर्ष से समायोजित किए जाते हैं जिस वर्ष वे लाभार्थियों से वसूलनीय या उनसे प्राप्त हो जाते हैं।<br>22.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्यता मानदंड के अनुसार हैं और यह संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को ही प्राप्त होगा। यदि ये मानदंड पूरे नहीं किए जाते तो विनियामक आस्थगित शेष की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। | कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समझ तथा अन्य विद्युत् पीएसयू के अनुरूप |
| 5 | नई नीति इस प्रकार जोड़ी गयी है:<br>25. विविध<br>25.1 समान प्रकार की वस्तुओं की उल्लेखनीय श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति की वस्तुओं या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण प्रकृति के न हों। | कोई वित्तीय प्रभाव नहीं। बेहतर समय के लिए संशोधन किया गया है। |

17 (क) कंपनी मुख्य रूप से बिजली के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी है। उपभोक्ताओं को बेची गई बिजली के लिए कंपनी द्वारा उनसे प्रभारित किया जाने वाला मूल्य सीईआरसी द्वारा तय किया जाता है। सीईआरसी में बिजली की बिक्री के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के निर्धारण के लिए सिद्धांत और तौर–तरीकों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है। प्रशुल्क अनुमेय लागतों जैसे ब्याज, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण खर्च आदि और परिकलित प्रतिफल पर आधारित होता है। इस प्रकार के दर विनियमन को सेवा लागत विनियमन के रूप में जाना जाता है जो कम्पनी को अपनी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने की लागत तथा उचित प्रतिफल वसूलने का प्रावधान करता है।

(ख) सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2017 से किया जाना था। इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा भारत सरकार को की गई सिफारिशों में अन्य बातों के साथ–साथ सीपीएसई के कर्मचारियों को दिए जाने वाले मूल– वेतन के 30% + महंगाई भत्ता जैसे सेवांत लाभ हैं जिसमें मौजूदा

10 लाख रु. की सीमा से 20 लाख तक की सीमा तक बढ़ाई गए ग्रैचुइटी (उपदान) शामिल होता है। 2014–19 की अवधि के लिए लागू प्रशुल्क विनियमों की निबंधन एवं शर्तों के परन्तु 8(3) के अनुसार, सीईआरसी द्वारा कानून में परिवर्तन या मौजूदा कानूनों के अनुपालन के सम्बन्ध में संतुलित करने की कार्रवाई की जाएगी। उपदान (ग्रैचुइटी) को 10 लाख रू. से बढा कर 20 लाख रू. करना 'कानून में परिवर्तन' की श्रेणी में आता है और वर्ष में एक विनियामक आस्थगित खाता खोला जाता है।

(ग) पूर्ववर्ती वेतन संशोधन के प्रभाव को अनुमति देने के लिए सीईआरसी द्वारा अपनायी गई प्रणाली विनियम, 2014 के अंतर्गत सीईआरसी द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रशुल्क आदेश और विनियमों में परिवर्तन से जुड़े उपरोक्त प्रावधान पर विचार करते हुए, वेतन में संशोधन किए जाने के कारण ओएंडएम व्यय में वृद्धि के लिए एक विनियामक परिसंपत्ति (विनियामक आस्थगित लेखा शेष) बनाया गया है। संतुलित करने की कवायद के माध्यम से इसे सीईआरसी के साथ उठाया जायेगा।

(घ) चालू वर्ष में, वेतन संशोधन दिनांक 01.01.2017 से कार्यान्वित किए गए हैं। कंपनी की लेखाकरण नीति और इन्ड एएस – 8 के अनुरूप इस राशि को उल्लेखनीय नहीं मानते हुए वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक वेतन संशोधन के प्रभाव के लिए 4060 लाख रु. के आस्थगित शेष को मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 से जुड़ी 3441 लाख रु. की राशि 'विनियामक आस्थगित लेखा शेष' के रूप में हिसाब में रखी गई है। इस प्रकार 7501 लाख रु. के कुल विनियामक आस्थगित शेष को वर्ष के दौरान मान्यता प्रदान की गई है।

18. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सामग्री सहित सेवा कर)

(राशि लाख ₹ में)

| | | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| I. | सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क | 10 | 10 |
| II. | कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा) | 2 | 2 |
| III. | कंपनी के कानूनी मामलों के लिए | ----- | ----- |
| IV. | प्रबंधन सेवाओं के लिए | ----- | ----- |
| V. | अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन) | 4 | 6 |
| VI. | व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए | 2 | 2 |

*वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन के अधीन

19. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं:

| क्र.सं. | विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| (i) | लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.) | लागू नहीं है** | लागू नहीं है** |
| (ii) | संस्थापित क्षमता (मे.वा.) | 1513 मे.वा. | 1513 मे.वा. |
| (iii) | अनुमोदित क्षमता (मे.वा.) | 4301 मे.वा. | 2981 मे.वा. |
| (iv) | बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना | | |
| | वाणिज्यिक उत्पादन | | |
| | कुल उत्पादन | 4687.182275 | 4540.939605 |
| | बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण के बाद निवल) | 4136.4732971 | 4004.091416 |

**विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है या उसका अनुरक्षण कर सकती है।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार है:

(राशि लाख ₹ में)

| | विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| क | विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर) | | |
| | यात्रा | 129 | 20 |
| | परामर्श और व्यावसायिक व्यय | 306 | 236 |
| | प्रबंधन/प्रतिबद्धता शुल्क | | |
| | ऋण एवं ब्याज की चुकौती | 4539 | 1315 |
| | माल का आयात | 3417 | 2571 |
| | अन्य (अग्रिम) | | |
| | सम्मेलन के लिए नामांकन | 3 | |
| | सापटवेयर की खरीद | | |
| | अन्य | | |
| | कुल | **8394** | **4142** |
| ख | विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर) | **0** | **0** |
| ग | सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य | | |
| i) | पूंजीगत माल | 3520 | 2602 |
| ii) | अतिरिक्त पुर्जे | 25 | |
| | कुल | **3545** | **2602** |
| घ | घटक, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स का मूल्य | | |
| i) | आयातित (लाख रूपए में) | 27 | 3 |
| | (%) | 4.89 | 0.32 |
| ii) | स्वदेशी (लाख रूपए में) | 532 | 915 |
| | (%) | 95.11 | 99.68 |
| ङ. | निर्यात का मूल्य | 0.00 | 0.00 |

21. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(राशि लाख ₹ में)

| विवरण | टिप्पणी सं. | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|---|---|---|---|
| नकदी तथा नकदी समतुल्य | 10 | 4577 | 6102 |
| जोड़े : लियन के तहत बैंक शेष | 11 | 676 | 37 |
| घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष | 23 | 121840 | 64663 |
| नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य | | -116587 | -58524 |

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंडएएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और ये अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न

देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन–पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(राशि लाख ₹ में)

| वित्तीय गतिविधियों नकद प्रवाह 2018–19 | आदि | चालू वर्ष | अंत | परिवर्तन | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| जारी की गई शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित) | 363088 | | 365888 | 2800 | वीपीएचईपी के लिए भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी |
| दीर्घकालिक उधारियाँ (बॉंड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण) | 342813 | | 319639 | (23174) | आहरित ऋण जिसमें विनियम दर रु. 78431 लाख ऋण चुकौती रु. 101606 और निवल परिवर्तन रु.23175 लाख |
| ऋणों पर ब्याज<br>भुगतान की गई वित्तीय लागत पूँजीकृत कम करें – सीडब्ल्यूआईपी | | 36100<br>(18531) | | (17569) | लाभ और हानि में प्रभारित |
| भुगतान किया गया लाभांश और लाभांश वितरण कर | | | | (51009) | लाभांश का भुगतान किया गया |
| धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह | | | | (88952) | |

22. (क) व्यापार प्राप्य और भुगतान देनदारियों के संबंध में बाहरी पक्षकारों से पुष्टि, जमा ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं/ सेवा प्रदाताओं/ अन्य को अग्रिम जिसमें पूँजी व्यय और ठेकेदारों को जारी सामग्री शामिल है, प्रत्येक पक्षकार के लिए 5 लाख रु. या इससे ऊपर की शेष राशि के लिए वरीयतः सम्बंधित वर्ष के वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर को अपेक्षित होता है। 31 दिसम्बर, 2018 को शेष की स्थिति तथा 31.03.2019 के बकाया की स्थिति की पुष्टि निम्नानुसार है:

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.12.2018 को | | | | 31.03.2019 को |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | < 5 लाख | > 5 लाख | कुल | 'ख' में से पुष्टि | ₹ लाख |
| | | क | ख | ग | | घ |
| 1 | व्यापार प्राप्य जिसमें विनायामक कर्जदार शामिल नहीं हैं | 20 | 195376 | 195395 | 171169 | 170128 |
| 2 | आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और छोटे जमाकर्ताओं को अग्रिम | 138 | 102130 | 102268 | 90849 | 130581 |
| 3 | प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण धनराशि, व्यापार प्राप्य और जमाकर्ता | 974 | 12784 | 13757 | 9414 | 15433 |

ख) प्रबंधन की राय में अपुष्ट शेष राशियों का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा।

23. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध /वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

| (रश्मि शर्मा) | (जे. बेहरा) | (डी.वी. सिंह) |
|---|---|---|
| कंपनी सचिव | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| सदस्यता सं. 26892 | डीआईएन: 08536589 | डीआईएन: 03107819 |

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 071427

दिनांक: 27.08.2019

स्थान: ऋषिकेश

# स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

## राय

हमने 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथाअपेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यों की स्थिति, इसके लाभ एवं अन्य विस्तृत आय सहित और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते हैं।

## राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड' में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ–साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलें, ये मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नहीं है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखापरीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। हमने नीचे दिए गए मामले को लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्वपूर्ण मामला माना है जिसे हमारी रिपोर्ट मेल संसूचित किया जाएगा।

| क्र. स. | लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला | लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण |
|---|---|---|
| 1. | ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन<br>कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड ए एस के अंतर्गत उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। तथापि जिन मामलों में जहाँ प्रशुल्क दर तय की जानी है, वहाँ लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों को लागू कर अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं। | हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभार शामिल होते हैं, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियाएं अपनाई हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| | सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, को जटिल और निर्णयाधीन होता है, की मान्यता तथा मापन किया जाता है।<br><br>(महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 13 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 29.1 देखें) | - ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी के डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है।<br>- सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है।<br>- उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते हैं। |
| 2 | आकास्मिक देयताएँ<br><br>कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।<br><br>हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है।<br><br>(महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 12 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39.2 देखें) | हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में कंपनी के आंतरिक अनुदेशों क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई हैं:<br>- लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है।<br>- प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधि मामलों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है।<br>- विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है।<br>- प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है।<br>- जिन मामलों का प्रकटन नहीं किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है।<br>- प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है।<br><br>उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है। |

### मामले पर बल

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) बिक्री के लेखाकरण के संबंध में इंडि. ए एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 29.1 के साथ पठित राजस्व मान्यता पर लेखाकरण नीति संख्या 13 के अनुसार वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदित प्रशुल्क के आधार पर मान्यता दी गई है।

(ख) प्रासंगिक देयताओं के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39 का पैरा 2 जिसमें दावे/माध्यस्थम कार्यवाही तथा कंपनी द्वारा अथवा ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा न्यायालय में दायर मामलों के परिणामों की अनिश्चितता के संबंध में उल्लेख किया गया है।

(ग) 31 मार्च, 2019 को बकाया व्यापार प्राप्य की शेष राशि की पुष्टि से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39 का पैरा 18(क) जिसमें विनियामक कर्जदार, आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम, ठेकेदार और छोटे जमाकर्ता, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि व्यापार प्राप्य और क्रेडिटर की वर्ष में एक बार टीएचडीसीआईएल के माध्यम से पुष्टि की जा चुकी है हालाँकि प्रत्यक्ष पुष्टि भेजी गई थी परंतु प्राप्त नहीं हुई थी।

(घ) कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारकों से यीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39 का पैरा 7(i) और (ii) में यीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के लिए क्रमशः दिसंबर 2022 जून, 2022 तक परियोजना के प्रारंभण को विस्तार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स एचपीसी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ङ) खुर्जा सुपर पावर ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई 485.9630 हेक्टेयर (1200.483 एकड़) जमीन से संबंधित टिप्पणी संख्या 39 का पैरा 5(v) को डी टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। अपेक्षित शर्तों को पूरा होना लंबित रहने के कारण भूमि का हक विलेख अभी कार्यान्वित होना शेष है।

(च) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39.8 उत्तराखण्ड में स्थित 108 मेगावाट के झेलम तमक तथा 65 मेगावाट के मलेरी झेलम पर हुए व्यय के संबंध में बही में 49.24 करोड़ रु. के प्रावधान से संबंधित है जिसके अनेक कारण है जिनका प्रकटन नोट में किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय भिन्न नहीं है।

### वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचनाएँ

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट है (परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे हमने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से पूर्व प्राप्त किया था (यहाँ इसके बाद सी जी रिपोर्ट के बारे में संदर्भित) और अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और कंपनी संबंधी अन्य सूचनाओं (इसके बाद अन्य रिपोर्ट के रूप में संदर्भित) सहित निदेशक की रिपोर्ट शामिल है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिन्हित अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है ।

इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पहले प्राप्त सी जी रिपोर्ट में शामिल की गई सूचनाओं के संबंध में हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि दूसरी जानकारी संबंधी महत्वपूर्ण गलतबयानी की गई है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना होगा इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नही करना है।

जब हम 'अन्य रिपोर्ट' कहते है तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को आवश्यक होने पर कार्रवाई करने के लिए उन लोगों को सूचित करे जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है।

## वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों ( इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने, जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही ये धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथा लागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो तो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचें।

कंपनी की वित्तीय विवरणों रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

## वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे यह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित हैं और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। महत्वपूर्ण गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा। यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा को बनाए रखा है। हम:

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ भी प्राप्त की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस

बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रगतिशील संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधर पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते हैं जो उचित प्रस्तुति दी जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने को संभव बनाता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा के विस्तार क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किन्ही चिन्हित गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ–साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना दी है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को एक विवरण भी प्रदान करते है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते है यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकटन पर रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

## अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 में यथापेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में लागू सीमा तक एक विवरण "अनुलग्नक–क" में दिया है।
2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने निदेश जारी किए हैं जिनमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुपालन "अनुलग्नक–ख" में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथापेक्षित हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं

(घ) हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ गठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ङ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक 'ग' पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें और

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी के अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39.2 देखें।

ii. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 अगस्त, 2019 को अनुमोदित कर दिया है और उस पर हमारी 27 अगस्त, 2019 की रिपोर्ट (पूर्ववर्ती रिपोर्ट) जारी की गई थी ।

यह स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और लेखापरीक्षक द्वारा की गई अनंतिम टिप्पणियों के अनुसरण में हमारी दिनांक 27.08.2019 की पूर्ववर्ती रिपोर्ट का अधिक्रमण कर जारी की गई है। यह टिप्पणी उन्होंने पूर्ववर्ती रिपोर्ट की विधिक और विनियामक आवश्यकता खंड का अंग बने अनुलग्नक 'क' [कंपनी विनिर्दिष्ट मामलों में विवरण (लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदेश 2016] के भूमि से संबंधित पैरा i (ग) और विवादित सांविधिक देयताओं की राशि से संबंधित पैरा vii (ख) जैसे लेखा परीक्षा से जुडे महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित पैराग्राफों में संशोधन किए जाने पर की थी। यहाँ उल्लेखित संशोधनों को छोड़कर वित्तीय विवरणों के संबंध में पूर्ववर्ती रिपोर्ट में दी गई हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और बाद की लेखा परीक्षा में हमारी लेखा परीक्षा की पद्धति पूर्ववर्ती रिपोर्ट की तारीख तक सीमित रही।

कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 001049सी
(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 071427
यूडीआईएन : 19071427AAAAAJ7403

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 12.09.2019

"अनुलग्नक – क"

# टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

("अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अंतर्गत इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक 'क')

हम रिपोर्ट करते है कि:–

i. (क) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकॉर्ड रखा है। परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए रिकॉर्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान सम्पत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान कोई बड़ी विसंगति नहीं पाई गई जिसका लेखा–बही में उपयुक्त रूप से निपटान न किया गया हो। हमारी राय में कंपनी के आकार के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है। यह भी सूचित किया जाता है कि उत्पादन संयंत्र और मशीनरी का वास्तविक सत्यापन, उनकी अचल प्रकृति (टिहरी/ कोटेश्वर/ पाटन/ देवभूमि) के कारण नहीं किया जाता है।

(ग) हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेख की जांच के आधार पर स्पष्ट होता है कि कंपनी की फ्री होल्ड तथा लीज आधार पर ज़मीन कंपनी के नए नाम टीएचडीसी इंडिया लि. से पहले टिहरी बाँध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के नाम पर प्राप्त की गई। टिप्पणी क्रमांक 39.5(ii) से विदित होता है स्वामित्व विलेख में 505.69 हैक्टे. फ्री होल्ड भूमि को पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कि गई है। टिप्पणी 39.5 (iii) से विदित होता है कि 44.429 हैक्टे. की सिविल सोयम भूमि के लिए लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है और टिप्पणी 39.5(iv) से विदित होता है कि 0.757 हैक्टे. फ्री होल्ड भूमि एवं 4.688 हैक्टे. लीज होल्ड भूमि के लिए स्वामित्व हस्तांतरण और लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है। और 39.5(v) से विदित होता है कि 485.9839 हैक्टे. भूमि का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम निष्पादित किया जाना है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऊपर संदर्भित भूमि का मूल्य अभी अनिश्चित किया जाना है।

ii. माल सूचियों की वास्तविक सत्यापन सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में भौतिक सत्यापन की बारंबारता उचित है, माल सूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्त्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ – 3 का खंड –(iii) (क) (ख) और (ग) लागू नहीं हैं।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं कि है, अतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–73 से 76 तक तथा उसमें निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके

अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों का रख–रखाव निर्धारित किया है। कंपनी आवश्यक लागत रिकॉर्ड बनाए रखती है। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रक्रियाधीन हैं।

vii. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधिक देय राशियां उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, सम्पत्ति कर, सेवा कर तथा अन्य सांविधिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधिक देय राशि 31 मार्च, 2019 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर विवादित बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, सम्पत्ति कर, उत्पादन शुल्क, सेवाकर और उपकर, यदि कोई हो, का ब्योरा, 31 मार्च, 2019 के अनुसार निम्नानुसार है:

| संविधि का नाम | ड्यूटी की प्रकृति | राशि (रु. लाख में) | जिस वित्त वर्ष से सम्बंधित हैं | विरोध सहित जमा (रु. लाख में) | मंच जहाँ मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|
| विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2012 पर उत्तराखंड जल कर | जल उपकर | 40097 | 2015-16 से 2018-19 तक | शून्य | उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल |
| उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014 | हरित ऊर्जा उपकर | 12620 | 2015-16 से 2018-19 तक | शून्य | उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल |

viii. हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की।

ix. हमारी राय में तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान आवधिक ऋण के माध्यम से जुटाए धन का, वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

x. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाज़ी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

xi. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार प्रदत्त छूट तथा धारा 197 सह–पठित अधिनियम की अनुसूची प्रबंधन पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xii. हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है,इसलिए आदेश के खंड 3 (XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xiii. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप हैं तथा ऐसे लेन–देन के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

xiv. प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया निष्पादन के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानी अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नहीं किया। अतएव आदेश के खंड 3 (XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xv. हमारी राय और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नहीं किया अतएव आदेश के खंड 3 (XV) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xvi. हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 001049सी
(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 071427

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 12.09.2019

"अनुलग्नक – ख"

# टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

| क्रम सं. | निर्देश | लेखा परीक्षक की टिप्पणी | वित्तीय विवरणों पर प्रभाव |
|---|---|---|---|
| 1. | क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से प्रोसेस करने का सिस्टम मौजूद है। यदि हाँ, तो लेखांकन संबंधी लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की निष्ठा के साथ–साथ वित्तीय विवरणों पर पडने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं। | जी हाँ, हमारे सत्यापन के आधार पर लेखांकन संबंधी कोई भी लेन–देन कंपनी में मौजूद एफएमएस प्रणाली से इतर किसी प्रणाली के माध्यम से नहीं किया जाता है। | शून्य |
| 2. | क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नही सकी थी। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। | हमारे सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का मामले नहीं था जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। | नहीं |
| 3. | क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त प्राप्य निधियों का हिसाब किताब इसकी शर्तो के अनुसार रखा गया /उपयोग किया गया। | की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर केंद्र सरकार से विशिष्ट स्कीमों (परियोजनाओं) के लिए प्राप्त की गई। निधियों (इक्विटी) का हिसाब–किताब भली–भांति रखा गया तथा संबंधित शर्तों के अनुसार प्रयोग किया गया । | नहीं |

कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 001049सी

(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 071427

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 12.09.2019

"अनुलग्नक – ग"

# टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

**(इस तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 (एफ) में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" संबंधी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक 'ग')**

## कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2019 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए ज़िम्मेदार है। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन ज़िम्मेदारियों में डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है जिसमें कार्य के सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

## लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा 'आईसीएआई' द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडेंस नोट) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी है। इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर ये औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तताएं वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारे वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन के जोखिम मूल्यांकन, का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिज़ाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) कंपनी की परिसम्पतियों के अभिलेख के रख–रखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और पूर्ण संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (ii) उचित आश्वासन दिया जाए कि वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार

करने हेतु लेन–देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय– व्यय विवरण तैयार किया जाता है तथा (iii) कंपनी की परिसम्पत्तियों का अनाधिकृत उपयोग, निपटान अधिग्रहण, जिनका वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अंतर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर जिसमे धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की सम्भावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाज़ी भी हो सकती है, कि अंतर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति में गिरावट आ सकती है।

### राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मार्च, को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 001049सी
(संजीव अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 071427

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 12.09.2019

No. MAB-III/62/REP/01-107/Acs-Ph. III-THDC/2019-20/571

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

**Indian Audit & Accounts Department**
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III
NEW DELHI

दिनांक / Dated: 18/09/2019

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

**विषयः 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीया,
ह./–
(रिना अकोइजम)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवां तल, एनेक्सी बिल्डिंग,10 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi -110 002
Ph.: 23239227; Fax: 23239211; e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

# टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 12.09.2019 की संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है जिसने दिनांक 27.08.2019 की पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण कर दिया है।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच पड़ताल तक सीमित है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा सामने लायी गयी लेखा परीक्षा सम्बन्धी कुछ अभ्युक्तियों को लागू करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा में कुछ संशोधन किया है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी है जिसमें अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिपण्णी करने या उसमें वृद्धि करने की स्थिति आएगी।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–
(रिना अकोइजम)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.09.2019

कोटेश्वर बांध झील
Koteshwar Dam Lake

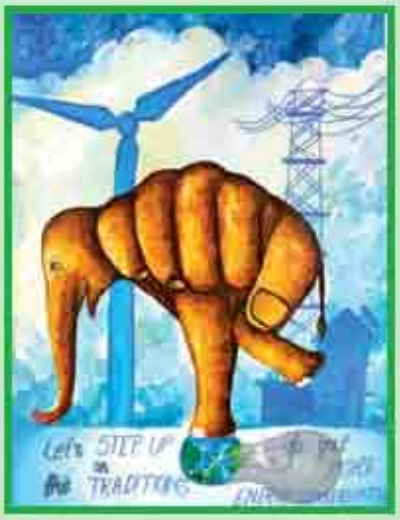

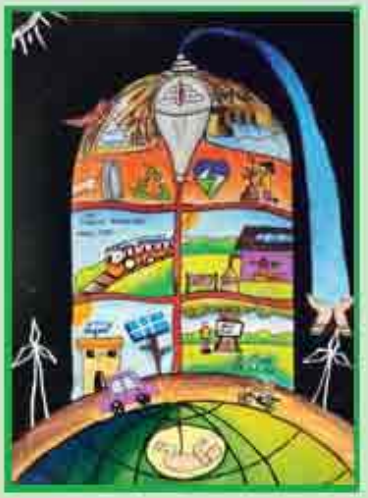

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा "ऊर्जा संरक्षण" पर आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता 2018 में विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स

The paintings are done by students in State Level drawing competition 2018 on "Energy Conservation" organized by THDC India Limited

**टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड**

**THDC INDIA LIMITED**

(भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)
CIN : U45203UR1988GOI009822
कारपोरेट कार्यालय: गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201
Corporate Office: Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bye-Pass Road, Rishikesh - 249201
वेबसाइट / Website : www.thdc.co.in

Designed & Printed by CURRENT